

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका



अक्टूबर 2024

वर्ष : 06 | अंक : 12

मूल्य : ₹140



» मुख्य विशेषताएं

राज्य समाचार
बैन ब्रूस्टर
पॉवर पैकड न्यूज
वन लाइनर
यूपीएससी प्री मॉक पेपर



सेमीकंडक्टर

भारत की अगली रणनीतिक छलांग



नया बैच प्रारंभ

UPPCS

11 November

BILINGUAL

8:00 AM

BILINGUAL

6:00 PM

OFFLINE / ONLINE BATCH

Admission Open



CP1, Jeevan Plaza, Viram khand 5,
Gomti Nagar Lucknow

📞 7234000501, 9580760216

पहला पन्ना



एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्वपूर्ण मुद्दे संभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध निदेशक	:	व्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	विवेक ओड़ा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	:	अरुण मिश्र
आवरण सञ्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरुक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	12	1680	1200

Half Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	6	840	600

*Postal charges extra

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com



इस अंक में

1. राष्ट्रीय 06-17

- वन नेशन वन इलेक्शन की राह पर आगे बढ़ती भारत की संघीय व्यवस्था
- अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक
- असम समझौता
- त्रिपुरा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर
- बुलडोजर न्याय
- सुप्रीम कोर्ट के नये धज और प्रतीक का अनावरण
- सुभद्रा योजना
- एनपीएस वात्सल्य योजना
- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
- मैरिट रेप: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और भविष्य
- बाल पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट
- न्यायालय में तथगत और न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता

2. अन्तर्राष्ट्रीय 18-29

- एक्ट इस्ट पॉलिसी को घार देती पीएम मोदी की सिंगापुर ब्रुनेई यात्रा
- इंडस-एक्स शिखर सम्मेलन
- ईरान-अमेरिका संबंधों में बदलाव
- एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन
- भारत-खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक
- भारत पर FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट
- भविष्य के लिए समझौता
- इजराइल-हिजबुल्लाह संघर्ष में भारत की चिंताएं
- एशिया पावर रिपोर्ट 2024

- चीन-अफ्रीका सहयोग मंच
- 6वां क्याड शिखर सम्मेलन
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात में असैन्य परमाणु सहयोग
- अफ्रीका शहरी फोरम

3. पर्यावरण 30-41

- वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों से प्रभावित होता ग्लोबल एनवायरनमेंट
- कैस्टकेड मैंड़क
- नामीबिया में सूखे के कारण सैकड़ों जंगली जानवरों को मारने का आदेश
- प्लास्टिक प्रदूषण का हब भारत
- मानसून की गतिशीलता और जलवायु प्रभाव
- मिशन मौसम
- ट्यैचिंग वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम
- इंडोटेस्टुडो एलॉनाटा
- दिल्ली में संसाधनों के संरक्षण पर आयोजन
- इंटरनेशनल बिंग कैट एलायंस
- एक सींग वाले गैंडे
- वन्यजीव पर्यावास विकास योजना
- इंटीग्रेटेड ओशन एनजी एटलस

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 42-53

- सेमीकंडक्टर: भारत की अगली रणनीतिक छलांग
- BPALM उपचार योजना
- पार्किंसंस रोग में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका

- राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क
- समुद्रयान मिशन: भारत की नई पहल मत्स्य-6000 के परीक्षण की तैयारी
- बायो-राइड
- एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से हो रही एक तिहाई मौतें
- भारतीय विज्ञान संस्थान ने विकसित किया मरिट-प्रेरित एनालॉग कंज्यूटिंग स्लेटफॉर्म
- गैनोजाइम
- परम रुद्र सुपरटक्यूटर
- क्रोमोस्फीयर का अध्ययन
- रात के प्रकाश प्रदूषण से अल्जाइमर का जोखिम
- गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी का एकीकरण
- सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण (RESET)
- शहरी नियोजन और निहितार्थ
- एस.सी. समुदाय के विरुद्ध अपराध में बढ़ोतरी
- वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024
- लोथल में जहाज-बाड़े की पुष्टि
- स्वच्छ भारत मिशन ने प्रति वर्ष 70,000 शिशुओं की जान बचायी
- WHO ने दक्षिण-पूर्व एशिया में सड़क सुरक्षा पर कार्रवाई का आग्रह किया
- भारत में स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन कानून की आवश्यकता

5. आर्थिकी 54-65

- कृषि-तकनीक: प्रौद्योगिकी और कृषि का एकीकरण
- भुगतान पासकी सेवा
- वधावन बंदरगाह
- भास्कर पहल
- SPICED योजना
- एग्रीश्योर फंड
- भारत की आर्थिक वृद्धि
- भारतीय राज्यों की आर्थिक प्रदर्शन रिपोर्ट
- पीएम ई-ड्राइव योजना
- वर्ल्ड एम्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक
- नीति आयोग की खाद्य तेलों पर नई रिपोर्ट

6. विविध 66-79

- वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की वर्तमान स्थिति
- सड़क सुरक्षा में भारत की स्थिति
- औषधि अधिनियम का नियम 170
- वैश्विक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी
- सैन्य क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग पर दूसरा शिखर सम्मेलन

7. विविध लर्न 80-126

- | | |
|--|---------|
| ब्रेन बूस्टर | 80-91 |
| <input checked="" type="checkbox"/> चुप रहने का अधिकार | |
| <input checked="" type="checkbox"/> लोकपाल और लोकायुक्त | |
| <input checked="" type="checkbox"/> पीएम ई-ड्राइव | |
| <input checked="" type="checkbox"/> भारत में वायु प्रदूषण | |
| <input checked="" type="checkbox"/> खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क | |
| <input checked="" type="checkbox"/> मेक इन इंडिया के 10 साल | |
| <input checked="" type="checkbox"/> भारत का संविधान: एक जीवंत दस्तावेज | |
| <input checked="" type="checkbox"/> भविष्य का शिखर सम्मेलन | |
| <input checked="" type="checkbox"/> श्वेत क्रांति 2.0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> विश्व पर्यटन दिवस 2024 | |
| प्रमुख चर्चित स्थल | 92-93 |
| राज्य समाचार | 94-101 |
| पावर पैकड न्यूज | 102-109 |
| वन लाइनर्स | 110-112 |
| समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न | 113-118 |
| प्रीलिम्स आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न | 119-126 |

राष्ट्रीय मुद्दे



वन नेशन वन इलेक्शन की राह पर आगे बढ़ती भारत की संघीय व्यवस्था

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बिल संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। यह फैसला 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर बनी उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश होने के बाद आया है। 'वन नेशन वन इलेक्शन' का प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि यह आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक वास्तविकता बनता है, तो सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। एक चुनावी बूथ में दो मशीनें होंगी, वोटर एक मशीन में सांसद चुनेगा और दूसरी में विधायक। 11 घंटे की वोटिंग में प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री तय हो जाएंगे।

वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। मोदी सरकार 2.0 ने इस समिति का गठन एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए किया था। यह सत्ताधारी दल बीजेपी के लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र के प्रमुख वादों में से एक था। समिति ने इस वर्ष मार्च में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति की 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट में पहला कदम लोकसभा और राज्य

विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का सुझाव दिया गया है, जिसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं होगी, बल्कि संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए थे, जिनमें से 32 राजनीतिक दल 'वन नेशन वन इलेक्शन' के समर्थन में थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 'केवल 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर, शेष 32 दलों ने न केवल साथ-साथ चुनाव प्रणाली का समर्थन किया, बल्कि सीमित संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए इस विकल्प की जोरदार बकालत भी की है।'

उल्लेखनीय है कि आजारी के बाद, जब देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे, तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद तीन और टर्म्स- 1957, 1962 और 1967 में यही क्रम रहा। एक अपवाद के साथ, जब 1959 में केरल की तत्कालीन नंबूदीरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गईं और आखिरकार 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई। ऐसे में, देश में चुनावी प्रबंधन पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया था।

वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में सरकार के

समक्ष चुनौतियाँ:

- एक देश-एक चुनाव विधेयक पर मुहर तभी लगेगी, जब इसे संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन आवश्यक होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस संविधान संशोधन को पारित करने की होगी, जिसके लिए दो-तिहाई बहुमत होना अनिवार्य है। आम चुनाव में संविधान संशोधन का मुद्दा तीखे विर्माण का कारण बन सकता है और विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक हथियार बना सकता है। सरकार को देश की संघीय व्यवस्था को क्षति न पहुंचाने के मुद्दे पर देश और राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना होगा।

वन नेशन वन इलेक्शन के विपक्ष में तर्कः

- इस प्रस्ताव के विरोधियों की दलील है कि एक साथ चुनाव करवाने से देश के संघीय ढांचे पर सीधा असर पड़ेगा, क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज हो जाएंगे और जनता के प्रति जवाबदेही कमजोर पड़ जाएगी।
- भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियाँ और 50 से अधिक क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। चुनावी रुझानों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनता आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में अलग-अलग मार्गों और अलग-अलग एजेंडे के लिए बोट करती है। राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे भिन्न होते हैं और हर राज्य की आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। आम चुनावों के दौरान विदेश नीति, आयकर, और राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चा होती है, जबकि स्थानीय निकायों और प्रदेश के चुनावों के दौरान पानी, सड़कें, और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहते हैं। ऐसे में, हर चुनाव को एक साथ करना तार्किक नहीं होगा।
- क्षेत्रीय दल कहते हैं कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए, तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दों पर जो ध्यान दिया जाता है, वो केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्टियाँ भर-भर के डबल इंजन वाली सरकार का हवाला देंगी और इससे क्षेत्रीय पार्टियों के बोटर बांटेंगे। राज्य सरकारों की स्वायत्ता पर असर पड़ेगा। सीधे-सीधे केंद्र सरकार में जो भी प्रमुख पार्टी होगी, एक नीतिगत फैसले की आड़ में उसे ज्यादा फायदा हो सकता है।
- समय-समय पर चुनाव होते रहने की वजह से जनप्रतिनिधियों को लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता। चुनाव निकालना है, तो बस प्रचार से काम नहीं चलेगा। उसके लिए काम भी कराना पड़ेगा लेकिन अगर एक ही पार्टी को प्रभुत्व मिल जाए या एक नेता को ये भरोसा हो जाए कि वही सब कुछ है तो इससे निरंकुशता की आशंका बढ़ जाएगी।

वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में तर्कः

- जो इस धारा के पक्ष में है, उनका तर्क है कि खर्च कम होगा, सुविधा होगी और काम में बाधा नहीं होगी। देश में जब भी, जहाँ भी चुनाव होते हैं, तब एक आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार किसी प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं कर सकती, नई स्कीमें नहीं शुरू कर सकती, कोई वित्तीय मंजूरी या नई नियुक्ति नहीं कर सकती है। अब हर साल ही कोई न कोई चुनाव पड़ता है, तो हर साल ही आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। प्रशासन तो काम में उलझता ही है, नेतागण भी प्रचार में ही जुटे रहते हैं। चुनाव के दौरान जरूरी नीतिगत फैसले नहीं लिए जाते और कई योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। इसलिए सीधे-सीधे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर देश में एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो जाएं, तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी। इसके बाद धड़ल्ले से 'विकास ही विकास' होगा।
- फिर देश में चुनाव के दौरान शिक्षकों और सरकारी मुलाजिमों की सेवाएं ली जाती हैं। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर सभी चुनाव साथ होंगे, तो सरकारी मुलाजिमों और सुरक्षा बलों को बार-बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका समय बचेगा, वो अपनी ड्यूटी ठीक से कर पाएंगे।
- सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1951-52 में भारत के पहले चुनाव के दौरान कुल 68 चरण हुए थे और लागत आई थी, 10.5 करोड़ रुपये। 2019 में यही लागत बढ़कर 50,000 करोड़ पहुंच गई और 2024 के लिए इसी रिपोर्ट में 1.35 लाख करोड़ का अनुमान बताया गया है। इसके आलावा, प्रति मतदाता खर्च भी बढ़ा है, जो 1951 में प्रति मतदाता 6 पैसे था, 2014 में 46 रुपये हो गया है। एक देश-एक चुनाव के पक्षकार कहते हैं कि जितनी बार चुनाव होता है, देशवासियों का उतना ही पैसा बर्बाद होता है। सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इसीलिए एक बार में चुनाव हो जाए, तो एक ही बार खर्च होगा।

वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति की सिफारिशें:

- 'वन नेशन वन इलेक्शन' पर राम नाथ कोविंद उच्च समिति ने इस विषय पर जोकि महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं, उनमें से प्रमुख हैं:
- आजादी के बाद पहले दो दशकों तक चुनाव न कराने का नकारात्मक असर अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर पड़ा है। पहले हर दस साल में दो चुनाव होते थे, अब हर साल कई चुनाव होने लगे हैं। इसीलिए सरकार को साथ-साथ चुनाव के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी रूप से तंत्र बनाना चाहिए।
 - चुनाव दो चरणों में कराए जाएं। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाएं। दूसरे चरण में नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव हों। इन्हें पहले चरण के चुनावों के साथ इस तरह कोऑर्डिनेट किया जाए कि लोकसभा

और विधानसभा के चुनाव के सौ दिनों के भीतर इन्हें पूरा किया जाए।

- इसके लिए एक मतदाता सूची और एक मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन किए जाएं। इसे निर्वाचन आयोग की सलाह से तैयार किया जाए।
- समिति की सिफारिश के अनुसार, त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नए सदन के गठन के लिए फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। इस स्थिति में नए लोकसभा (या विधानसभा) का कार्यकाल पहले की लोकसभा (या विधानसभा) की बाकी बची अवधि के लिए ही होगा। इसके बाद सदन को भंग माना जाएगा। इन चुनावों को 'मध्यावधि चुनाव' कहा जाएगा, जबकि पांच साल के कार्यकाल के खत्म होने के बाद होने वाले चुनावों को 'आम चुनाव' कहा जाएगा।

कोविंद समिति के अनुसार चुनाव कैसे कराए जाएः

- आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दिन राष्ट्रपति

एक अधिसूचना के जरिए इस अनुच्छेद के प्रावधान को लागू कर सकते हैं। इस दिन को 'निर्धारित तिथि' कहा जाएगा।

- इस तिथि के बाद, लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले विधानसभाओं का कार्यकाल बाद की लोकसभा के आम चुनावों तक खत्म होने वाली अवधि के लिए ही होगा। इसके बाद लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे।
- एक समूह बनाया जाए जो समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर ध्यान दे।
- लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, जैसे ईवीएम मशीनों और बीवीपीएटी खरीद, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य व्यवस्था करने के लिए निर्वाचन आयोग पहले से योजना और अनुमान तैयार करे। वहीं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों के लिए ये काम राज्य निर्वाचन आयोग करे।

संक्षिप्त मुद्दे

अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 को सर्वसम्मति से पारित किया। विधेयक में यौन उत्पीड़न के मामलों में सजा बढ़ाने, जांच में तेजी लाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रमुख सुधार पेश किए गए हैं। यह विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराधों को लक्षित करता है।

मुख्य बिंदु:

- इस कानून का उद्देश्य यौन उत्पीड़न के मामलों को संबोधित करने, कठोर दंड और तेजी से जांच सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कानूनी ढांचे को बढ़ाना है, साथ ही एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही के लिए कानून प्रवर्तन को जवाबदेह बनाना है।
- जांच को समय पर पूरा करने के लिए राज्य पुलिस के बीच से एक विशेष 'अपराजिता टास्क फोर्स' बनाई जाएगी।
- यौन उत्पीड़न के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से इनकार करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए अनिवार्य दंड शामिल है।
- विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का

प्रावधान शामिल है, यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या उसे निष्क्रिय अवस्था में छोड़ दिया जाता है।

- बलात्कार के मामलों की समयबद्ध जांच प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत बलात्कार की सजा:

भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत बलात्कार के लिए सजा को अपराध की गंभीरता के अनुसार 2 उपधाराओं के अंदर बताया गया है:

- धारा 64 (1) के तहत सजा:** इसमें बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति उपधारा (2) में बताई गई बातों व परिस्थितियों को छोड़कर बलात्कार करता है। उसे कम से कम दस वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा जिसे आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर जुर्माना (Fine) भी लगाया जा सकता है।
- धारा 64 (2) के तहत सजा:** इसमें बलात्कार के गंभीर रूपों के बारे में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे धारा 64(1) में दी गई सजा से अधिक सजा से दंडित (Punished) किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है।

बलात्कार के गंभीर रूप:

- धारा 64(2)-किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने पद (Post) का दुरुपयोग (Misuse) करते हुए किसी महिला के साथ बलात्कार करना।
- लोक सेवक के रूप में ऐसे लोग आते हैं जिनको लोगों के हितों के लिए किए जाने वाले कार्य सौंपे गये हैं। जैसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। जब कोई लोक सेवक बलात्कार करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो इसे भी गंभीर अपराध माना जाता है।
- सशस्त्र बलों या सेना (Armed Forces Or Military) के जवानों या अधिकारियों द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल करके किसी महिला के साथ रेप करना।
- जब कोई अधिकारी अपनी जेल में कैद किसी महिला के साथ रेप करता है।
- महिला व बाल संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा किसी महिला के साथ रेप जैसा गंभीर अपराध करना।
- ऐसे संस्थान जो महिलाओं और बच्चों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं।

उचित परिश्रम दायित्व:

- भारत महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CEDAW) का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिसके तहत देश को महिलाओं के मानवाधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और संरक्षण करना आवश्यक है, जिसमें उनके खिलाफ हिंसा को संबोधित करना भी शामिल है।
- उचित परिश्रम की अवधारणा का यह मतलब है कि राज्य महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए अपने दायित्वों को कितनी अच्छी तरह पूरा करता है। यह रूपरेखा पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है:

- » **रोकथाम:** राज्य को हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए काम करना चाहिए, जोखिम कारकों को खत्म करना चाहिए, पीड़ितों तक पहुँचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापक कानून प्रभावी रूप से लागू हों। इसमें डेटा संग्रह, महिला संगठनों के साथ सहयोग और जोखिम वाले समूहों पर विचार करना भी शामिल होना चाहिए।
- » **सुरक्षा:** राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों के लिए सहायता सेवाएँ उपलब्ध और सुलभ हों, पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करें और संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षित करके सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें।
- » **अधियोजन:** राज्य का कर्तव्य है कि वह मामलों की कुशलतापूर्वक, निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से जाँच करे और मुकदमा चलाए। पीड़ितों को कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए और आपराधिक न्याय

प्रणाली को कुशलता से काम करना चाहिए।

- » **सजा:** अपराधियों के लिए सजा निश्चित और अपराध के अनुपात में होनी चाहिए।
- **निवारण और क्षतिपूर्ति का प्रावधान:** राज्य को पीड़ित-कोंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए संस्थागत सुधारों पर काम करना चाहिए।
- अपने उचित परिश्रम दायित्वों को पूरा करने के लिए, राज्य को इनमें से अधिकांश या सभी क्षेत्रों को संबोधित करना चाहिए।

निष्कर्ष:

अपराजिता विधेयक मुख्य रूप से दंड बढ़ाने और पीड़ितों के लिए जुर्माना लगाने पर कोंद्रित है, लेकिन यह व्यापक तरीके से रोकथाम, संरक्षण या अभियोजन को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है। हालाँकि इन उपायों का कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन वे दंड और क्षतिपूर्ति के मामले में राज्य की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा नहीं करते हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के अंतर्निहित कारणों से निपटना भी महत्वपूर्ण है। आपराधिक कानूनों में सख्त संशोधनों पर ध्यान कोंद्रित करने के बजाय, दीर्घकालिक उपायों और समुदाय स्तर पर लगातार सरकारी प्रयासों के साथ एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण यौन हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने में अधिक प्रभावी हो सकता है।

असम समझौता

चर्चा में क्यों?

असम सरकार, न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति द्वारा अनुच्छेद 6 के संबंध में दी गई अधिकांश सिफारिशों को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य असम के स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। राज्य कैबिनेट ने 67 सिफारिशों में से 57 को मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि:

- यह निर्णय पूर्वी असम में स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए उठाए गए आंदोलनों के बाद लिया गया। न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति ने 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद अनुच्छेद 6 पर कार्वाई की सिफारिश की थी।
- असम समझौता 1985 में अवैध प्रवासियों, विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वालों के मुद्दे को हल करने के लिए किया गया था। लेकिन अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन में वर्षों से देरी हो रही है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि 'असमिया' किसे माना जाएगा।

अनुच्छेद 6 के बारे में:

- अनुच्छेद 6 असम समझौते का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो

असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की रक्षा पर केंद्रित है। यह संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपायों की स्थापना के माध्यम से स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए बना है।

मुख्य सिफारिशें:

- **संविधानिक सुरक्षा:** असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, और भाषाई पहचान की रक्षा और संवर्धन के लिए तत्त्र स्थापित करना।
- **भूमि अधिकार:** असमिया समुदाय के लिए भूमि स्वामित्व की सुरक्षा और भूमि के स्वामित्व को रोकने के उपाय।
- **भाषा और संस्कृति:** असमिया भाषा और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के लिए पहलों को लागू करना।
- **आरक्षण:** असमिया व्यक्तियों के लिए विधान सभा, लोकसभा और पंचायत चुनावों में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना।

क्रियान्वयन में अपवाद:

- छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जैसे बोडोलैंड क्षेत्र, डीमा हसाओ स्वायत्त परिषद और करबी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से बाहर रखा गया है।
- इसके अलावा, बांग्ला-प्रभुत्व वाले बराक घाटी क्षेत्र को प्रारंभिक कार्यान्वयन से तब तक बाहर रखा गया है जब तक संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी नहीं मिल जाती।

निष्कर्ष:

जस्टिस बिलब शर्मा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन असमिया लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पहचान को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, जिससे असम के सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

त्रिपुरा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- **ऐतिहासिक समझौता:** इस समझौते के तहत, NLFT और ATTF के 328 विद्रोहियों ने हिंसा का त्यागने, अपने सशस्त्र संगठनों को भंग करने और मुख्यधारा में शामिल होने की प्रतिज्ञा की है।
- **विकास पहले:** शांति समझौते के हिस्से के रूप में, केंद्र ने

त्रिपुरा की आदिवासी जनसंख्या के समग्र विकास के लिए 250 करोड़ का विशेष पैकेज मंजूर किया है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता सरकार की विद्रोह के मूल कारणों को संबोधित करने और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने की इच्छा को दर्शाती है।

- **शांति प्रयास और परिणाम:** यह समझौता उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए 12वां शांति समझौता है और पिछले दशक में त्रिपुरा के लिए तीसरा है। इन समझौतों के माध्यम से 10,000 से अधिक विद्रोहियों ने मुख्यधारा में शामिल होकर हिंसा को काफी हद तक कम किया है और अनगिनत जीवन बचाए हैं।

विद्रोही समूहों की पृष्ठभूमि:

- नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (जोकि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत से सक्रिय हैं) ने प्रवासियों को बाहर करने और आदिवासी भूमि की पुनर्पाप्ति जैसे उद्देश्यों के साथ हिसात्मक गतिविधियों में भाग लिया है। NLFT पर 600 से अधिक हत्याओं का आरोप है, जबकि ATTF को 300 से अधिक मौतों और कई अपहरणों से जोड़ा गया है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में शांति और विकास के लिए पहलें:

सरकारी शांति समझौते:

- सरकार ने विभिन्न विद्रोही समूहों के साथ कई शांति समझौतों पर बातचीत की और हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण समझौते:

- नागा शांति समझौता
- असम-मेघालय सीमा समझौता, 2022
- कार्बो आंगलोंग समझौता, 2021
- बोडो समझौता, 2020
- ब्रु-रेआंग समझौता, 2020
- नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) - त्रिपुरा समझौता, 2019

विकासात्मक पहलें:

- कलादान मल्टी-मोडल ट्रॉजिट प्रोजेक्ट
- उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना
- प्रधानमंत्री की उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विकास पहल (PM-DevINE)

सांस्कृतिक और सामाजिक पहल:

- क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक त्योहारों को बढ़ावा देना
- सांस्कृतिक केंद्रों के लिए समर्थन
- उत्तर-पूर्व परिषद के माध्यम से अंतरराज्यीय सहयोग

अन्य पहल:

- भारतमाला परियोजना
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS)-UDAN

- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रुपक्षीय राजमार्ग
- स्वदेश दर्शन योजना
- राष्ट्रीय बांस मिशन

निष्कर्ष:

हाल ही के त्रिपुरा के शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना दीर्घकालिक स्थिरता और क्षेत्रीय प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते के तहत, पूर्व विद्रोहियों का मुख्यधारा में समावेश और 250 करोड़ के विकास पैकेज की घोषणा से स्पष्ट होता है कि सरकार क्षेत्र की ऐतिहासिक समस्याओं को संबोधित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। यह पहल न केवल हिंसा को समाप्त करने में सहायक होगी बल्कि त्रिपुरा के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी सुदृढ़ करेगी।

बुलडोजर न्याय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर न्याय' से संबोधित चिंताओं को संबोधित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। यह कदम उन मामलों में उठाया गया है जहां अपराध गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपियों की संपत्तियों को अवैधानिक तरीके से ध्वस्त किया गया है।

प्रस्तावित दिशा-निर्देश:

- सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य 'बुलडोजर न्याय' से संबोधित शिकायतों को रोकना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संपत्तियों का ध्वस्तिकरण केवल आरोपों के आधार पर नहीं किया जा सकता; इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।
- आरोपित अपराध का प्रमाण: बिना कानूनी प्रक्रिया और सजा के संपत्तियों का ध्वस्तिकरण उचित नहीं है।
- कानूनी प्रोटोकॉल: अवैध निर्माणों के मामले में भी ध्वस्तिकरण को स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

कानूनी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना :

कोर्ट ने ध्वस्तिकरण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक विभिन्न चरणों को प्रस्तावित किया है:

- **पूर्व-ध्वस्तिकरण चरण:** प्राधिकृत अधिकारियों को ध्वस्तिकरण की आवश्यकता को उचित ठहराना होगा, भूमि अभिलेखों और पुनर्वास योजनाओं की जानकारी प्रकाशित करनी होगी और प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिक्रिया देने का समय देना होगा। एक स्वतंत्र समिति को प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए।
- **ध्वस्तिकरण चरण:** बल का उपयोग न्यूनतम किया जाना चाहिए, भारी मशीनरी से बचना चाहिए और ध्वस्तिकरण पूर्व-निर्धारित किया जाना चाहिए। आश्चर्यजनक ध्वस्तिकरणों को दंडित किया जाएगा।

- **पुनर्वास चरण:** उचित मुआवजा और पुनर्वास प्रदान किया जाना चाहिए, और एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

बुलडोजर न्याय क्या है?

- बुलडोजर न्याय उन व्यक्तियों की संपत्तियों का अतिरिक्त-वैधानिक ध्वस्तिकरण होता है जिन पर अपराध के आरोप होते हैं। यह तरीका, जो बुलडोजरों का उपयोग करके लागू किया जाता है, यह भारत के विभिन्न हिस्सों में देखा गया है।
- यह रणनीति आमतौर पर दंड के रूप में इस्तेमाल की जाती है, उन घरों और व्यवसायों को लक्ष्य बनाते हुए जिन्हें दंगों या अन्य अपराधों में शामिल माना जाता है।

हाल के उदाहरण:

- **नूह, हरियाणा (2023):** धार्मिक समूहों के बीच झगड़ों के परिणामस्वरूप कई घरों का ध्वस्तिकरण हुआ।
- **खरगोन, मध्य प्रदेश:** साम्प्रदायिक दंगों के बाद भी इसी तरह के ध्वस्तिकरण हुए, जिसमें उन लोगों की संपत्तियों को प्रभावित किया गया जो दंगों में शामिल माने गए थे।
- इन उदाहरणों में, ध्वस्तिकरणों को नगरपालिका कानूनों के तहत उचित ठहराया गया है, अक्सर अतिक्रमणों या अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में इसे पेश किया जाता है। हालांकि, यह तरीका अक्सर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के पूर्ववर्ती निर्णयों जैसे कि सुदामा सिंह बनाम दिल्ली सरकार और अजय माकन बनाम केंद्र सरकार के मामलों द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करता है।

कानून के उल्लंघन:

- **पुनरावृत्ति उपाय:** बुलडोजर न्याय का तरीका, जो "आंख के बदले आंख" की मानसिकता से प्रेरित है, इसमें कानूनी औचित्य और प्रक्रिया की कमी है।
- **मूल अधिकार:** कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किए गए ध्वस्तिकरण मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिससे संभावित संवैधानिक उल्लंघन हो सकता है।
- **संपत्ति का नुकसान:** ऐसे कार्यों के परिणामस्वरूप मूल्यवान संपत्तियों का नुकसान हो सकता है, जो प्रभावित परिवारों की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है।
- **नैतिक चिंताएँ:** यह तरीका निष्पक्षता और न्याय के सवाल उठाता है, विशेषकर जब यह पूरे परिवारों को विस्थापित करता है।

निष्कर्ष:

बुलडोजर न्याय सार्वजनिक व्यवधानों के त्वरित समाधान के रूप में दिखाई दे सकता है, यह मौलिक रूप से कानूनी प्रक्रियाओं और मानवाधिकारों को कमज़ोर करता है। सुप्रीम कोर्ट की इन मुद्दों को संबोधित करने की पहल का उद्देश्य राज्य की कार्रवाई को व्यक्तिगत अधिकारों के साथ संतुलित करना है, यह सुनिश्चित करना कि न्याय

कानूनी ढांचे के भीतर हो।

सुप्रीम कोर्ट के नये ध्वज और प्रतीक का अनावरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया।

नया ध्वज और प्रतीक के बारे में:

- नए ध्वज में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारतीय संविधान की पुस्तक को दर्शाया गया है।
- अशोक चक्र का उपयोग न्याय के धर्मचक्र या 'कानून के पहिए' को दर्शाने के लिए किया गया है, जो मौर्य साम्राज्य के तीसरे सदी के सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ लायन कैपिटल से प्रेरित है। ध्वज पर 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया' और 'यतो धर्मस्तो जयः' (देवनागरी लिपि में) लिखा हुआ है।
- 'यतो धर्मस्तो जयः': संस्कृत में एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, जिसका अनुवाद है 'जहां धर्म है, वहाँ विजय है' या 'विजय वहाँ होती है जहां धर्म (सच्चाई) प्रबल होता है।' यह सूत्र न्याय और सच्चाई की विजय की पुष्टि करता है और सुप्रीम कोर्ट के आदर्शों को व्यक्त करता है।

सुप्रीम कोर्ट की स्थापना:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, 'भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा।' 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान इमारत का उद्घाटन किया।
- मूल संविधान 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीशों के साथ सुप्रीम कोर्ट की कल्पना की गई थी और संसद को इस संख्या को बढ़ाने का अधिकार दिया गया था। कार्यभार बढ़ने के कारण, संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 (वर्तमान संख्या) कर दी।

सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार और संरचना:

- सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसकी जिम्मेदारी संविधान की व्याख्या, राज्यों और केंद्र के बीच विवादों का निपटान और कानूनों और सरकारी कार्यों की वैधता की निगरानी करना है।
- **न्यायिक समीक्षा:** सुप्रीम कोर्ट कानूनों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करता है और यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसे निरस्त कर सकता है।

- **मूल अधिकार:** सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करता है जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं।
- **संविधान की व्याख्या:** यह संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करता है, जिससे संवैधानिक सिद्धांतों की समझ और लागू करने में मदद मिलती है।
- **जनहित याचिका (PIL):** कोर्ट जनहित याचिकाओं को स्वीकार करता है, जो लोगों या समूहों को सार्वजनिक मुद्दों पर न्याय की मांग करने की अनुमति देती है।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज और प्रतीक न केवल न्यायपालिका की गरिमा को बढ़ाता है, बल्कि उसकी 75 वर्षों की यात्रा और उपलब्धियों का भी सम्मान करता है। यह नए ध्वज और प्रतीक के माध्यम से न्याय और सच्चाई के प्रति सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है।

सुभद्रा योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की, जो एक महिला-कॉन्ट्रिट कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिलने का अनुमान है।

सुभद्रा योजना के बारे में:

उद्देश्य:

- सुभद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत, योग्य महिलाएं अगले पांच वर्षों में कुल 50,000 रुपए की सहायता प्राप्त करेंगी। यह धन सीधे आधार-संबंधित बैंक खातों में दो किस्तों में ट्रांसफर किया जाएगा, जो राखी पूर्णिमा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 5,000 रुपए की किस्त के रूप में जारी किया जायेंगे।

मुख्य विशेषताएँ:

- **पात्रता:** 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से आती हैं। सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, और अन्य सरकारी योजनाओं से 1,500 रुपए प्रति माह से अधिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं पात्र नहीं होंगी।
- **किस्तें:** प्रत्येक योग्य महिला को वार्षिक 10,000 रुपए जो दो किस्तों में दी जाएंगी।
- **अवधि:** योजना की अवधि 2024 से 2029 तक निर्धारित है।
- **पंजीकरण:** योजना के लिए पंजीकरण 1 सितंबर 2024 से शुरू हुआ, और अब तक 50 लाख से अधिक महिलाएं लाभार्थी के

रूप में पंजीकृत हो चुकी हैं। पंजीकरण के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है।

- **प्रोत्साहन:** प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में शीर्ष 100 डिजिटल लेनदेन करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त 500 रुपए दिए जाएंगे।
- **डेबिट कार्ड:** लाभार्थियों को 'सुभद्रा डेबिट कार्ड' प्रदान किया जाएगा, जिससे लेनदेन आसान होगा।

कार्यान्वयन:

- सरकार JAM त्रिकोण (जन धन-आधार-मोबाइल) का उपयोग करके धन के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। योजना के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को ई-केवाईसी पूरा करना होगा। 17 सितंबर 2024 तक, 1,250 करोड़ रुपए 25 लाख पंजीकृत महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

निष्कर्ष

सुभद्रा योजना ओडिशा की महिलाओं के लिए एक नई आशा की किरण है। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करेगी। आर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस योजना का बजट 55,825 करोड़, ओडिशा की अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर प्रभाव उत्पन्न करेगा, जो अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख करोड़ का योगदान कर सकता है।

एनपीएस वात्सल्य योजना

चर्चा में क्यों?

जुलाई 2024 के संघीय बजट के अनुरूप, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाबालिंगों के लिए एक पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य योजना पेश की है। इस पहल को भारत के 75 स्थानों पर लॉन्च किया गया है, जिसमें 250 से अधिक स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) युवा ग्राहकों को जारी किए गए हैं।

एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में :

- एनपीएस वात्सल्य योजना एक बचत-सहित-पेंशन योजना के रूप में लागू की गई है, जोकि माता-पिता को अपने नाबालिंग बच्चों के लिए NPS खाते में निवेश करने की अनुमति देती है। यह मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का विस्तार है, लेकिन इसका ध्यान बच्चों पर है।
- खाता नाबालिंग के नाम पर पंजीकृत होगा और इसे माता-पिता/अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा। बाद में, जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा, तो खाता नियमित NPS टियर-1 खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा प्रबंधित की जा रही है, और इसका उद्देश्य बच्चों के लिए दीर्घकालिक संपत्ति को सुरक्षित

करना है। नए पंजीकृत नाबालिंग ग्राहकों को स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड जारी किए जाएंगे।

NPS वात्सल्य की विशेषताएँ:

- **पात्रता मानदंड:** 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी नाबालिंग, जिसके पास PAN कार्ड और आधार कार्ड है, पात्र है।
- **न्यूनतम योगदान:** न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति वर्ष का योगदान किया जा सकता है, जबकि अधिकतम योगदान पर कोई सीमा नहीं है।
- **योजना के लिए योगदानकर्ता:** माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चों की ओर से योगदान कर सकते हैं।
- **18 वर्ष की आयु के बाद संक्रमण:** नाबालिंग का NPS खाता आवश्यक KYC दस्तावेजों की प्रस्तुति के बाद एक मानक NPS खाते में परिवर्तित हो जाएगा।

पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के बारे में:

- पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) अधिनियम, 19 सितंबर 2013 को पारित हुआ और 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को नियंत्रित करता है।
- PFRDA केंद्रीय और राज्य सरकारों, निजी संस्थानों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए NPS की देखरेख करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन फंडों को नियंत्रित करके बुजुर्गों की आय सुरक्षा को बढ़ावा देना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।

निष्कर्ष:

NPS वात्सल्य सरकार की दीर्घकालिक वित्तीय योजना और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल ग्राहकों के भविष्य की सुरक्षा करता है, बल्कि यह अंतर-पीढ़ीय समानता के सिद्धांत पर आधारित है। NPS वात्सल्य युवा ग्राहकों को बचत की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और संचयी प्रभावों के माध्यम से महत्वपूर्ण संपत्ति का निर्माण किया जा सकता है। यह माता-पिता/अभिभावकों के लिए अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक माध्यम भी हो सकता है, जिसमें नाबालिंग के NPS खाते में नियमित योगदान शामिल है।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी समुदायों और आकांक्षी

जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। इस पहल में लगभग 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ प्राप्त होगा। यह योजना 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में फैली आदिवासी बहुल जनसंख्या को कवर करेगी।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के बारे में:

- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ है और देश भर में 705 से अधिक आदिवासी समुदाय हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है, जिनमें 705 से अधिक आदिवासी समुदाय शामिल हैं।
- इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में प्रमुख अंतराल को भरना है। इस पहल में 17 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए 25 विशिष्ट हस्तक्षेप शामिल हैं।
- प्रत्येक मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST) से धन का उपयोग करके एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी संबंधित योजनाओं को लागू करेगा ताकि निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके:

लक्ष्य I: सक्षम बुनियादी ढाँचा विकसित करना

- » **आवास:** पात्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत पक्के (स्थायी) घर मिलेंगे। उन्हें जल जीवन मिशन के माध्यम से नल का पानी, पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के माध्यम से बिजली और स्वास्थ्य सेवा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड (पीएमजेएवाई) भी मिलेगा।
- » **गांव का बुनियादी ढाँचा:** यह कार्यक्रम एसटी-बहुल गांवों (पीएमजीएसवाई), मोबाइल कनेक्टिविटी (भारत नेट) और स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा और पोषण) के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचे को सुनिश्चित करेगा।

लक्ष्य II: आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना


- » **कौशल विकास:** यह पहल कौशल भारत मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजाति युवाओं को 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद दीर्घकालिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच मिले। इसके अतिरिक्त, आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों (टीएमएमसी), पर्यटक गृह प्रवास और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) पट्टा धारकों के लिए कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में सहायता के माध्यम से सहायता दी जाएगी।

लक्ष्य III: अच्छी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच

- » **शिक्षा:** इसका उद्देश्य स्कूलों और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाना और एसटी क्षेत्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किफायती बनाना है। इसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में आदिवासी छात्रावास स्थापित करना शामिल है।

लक्ष्य IV: स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक बुढ़ापा

- » **स्वास्थ्य:** कार्यक्रम का उद्देश्य एसटी परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाना है, जोकि शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) और टीकाकरण कवरेज में राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने का प्रयास करता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट उन क्षेत्रों में तैनात की जाएंगी जहाँ स्वास्थ्य उप-केंद्र मैदानी क्षेत्रों में 10 किमी से अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में 5 किमी से अधिक दूर हैं।
- » **निगरानी:** पहल में शामिल आदिवासी गाँवों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मैप किया जाएगा, जिसमें संबंधित विभागों द्वारा पहचाने गए विशिष्ट अंतराल होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी की जाएगी, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कार मिलेगा।



प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान द्वारा शुरू की गई योजनाएँ:

- आदिवासी क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और आवश्यकता के आधार पर राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, अभियान ने आदिवासियों और बनवासी समुदायों के बीच आजीविका को बढ़ावा देने और आय उत्पन्न करने के लिए कुछ नवीन योजनाओं की कल्पना की है।
- आदिवासी गृह प्रवास: आदिवासी क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना और समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
 - » पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 1,000 गृह प्रवासों को बढ़ावा देना।
 - » पर्यटन संभावित गांवों में, 5-10 गृह प्रवासों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराया जाएगा।

- » प्रत्येक परिवार को दो नए कमरे बनाने के लिए 5 लाख रुपये और मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए 3 लाख रुपये तक मिल सकते हैं, साथ ही गांव की सामुदायिक जरूरतों के लिए 5 लाख रुपये मिल सकते हैं।

वन अधिकार धारकों (FRA) के लिए सतत आजीविका :

- इसका उद्देश्य वन क्षेत्रों में 22 लाख FRA धारकों को लक्षित करना है, यह जनजातीय मामलों, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और पंचायती राज सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

इसका उद्देश्य निम्नलिखित है:

- वन अधिकारों की मान्यता और सुरक्षा में तेजी लाना।
- वन रखरखाव और संरक्षण के लिए आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना।
- सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका प्रदान करना।
- लंबित एफआरए दावों के त्वरित प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करना और ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर हितधारकों को प्रशिक्षित करना।

सरकारी आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे में सुधार:

- शैक्षिक संसाधनों को बढ़ाने और छात्र नामांकन को बढ़ावा देने के लिए दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
- आश्रम विद्यालयों, छात्रावासों, आदिवासी विद्यालयों और सरकारी आवासीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना।

मैरिटल रेप: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और भविष्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में मैरिटल रेप, अर्थात् वैवाहिक बलात्कार, एक संवेदनशील एवं विवादास्पद विषय बना हुआ है। इस संदर्भ में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें मांग की गई है कि इसे अपराध के दायरे में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा था, केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की पक्ष:

- सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, ने इन याचिकाओं पर सुनवाई का निर्णय लिया है। बेंच ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई उत्तर न दिए जाने के बावजूद, यह एक कानून का मामला है और सरकार को इस पर चर्चा करनी होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता

इंदिरा जयसिंह ने अदालत से शीघ्र सुनवाई की अपील की, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

मैरिटल रेप:

- मैरिटल रेप (वैवाहिक बलात्कार) उस स्थिति को कहते हैं जब एक पति अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है।
- भारत में, वैवाहिक बलात्कार को कानूनी रूप से अपराध नहीं माना जाता, यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। इसका अर्थ है कि विवाह के बाद पति को पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने की अनुमति होती है।

कानूनी प्रावधान:

- वर्तमान में, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में एक अपवाद है, जिसके अनुसार यदि पति अपनी पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है, तो इसे बलात्कार नहीं माना जाता। यह अपवाद महिलाओं के लिए अत्यंत विवादास्पद है, क्योंकि यह उन्हें सुरक्षा और न्याय से बचाना करता है।

महिलायें इस मुद्दे का खुलकर विरोध क्यों नहीं करती?

- **पितृसत्तात्मक मानदंड:** समाज में विवाह को अक्सर सहमति मान लिया जाता है, जिससे पीड़ितों को आवाज उठाने में कठिनाई होती है।
- **सामाजिक कलंक:** कई महिलाएँ परिवार और समाज के डर से शिकायत नहीं करतीं।
- **आंकड़ों की कमी:** वैवाहिक बलात्कार के मामलों पर कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं।
- **कानूनी अस्पष्टता:** यह स्पष्ट नहीं है कि वैवाहिक बलात्कार के अंतर्गत क्या आता है।

पूर्व के निर्णय:

- इस मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां पहले की गई हैं। 2022 में, दिल्ली हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप को असंवैधानिक बताया था, जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति दी थी।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में 29% से अधिक महिलाएं अपने पतियों द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का सामना कर रही हैं।

केंद्र का पक्ष:

- केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इस मुद्दे को सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके सामाजिक परिणामों पर भी विचार किया जाना चाहिए। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि मैरिटल रेप को अपराध माना जाता है, तो इससे शादी जैसी संस्था को खतरा हो सकता है।

आगे की राह:

अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाया जाए और पति को इस मामले में छूट दी जाए या नहीं। साथ ही इस मामले की सुनवाई से देश के कानून और समाज में एक नई दिशा मिल सकती है, जोकि महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकेगी।

बाल पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक गतिविधियाँ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने से संबंधी अधिनियम (POCSO) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है।

अदालत द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदु:

- बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफिक गतिविधियों को देखना, डाउनलोड करना, स्टोर करना, रखना, वितरित करना या दिखाना निम्नलिखित के तहत आपराधिक दायित्व को आकर्षित करता है:
 - » यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO)
 - » सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
- अदालत ने स्पष्ट किया कि यौन क्रिया केवल बच्चे के उत्पीड़न की प्रारंभिक अवस्था है। ऐसे कार्यों की रिकॉर्डिंग और वितरण से उत्पन्न आघात न केवल तत्काल प्रभाव डालता है, बल्कि यह बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को दीर्घकालिक रूप से भी प्रभावित करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से अनुरोध किया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) में आवश्यक संशोधन किया जाए, जिसमें 'बाल पोर्नोग्राफी' की परिभाषा को 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' (CSEAM) में परिवर्तित किया जाए। यह परिवर्तन बच्चों के प्रति समाज के उत्तरदायित्व को और स्पष्ट करेगा।
- न्यायालय ने सभी न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे इन अपराधों की प्रकृति को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए अपने निर्णयों और आदेशों में CSEAM शब्द का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालयी प्रक्रिया में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) का अवलोकन और बाल यौन शोषण के वास्तविक कृत्यों में संलग्न होना दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है। दोनों गतिविधियाँ एक समान उद्देश्य को दर्शाती हैं, जिसमें बच्चे का शोषण करना और उसे अपमानित करना शामिल है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

➤ यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व में लिए गए फैसले के खिलाफ NGO "जस्ट राइट फॉर चिल्डन अलायंस" द्वारा दायर की गई अपील के परिणामस्वरूप आया। अदालत ने यह निर्णय सुनाया था कि बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री का संग्रहण या भंडारण यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के अंतर्गत अपराध नहीं है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने निराधार मानते हुए खारिज कर दिया।

कानूनी संदर्भ:

- **POCSO अधिनियम, धारा 15:** यह बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री के भंडारण और कब्जे को अपराध बनाता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, धारा 67B:** बाल पोर्नोग्राफी सहित अश्लील सामग्रियों के उपयोग, प्रसारण और प्रकाशन को दंडित करता है, और बाल शोषण सामग्री को ब्राउज करना या बनाना अपराध बनाता है।

बाल पोर्नोग्राफी के बारे में:

- बाल पोर्नोग्राफी 'किसी नाबालिंग (18 वर्ष से कम आयु) से जुड़े यौन रूप से स्पष्ट आचरण के किसी भी दृश्य चित्रण' को संदर्भित करता है। ये चित्रण विभिन्न स्वरूपों में हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं: तस्वीरें, वीडियो, डिजिटल चित्र या वीडियो, अविकसित फ़िल्म और कंप्यूटर से उत्पन्न चित्र।
- अमेरिका स्थित नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्डन (NCMEC) के अनुसार, भारत ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के मामले में अग्रणी देश है। भारतीय उपयोगकर्ताओं ने 2024 की पहली छमाही के दौरान बाल यौन शोषण से संबंधित लगभग 25,000 चित्र या वीडियो अपलोड किए।
- बाल पोर्नोग्राफी अपलोड की संख्या के मामले में दिल्ली सबसे ऊपर है, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री बनाने या संग्रहीत करने के 781 मामले दर्ज किए गए, जिसमें ओडिशा में सबसे अधिक 333 मामले दर्ज किए गए। NCRB का यह भी अनुमान है कि भारत में हर 15 मिनट में एक बच्चे का यौन शोषण होता है।

निष्कर्ष:

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने बाल शोषण और दुर्व्यवहार की वास्तविकता को दर्शाने वाली कानूनी भाषा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस फैसले का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए कानूनी ढाँचे को मजबूत करना और ऐसे अपराधों में शामिल होने के सभी रूपों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना है। फैसले में शब्दावली को बदलकर "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" (CSEAM) करने का आहवान एक सकारात्मक कदम है। हालाँकि, इस प्रगतिशील सोच को बच्चों के लिए अधिक सूक्ष्म और संदर्भ-संवेदनशील सुरक्षा

सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें किशोर व्यवहार की जटिलताओं को समझना और प्रभावी पीड़ित सहायता की आवश्यकता को पहचानना शामिल है।

न्यायालय में स्थगन और न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक संबोधन में राष्ट्रपति द्वारा मुर्मू ने भारत की न्यायपालिका में मामलों में देरी की संस्कृति को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रक्रिया को छाले कोट सिंड्रोम की संज्ञा दी, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए देरी और तनाव का स्रोत बन गई है।

लंबित मामलों के कारण:

- **न्यायाधीशों की कमी:** उच्च न्यायालयों में औसतन 30% और अधीनस्थ न्यायालयों में 22% पद रिक्त हैं, जिससे न्यायिक प्रणाली गंभीर रूप से कमज़ोर हो गई है।
- **आवश्यक स्थगन:** वकील अक्सर प्रक्रियात्मक देरी का लाभ उठाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मामलों की संख्या बढ़ती है और न्यायिक प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है।
- **सरकारी मामलों की उच्च मात्रा:** सरकारी मामलों की संख्या में वृद्धि न्यायालयों में देरी का एक महत्वपूर्ण कारण बनती है, जिससे न्यायिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
- **प्रक्रियागत जटिलताएँ:** न्यायिक प्रक्रियाएँ जटिल और समय लेने वाली होती हैं, जिसमें दस्तावेजों की जांच, गवाहों की सुनवाई और कानूनी दावों की प्रक्रिया शामिल होती है, जिससे निपटारे में देरी होती है।
- **समुदाय में जागरूकता की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में लोग न्यायिक प्रक्रियाओं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते, जिससे उन्हें उचित कानूनी सहायता नहीं मिलती और मामले लंबित रह जाते हैं।
- **न्यायालयों में अवसंरचनात्मक समस्याएँ:** कई न्यायालयों में अवसंरचना की कमी, जैसे कि पर्याप्त कोर्ट रूम, तकनीकी सुविधाएँ और मानव संसाधनों की कमी, भी मामलों की सुनवाई में देरी का कारण बनती है।

प्रस्तावित समाधान:

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने कई व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए हैं:

- **नियमित सम्मेलन:** उन्होंने हर दो से तीन महीने में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया। यह सम्मेलन लंबित मामलों को प्राथमिकता देने और न्यायिक अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद

करेगा।

- **समग्र विकास:** राष्ट्रपति ने न्यायपालिका के सभी पहलुओं में तेज विकास की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें प्रशासन, अवसंरचना, सुविधाएँ और मानव संसाधनों में सुधार शामिल है।

भारत की न्यायपालिका:

- भारत की न्यायपालिका संविधान के तहत स्थापित एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसका मुख्य उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना और कानून के शासन को बनाए रखना है।

संरचना:

- **सर्वोच्च न्यायालय:** भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में स्थित, देश का सबसे उच्च न्यायालय है। यह संविधान की व्याख्या और रक्षा के लिए जिम्मेदार है (अनुच्छेद 124)।
- **उच्च न्यायालय:** प्रत्येक राज्य और संघ प्रदेश में उच्च न्यायालय होते हैं, जो संबंधित क्षेत्राधिकार में अपीलों और मामलों की सुनवाई करते हैं (अनुच्छेद 214)।
- **अधीनस्थ न्यायालय:** इसमें सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले जिला अदालतें और अन्य निचली अदालतें शामिल होती हैं।

स्वतंत्रता और निष्पक्षता:

- भारत की न्यायपालिका संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता न्याय के निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करती है।

न्यायिक समीक्षा:

- न्यायपालिका का एक प्रमुख कार्य विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की समीक्षा करना है, ताकि वे संविधान के अनुरूप हों (अनुच्छेद 13)।


जनहित याचिकाएँ:

- न्यायपालिका में जनहित याचिकाओं की व्यवस्था है, जिससे आम जनता के हित में मामलों को उठाया जा सकता है (अनुच्छेद 32)।

निष्कर्ष:

भारत की न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो न केवल न्याय वितरण करती है, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों की रक्षा और संविधान की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्याय की प्रक्रिया को सुधारने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि हर नागरिक को त्वरित और उचित न्याय मिल सके।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे



एक्ट ईस्ट पॉलिसी को धार देती पीएम मोदी की सिंगापुर ब्रुनेई यात्रा

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दक्षिण पूर्वी एशियाई अथवा आसियान केंद्रित कूटनीति पर विशेष ध्यान देते आए हैं क्योंकि यह क्षेत्र भारत के बहुआयामी हितों की सुरक्षा में अहम स्थान रखता है। इसी को ध्यान में रखकर ही प्रधानमंत्री मोदी के पहले शासनकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में रूपांतरित किया गया था ताकि आसियान और साथ ही एशिया प्रशांत के देशों से और गहराई से जुड़ा जा सके जिससे क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा को अधिक समावेशी बनाया जा सके। इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए आसियान और एशिया प्रशांत देशों को एक्ट ईस्ट पॉलिसी से मजबूती से जोड़ना भारत की जरूरत बन चुकी है। इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया के उन देशों के साथ भी द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ किया जा रहा जिन पर पूर्व में कम ही ध्यान दिया जाता है। ब्रुनेई उन्हीं देशों में से एक है जिसके साथ सामरिक कूटनीतिक संबंधों में आगे आने में भारत को थोड़ी देर लगी। पीएम मोदी ने इन बातों को ध्यान में रखकर ब्रुनेई की यात्रा की है। ब्रुनेई और फिर सिंगापुर दौरे से चीन का तनाव भी निश्चित रूप से बढ़ा होगा क्योंकि चीन दक्षिण पूर्व एशिया के इन देशों को अपने

प्रभाव में लेने की कोशिश करता रहता है।

- प्रधानमंत्री के सिंगापुर दौरे पर दोनों देशों के बीच कई ऐसे अहम समझौते हुए हैं जो दोनों देशों के बीच के रिश्ते को मजबूत करेंगे जिनमें स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, एआई सहयोग शामिल हैं लेकिन पीएम मोदी का इस दौरे पर यह कहना कि 'भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए भी सिंगापुर अहम देश है', चीन की नीदें उड़ा देने के लिए काफी है।
- चीन जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र और आसियान देशों की जमीनें हड्डपने की फिराक में है, उसे घेरने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाना आवश्यक था और इसलिए मोदी ने आसियान देशों सिंगापुर और ब्रुनेई की यात्रा को चुना। ब्रुनेई जैसे देशों के चीन के साथ साउथ चाइना सी के क्षेत्रों को लेकर विवाद भी रहा है। इसलिए ब्रुनेई भारत के स्वतंत्र और मुक्त इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक मजबूत किरदार बन सकता है यह बात सोचकर ब्रुनेई के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की गई है। इस पहल से भारत

की एक ईस्ट पॉलिसी को धार मिलेगी जिससे भारत के एक साथ कई हित सध सकेंगे।

भारत ब्रुनेई के मध्य अंतर्रिक्ष सहयोग:

- भारतीय पीएम का ब्रुनेई दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह ब्रुनेई की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत और ब्रुनेई इस साल अपने कूटनीतिक संबंधों की 40वीं वर्षगाठ मना रहे हैं। इस अवसर पर दोनों देशों ने मोदी की ब्रुनेई यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहेंस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। भारत आसियान और इसके सदस्य देशों के साथ सामरिक साझेदारी को बहुत प्राथमिकता देता है। इसलिए भारत ने ब्रुनेई जैसे देशों के साथ रक्षा, अंतर्रिक्ष, विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों को खोजने की रणनीति पर काम करना शुरू किया है।



- मोदी की ब्रुनेई यात्रा में जिन तीन समझौता ज्ञापनों का उल्लेख किया उनमें सैटेलाइट और लॉन्चिंग व्हीकल के लिए TT-C सेंटर के संचालन और स्पेस रिसर्च, विज्ञान और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। ब्रुनेई एक छोटा राष्ट्र है, लेकिन यह दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप पर रणनीतिक रूप से स्थित है। भूमध्य रेखा के पास इसकी भौगोलिक स्थिति इसे सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशनों और अंतर्रिक्ष निगरानी बुनियादी ढांचे के लिए एक आकर्षक स्थल बनाती है।
- भूमध्यरेखीय स्थान भूरिक्षर सैटेलाइट को लॉन्च करने और निगरानी करने के लिए आदर्श हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट भूमध्यरेखीय तल के साथ परिक्रमा करते हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों की स्थिर और निरंतर कवरेज प्रदान करते हैं। भूमध्य रेखा के पास स्थित ग्राउंड स्टेशन इन, सैटेलाइट के साथ प्रभावी ढंग से संचार कर सकते हैं,

जिससे बेहतर ट्रैकिंग, डेटा रिसेप्शन और नियंत्रण मिलता है। ब्रुनेई की लोकेशन भविष्य के स्पेसपोर्ट विकास की संभावना रखती है, विशेष रूप से भूस्थिर और धृतीय कक्षाओं में रॉकेट लॉन्च करने के लिए।

- भूमध्य रेखा के करीब रॉकेट लॉन्च करने के लिए पृथ्वी के रोटेशनल वेलोसिटी के कारण कम ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे यह एक लागत प्रभावी लॉन्च साइट बन जाती है। हालांकि, ब्रुनेई ने अभी तक ऐसे बुनियादी ढांचा विकसित नहीं किया है, लेकिन इसकी राजनीतिक स्थिरता, ओपन अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में शामिल होने की इच्छा इसे भविष्य के स्पेसपोर्ट निवेशों के लिए एक संभावित उम्मीदवार बनाती है।
- भारत और ब्रुनेई ने अगस्त 1997 में ब्रुनेई में भारतीय अंतर्रिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के टीटीएंडसी स्टेशन की स्थापना के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था और तब से काम कर रहा है। जुलाई 2018 में नई दिल्ली में एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारत को स्पेस लॉन्चिंग और सैटेलाइट संचालन का समर्थन करने के लिए एक ग्राउंड स्टेशन को संचालित करने, बनाए रखने और बढ़ाने की अनुमति देता है। बदले में, भारत स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इम्प्लाईकेशन पर ब्रुनेई के अधिकारियों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रशिक्षण के माध्यम से अंतर्रिक्ष गतिविधियों में अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करेगा। इस समझौते को नई दिल्ली के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीनी आधिपत्य के सामने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित क्वाड नामक उभरते हुए हिंद-प्रशांत गठबंधन ने एक बड़ा कदम उठाया है।

आसियान सेंट्रेलिटी पर मोदी का विशेष जोर:

- पीएम मोदी ने अपनी ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा के दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और नियम आधारित व्यवस्था पर मिलकर काम करने की आशा जताई। उन्होंने कहा कि भारत विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है। मोदी ने कहा कि भारत की एक ईस्ट पॉलिसी

HIGHLIGHTS OF PM'S VISIT TO BRUNEI

Prime Minister visiting Brunei on September 3rd and 4th at the invitation of Brunei's Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

This is the first-ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei.

The visit coincides with the 40th anniversary of the establishment of diplomatic ties between India and Brunei.

India shares warm and friendly relations with Brunei, covering multiple areas such as defense, trade and investment, energy, space technology, health, capacity building, culture, and vibrant people-to-people exchanges.

The Indian diaspora in Brunei numbers about 14,000, comprising a substantial number of doctors and teachers.

India has received valuable support from Brunei in its space program.

Brunei is an important partner in India's 'Act East' Policy and its vision for the Indo-Pacific.

और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रिस्टी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। भारत अन-कर्लॉज जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करता है। भारत सहमत है कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। भारत विस्तारावाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करता है।

भारत सिंगापुर विशेष संबंधों को तरजीह:

- भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 160 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। सिंगापुर के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। पीएम मोदी की हालिया सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे भारत की एक ईस्ट नीति को भी अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी दोनों का सहयोग बढ़ेगा। आर्थिक संबंधों में मजबूत प्रगति की समीक्षा करते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश प्रवाह को और बढ़ाने का भी आह्वान किया गया है। सिंगापुर एक मजबूत नौसैनिक ताकत के रूप में भी भारत के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। सिंगापुर का रणनीतिक महत्व का चांगी पोर्ट भी भारत के हितों के लिहाज से अहम है।

HIGHLIGHTS OF PM'S VISIT TO SINGAPORE

PM will visit Singapore in the second leg of his two nation tour on 4th & 5th September on the invitation of his counterpart, Lawrence Wong.

PM Modi is visiting Singapore after nearly six years.

It is an important moment to set the stage for the next phase of the India-Singapore relationship time when a new leader in Singapore has taken office.

PM will hold talks with President Tharman Shanmugaratnam Prime Minister Lawrence Wong, Senior Minister Lee Hsien Loong and Emeritus Senior Minister Goh Chok Tong.

Singapore is India's largest trade partner in ASEAN and a leading source of foreign direct investment.

- मोदी ने सिंगापुर यात्रा के दौरान वहां हुई बैठक में 2025 में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने पर भी चर्चा की। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोला जाएगा। दोनों पक्षों ने आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें भारत-आसियान संबंध और हिंद-प्रशांत के लिए भारत का दृष्टिकोण भी शामिल है।
- प्रधानमंत्री ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, भारत सेमीकंडक्टर मिशन और 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों के बारे में बात की। दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया। ये भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के अब तक के दो यात्राओं के दौरान हुए विचार-विमर्श के परिणाम हैं।

एक ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने की मंथा:

- एक ईस्ट पॉलिसी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस की नीति पर केंद्रित है जिसका केंद्र आसियान है। एक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर संपर्क के माध्यम से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है जिससे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंध सहित व्यापक अर्थों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके।
- पड़ोस प्रथम नीति के तहत, विकास सहयोग पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें व्यापार और कनेक्टिविटी सहित सामाजिक-आर्थिक विकास के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंध को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत आसियान देशों को लगातार विकास साझेदार मानते हुए काम कर रहा है। भारत की विकास सहायता सहभागी देशों की जरूरतों पर आधारित है और इन देशों से प्राप्त समस्त तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य अनुरोधों पर कर्रवाई करने के लिए तैयार हैं। भारत की विकास सहायता के मुख्य साधनों में ऋण सहायता (एलओसी), अनुदान सहायता, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं (एचआईसीडीपी), तकनीकी परामर्श, आपदा राहत और मानवीय सहायता, साथ ही भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।



संक्षिप्त मुद्दे

इंडस-एक्स शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कैलिफोर्निया में तीसरे इंडस-एक्स शिखर सम्मेलन (INDUS-X Summit) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच रक्षा नवाचार में सहयोग को प्रमुखता दी गई। इसे यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

शिखर सम्मेलन की प्रमुख घोषणाएँ:

- भारत के रक्षा उत्कृष्टता नवाचार (Innovations for Defence Excellence - iDEX) और अमेरिकी रक्षा विभाग की रक्षा नवाचार इकाई (Defense Innovation Unit - DIU) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य रक्षा नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देना है।
- शिखर सम्मेलन में प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों, स्टार्टअप क्षमता निर्माण, और रक्षा नवाचारों के लिए वित्तपोषण के अवसरों पर भी चर्चा हुई, जिससे दोनों देशों की रक्षा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।
- इंडस-एक्स के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता नवाचार (iDEX) और रक्षा नवाचार इकाई (DIU) की बेबसाइटों पर आधिकारिक इंडस-एक्स बेबपेज का शुभारंभ भी किया गया।



रक्षा उत्कृष्टता नवाचार (iDEX) के बारे में:

- रक्षा उत्कृष्टता नवाचार की शुरुआत रक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रक्षा और

एयरोस्पेस क्षेत्र में नई, स्वदेशी और नवीन तकनीकों के तेजी से विकास को बढ़ावा देना है।

- स्टार्टअप, इनोवेटर्स, एमएसएमई, इनक्यूबेटर और शिक्षाविदों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।
- रक्षा उत्कृष्टता नवाचार अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसके तहत लगभग 300 एमएसएमई और स्टार्टअप को सहायता मिली है।

भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (INDUS-X) के बारे में:

- भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत 21 जून, 2023 को हुई थी। यह रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) और अमेरिकी रक्षा विभाग के सहयोग से एक उप-योजना है।
- इसका उद्देश्य अमेरिकी और भारतीय कंपनियों, सरकारों, और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सैन्य उद्योग सहयोग और सामरिक तकनीकी साझेदारी को बढ़ाना है।
- इस योजना से द्विपक्षीय रक्षा प्रौद्योगिकी निवेश, अनुसंधान और औद्योगिक साझेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र के लाभ:

- **सूचना अंतराल को कम करना:** यह निवेशकों और स्टार्टअप्स के लिए व्यावसायिक अवसरों को स्पष्ट करता है और अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
- **नेटवर्क का निर्माण:** INDUS-X निजी निवेशकों और प्रौद्योगिकी को स्टार्टअप्स और इंजीनियर्स के साथ जोड़ता है, जिससे सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **विनियामक तनाव को कम करना:** यह सरकारी और निजी क्षेत्रों को जोड़कर विनियामक चुनौतियों को कम करने में मदद करता है।

निष्कर्ष:

इंडस-एक्स शिखर सम्मेलन भारत और अमेरिका के बीच रक्षा नवाचार में सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगा।

ईरान-अमेरिका संबंधों में बदलाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने अमेरिका के साथ संभावित बातचीत के संकेत दिए हैं। यह संकेत संघर्ष और अविश्वास से भरे लंबे इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव

को दर्शाता है, जो ईरान की विदेश नीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

ईरान-अमेरिका संबंधों के बारे में:

- 20वीं सदी के मध्य में ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों का विकास हुआ। 1953 में सेन्ट्रल इन्टेरिजनेस एजेन्सी (CIA) द्वारा समर्थित तखापलट ने इन संबंधों की दिशा बदल दी, जिसमें ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेघ को हटा कर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता में लाया गया, जो अमेरिका के प्रबल समर्थक थे। कुछ समय बाद, शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ पूरे ईरान में विरोध होने लगा।

1979 की क्रांति:

- 1979 में अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व में ईरानी क्रांति ने शाह को उखाड़ फेंका और इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना की।
- 1979-1981 के दौरान, ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर 52 अमेरिकी राजनयिकों को 444 दिनों तक बंधक बना लिया।

ईरान-इराक युद्ध और अमेरिकी प्रतिबंध:

- 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध ने अमेरिका-ईरान संबंधों को और जटिल बना दिया। अमेरिका ने इराक का समर्थन किया, जिससे तनाव बढ़ गया। युद्ध के बाद, अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध जारी रखे, जो आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों के विकास के आरोपों पर आधारित थे।

2000 का दशक: कूटनीतिक प्रयास और असफलताएँ:

- 2006 में अमेरिका और ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर सीधी बातचीत शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप 2015 में संयुक्त व्यापक योजना (जेसीपीओए) पर समझौता हुआ। संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) पर 14 जुलाई 2015 को ईरान और छह प्रमुख विश्व शक्तियों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सांतिपूर्ण हो और संभावित सैन्य पहलुओं को समाप्त किया जाए तथा वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं का समाधान किया जाए।
- 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के संयुक्त व्यापक योजना से बाहर जाने के फैसले ने संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया।

निष्कर्ष

हाल के महीनों में खामेनेई की टिप्पणियाँ अमेरिका के साथ बातचीत की दिशा में संभावित बदलाव का संकेत देती हैं। यह संकेत घरेलू आर्थिक चुनौतियों और क्षेत्रीय दबावों के बीच आया है, जो ईरान के अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और आर्थिक समस्याओं को हल करने की दिशा में हो सकता है। इस नई स्थिति से क्षेत्रीय गतिशीलता और वैश्विक भू-राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, और यह बातचीत के लिए आशा की एक नई किरण प्रस्तुत करता है।

एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन से संबंधित दूसरे एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में दिल्ली घोषणापत्र को सर्वसम्मति से पारित करने की घोषणा की। इस सम्मेलन में 29 देशों के मंत्रियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया।

सम्मेलन की प्रमुख घोषणाएँ:

- **अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट:** सम्मेलन में क्षेत्रीय पर्यटन और संपर्क को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट का प्रस्ताव रखा गया है। यह पहल न केवल सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देगी, बल्कि आर्थिक विकास में भी सहायक होगी।
- **हवाई अड्डों का लक्ष्य:** भारत ने 2047 तक 350-400 हवाई अड्डे स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इससे न केवल नागरिक विमानन क्षेत्र में भारत की उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा को भी सरल बनाएगा।
- **छोटे देशों की सहायता:** सम्मेलन में विमानन चुनौतियों के प्रबंधन में मदद के लिए प्रशांत लघु द्विप विकासशील राज्य संपर्क कार्यालय की स्थापना की जाएगी। यह कार्यालय छोटे देशों को तकनीकी और परिचालन संबंधी सहायता प्रदान करेगा।
- **हरित पहलें:** 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत 80,000 पौधे लगाने की पहल की गई है, साथ ही हरित विमानन और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने की योजनाएँ भी घोषित की गई हैं।

दिल्ली घोषणा का महत्व:

- दिल्ली घोषणापत्र एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नागरिक विमानन में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह स्थिरता, हरित विमानन, और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जो वर्तमान में विमानन उद्योग की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट जैसी पहलों से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में नागरिक विमानन क्षेत्र:

- भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। भारत का नागरिक विमानन क्षेत्र कई प्रमुख सरकारी पहलों जैसे उड़ान योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2016 के माध्यम से विस्तारित हो रहा है। वर्तमान में 136 परिचालन हवाई अड्डों और 100 नए हवाई अड्डों की योजना के साथ सरकार बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्घयन संगठन की स्थापना 1947 में शिकागो कन्वेन्शन द्वारा की गई थी, और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और कुशल अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन सुनिश्चित करना, विमान सुरक्षा और पर्यावरण प्रदर्शन के लिए मानक निर्धारित करना है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्घयन संगठन 193 सदस्य देशों के बीच सहयोग और चर्चा को सुविध जनक बनाता है।

निष्कर्ष:

द्वितीय एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया दिल्ली घोषणापत्र नागरिक विमान क्षेत्र में नए सहयोग और विकास के अवसरों का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह वैश्वक विमान उद्योग में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा, साथ ही एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और विकास को भी बढ़ावा देगा।

भारत-खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक के मुख्य बिंदु:

- संयुक्त कार्य योजना 2024-2028:** इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ऊर्जा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में संयुक्त गतिविधियों को शामिल किया गया है। भविष्य में नए क्षेत्रों के शामिल होने पर सहमति बनी, जो सहयोग को और बढ़ावा देंगे।
- गाजा में युद्ध विराम का आह्वान:** भारतीय विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख को दोहराया, आतंकवाद और बंधक बनाने की निंदा की। उन्होंने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत और मानवीय संबंधों का समर्थन किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में शांति का संदेश गया।
- भारत-खाड़ी सहयोग परिषद संबंधों को मजबूत करना:** 'लोग, समृद्धि और प्रगति' (3Ps) पर आधारित साझेदारी के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। यह रूपरेखा अर्थशास्त्र, ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाती है।

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बारे में:

- खाड़ी सहयोग परिषद, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान शामिल हैं, एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।
- इसकी स्थापना मई 1981 में सऊदी अरब के रियाद में हुई थी,

जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच एकता को बढ़ावा देना है।



भारत-खाड़ी सहयोग परिषद संबंध:

- भारत और खाड़ी देशों के बीच पहला राजनीतिक संवाद 26 सितंबर, 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुआ था।
- भारत और GCC के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर से अधिक है। 2023-24 में यह व्यापार 161.59 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत से निर्यात 56.3 बिलियन डॉलर और आयात 105.3 बिलियन डॉलर शामिल है। यह भारत में प्रत्यक्ष व्यापारिक साझेदारों में यूएई (83.6 बिलियन डॉलर) और सऊदी अरब (42.9 बिलियन डॉलर) शामिल हैं।
- प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में यूएई (83.6 बिलियन डॉलर) और सऊदी अरब (42.9 बिलियन डॉलर) शामिल हैं।
- लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी (NRIs का 66%) खाड़ी सहयोग परिषद देशों में निवास करते हैं। GCC क्षेत्र से आने वाले रेमिटेंस का हिस्सा लगभग 30% (2020-21) है।
- खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए भारत ने अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाई है, जिससे समुद्री डकैती और आतंकवाद का मुकाबला किया जा सके। होर्मुज जलडमरुमध्य की सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, भारत के पास सऊदी अरब, यूएई और ओमान के साथ रणनीतिक साझेदारियाँ हैं।
- खाड़ी क्षेत्र भारत की कच्चे तेल की आधी से अधिक जरूरतों को पूरा करता है। GCC देश भारत के तेल आयात का 35% और गैस आयात का 70% योगदान देते हैं।
- भारत खाड़ी क्षेत्र को अपने "विस्तारित पड़ोस" और अपने "प्राकृतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र" का हिस्सा मानता है।

निष्कर्ष:

भारत और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग, दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। यह बैठक न

केवल मौजूदा संबंधों को नई दिशा देने का कार्य करेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को भी बढ़ावा देगी। इस प्रकार, भारत-खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक ने भविष्य में सहयोग के लिए एक ठोस आधार तैयार किया है, जो दोनों पक्षों के लिए फायदमंद होगा।

भारत पर FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने भारत पर अपनी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अवैध वित्त से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, हालांकि आर्थिक लाभ के क्षेत्रों को आतंकवादी दुरुपयोग से बचाने के लिए प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

तकनीकी अनुपालन की उपलब्धियां:

- भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- इस श्रेणी में बने रहने के लिए, भारत को FATF द्वारा निर्धारित 40 सिफारिशों में से 32 से अधिक का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक था। भारत ने 37 सिफारिशों का अनुपालन प्राप्त किया, जिसमें 'बिग-फाइब' सिफारिशों का पूर्ण अनुपालन भी समिलित है।

महत्वपूर्ण पहलें:

- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने भारत के जन-धन-आधार-मोबाइल (JAM) पहल की सराहना की, जिसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही, माल एवं सेवा कर (GST) के तहत ई-चालान और ई-बिल की अनिवार्यता ने आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ाने की प्रशंसा की है।

जांच और कानूनी ढांचे में सुधार:

- रिपोर्ट में भ्रष्टाचार, काले धन, मादक पदार्थों की तस्करी और जाती मुद्रा से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समितियों और टास्क फोर्स का गठन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उपलब्धियों को भी मान्यता दी है, जिसने 2018 से अक्टूबर 2023 के बीच 16,537 करोड़ की संपत्ति जब्त की।

आतंकवाद:

- रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तीय परिषद के गंभीर खतरों का सामना कर रहा है, जिसमें इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे समूह शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में प्रभावी जांच की है। रिपोर्ट में इसे और प्रभावी बनाने पर जोर

दिया गया है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के बारे में:

- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की स्थापना 1989 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के द्वारा की गई थी।

उद्देश्य:

- धन शोधन (Money Laundering) और आतंकवाद के वित्तीय परिषद (Terrorist Financing) के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति और मानकों को विकसित करना और उन्हें लागू करना।

सदस्य देश:

- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल में 39 सदस्य देश और क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं, जो वैश्विक स्तर पर धन शोधन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करते हैं।

सिफारिशें:

- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने 40 सिफारिशें तैयार की हैं, जो देशों को धन शोधन और आतंकवाद के वित्तीय परिषद के खिलाफ प्रभावी उपाय करने में मार्गदर्शन करती हैं।

मूल्यांकन प्रक्रिया:

- FATF सदस्य देशों का पारस्परिक मूल्यांकन करता है, जिससे उनकी नीतियों और प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है।

निष्कर्ष:

FATF द्वारा 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी की मान्यता से भारत की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, जिससे विदेशी निवेश में वृद्धि की संभावना है और वैश्विक वित्तीय बाजारों तक पहुँच बेहतर होगी। साथ ही लंबित धन शोधन के मुकदमों को शीघ्र निपटाने व लाभकारी क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

भविष्य के लिए समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक प्रतिनिधित्व को अधिक संतुलित और समावेशी बनाने हेतु 'भविष्य के समझौते' (Pact for the Future) को स्वीकृति दी है। इस पहल का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की संरचना में सुधार कर उसे 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना है।

'भविष्य के समझौते' के मुख्य बिंदु:

विश्व नेताओं की प्रतिबद्धताएँ:

- समझौते में अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने का आह्वान किया गया है, विशेष रूप से अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने पर बल दिया गया है।

➤ यूएनएससी को वर्तमान यूएन सदस्यता को प्रतिबिंधित करने और 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य को समायोजित करने के लिए विस्तार करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता:

- 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय, सुरक्षा परिषद में 22% सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व था (51 में से 11)। आज, परिषद में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से केवल 8% का प्रतिनिधित्व है।
- **वित्तीय योगदान का असंतुलन:** जापान और जर्मनी जैसे देश संयुक्त राष्ट्र के बजट में पाँच स्थायी सदस्यों में से चार से अधिक योगदान देते हैं, लेकिन उनका स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है।
- यूएनएससी कई मौकों पर अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने में विफल रहा है, विशेषकर तब जब P5 सदस्य बीटो पावर का उपयोग करके प्रस्तावों को रोकते हैं, जैसे कि यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूस का बीटो।
- **शक्ति का असंतुलन:** यूरोप, जो वैश्विक आबादी का केवल 5% हिस्सा है, परिषद में 33% स्थायी सीटें रखता है, जिससे असंगत प्रतिनिधित्व होता है।
- अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना में भारत के महत्वपूर्ण योगदान, विशाल आबादी और बढ़ते वैश्विक प्रभाव के बावजूद, सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व सीमित है।

चुनौतियाँ:

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** UNSC सुधार की आवश्यकता पर व्यापक सहमति के बावजूद, सदस्य देश इस बात पर सहमत नहीं हैं कि कौन से विशिष्ट सुधार लागू किए जाने चाहिए।
- **कॉफी क्लब (आम सहमति के लिए एकजुट होना):** इटली के नेतृत्व वाला यह समूह स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करता है और जी4 देशों (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए काम कर रहा है, जो स्थायी सीटों के लिए दबाव डाल रहे हैं।
- **चीनी विरोध:** चीन, एक स्थायी सदस्य के रूप में, भारत की स्थायी सीट की दावेदारी का लगातार विरोध कर रहा है, जिससे सुधार प्रक्रिया और जटिल हो जाती है।

स्थायी सीट के लिए भारत का रुख़:

- भारत लंबे समय से UNSC में स्थायी सीट की मांग कर रहा है, ताकि विकासशील देशों के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके। बढ़ते वैश्विक समर्थन के साथ, भारत की स्थायी सीट के लिए दावेदारी ने अधिक गति प्राप्त की है, जो इसके आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव तथा अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना में दीर्घकालिक योगदान को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

'भविष्य का समझौता' संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक अधिक

प्रतिनिधि और न्यायसंगत निकाय में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी समाधान कर सके। हालाँकि, सुधारों के विवरण पर सदस्य देशों के बीच सहमति की कमी प्रमुख बाधा बनी हुई है। भारत, विशेष रूप से, वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए स्थायी सदस्यता की मांग जारी रखे हुए है।

इजराइल-हिजबुल्लाह संघर्ष में भारत की चिंताएं

चर्चा में क्यों?


हाल ही में इजराइल-हिजबुल्लाह तनाव के कारण मध्य पूर्व अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, जिससे मध्य पूर्व में भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे हैं।

इजराइल-हिजबुल्लाह तनाव के बीच मध्य पूर्व में भारत के लिए चुनौतियाँ:

चाबहार बंदरगाह:

- चाबहार बंदरगाह भारत की अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है। अगर संघर्ष बढ़ता है और ईरान इसमें शामिल हो जाता है, तो चाबहार में भारत के संचालन को खतरा हो सकता है।
- हिजबुल्लाह-इजराइल संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता समुद्री व्यापार मार्गों को बाधित कर सकती है, जिससे होमुज जलडमरुमध्य और अरब सागर में जोखिम बढ़ सकता है।

Areas targeted in Israel-Hezbollah conflict



भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC):

- संघर्ष में वृद्धि से पूरे मध्य पूर्व में बंदरगाहों, रेलवे और पाइपलाइनों सहित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा से

संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास की प्रगति में बाधा आ सकती है।

- इजरायल के साथ घनिष्ठ संबंधों और कई अरब देशों और ईरान के साथ मजबूत संबंधों के साथ, भारत को कूटनीतिक संक्रमण का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक और सामरिक परिणाम:

- संघर्ष के परिणामस्वरूप वैश्विक तेल की कीमतों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत संवेदनशील साबित हो सकता है, क्योंकि देश की ऊर्जा सुरक्षा पश्चिम एशिया से आयातित कच्चे तेल पर अत्यधिक निर्भर है। तेल की कीमतों में उथल-पुथल के कारण भारत के व्यापार घाटे, मुद्रास्फीति, और मुद्रा विनियम दरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता और विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

प्रवासन और शरणार्थी मुद्दे:

- खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं, जो वहाँ की अस्थिरता के कारण प्रभावित हो सकते हैं। यदि क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति गंभीर होती है, तो भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निकासी जैसे आपातकालीन उपायों पर विचार करना पड़ सकता है।

विदेशी धन प्रेषण:

- मध्य पूर्व क्षेत्र में लगभग 9 मिलियन भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के एक प्रमुख स्रोत के रूप में योगदान देते हैं। इन प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन (रेमिटेंस) न केवल उनके परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता प्रदान करता है।

आगे की राह:

इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी तनावपूर्ण स्थिति का अर्थ होगा कि ईरान भी इस संघर्ष में शामिल हो सकता है, जिससे संभावित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका भी प्रभावित होगा। इस परिस्थिति भारत को अपने संबंधों को संतुलित रखने की आवश्यकता होगी, विशेषकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ। ऐसी स्थिति में, भारत को न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करनी होगी, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए सक्रिय कूटनीतिक प्रयासों को भी बढ़ाना होगा।

एशिया पावर रिपोर्ट 2024


चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लोकी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। यह व्यापक रैंकिंग आर्थिक संबंधों, सैन्य क्षमताओं, सांस्कृतिक प्रभाव और राजनीतिक लचीलेपन

के आधार पर राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन करती है।

भारत के उत्थान के पीछे प्रमुख कारक:

- **आर्थिक वृद्धि:** भारत ने महामारी के बाद आर्थिक क्षमता में 4.2 अंकों की वृद्धि की है। भारत की विशाल जनसंख्या और जीडीपी वृद्धि ने पीपीपी के संदर्भ में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने में सहायक है।
- **भविष्य की संभावना:** संसाधनों के स्कोर में 8.2 अंकों की वृद्धि हुई है, जिससे भारत को क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों (विशेषकर चीन और जापान) के मुकाबले युवा आबादी का लाभ मिल रहा है, जो भविष्य में आर्थिक विकास और श्रम बल विस्तार को आगे बढ़ाएगा।



- **कूटनीतिक प्रभाव:** भारत की गुटनिरपेक्ष रणनीतिक स्थिति ने नई दिल्ली को जटिल अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की अनुमति दी है। 2023 में, भारत कूटनीतिक वार्ता के मामले में छठे स्थान पर रहा, जो बहुपक्षीय मंचों में इसकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।
- **सांस्कृतिक प्रभाव:** भारत का सांस्कृतिक प्रभाव भी अपेक्षाकृत मजबूत रहा है, जिसे इसके वैश्विक प्रवासी समुदाय और सांस्कृतिक निर्यातों से बल मिला है।
- **बहुपक्षीय कूटनीति:** क्वाड में संवाद और नेतृत्व में भारत की भागीदारी ने इसे औपचारिक सैन्य गठबंधनों से बाहर रहते हुए

क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया है।

- **आर्थिक पहुंच:** भारत की आर्थिक पहुंच, यद्यपि सीमित है, लेकिन इसमें धीरे-धीरे सुधार देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सौदा इस बात का संकेत है कि भारत अब अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र से बाहर भी भू-राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने लगा है।

एशिया में भारत की भूमिका:

- 2024 एशिया पावर इंडेक्स ने भारत को “एशिया में भविष्य में विकास की अपार संभावनाओं” बाला देश माना है।
- कूटनीतिक प्रभाव और इसकी रणनीतिक स्वायत्तता इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख प्रतिभागी बनाती है।

आगे की राह:

रिपोर्ट में आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव के संदर्भ में भारत की आशाजनक प्रगति को दर्शाया गया है। साथ ही, इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि एशिया में एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी क्षमता को पूरी तरह साकार करने के लिए, भारत को अपने आर्थिक संबंधों और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

चीन-अफ्रीका सहयोग मंच

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण बीजिंग में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय ‘आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाना और साझा भविष्य के साथ एक उच्च स्तरीय चीन-अफ्रीका समुदाय का निर्माण करना’ था।

एफओसीएसी शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु:

- शी जिनपिंग ने चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) के नौवें संस्करण में अफ्रीकी देशों को 51 बिलियन डॉलर की धनराशि देने का वादा किया।
- चीन पूरे अफ्रीका महाद्वीप में 30 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन देगा, जिसके लिए 360 अरब युआन (50.7 अरब डॉलर) की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 2024 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अगले तीन वर्षों में अफ्रीका-चीन सहयोग बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना स्थापित करना था। जिसमें राज्य शासन, औद्योगिकरण और कृषि उन्नयन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- शिखर सम्मेलन में बीजिंग घोषणापत्र और एफओसीएसी-बीजिंग कार्य योजना (2025-27) को अपनाया गया, जिसमें चीन-अफ्रीका साझेदारी को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अफ्रीकी महाद्वीप के लिए भारत की पहल:

- भारत ने पहले ही भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन

(आईएफएस), सीआईआई-एक्सिम बैंक कॉन्वेल और भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्रियों की बैठक जैसी पहलों के माध्यम से अफ्रीका के साथ मजबूत साझेदारी की नींव रखी है।

- अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (एएफसीएफटीए) जैसे मंचों के माध्यम से प्रमुख अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉकों के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों पर बातचीत और कार्यान्वयन करना।
- भारत ने 2023 जी-20 अध्यक्षता के दौरान, 55 देशों के अफ्रीकी संघ को जी20 समूह में शामिल करने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है।
- भारत तीसरे वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (वीओजीएसएस) की मेजबानी कर रहा है, जिसमें सभी अफ्रीकी देश भाग ले रहे हैं।

आगे की राह:

यह सहयोग मंच एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आयोजित किया जा रहा है जब आर्थिक मंदी के दौर में चीन अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा। विशेष रूप से उप-सहारा देशों में, पश्चिमी निवेश का प्रभुत्व खनन, तेल, गैस और कृषि क्षेत्रों में बना हुआ है। इस संदर्भ में, भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करते हुए समावेशी विकास और वैश्विक शासन पर जोर दे रहा है, जबकि चीन व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण की बात कर रहा है।

6वां क्वाड शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेर में 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह क्वाड नेताओं का चौथा व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन था।

छठे क्वाड शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें:

- **वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग:** भारत इंडो-पैसिफिक के देशों को 7.5 मिलियन डॉलर मूल्य की एचपीवी सैंपलिंग किट, डिटेक्शन किट और सर्वाइकल कैंसर के टीके उपलब्ध कराएगा। यह क्वाड कैंसर मूनशॉट इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में जीवन बचाने के लिए साझेदारी के तहत किया गया है।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** ‘भविष्य की क्वाड पोर्ट्स पार्टनरशिप’ का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के अंतर्गत, क्षेत्रीय भागीदारों के सहयोग से क्वाड अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करेगा।
- **सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क:** क्वाड भागीदार, विविध और प्रतिस्पर्धी बाजार में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन बढ़ाने के लिए अपनी पूरक शक्तियों का उपयोग करेंगे।

- **वैश्विक शासन में सुधार:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वयुक्त, समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने की तत्काल आवश्यकता को मान्यता दी गई।
- **समुद्री पहल:** 'इंडो-पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल' (MAITRI) शुरू करने पर सहमति बनी। भारत 2025 में (भारत की क्वाड प्रेसीडेंसी के दौरान) पहली MAITRI कार्यशाला की मेजबानी करेगा।
- **प्रौद्योगिकी सहयोग:** क्वाड ने फिलीपींस और एशिया ओपन रैनअकादमी (AORA) में चल रहे ओपन आरएएन फील्ड ट्रायल के लिए समर्थन का विस्तार करने की योजना बनाई है, जो इस वर्ष की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा प्रदान किए गए शुरुआती \$8 मिलियन के समर्थन पर आधारित है।

FACTS ABOUT QUAD

- Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) was proposed by then Japanese PM Shinzo Abe in 2007 but fell in dormant for a decade.
- Resurrected in 2017 on the sidelines of ASEAN Summit.
- QUAD consists of four countries: India, Australia, Japan and the US.
- AIM: to support an open, free, and inclusive Indo-Pacific.
- PM Modi to participate in the 6th QUAD Summit, beginning past midnight, at Delaware, US.
- India's participation in the QUAD aligns with its "Act East" policy.
- India to host the QUAD Summit next year.



- **निवेश और भागीदारी में सहयोग:** क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क (QUIN) का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकीयों में निवेश को गति देना है। इस वर्ष, QUIN ने महत्वपूर्ण प्रमुख रणनीतिक निवेश और साझेदारी का समर्थन किया।
- **जलवायु अनुकूलन:** संयुक्त राज्य अमेरिका 2025 में प्रशांत क्षेत्र में स्थानीय मौसम और जलवायु पूर्वानुमानों का समर्थन करने के लिए 3D-मुद्रित स्वचालित मौसम स्टेशन प्रदान करने की योजना बना रहा है।
- **पीपुल्स टू पीपुल्स पहल:** भारत ने भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थान में 4 वर्षीय स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रम करने के लिए इंडो-पैसिफिक के छात्रों को 500,000 डॉलर मूल्य की पचास क्वाड छात्रवृत्ति प्रदान करने की एक नई पहल की घोषणा की है।

आगे की राह:

यूरोप और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामक गतिविधियों, और क्षेत्र में उभरती गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में, क्वाड की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यह संगठन, वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बढ़ते तनाव के बीच, एक स्थिरता और सहयोग का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। क्वाड विभिन्न वैश्विक आकांक्षाओं के समन्वय में एक क्षेत्रीय मंच के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात में असैन्य परमाणु सहयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और यूएई ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति और असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौते में भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की भागीदारी और गुजरात क्षेत्र में एक फूड पार्क के विकास और निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण खनिजों का निष्कर्षण शामिल था।

दोनों देशों के बीच समझौते के प्रमुख बिंदु:

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) समझौता:

- संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ अगले 15 वर्षों के लिए प्रति वर्ष एक मिलियन मीट्रिक टन से अधिक तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की।

असैन्य परमाणु सहयोग:

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी के नेतृत्व वाले बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बीच असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए।

रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व समझौते:

- कच्चे तेल के मामले में, इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और एडीएनओसी के बीच समझौते से यूएई सरकार को भारत के तेल भंडारण अभियान में अपनी भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि इसके मौजूदा अनुबंधों को नवीनीकृत रखा जाएगा। इससे अगले 15 वर्षों के लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान मिलेगा।

खाद्य और कृषि पार्क समझौता:

- एडीक्यू होल्डिंग कंपनी ने गुजरात में एक कृषि और खाद्य

प्रसंस्करण औद्योगिक परिसर स्थापित करने के लिए भारतीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।



भारत-यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (वीटीसी):

► यात्रा के दौरान, क्राउन प्रिंस ने मुंबई में भारत-यूएई बिजनेस फोरम में भाग लिया, तथा नए भारत-यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर पर प्रारंभिक कार्य का शुभारंभ किया तथा वीटीसी को सुविधाजनक बनाने के लिए मैत्री इंटरफेस का भी शुभारंभ किया।

आगे की राह:

अगस्त 2015 में दोनों राष्ट्र परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग करने पर समझौता हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक (2022) में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में 'त्रिपक्षीय सहयोग ढांचा' शुरू करने के लिए मुलाकात की। इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्रों, विशेष रूप से सौर और परमाणु ऊर्जा में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।

अफ्रीका शहरी फोरम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अफ्रीका शहरी मंच का आयोजन इथियोपिया के अदीस अबाबा में किया गया, जिसे अफ्रीका संघ, इथियोपिया सरकार, और यूएन-हैबिटेट जैसे संगठनों द्वारा "अफ्रीका के परिवर्तन के लिए सतत शहरीकरण - एजेंडा 2063" विषय के तहत आयोजित किया गया।

इस फोरम के उद्देश्य:

- अफ्रीका में सतत और लचीले विकास के लिए शहरीकरण की अनिवार्यता को बढ़ावा देना।
- अफ्रीका के संरचनात्मक परिवर्तन और एजेंडा 2063 की प्राप्ति में समावेशी और सहभागी मानव बस्ती विकास का समर्थन करना।
- अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के बीच सतत शहरीकरण के लिए संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना।
- विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण से समावेशी और सतत शहरी विकास में उभरते और महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करना।
- सतत शहरीकरण से संबंधित विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करना।
- रणनीति विकसित करने, कार्यक्रम और परियोजना कार्यान्वयन परिणामों में सुधार करने, संसाधनों को साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न हितधारकों के सहयोग को बढ़ावा देना।

फोरम के दो मुख्य विषय:

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए शहरीकरण का वित्तपोषण:

- अफ्रीका में तेजी से बढ़ती शहरी आबादी को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे, सेवाओं और सामाजिक सुविधाओं में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।
- शहरीकरण के वित्तपोषण के लिए नवीन विकल्पों की पहचान करना है, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी, विकास वित्त और समुदाय-आधारित वित्तपोषण मॉडल शामिल हैं।

अफ्रीका में टिकाऊ और लचीला शहरी विकास:

- टिकाऊ और लचीले शहरी विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जोकि आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशन के साथ संतुलित कर सके।
- सितंबर 2023 में नैरोबी में आयोजित अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन के नैरोबी घोषणापत्र में शहरों को जलवायु भेद्यता के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रकार शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध स्थापित किया जा सके।

आगे की राह:

अफ्रीका शहरी मंच का उद्देश्य ऐसे शहरों के निर्माण के लिए रणनीतियों का विकास करना है, जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ, सामाजिक रूप से समावेशी, और आर्थिक रूप से लचीले हों। इस मंच पर शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

पर्यावरणीय मुद्दे

वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों से प्रभावित होता ग्लोबल एनवायरनमेंट

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विश्व की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है लेकिन जब भी इस दिशा में मजबूत इच्छा शक्ति से काम करने की बात आती है तो विकसित देशों की राय और प्रतिबद्धता खड़ित दिखाई देने लगती है, सर्वसम्मति का अभाव भी दिखता है और अपने आर्थिक विकास के लिए वैश्विक लक्ष्यों से समझौता करने तक की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसका ताजा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि है जिसे अभी मात्र 7 देशों पलाऊ, चिली, बेलीज, सेशेल्स, मॉरीशस, मोनाको और फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया ने ही रेटिफाई (अनुसमर्थन) किया है। जबकि महासागरीय सुरक्षा, महासागरीय जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी देश सैद्धांतिक स्तर पर बढ़ चढ़कर बोलते हैं। महासागरीय प्रदूषण को खत्म करने और विश्व के सागरीय क्षेत्रों को ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, एल नीनो, ला लीना जैसी मौसमी दशाओं की मार से बचाने के लिए विकसित और विकासशील देशों की नीतियों में समन्वय होना चाहिए। यूरोपीय संघ जैसे प्रगतिशील मानदंड वाले संगठन भी कह रहे हैं कि वे विचार कर रहे हैं कि ऐसी संधि से वो जुड़े वहीं दूसरी तरफ उन्हें कार्बन टैक्स लगाकर अधिक मुनाफा लेने से कोई परहेज नहीं है।

वहीं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इस साल अपनी रिपोर्ट में एशिया प्रशांत क्षेत्र के सतत विकास लक्ष्यों से 32 साल पछे रहने की बात कर चुका है। इसका मतलब है कि विश्व में कोई भी क्षेत्र हो चाहे यूरोप हो या एशिया पेसिफिक वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में ट्रैक पर नहीं है। 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के हासिल हो पाने में भी संशय व्यक्त किया जा रहा है। वहीं दुनिया भर के देश ई व्हीकल क्रांति के जरिए जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक रास्ता तो खोज रहे हैं लेकिन ई कचरे का निपटान कैसे होगा उसपर कम ही विचार करते दिखते हैं। विकसित देश पर्यावरणीय मुद्दों पर विकासशील देशों पर आरोप लगाते हैं जबकि विकासशील देश अपनी उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकास के अधिकार का हवाला देकर कई प्रकार के पर्यावरणीय दायित्वों से बचना चाहते हैं।

विकसित और विकासशील देशों के बीच वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर मतभेद:

- विकसित और विकासशील देशों के बीच वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों विशेषकर जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, महासागरों की सुरक्षा, महासागरों में प्लास्टिक अपशिष्ट, वन्यजीवों की हत्याएं और तस्करी, वनों में लगने वाली आग मांस उद्योग और ग्लोबल वार्मिंग पर उसके पड़ने वाले प्रभाव, जैव ईंधन को बढ़ावा, अमेजन के वर्षा वनों का खात्मा, द्वीपीय देशों के अस्तित्व पर खतरों आदि मुद्दों पर मतभेद और कुछ अवसरों पर सहयोग के बिंदु भी दिखाई देते रहे हैं।



- विकसित और विकासशील देशों के मध्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अधिसमय के तत्वावधान में जिन कॉप बैठकों का आयोजन किया जाता है उसमें कई विवाद के उभरते मुद्दों को देखा गया है। इसमें सर्वाधिक प्रमुख विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों, लघु द्वीपीय देशों अथवा निर्धन देशों को जलवायु परिवर्तन

से निपटने के लिए हरित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर प्रतिबद्धता की कमी के रूप में देखा जाता है। विकसित देश कई अवसरों पर विकासशील देशों को विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने के मामले में सहायता करने से बचने का प्रयास करते हुए देखे गए हैं।

- इसके अलावा विकसित देशों से विकासशील देशों की यह मांग रही है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से निपटने के लिए उन्हें हरित वित्त अथवा वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए वर्ष 2009 में कानकुन में एक हरित जलवायु कोष के गठन का भी प्रस्ताव किया गया था जिसमें यह तय किया गया था कि विकसित देश एक निश्चित मात्रा में जो अब 100 बिलियन डॉलर है, के जरिए एक कोष का निर्माण करेंगे और इससे तृतीय विश्व के देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराएंगे।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में पेरिस समझौते में भी ग्रीन क्लाइमेट फंड में 100 बिलियन डॉलर जमा करने की बात की गई थी और विकसित देशों से यह अपेक्षा की गई थी कि वह 2020 के बाद इस हरित कोष से विकासशील देशों को वित्त उपलब्ध कराएंगे। ऐसी किसी प्रतिबद्धता को पूर्ण मन से विकसित देशों ने पूरा नहीं किया है बल्कि अमेरिका हाल के समय में जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़े समझौते पेरिस समझौते से बाहर निकल गया है। इससे विकसित देशों कि विकासशील देशों के प्रति मानसिकता का भी पता चलता है।
- वर्ष 2013 में भी लघु द्वीपीय देश जिनके ऊपर जलवायु परिवर्तन का खतरा सर्वाधिक मंडरा रहा था, उनके मदद के लिए और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक इंटरनेशनल लॉस एंड डैमेज मैकैनिज्म निर्मित किया गया था। यह फैसला पोलैंड की राजधानी वारसा में लिया गया था। इसमें भी विकसित देशों द्वारा लघु द्वीपीय देशों की महासागरीय व्यवस्था और जीवनशैली को बचाने के लिए सहयोग करने की अपेक्षा की गई थी लेकिन इस कोष में भी विकसित देशों ने पर्याप्त रूप से वित्त का प्रवाह नहीं सुनिश्चित किया है।

सीबीडीआर सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे विकसित देश:

- विकासशील देशों ने विकसित देशों से यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत समान किंतु भिन्न उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएं सिद्धांत (कॉमन बट डिफरेंशिएटिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पैक्टिव कैपेबिलिटीज) के तहत मांग की है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में विकसित देशों की भूमिका अधिक है। इसलिए, उन्हें इससे निपटने के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। औद्योगिक क्रांति, वाणिज्य क्रांति, फैक्ट्रियों का विकास आदि के चलते विकसित देशों में जीवाश्म ईंधन को अधिक मात्रा में जलाने का प्रयास किया गया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिला।
- विकासशील देशों का मानना है कि विकसित देश ग्रीनहाउस गैस

उत्सर्जन अधिक करते हैं, इसलिए विकासशील देशों की तुलना में जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनका उत्तरदायित्व अधिक होना चाहिए। विकासशील देशों और निर्धन देशों को, जिनकी भूमिका कम रही है, उत्तरदायित्व उसी अनुपात में दिया जाना चाहिए। विकासशील देश इस बात पर बल देते हैं कि तृतीय विश्व के देश संसाधनों, वित्त व्यवस्था, प्रौद्योगिकी आदि में इतनी समर्थ नहीं हैं कि वे स्वयं ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़ी परियोजनाएं या पहल चला सकें।

- इसलिए, उनकी क्षमताओं को देखकर ही उन्हें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। विकासशील देशों में कई देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सक्रिय हैं, जहां अभी परिवर्तन क्षेत्र पर ज्यादा बल है। ऐसे में उन पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का दबाव डालकर उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना चाहिए।

प्रदूषणकर्ता स्वयं भुगतान करें (Polluter Pays Principle):

- यह सिद्धांत 1992 के पृथ्वी समिट में जारी रियो उद्घोषणा का हिस्सा है और इसकी मूल मान्यता है कि प्रदूषण फैलाने वालों की प्रदूषण से निपटने में सर्वाधिक भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रदूषण को बढ़ावा कोई देश, व्यक्ति या फर्म कर रहा हो और उससे निपटने का भार किसी अन्य कमज़ोर देश, व्यक्ति या फर्म पर अनावश्यक रूप से डाला जाए। यदि ऐसा होता है, तो यह भेदभावकारी और अन्यायपूर्ण होगा।
- विकसित देशों ने इस सिद्धांत का खुले तौर पर उल्लंघन किया है। उदाहरण के लिए, चीन 27 प्रतिशत, अमेरिका 21 प्रतिशत और यूरोपीय संघ 10 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करता है, इसके बावजूद विकासशील देशों पर ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन से निपटने के लिए अधिक जिम्मेदारी थोपी गई है, जो कि सीबीडीआर सिद्धांत के खिलाफ है।
- “प्रदूषण कर्ता स्वयं भुगतान करें” सिद्धांत सबसे पहले 1972 में ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) ने दिया था। OECD ने इसे पर्यावरणीय नीतियों के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आयामों से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। कालांतर में, रियो उद्घोषणा के 26 सिद्धांतों में से 16वें सिद्धांत के रूप में इस सिद्धांत को वैश्विक पर्यावरणीय मामलों में विकसित और विकासशील देशों के संबंधों को विनियमित करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसमें कहा गया कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले व्यक्ति पर ही इसके भुगतान या क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए।

चीन और पर्यावरण ध्रुवीकरण:

- जलवायु संकट जैसे पर्यावरण के मुद्दों पर भी दुनिया दो-ध्रुवीय हो रही है, जिसने विकसित देशों को गुनाहगार और विकासशील देशों को भुक्तभोगी के तौर पर आमने-सामने खड़ा कर दिया

है। ऐतिहासिक रूप से इस तथ्य के बावजूद कि विकसित देश पहले कॉर्बन के बढ़े उत्सर्जक रहे हैं, चीन अब सबसे ज्यादा कॉर्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। ऐसे कई वैश्विक सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें समुद्र से लेकर भूमि तक जैव-विविधता के मुद्दे शामिल रहे हैं लेकिन अब ऐसे हर सम्मेलन में चीन सहित विकसित और विकासशील देशों के बीच ध्रुवीकरण होता है। चीन ने धरती के स्वास्थ्य और इसके लिए अपनी जिम्मेदारी

लेने के बारे में बात करना शुरू किया है। वह 2060 तक खुद को शून्य-कॉर्बन वाला देश बनाना चाहता है। आर्थिक क्षेत्रों की तरह, चीन पर्यावरणीय संबंधी मामलों में भी एक ताकत के रूप में उभर रहा है। चीन ने एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में चीन पर्यावरण के मुद्दों पर विकसित देशों की न चलने देने के लिए कूटनीति करना शुरू कर चुका है।

सदिप्त मुद्दे

कैस्केड मेंढक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के बन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजा है कि असम कैस्केड मेंढक पश्चिमी हिमालयी नदियों में जल प्रवाह से कैसे प्रभावित होते हैं, जिससे सतत जल प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण पर महत्वपूर्ण चर्चाएँ शुरू हुई हैं।

पृष्ठभूमि:

- जल गुणवत्ता और जलीय जीवन के बीच जटिल संबंधों को समझने के लिए भारत के बन्यजीव संस्थान (WII) ने हिमाचल प्रदेश के चूड़धार बन्यजीव अभ्यारण्य में असम कैस्केड मेंढक पर एक अध्ययन किया।
- इस अध्ययन का फोकस दो हिमालयी नदियों पर था, जिसका उद्देश्य विभिन्न जल पैरामीटर और इस संकटग्रस्त प्रजाति की प्रचुरता और घनत्व के बीच संबंध का पता लगाना था।

कैस्केड मेंढक के बारे में:

- कैस्केड मेंढक (*Amolops Formosus*) भारत के कई क्षेत्रों, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और असम में पाया जाता है, इसके अलावा यह उत्तरी बांग्लादेश और नेपाल के बढ़े हिस्से में भी मौजूद है।
- यह प्रजाति पतली शरीर और लंबी टांगों वाली होती है, जो इसे कूदने और तैरने में मदद करती है। कुछ कैस्केड मेंढक में हल्की धारियों के पैटर्न पाए जाते हैं। ये पहाड़ी, जंगलों वाले क्षेत्रों में नदियों और झीरों के पास रहना पसंद करते हैं, जहाँ ये अपने अंडे देते हैं।
- ये मुख्य रूप से रात में सक्रिय होते हैं और वर्षा के मौसम में जब जल स्तर बढ़ता है, तब ये अधिक सक्रिय होते हैं, और कीटों और अन्य अक्षरेशुरकों का आहार लेते हैं।
- संरक्षण के दृष्टिकोण से, इन्हें IUCN द्वारा 'कम चिंता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन्हें भारतीय बन्यजीव संरक्षण अधिनियम या CITES के तहत सूचीबद्ध नहीं किया गया है। हालांकि, इनके प्राकृतिक आवास को नुकसान, वनों की कटाई



चूड़धार बन्यजीव अभ्यारण्य:

- चूड़धार बन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है, जिसे 15 नवंबर 1985 को अधिसूचित किया गया था और इसका कुल क्षेत्रफल 56.16 वर्ग किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य सिरमौर जिले की सबसे ऊँची चोटी, चूड़धार चोटी, के नाम पर रखा गया है। यहाँ विभिन्न बन्यजीव पाए जाते हैं, जिनमें हिमालयी काला भालू, भौंकने वाला हिरण, कस्तूरी मृग, लंगूर और तेंदुआ प्रमुख हैं।

नामीबिया में सूखे के कारण सैकड़ों जंगली जानवरों को मारने का आदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नामीबिया 1.4 मिलियन की आबादी के लिए मांस उपलब्ध कराने के लिए हाथियों और दरियाई घोड़ों सहित सैकड़ों जंगली जानवरों को मारने की योजना बना रहा है, क्योंकि देश की लगभग

आधी जनसंख्या सदी के सबसे खराब सूखे से पीड़ित है।

मुख्य बिन्दु:

- सरकार ने 723 जानवरों को मारने के लिए सूचीबद्ध किया है, जिनमें 30 दरियाई घोड़े, 60 भैंस, 50 इम्पाला, 100 ब्लू वाइल्डबीस्ट, 300 जेबरा, 83 हाथी और 100 एलैंड (एक प्रकार का मृग) शामिल हैं। अब तक 150 से ज्यादा जानवरों को मारा जा चुका है, जिससे लागभग 63 टन मांस प्राप्त हुआ है।
- सरकार ने इस हत्या को जरूरी बताया है और इसे नामीबिया के नागरिकों के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के अपने संवैधानिक जनादेश के अनुरूप बताया है।



नामीबिया में सूखे के पीछे के कारण:

- नामीबिया, जो सूखा-प्रवण दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, ने अक्सर गंभीर सूखे का सामना किया है। देश ने 2013, 2016, और 2019 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया।
- वर्तमान सूखा विशेष रूप से विनाशकारी है, जिसका मुख्य कारण सात साल के अंतराल के बाद 2023 में अल नीनो मौसम पैटर्न की वापसी है।
- अल नीनो कई क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी और सूखे के साथ जुड़ा हुआ है और इसने नामीबिया में औसत से अधिक तापमान और न्यूनतम वर्षा ला दी है, जिससे मिट्टी की नमी की गंभीर कमी और बनस्पति तनाव हो रहा है।
- अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते वैश्विक तापमान सूखे और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता को बढ़ा रहे हैं।

नामीबिया में सूखे का प्रभाव:

- **खाद्य उपलब्धता:** नामीबिया में खाद्य उपलब्धता आमतौर पर जुलाई से सितंबर तक कम होती है, लेकिन वर्तमान सूखे ने स्थिति को काफी खराब कर दिया है। मक्का जैसी मुख्य फसलें सूख गई हैं, और बड़ी संख्या में पशुधन मर गए हैं।
- देश के लगभग 84% खाद्य भंडार समाप्त हो चुके हैं। खाद्य भंडारों की इस कमी के कारण कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे कई लोगों के लिए भोजन तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है।
- **खाद्य सुरक्षा:** अनुमान है कि अप्रैल और जून 2024 के बीच

नामीबिया में लगभग 1.2 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा के गंभीर स्तर का सामना कर रहे हैं। ये लोग, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सबसे कमज़ोर हैं, उन्हें खाद्य अंतर को पाठने और अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है।

- संकट की व्यापक प्रकृति ने मौजूदा कमज़ोरियों को और बढ़ा दिया है, खासकर बच्चों के बीच। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और कुछ क्षेत्रों में मौतें भी हुई हैं।
- **लिंग आधारित हिस्सा:** सूखे का महिलाओं और लड़कियों पर भी असंगत प्रभाव पड़ा है। जैसे-जैसे भोजन और पानी की कमी होती जा रही है, उन्हें इन आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। यह बढ़ा हुआ बोझ लिंग आधारित हिस्सा के जोखिम को बढ़ाता है, जो सूखे के सामाजिक परिणामों को और उजागर करता है।

जंगली जानवरों को मारने की आवश्यकता:

- जंगली जानवरों को मारने का नामीबिया का फैसला सिर्फ मांस उत्पादन के लिए नहीं है। सरकार को चिंता है कि चल रहे सूखे की बजह से जानवर भोजन और पानी की तलाश में पलायन करेंगे, जिससे संभावित रूप से मानव आबादी के साथ संघर्ष हो सकता है।
- नामीबिया में 24,000 हाथियों सहित बड़ी संख्या में बन्यजीव रहते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।
- ये शिकार पार्कों और सामुदायिक क्षेत्रों में चराई के दबाव और पानी की उपलब्धता को प्रबंधित करके बन्यजीवों पर सूखे के प्रभाव को भी कम करेंगे, जहाँ जानवरों की संख्या उपलब्ध संसाधनों से ज्यादा है।

निष्कर्ष:

दक्षिणी अफ्रीका सहित दुनिया भर में विभिन्न प्रजातियों के जंगली जानवरों का शिकार भोजन, खेल या ट्रॉफी के लिए किया जाता है। नामीबिया में, जेबरा, ब्लू वाइल्डबीस्ट और इम्पाला जैसे जानवर, जो वर्तमान में मारे जाने वाले जानवरों की सूची में शामिल हैं, इस क्षेत्र के लोगों द्वारा आम तौर पर खाए जाते हैं। जब तक इन जानवरों की कटाई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और टिकाऊ तरीकों का उपयोग करके की जाती है जो पशु कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और घेरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कानूनों का पालन करते हैं, तब तक चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

प्लास्टिक प्रदूषण का हब भारत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक माना गया है, जोकि सालाना 9.3 मिलियन टन (Mt) प्लास्टिक उत्सर्जित करता है।

अध्ययन की मुख्य बातें:

- **प्लास्टिक प्रदूषण की परिभाषा:** प्लास्टिक प्रदूषण को मोटे तौर पर प्लास्टिक सामग्री और उत्पादों के उत्पादन और उपभोग से होने वाले नकारात्मक प्रभावों और उत्सर्जन के रूप में उनके पूरे जीवन चक्र में परिभाषित किया जाता है।
- **वैश्विक उत्सर्जन में योगदान:** भारत का प्लास्टिक प्रदूषण वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है।
- **अपशिष्ट उत्पादन दर:** भारत प्रति व्यक्ति प्रति दिन लगभग 0.12 किलोग्राम कच्चा उत्पन्न करता है।
- **वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन (2020):** कुल वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन प्रति वर्ष 52.1 मिलियन टन था।
- **उत्सर्जन के स्रोत:** ग्लोबल नार्थ में कूड़ा-करकट सबसे बड़ा उत्सर्जन स्रोत है, जबकि ग्लोबल साउथ में अप्रबंधित कच्चा प्रमुख है।
- **अन्य प्रमुख प्रदूषक देश:** नाइजीरिया (3.5 मिलियन टन) और इंडोनेशिया (3.4 मिलियन टन) दूसरे और तीसरे सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक हैं।
- **उच्च आय वाले देश:** इन देशों में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर अधिक है, इन देशों में व्यापक संग्रह और नियन्त्रित निपटान प्रणाली है।

शीर्ष प्लास्टिक प्रदूषक:

- भारत
- नाइजीरिया
- इंडोनेशिया

प्लास्टिक प्रदूषण की चिंताएँ:


- **अपघटन संबंधी मुद्दे:** प्लास्टिक धीरे-धीरे विघटित होकर माइक्रोप्लास्टिक में टूट जाता है जो वैश्विक स्तर पर फैल जाता है।
- **स्वास्थ्य जोखिम:** प्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए जैसे रसायन भोजन और पेय को दूषित कर सकते हैं, जिससे यकृत कार्य, भ्रूण विकास, प्रजनन प्रणाली और मस्तिष्क कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** प्लास्टिक, एक पेट्रोलियम उत्पाद होने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है।
- **आर्थिक लागत:** प्लास्टिक प्रदूषण पर्यटन स्थलों को नुकसान पहुँचाता है, जिससे पर्यटन राजस्व में कमी आती है और सफाई और रखरखाव की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण:

- **अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन:** 2019-20 के आंकड़ों से पता चला है कि 50% प्लास्टिक अपशिष्ट (34.7 लाख टीपीए) अप्रयुक्त था, जो हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित कर रहा था।
- **डेटा अंतराल:** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहरी स्थानीय निकायों से असंगतता और डेटा की कमी सटीक आकलन में

बाधा डालती है।

- **रीसाइक्लिंग अक्षमताएँ:** अनौपचारिक और अनियमित रीसाइक्लिंग प्रणाली के परिणामस्वरूप निम्न-गुणवत्ता वाले पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक और सीमित पर्यावरणीय लाभ होते हैं।



प्लास्टिक कचरे से निपटने में वैश्विक प्रयास:

- **लंदन कन्वेंशन (1972):** यह कन्वेंशन कचरे और अन्य पदार्थों को डंप करके समुद्री प्रदूषण को रोकता है।
- **स्वच्छ समुद्र अभियान (2017):** यह अभियान प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री कूड़े के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का अभियान।
- **बेसल कन्वेंशन (2019):** प्लास्टिक कचरे को एक विनियमित सामग्री के रूप में शामिल करने के लिए संशोधित, 186 राज्यों पर बाध्यकारी।

प्लास्टिक कचरे से निपटने में भारत के प्रयास:

- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** प्लास्टिक निर्माता अपने उत्पादों के कचरे के प्रबंधन और निपटान के लिए जिम्मेदार हैं।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022:** 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध।
- **स्वच्छ भारत अभियान:** प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह और निपटान सहित राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान।
- **प्लास्टिक पार्क:** प्लास्टिक कचरे के पुनर्वर्तन और प्रसंस्करण के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र।
- **समुद्र तट सफाई अभियान:** समुद्र तटों से प्लास्टिक कचरे को हटाने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित।

आगे की राह:

वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट को संबोधित करने के लिए, त्रि-आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है: प्लास्टिक के उपयोग के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और व्यवहार में बदलाव, प्लास्टिक कचरे के संग्रह, पृथक्करण और पुनर्वर्तन के लिए बेहतर संस्थागत प्रणाली और

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विधानसभा संकल्प 5/14 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी वैशिक प्लास्टिक संधि को लागू करना।

मानसून की गतिशीलता और जलवायु प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के नेशनल सेंटर फॉलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) और दक्षिण कोरिया के कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जून में प्रकाशित अध्ययन में विश्लेषण किया गया है कि आर्कटिक समुद्री बर्फ भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है।

भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा क्या है?

- भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा (ISMR), जो जुलाई से सितंबर तक सक्रिय रहती है। इस मानसून प्रणाली की विशेषता है कि इसमें जुलाई और अगस्त के मध्ये में अधिकतम वर्षा होती है।
- ISMR की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब केंद्रीय एशिया और भारतीय स्थलमंडल आस-पास के महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो जाते हैं, जिससे कई रेखा पर एक कम दबाव क्षेत्र का निर्माण होता है।
- दक्षिण-पूर्व से व्यापारिक हवाएं कोरिओलिस बल और कम दबाव के कारण भारतीय स्थलमंडल की ओर मोड़ जाती हैं, जो अरब सागर से नमी लेकर भारत पर वर्षा के रूप में जमा कर देती है। मानसून दो भागों में बंट जाता है:
 - » अरब सागर शाखा, जो पश्चिमी तट पर वर्षा लाती है।
 - » बंगाल की खाड़ी शाखा, जो पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत को प्रभावित करती है। ये दोनों शाखाएं पंजाब और हिमाचल प्रदेश पर मिलती हैं।

मानसून पर आर्कटिक समुद्री बर्फ की भूमिका

- **केंद्रीय आर्कटिक समुद्री बर्फ:** केंद्रीय आर्कटिक समुद्री बर्फ का निम्न स्तर पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा को कम करती है, जबकि केंद्रीय और उत्तरी भारत में वर्षा को बढ़ाती हैं।
- **बारेंट्स-कारा समुद्र क्षेत्र:** इस क्षेत्र में समुद्री बर्फ की कमी मानसून के आगमन को विलंबित कर सकती है और वायुमंडलीय दबाव पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, जिससे उत्तर-पश्चिमी यूरोप में एंटीसाइक्लोनिक परिसंचरण उत्पन्न होता है।

वायुमंडलीय गतिशीलता

- **रॉस्बी तरंगें:** समुद्री बर्फ के परिवर्तन से प्रबलित रॉस्बी तरंगें उत्तर-पश्चिमी भारत में उच्च दबाव और भूमध्यसागर में कम दबाव उत्पन्न करती हैं, जिससे एशियाई जेट स्ट्रीम में बदलाव होता है और मानसून वर्षा वितरण प्रभावित होती है।
- **सकारात्मक आर्कटिक ऑसिलेशन:** बारेंट्स-कारा समुद्र में कम समुद्री बर्फ उत्तर अटलाटिक और प्रशांत में उच्च दबाव होता है और मानसून वर्षा वितरण प्रभावित होती है।

उत्पन्न करती है, जो मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है और मानसून की विविधता में योगदान करती है।

निष्कर्ष:

भारत में हाल की भारी वर्षा और बाढ़ इस बात की गंभीर आवश्यकता को उजागर करती है कि जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक समुद्री बर्फ की गतिशीलता, और मानसून पैटर्न के बीच जटिल परस्पर क्रियाओं को समझा जाए। जैसे-जैसे मानसून अधिक अनिश्चित होता जा रहा है, इन प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि प्रभावों को कम किया जा सके और भविष्य की जलवायु चुनौतियों के लिए बेहतर पूर्वानुमान और तैयारी की जा सके।

मिशन मौसम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मन्त्रिमंडल ने 'मिशन मौसम' को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार करना है। इस मिशन के लिए अगले दो वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

मिशन के घटक:

- मिशन का लक्ष्य 50 डॉपलर मौसम रडार (डीडब्ल्यूआर), 60 रेडियो सॉंडे/रेडियो लिंड (आरएस/आरडब्ल्यू) स्टेशन, 100 डिस्डोमीटर, 10 विंड प्रोफाइलर, 25 रेडियोमीटर, 1 शहरी परीक्षण केंद्र, 1 प्रक्रिया परीक्षण केंद्र, 1 महासागर अनुसंधान स्टेशन और ऊपरी वायु अवलोकन के साथ 10 समुद्री स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करना है।

मिशन मौसम के उद्देश्य:

- अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणालियाँ विकसित करना।
- बेहतर अस्थायी और स्थानिक नमूनाकरण/कवरेज के साथ उच्च रिजॉल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन को लागू करना।
- अगली पीढ़ी के रडार और उन्नत उपकरण पेलोड वाले उपग्रहों को लागू करना।
- उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर (एचपीसी) को कार्यान्वित करना।
- मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं और भविष्यवाणी क्षमताओं की समझ में सुधार
- उन्नत पृथ्वी प्रणाली मॉडल और डेटा-संचालित विधियाँ विकसित करना।
- मौसम प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
- अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए अत्याधुनिक प्रसार प्रणाली विकसित करना।

कार्यान्वयन और समर्थन:

- इस मिशन का कार्यान्वयन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, और राष्ट्रीय

मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा किया जाएगा। ये सभी संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अंतर्गत आते हैं।

- इसके अतिरिक्त, इस मिशन को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भी समर्थन दिया जाएगा।

मिशन मौसम

मन्त्रिमंडल ने 2 वर्षों में 2,000 कठोर कृपये के परिव्यय के साथ अधिक मौसम-अनुसंधान और जलवायु-संगति भारत बनाने के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी।

लाभ

- ❖ भारत के मौसम और जलवायु तो संबंधित विज्ञान, अनुसंधान और सेवाओं को बढ़ाए देने के लिए एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल
- ❖ खटाक मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में जागरिकों और अंतिम-छाउट तक उपयोगकर्ताओं का धृष्टिहारण को बढ़ावा देने में व्यावस्थित करने में मदद मिलेगी।
- ❖ मिशन का ध्यान सागर और स्थानीक पैगांग पर अत्यधिक सटीक और समय पर मौसम और जलवायु जानकारी प्रदान करने के लिए अबलोकन और समझ में वृद्धि करना है।
- ❖ मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थानों द्वारा कार्यान्वयित किया जाएगा।
 - भारत मौसम विज्ञान विभाग
 - भारतीय उष्णादेशीय मौसम विज्ञान संस्थान
 - राष्ट्रीय मध्यम अवधि गौदाम पूर्वानुमान केन्द्र



मिशन मौसम के लाभ:

- **सटीक मौसम पूर्वानुमान:** मिशन मौसम के तहत उन्नत रडार, उपग्रह और मॉडलिंग तकनीकों के माध्यम से सटीक मौसम पूर्वानुमान किया जाएगा, जिससे चरम मौसमी घटनाओं की पूर्व जानकारी मिल सकेगी।
- **कृषि में सुधार:** सटीक कृषि पूर्वानुमान से किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे फसल उत्पादन और सुरक्षा में वृद्धि होगी। यह प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को भी कम करेगा।
- **आपदा प्रबंधन:** मौसम की घटनाओं की बेहतर निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली से आपदा प्रबंधन में सुधार होगा, जिससे समय पर राहत और बचाव कार्य किए जा सकेंगे।
- **जलवायु परिवर्तन से निपटना:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अनुमान लगाकर, मिशन मौसम समुदायों को इनसे निपटने के लिए तैयार करेगा, जिससे स्थायी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- **ऊर्जा प्रबंधन:** उपयुक्त मौसम पूर्वानुमान से ऊर्जा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा, जिससे ऊर्जा की उपलब्धता और मांग के बीच संतुलन बना रहेगा।

निष्कर्ष:

केंद्रीय मन्त्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया 'मिशन मौसम' चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। इससे न केवल कृषि, आपदा प्रबंधन, और ऊर्जा संसाधन प्रबंधन में सुधार होगा, बल्कि यह समुदायों की आघात सहनीयता को

भी बढ़ाएगा। इसके अलावा, तकनीकी विकास और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के माध्यम से यह मिशन भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सक्षम बनाएगा।

स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSF) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATS) के एक नेटवर्क के माध्यम से देशभर में अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने हेतु स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वाहन स्क्रैपिंग नीति) की शुरुआत की है। वर्तमान में, देश में 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साठ से अधिक (60+) आरबीएसएफ और 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पचहत्तर (75+) एटीएस चालू हैं और कई और पाइपलाइन में हैं।

वाहन स्क्रैपिंग नीति:

- वाहन स्क्रैपेज नीति पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने और उन्हें भारतीय सड़कों पर आधुनिक और नए वाहनों से बदलने के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। नीति का प्राथमिक लक्ष्य देश में कम कार्बन पदचिह्न प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- **स्वैच्छिक वाहन-बेडे आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी-वी-एमपी):** यह कार्यक्रम 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो चुका है।
- 20 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, यदि वे फिटनेस परीक्षण में असफल होते हैं या उनका पंजीकरण नवीनीकृत नहीं होता।
- 15 वर्ष से अधिक पुराने भारी वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
- पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना
- वाहन स्क्रैपिंग उद्योग को औपचारिक रूप देना और अधिक निवेश लाना
- वाहन को स्क्रैप के रूप में मानते समय, नीति वाहन की आयु, उसके ब्रेक, इंजन की गुणवत्ता पर विचार करती है

वाहन स्क्रैपिंग का अर्थशास्त्र:

- स्क्रैपिंग लागत और मार्जिन को ध्यान में रखते हुए, चार पहिया वाहनों के लिए स्क्रैपिंग से 35,000 से 1,40,000 के बीच लाभ हो सकता है। ट्रकों के लिए, रिटर्न 21 लाख से लेकर 21.5 लाख तक हो सकता है, जबकि दोपहिया वाहनों को स्क्रैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से 15,000 तक मिल सकते हैं।

Introduction to V-VMP Policy

Voluntary Vehicle-Fleet Modernization Program (V-VMP) policy targets voluntary scrapping of unfit commercial and passenger vehicles in an environment-friendly manner



Key Objectives

- Reduce pollution
- Improve Road Safety
- Formalize Scrapping Industry
- Promote circular economy
- Generate employment

संगठित स्क्रैपिंग:

महिंद्रा एमएसटीसी रिसाइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएमआरपीएल व्यक्तियों, सरकारी सुविधा वाली नीलामी और बीमा फर्मों से अप्रचलित वाहन और सफेद सामान खरीदता है। रीसाइकिलिंग के लिए अनुपयुक्त वस्तुओं को अलग किया जाता है, और शेष धातु स्क्रैप को काट दिया जाता है। फिर भारी-भरकम चुम्बकों का उपयोग करके लौह जैसे लौह धातुओं को एल्युमिनियम और तांबे जैसी अलौह धातुओं से अलग किया जाता है। छांटे गए लौह, अलौह और अन्य बचे हुए हिस्सों को ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से बेचा जाता है।

असंगठित स्क्रैपिंग:

असंगठित स्क्रैपिंग एक बड़े बाजार का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ वाहनों को अक्सर केवल अलग किया जाता है और स्रोत पर रीसाइकिल नहीं किया जाता है। इसके बजाय, उन्हें आम तौर पर स्क्रैप डीलरों को बेच दिया जाता है, जिनमें से कुछ डंप यार्ड में समाप्त हो जाते हैं।

परित्यक्त वाहन: वर्तमान में परित्यक्त वाहनों को स्क्रैप करने के लिए कोई समर्पित नीति नहीं है। एक बार जब होने के बाद, ये वाहन अक्सर पुलिस स्टेशनों या खुले मैदानों में जमा हो जाते हैं।

कारों में प्रमुख इनपुट:

- स्टील (लगभग 65%)
- एल्युमीनियम (लगभग 7%)
- तांबा (लगभग 1%)
- सीसा और अन्य सामग्री (लगभग 13%)
- रबर और प्लास्टिक (लगभग 15%)

निष्कर्ष:

स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम (V-VMP) भारत के लिए वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर स्थिरता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वाहन मालिकों को और अधिक प्रोत्साहित करने से व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। रीसाइकिलिंग विधियों में नवाचार को बढ़ावा देने और नियामक ढांचे में सुधार करके, भारत अपनी सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए कम कार्बन पदचिह्न प्राप्त कर सकता है।

इंडोटेस्टुडो एलॉन्नाटा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अरावली में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति, लम्बा कछुआ (इंडोटेस्टुडो एलॉन्नाटा) देखा गया।

लम्बे कछुओं के बारे में:

- लम्बा कछुआ एक मध्यम आकार की प्रजाति है, जो अपने पीले-भूरे या जैतून के रंग के खोल के लिए जानी जाती है। इसके खोल में प्रत्येक स्कूट के केंद्र पर अलग-अलग काले ध्वे होते हैं।
- प्रजनन के मौसम के दौरान, नाक पर एक गुलाबी रंग का छल्ला दिखाई देता है, और वयस्क कछुओं में नाक और आँखों के चारों ओर एक गुलाबी रंग विकसित होता है।
- निवास स्थान की दृष्टि से, यह प्रजाति वर्षा वन एवं पहाड़ी सदाबहार जंगलों में निवास करना पसंद करती है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है, जिसमें पश्चिम में उत्तरी भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल हैं। पूर्व में यह म्यामार, थाईलैंड, इंडोचीन तथा चीन के गुआंगशी प्रांत तक विस्तारित है, और दक्षिण में प्रायद्वीपीय मलेशिया तक भी फैली हुई है।
- पूर्वी भारत के छोटा नागपुर पठार में लम्बा कछुआ की एक विच्छिन्न आबादी भी पाई जाती है। यह प्रजाति सामान्यतः निचले इलाकों और तलहटी में निवास करती है, जो आमतौर पर समुद्र तल से 1,000 मीटर की ऊँचाई पर स्थित होती है।
- यह प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त मानी जाती है, जैसा कि IUCN की रेड लिस्ट में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें इसे मानदंड A2cd के अंतर्गत रखा गया है।

भारत में कछुओं की स्थिति:

- भारत के जल में समुद्री कछुओं की पाँच प्रजातियाँ ऑलिव रिडले, ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और लेदरबैक पाई जाती हैं।
- ऑलिव रिडले, लेदरबैक और लॉगरहेड कछुओं को IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटड स्पीशीज में 'असुरक्षित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि ग्रीन टर्टल को 'लुप्तप्राय' और हॉक्सबिल

कछुए को 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

- वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेशन के 19वें सम्मेलन (COP 19) के दौरान, भारत ने देश के भीतर कछुओं और मीठे पानी के कछुओं के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- भारत में समुद्री कछुओं और उनके आवासों का संरक्षण के लिए राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना है। इसके अतिरिक्त, भारत में जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प कार्यक्रम के तहत कछुओं की सुरक्षा की जाती है।

निष्कर्ष:

यद्यपि लम्बे कछुओं का वितरण क्षेत्र बहुत बड़ा है और उनके लिए उपयुक्त आवास भी हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण उनकी आबादी में भारी गिरावट आई है, जिससे इस प्रजाति के विलुप्त होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आवास की हानि, अवैध शिकार और अवैध व्यापार ने इस गिरावट को और बढ़ा दिया है, जिससे इस कमजोर प्रजाति की रक्षा करने और इसे जंगल से लुप्त होने से बचाने के लिए तत्काल संरक्षण प्रयास आवश्यक हो गए हैं।

दिल्ली में संसाधनों के संरक्षण पर आयोजन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साझा संसाधनों जैसे वन, सामुदायिक भूमि और जल निकायों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन पर चर्चा की गई। यह आयोजन देश में कॉमन रिसोर्सेज के महत्व को उजागर करता है।

कॉमन रिसोर्सेज (साझा संसाधनों) के बारे में:

- कॉमन रिसोर्सेज वे संसाधन हैं, जो व्यक्तिगत या सरकारी स्वामित्व में नहीं होते, बल्कि समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं। इनमें वन, तालाब, चारागाह, नदियाँ और शहरी पार्क शामिल हैं। इन संसाधनों का सही प्रबंधन न केवल पर्यावरण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक भलाई में भी योगदान करता है।

कॉमन रिसोर्सेज (साझा संसाधनों) का महत्व:

- भारत में लगभग 205 मिलियन एकड़ भूमि कॉमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है, जो लगभग 350 मिलियन ग्रामीण लोगों की आजीविका का आधार है। ये संसाधन सालाना 6.6 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक मूल्य उत्पन्न करते हैं। ये न केवल स्वच्छ वायु और जल प्रदान करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा हैं।

साझा संसाधन के प्रबंधन में चुनौतियाँ:

- कॉमन रिसोर्सेज का प्रबंधन कई चुनौतियों का सामना करता है, जैसे अत्यधिक उपयोग, संसाधनों की कमी, और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। स्थानीय समुदायों में संसाधनों की जिम्मेदारी निभाने की क्षमता सीमित हो सकती है, जिससे संसाधनों का नुकसान हो सकता है।

कॉमन रिसोर्सेज (साझा संसाधनों) के संरक्षण हेतु उपाय:

- **स्मार्ट सेंसर और इन्टरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग:** इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का उपयोग कर स्मार्ट सेंसर लगाए जा सकते हैं, जो जल, मिट्टी और वन्यजीवों की स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी कर सकते हैं। इससे संसाधनों के उपयोग और उनके संरक्षण पर डेटा उपलब्ध होगा, जिससे समय पर निर्णय लिए जा सकेंगे।
- **स्मार्ट कृषि तकनीक:** कृषि में स्मार्ट तकनीकों का उपयोग, जैसे ड्रिप इरिगेशन, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, और पर्यावरणीय डेटा विश्लेषण। इससे जल और भूमि के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, जो स्थानीय समुदायों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा।
- **क्राउडफंडिंग और सामुदायिक निवेश:** संसाधनों के संरक्षण के लिए सामुदायिक निवेश और क्राउडफंडिंग का उपयोग किया जा सकता है, जहां लोग छोटे योगदान के माध्यम से परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकते हैं। यह समुदाय को साथी निवेश करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें अपने संसाधनों के संरक्षण में अधिक रुचि होगी।

समुदाय की भूमिका:

- स्थानीय समुदायों का नेतृत्व कॉमन रिसोर्सेज के प्रबंधन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समुदाय के लोग अपने संसाधनों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और स्थानीय प्रथाओं को लागू कर सकते हैं। इसके अलावा, सामूहिक जिम्मेदारी और स्थानीय समाधान के माध्यम से वे साझा संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

आगे की राह:

स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना और उन्हें समर्थन प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिए, प्रभावी योजनाएँ जैसे मनरेगा और वृक्षारोपण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। 2006 का वन अधिकार अधिनियम (FRA) भी एक मॉडल के रूप में कार्य करता है, जिससे वनवासियों को अपने संसाधनों के संरक्षण में अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार, साझा संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन न केवल पर्यावरण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह ग्रामीण समुदायों के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली का यह आयोजन एक सकारात्मक कदम है, जो सामुदायिक सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक है।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर कर इसकी पुष्टि की। इस समझौते के तहत, भारत ने औपचारिक रूप से IBCA में अपनी सदस्यता को सुनिश्चित करते हुए वन्यजीव संरक्षण में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को सुदृढ़ किया है।

मुख्य बिंदु:

- अप्रैल 2023 में, प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की शुरुआत की।
- IBCA एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों और उनके आवासों के भविष्य को सुरक्षित करना है। इस विचार को पहली बार 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था और अब यह एक औपचारिक संस्था के रूप में विकसित हो गया है।
- भारत ने इस पहल की शुरुआत की थी, लेकिन पेरिस समझौते, जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) और शांघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में अपनी भागीदारी के अनुरूप, इसे अपने रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसकी पुष्टि करने की आवश्यकता थी।
- अब तक, चार देश-भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया-आईबीसीए के सदस्य बन चुके हैं, जबकि 16 अन्य देशों ने इसमें शामिल होने के लिए लिखित सहमति व्यक्त की है।

आईबीसीए की संरचना और उद्देश्य:

- भारत का केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) IBCA की स्थापना और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसे एक बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में देखा जाता है, जिसमें 96 बड़े बिल्ली रेंज वाले देश और गैर-रेंज वाले देश शामिल हैं। इसमें संरक्षण साझेदार और वैज्ञानिक संगठन भी शामिल हैं, जो संरक्षण में रुचि रखते हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी बिल्लियों की सात प्रजातियों - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता - की रक्षा और संरक्षण करना है। इनमें से पाँच प्रजातियाँ (बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता) भारत में पाई जाती हैं।

संगठनात्मक संरचना:

- IBCA में शामिल होंगे:
 - » सदस्यों की एक सभा,
 - » एक स्थायी समिति,
 - » एक सचिवालय, जो भारत में स्थित होगा।
- गठबंधन का संगठनात्मक ढांचा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के अनुरूप है। पहल का नेतृत्व करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा नियुक्त एक महानिदेशक (DG) होगा।

निष्कर्ष:

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की स्थापना के माध्यम से, भारत वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों और उनके पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए एक सशक्त मंच तैयार कर रहा है। यह पहल सदस्य देशों, वैज्ञानिक समुदायों, और संरक्षण संगठनों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करेगी, ताकि आवासीय क्षरण, अवैध शिकार, और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी बड़ी बिल्लियों के अस्तित्व के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की भाँति, IBCA भी वैश्विक वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रभावी मंच बनने की क्षमता रखता है। इस पहल के माध्यम से भारत न केवल बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है, बल्कि वैश्विक पर्यावरणीय पहलों में भी नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

एक सींग वाले गैंडे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन ने '2024 स्टेट ऑफ राइनो' रिपोर्ट जारी की, जो विश्व स्तर पर गैंडों की प्रजातियों के सामने आने वाली विशिष्ट संरक्षण चुनौतियों को उजागर करती है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि अफ्रीका से लेकर एशिया तक, पर्यावरणीय, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कारक इन जानवरों की सुरक्षा प्रयासों को प्रभावित करते हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

- स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट दुनिया भर में गैंडों के संरक्षण पर कई महत्वपूर्ण अपडेट प्रस्तुत करती है:
 - 2022 से 2023 तक अफ्रीका में अवैध शिकार में 4% की वृद्धि हुई, 2023 में कम से कम 586 अफ्रीकी गैंडों का अवैध शिकार किया गया, जो हर 15 घंटे में एक के बराबर है।
 - दक्षिण अफ्रीका में नामीविया और हुलुलुवे आईएमफोलोजी पार्क में भारी अवैध शिकार के कारण काले गैंडों की आबादी में मामूली गिरावट आई, हालांकि कुछ आबादी अभी भी बढ़ रही है।
 - चल रहे अवैध शिकार के बावजूद, दक्षिण अफ्रीका में सफेद गैंडों की आबादी बढ़ रही है।
 - सितंबर और नवंबर 2023 में वे कंबास नेशनल पार्क में दो सुमात्रा गैंडे के बच्चे पैदा हुए, जिससे सबसे अधिक खतरे में पड़ी गैंडों की प्रजातियों में से एक के लिए उम्मीद जगी है।
 - इंडोनेशियाई अधिकारियों ने जावन गैंडों के अवैध शिकार के खिलाफ प्रयास तेज कर दिए हैं। उजंग कुलोन नेशनल पार्क में 2019 और 2023 के बीच 26 गैंडों के शिकार के लिए जिम्मेदार समूहों पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

वर्तमान गैंडे की आबादी और प्रजाति:

- वैशिक गैंडों की आबादी अब सभी पाँच प्रजातियों में 28,000 से कम है:
 - » सफेद गैंडा (अफ्रीका)
 - » काला गैंडा (अफ्रीका)
 - » बड़ा एक सींग वाला गैंडा (एशिया, मुख्य रूप से भारत और नेपाल)
 - » जावन गैंडा (इंडोनेशिया)
 - » सुमात्रा गैंडा (इंडोनेशिया)
- प्रत्येक प्रजाति को अवैध शिकार से लेकर आवास की हानि और जलवायु परिवर्तन तक के अनूठे खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए प्रभावी संरक्षण के लिए रणनीतियों के संयोजन की आवश्यकता होती है।



ग्रेटर वन-हॉर्नेड राइनो और मौजूदा चुनौतियाँ:

- ग्रेटर वन-हॉर्नेड राइनो (राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस) मुख्य रूप से भारत और नेपाल में पाया जाता है, कभी-कभी भूटान में भी देखा जाता है। भारत और नेपाल के बीच मजबूत सरकारी संरक्षण और सहयोग के कारण, उनकी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- एक सदी पहले, ग्रेटर वन-हॉर्नेड राइनो की संख्या 100 से भी कम थी, लेकिन आज, उनकी संख्या बढ़कर 4,014 हो गई है, जो पिछले दशक की तुलना में 20% की वृद्धि है।
- भारत में, 2021 के अंत तक जनसंख्या 3,262 तक पहुँच गई। इस प्रगति के बावजूद, प्रजाति को अभी भी IUCN द्वारा कमज़ोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- अवैध शिकार एक गंभीर खतरा बना हुआ है, और आक्रामक पौधे देशी खाद्य स्रोतों की उपलब्धता को कम कर रहे हैं, जिससे उनके आवास सिकुड़ रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन एक और जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से मजबूत मानसून के मौसम के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनके आवास बाधित होते हैं।

निष्कर्ष:

रिपोर्ट गैंडों के संरक्षण प्रयासों में सर्वानुभव, नवाचार और सहयोग की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है। जबकि अवैध शिकार या आवास विनाश जैसी बाधाएँ बनी रहती हैं, ग्रेटर वन-हॉर्नेड गैंडे की

स्थिर वृद्धि और सुमात्रा के बछड़ों के जन्म जैसी सफलताएँ दर्शाती हैं कि प्रगति संभव है। दुनिया भर में गैंडों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव प्रयास के निरंतर संयोजन की आवश्यकता है। अवैध शिकार विरोधी रणनीतियों से लेकर आवास बहाली तक, भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन शानदार जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

वन्यजीव पर्यावास विकास योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के 100-दिवसीय लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो हजार छह सौ करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यवहार के साथ वन्यजीव पर्यावास विकास योजना को जारी रखने को मंजूरी दी थी।

वन्यजीव पर्यावास विकास योजना के बारे में:

- इस योजना का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पूरे भारत में वन्यजीव पर्यावासों के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ाना है। इनमें शामिल हैं:
 - » पर्यावास बहाली
 - » संरक्षण प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी
 - » मानव-वन्यजीव संघर्षों को संबोधित करना
- इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ाना है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट और वन्यजीव पर्यावास के विकास जैसे महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह सरकार की 100-दिवसीय कार्य योजना में प्राथमिकता थी। यह योजना मौजूदा और आगामी वित्तीय वर्षों में उन्नत तकनीकी हस्तक्षेपों को एकीकृत करते हुए मौजूदा मुख्य तत्वों को मजबूत करने के लिए तैयार है, विशेषकर बाघ और वन्यजीव पर्यावासों में।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- **संरक्षित क्षेत्रों को सहायता:** इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं।
- **संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों की सुरक्षा:** नामित संरक्षित क्षेत्रों से परे क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों का विस्तार करना।
- **पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम:** गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

योजना के घटक:

प्रोजेक्ट टाइगर:

- **तकनीकी प्रगति:** डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरचित, दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए M-STRIPES (बाघों, गहन

संरक्षण और पारिस्थितिकी स्थिति के लिए निगरानी प्रणाली) मोबाइल ऐप का उपयोग।

- **अखिल भारतीय बाघ अनुमान (2022):** प्रजातियों की पहचान के लिए कैमरा ट्रैप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया गया।
- **संरक्षण आनुवंशिकी:** कम घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघों की संख्या निर्धारित करने और उनके खाद्य पारिस्थितिकी को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। आनुवंशिक संरचना के आधार पर बाघों के स्थानांतरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई हैं।
- **प्रोजेक्ट चीता:** चीता कार्य योजना के अनुसार चीता क्षेत्रों का विस्तार, उन्नत रेडियो टेलीमेट्री प्रोटोकॉल का उपयोग करके बेहतर निगरानी के साथ।

वन्यजीव आवास का विकास:

- **प्रोजेक्ट डॉल्फिन:** डॉल्फिन की गणना और आवास निगरानी के लिए दूर से संचालित वाहनों (आरओवी) और निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी उपकरणों जैसे उन्नत उपकरणों के माध्यम से समर्थित।
- **प्रोजेक्ट लायन:** विजन दस्तावेज 'लायन@2047': अमृत काल के लिए एक 'विजन' के अनुसार इसे मजबूत किया जाना है।
- **मानव-हाथी संबंध:** संघर्षों को बढ़े पैमाने पर संबोधित करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) हस्तक्षेप की योजना बनाई गई है।

संरक्षित क्षेत्र और कीस्टोन प्रजातियाँ:

- 55 बाघ अभ्यारण्य, 33 हाथी अभ्यारण्य और 718 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।
- इन क्षेत्रों में बन जलवायु परिवर्तन को कम करने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- बाघ, हाथी, चीता, हिम तेंदुए और शेर जैसी प्रमुख प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करें, जो पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक के रूप में काम करते हैं।
- **प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत पहचानी गई कम ज्ञात प्रजातियाँ आवास संरक्षण प्रयासों से लाभान्वित होंगी।
- **आजीविका पर प्रभाव:** इस योजना से 50 लाख से अधिक मानव-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार सुनिश्चित होने का अनुमान है, साथ ही पारिस्थितिकी पर्यटन और संबंधित गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त अप्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित होंगी।

निष्कर्ष:

यह योजना भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक व्यापक, प्रौद्योगिकी-संचालित द्रष्टिकोण की कल्पना करती है, जो महत्वपूर्ण आवासों और प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और साथ ही पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से स्थायी आजीविका को बढ़ावा देती है।

इंटीग्रेटेड ओशन एनजी एटलस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवाएँ (INCOIS) ने एक नया इंटीग्रेटेड ओशन एनजी एटलस विकसित किया है, जोकि भारत के तटीय क्षेत्रों में नीली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावनाओं को मानचित्रित करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- **ऊर्जा उत्पादन की क्षमता:** भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में लगभग 9.2 लाख टेरावाट घंटे (TWh) ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है, जोकि ज्वारीय लहरों, धाराओं और अन्य नीली नवीकरणीय स्रोतों से हासिल की जा सकती है।
- **एटलस की विशेषताएँ:** यह एटलस 5 किमी X 5 किमी की पहुंच के साथ तटीय स्थलों का मानचित्रण करता है, जोकि 220 किमी तक फैला है। भारत की 7,000 किमी लंबी तटीय रेखा ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यापक संभावनाएँ प्रदान करती है।
- **उर्जा स्रोतों का आकलन:** शोधकर्ताओं ने पिछले 20-30 वर्षों के मौसम मॉडल, स्थानीय और उपग्रह डेटा का उपयोग करके संभावित ऊर्जा उत्पादन का आकलन किया है। एटलस में प्रत्येक स्रोत से दैनिक, मासिक और वार्षिक ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

प्रभाव:

- **नीली अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रगति:** अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर, पवन और ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, यह नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आधार प्रदान करेगा, जिससे स्थायी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- **उद्योगों के लिए उपयोगिता:** यह एटलस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों के लिए योजना निर्माण और निर्णय लेने में सहायक होगा।
- **नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शन:** इस एटलस में प्रदान की गई जानकारी नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को ऊर्जा उत्पादन के अनुमान लगाने में मदद करेगी। यह देश की नीली ऊर्जा संसाधनों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

निष्कर्ष:

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवाएँ (INCOIS) द्वारा विकसित किया गया इंटीग्रेटेड ओशन एनजी एटलस भारत की नीली ऊर्जा संभावनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह एटलस ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि होगी, जिससे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी



सेमीकंडक्टर, जिन्हें अक्सर 'नया तेल' कहा जाता है, लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज के तकनीकी युग में, देश विनिर्माण और आपूर्ति में मजबूत पैर जमाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इससे सेमीकंडक्टर उद्योग और उसमें भारत की स्थिति को समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में अवसरों का पता लगाने के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की, जिसके बाद भारत ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर परिस्थितिकी तंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, 'सेमीकॉन इंडिया 2024' 11 से 13 सितंबर, 2024 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य भी अमेरिका और चीन के बीच चल रहे चंचिप युद्ध से गहराई से प्रभावित हुआ है, जिसने दुनिया भर में भू-राजनीति को प्रभावित किया है।

सेमीकंडक्टर और उनके महत्व के बारे में:

- सेमीकंडक्टर एक ऐसी सामग्री है जिसमें विशेष विद्युत गुण होते हैं जोकि इसे कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक बनाते हैं। यह आमतौर पर एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक होता है जो कुछ स्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने की यह क्षमता सेमीकंडक्टर को रोजमर्मा के उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट को प्रबंधित करने के लिए एक आदर्श माध्यम बनाती है।


- तकनीकी पहलू में, सेमीकंडक्टर को अक्सर एकीकृत सर्किट या 'चिप्स' के रूप में भी जाना जाता है। वे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बने होते हैं जिनमें ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, प्रतिरोधक और उनके कई कनेक्शन शामिल होते हैं। ये चिप्स मुख्य रूप से सिलिकॉन से बने होते हैं और इनमें लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं जो छोटे स्विच के रूप में कार्य करते हैं, जो छवियों, रेडियो तरंगों और ध्वनियों जैसे डेटा को संसाधित करने के लिए चालू और बंद होते हैं।

- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण हैं, जो संचार, कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य सेवा, सैन्य प्रणाली, परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में प्रगति को शक्ति प्रदान करते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद, वे डिजाइन और निर्माण के लिए जटिल हैं, जो उपकरणों को डेटा को संसाधित करने, संग्रहीत करने और संचारित करने के लिए आवश्यक आवश्यक कार्य प्रदान करते हैं।

भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम:

- कोविड-19 महामारी के दौरान आपूर्ति में व्यवधान और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों के कारण, भारत के अपने स्वयं के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के प्रयास को तेज कर दिया है। वैश्विक चिप उद्योग पर कुछ ही देशों का दबदबा है और भारत इस उच्च तकनीक और महंगे क्षेत्र में देर

से प्रवेश करने वाला देश है। सेमीकंडक्टर उद्योग के आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्व को पहचानते हुए, भारत सरकार ने इस क्षेत्र की कमियों को दूर करने और घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। फरवरी में कैबिनेट ने करीब 1.26 लाख करोड़ रुपये की सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। उसी महीने सरकार ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए टाटा समूह और ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन (PSMC) के बीच साझेदारी की घोषणा की थी।



- सरकार की प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक चार असेंबली इकाइयों सहित पांच सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है। भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है, जिसे 422 गीगावॉट की मजबूत बिजली स्थापित क्षमता का समर्थन प्राप्त है, जो इसे वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बनाता है। गैर-जीवाशम ईंधन स्रोत 179 गीगावाट (43%) का योगदान करते हैं, तथा 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 500 गीगावाट का लक्ष्य है। देश में लगभग 10 मिलियन का विशाल STEM प्रतिभा पूल है, जिसमें 2026 तक 85,000 से अधिक पेशेवरों के सेमीकंडक्टर में विशेषज्ञता हासिल करने की उम्मीद है। 28.2 वर्ष की मध्य आयु के साथ, भारत में 2047 तक सबसे बड़ी कार्यशील आबादी होगी। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के 2026 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 2030 तक 110 बिलियन डॉलर का सेमीकंडक्टर बाजार अवसर है।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन:

- 2021 में शुरू किया गया भारत सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार द्वारा घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रणनीतिक पहल है। इसके उद्देश्यों में सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना और रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल है। यह मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और अन्य संबंधित सरकारी निकायों के तहत संचालित होता है।
- सेमीकॉन्डक्टर इंडिया कार्यक्रम सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले निर्माण और

डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों का समर्थन करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे स्थापित सेमीकंडक्टर उद्योगों वाले देशों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के साथ प्रतिस्पर्धी बने रहने और उन्नत तकनीकों वाली सीमित संख्या में कंपनियों को संबोधित करने के लिए अपडेट किया गया है। सेमीकॉन्डक्टर इंडिया कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित चार योजनाएं शुरू की गई हैं:

- भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए योजना।
- भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए योजना।
- भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर / सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) / ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना।
- सेमीकॉन्डक्टर इंडिया फ्यूचर डिजाइन: डिजाइन लिंक्ड इंसेटिव (डीएलआई) योजना।

सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब:

- भारत में सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब की स्थापना की योजना उन आवेदकों को परियोजना लागत का 50% तक का वित्तीय समर्थन प्रदान करेगी, जो पात्र पाए जाते हैं और जिनके पास ऐसी अत्यधिक पूँजी गहन और संसाधन प्रोत्साहन परियोजनाओं को निष्पादित करने की तकनीक और क्षमता है। भारत सरकार देश में कम से कम दो ग्रीनफाइल्ड सेमीकंडक्टर फैब और दो डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए आवेदनों को मंजूरी देने हेतु भूमि, सेमीकंडक्टर ग्रेड पानी, उच्च गुणवत्ता वाली बिजली, लॉजिस्टिक्स और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में अपेक्षित बुनियादी ढांचे के साथ हाई-टेक कनस्टर स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।
- सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल):** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) के आधुनिकीकरण और व्यावसायीकरण के लिए अपेक्षित कदम उठाएगा। मीटीई ब्राउनफाइल्ड फैब सुविधा के अधुनिकीकरण के लिए एक वाणिज्यिक फैब साझेदार के साथ एससीएल के संयुक्त उद्यम की संभावना तलाशेगा।
- कंपाउंड सेमीकंडक्टर / सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेंसर (एम्फाइएस सहित) फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी / ओएसएटी इकाइयां:** इस योजना के तहत सरकारी सहायता से कंपाउंड सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की कम से कम 15 एसी इकाइयां स्थापित होने की उम्मीद है।

सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियां:

- डिजाइन लिंक्ड इंसेटिव (DLI) योजना, पात्र व्यय के 50% तक उत्पाद डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन और पाँच वर्षों के लिए शुद्ध

बिक्री पर 6%- 4% उत्पाद परिनियोजन से जुड़े प्रोत्साहन का विस्तार करेगी।


- यह योजना एकीकृत सर्किट (ICs), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (SoCs), सिस्टम और IP कोर तथा सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के लिए, सेमीकंडक्टर डिजाइन की 100 घरेलू कंपनियों को सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, यह योजना कम से कम 20 ऐसी कंपनियों के विकास को भी बढ़ावा देगी, जो आने वाले पाँच वर्षों में 1500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हासिल कर सकती हैं।

भारत के सेमीकंडक्टर लक्ष्यों के लिए चुनौतियाँ:

- प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच:** वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार पर कुछ ही देशों और कंपनियों का नियंत्रण है। चिप्स के लिए वैश्विक फाउंड्री बेस के लगभग 80% पर ताइवान और दक्षिण कोरिया का दबदबा है, जबकि केवल एक कंपनी, नीदरलैंड स्थित ASML, उन्नत चिप्स के लिए आवश्यक EUV (एक्सट्रीम अल्ट्रावॉल्यूट) लिथोग्राफी डिवाइस बनाती है। इससे उच्च प्रवेश बाधाओं के साथ लगभग बंद विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनता है।
- पूँजी तीव्रता:** सेमीकंडक्टर उद्योग को पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। सेमीकंडक्टर उद्योग संघ के अनुसार, इसमें अनुसंधान और विकास (वार्षिक सेमीकंडक्टर बिक्री का 22%) और पूँजी निवेश (26%) दोनों पर उच्च व्यय की आवश्यकता होती है। यह सेमीकंडक्टर निर्माण को अत्यधिक पूँजी-गहन बनाता है और इसमें प्रवेश की महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं।
- जटिल विनिर्माण प्रक्रिया:** सेमीकंडक्टर विनिर्माण में 500 से 1,500 चरणों वाली एक जटिल प्रक्रिया शामिल होती है। इसके लिए सिलिकॉन वेफर्स, कमोडिटी और स्पेशलिटी कोमिकल्स जैसे विभिन्न इनपुट और स्वच्छ पानी और निर्बाध बिजली आपूर्ति जैसे आवश्यक बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है।
- कुशल प्रतिभा की कमी:** हालाँकि भारत चिप डिजाइन इंजीनियरों के लिए एक प्रमुख केंद्र है, लेकिन यह सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्रों के लिए कुशल श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि भारत को सेमीकंडक्टर केंद्र में बदलने के लिए प्रतिभा विकास में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता और निवेश की आवश्यकता होगी।
- अपर्याप्त अनुसंधान और विकास:** भारत में वर्तमान में सेमीकंडक्टर डिजाइन में पर्याप्त मूल शोध का अभाव है, जो चिप्स के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- नीति और बुनियादी ढाँचे की चिंताएँ:** प्रमुख उद्योग खिलाड़ियों को भारत की नीति स्थिरता के बारे में चिंताएँ हैं। मुद्दों में एक बोझिल प्रशासनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आयात पर उच्च टैरिफ, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और अप्रत्याशित व्यापार नीतियाँ शामिल हैं। ताइवान की कंपनियाँ विशेष रूप से चिंतित हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डमपजल) कौशल विकास प्रयासों को प्रभावी ढंग से नहीं संभाल रहा है।

इसके अलावा, व्यापार नीतियाँ अनिश्चितता को बढ़ावा देती हैं और आमतौर पर उच्च टैरिफ की ओर प्रवृत्त होती हैं।

- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** मूडीज की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप विनिर्माण सुविधाएँ गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं। बढ़ते तापमान और जलवायु के चरम परिवर्तन इन सुविधाओं की कार्यपाली में बाधाएँ उत्पन्न कर सकते और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती हैं। यह जोखिम निवेश को रोक सकता है और भारत की एक प्रमुख चिप-निर्माण केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को बाधित कर सकता है।



भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में वैश्विक भागीदारी:

- भारत का लक्ष्य आयात प्रतिस्थापन से निर्यात-आधारित विनिर्माण में संक्रमण करना है,** जिसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए चिप्स और सर्वर का उत्पादन करना है। इस संबंध में, समान विचारधारा वाले लोकतात्त्विक देशों के साथ सहयोग भारत में ऐसी तकनीक के भविष्य को आकार देगा।
- अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया और अन्य देशों के साथ भारत की भागीदारी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके लक्ष्यों को आगे बढ़ा रही है।** इस बीच, इस क्षेत्र में पहले अग्रणी रहे देशों को निर्यात नियंत्रण के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत के लिए एक अनुठा अवसर पैदा हो रहा है। यह स्थिति भारत को इन लाभकारी पारिस्थितियों के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर डिजाइन दोनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का मौका प्रदान करती है।
- भारत-अमेरिका भागीदारी:** 9 सितंबर, 2024 को, अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला अवसरों का पता लगाने के लिए भारत के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की। इसमें भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र, नियामक ढाँचे, कार्यबल और बुनियादी ढाँचे की जरूरतों का व्यापक मूल्यांकन शामिल होगा। इससे पहले, भारत और अमेरिका ने वाणिज्यिक वार्ता 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे।
- भारत-सिंगापुर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी:**

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने हाल ही में भारत-सिंगापुर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सिंगापुर, दुनिया की शीर्ष 15 सेमीकंडक्टर फर्मों में से नौ का घर है, जो सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करता है। भारत का लक्ष्य प्रतिभा विकास और ज्ञान-साझाकरण में सिंगापुर के साथ सहयोग करना और अपना स्वयं का सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्री निर्माताओं के साथ जुड़ना है।
- **भारत-यूरोपीय संघ सेमीकंडक्टर समझौता:** भारत और यूरोपीय संघ ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता विनिर्माण सुविधाओं के विकास सहित निवेश, संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी साझेदारी की सुविधा प्रदान करेगा।
 - **भारत-जापान चिप आपूर्ति शृंखला भागीदारी:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण, डिजाइन और प्रतिभा विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला साझेदारी विकसित करने के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन (MoC) को मंजूरी दी है।
 - **भारत-ताइवान सहयोग:** टाटा, ताइवान के पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन (PSMC) के साथ साझेदारी में, भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र बना रहा है। इस परियोजना पर 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत

आने की उम्मीद है।

- सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे वैश्विक मूल्य शृंखला में एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्योग 4.0 के अंतर्गत डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण के लिए आधारभूत है। भारत को इन क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चिप-निर्माण शृंखला के विभिन्न पहलुओं, जैसे डिजाइन केंद्रों, परीक्षण सुविधाओं और पैकेजिंग के लिए वित्तीय सहायता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केवल घेरेलू उत्पादन पर निर्भर रहने के बजाय, भारत को एक विश्वसनीय, बहुपक्षीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने का प्रयास करना चाहिए।
- भारत को प्रमुख वैश्विक भागीदारों के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ना होगा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस वैश्विक नेटवर्क के निर्माण और उसे बनाए रखने के लिए अनुकूल व्यापार नीतियों का कार्यान्वयन आवश्यक होगा। इससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
- भारत के लिए सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का विकास न केवल तकनीकी प्रगति के लिए आवश्यक है, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक मजबूत स्थिति स्थापित करने के लिए भी अनिवार्य है। यह प्रयास भारत की आर्थिक वृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सार्किप्पा मुद्दे

BPaLM उपचार योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मल्टी-ट्रां-रेसिस्टेंट तपेदिक (MDR-TB) के लिए नई BPALM योजना को मंजूरी दी है, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

BPALM योजना क्या है?

- BPALM योजना तपेदिक के उपचार में एक आधुनिक और प्रभावी दृष्टिकोण है, जिसमें चार दवाओं का संयोजन बेडाक्विलिन, प्रेटोमानिड, लिनेजोलिड और मोक्सिप्लोक्सासिन शामिल है।
- यह योजना पारंपरिक MDR-TB उपचारों से अधिक सुरक्षित और प्रभावी है। जहां पुराने उपचारों में 20 महीने का समय लगता था और गंभीर दुष्प्रभाव होते थे, वहां BPALM योजना के तहत केवल 6 महीने में उच्च सफलता दर हासिल की जा सकती है।

तपेदिक के बारे में:

- तपेदिक एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह माईकोबैक्टीरियम तपेदिक बैक्टीरिया के कारण होता है।
- BCG वैक्सीन तपेदिक से सुरक्षा प्रदान करती है।

दवा-प्रतिरोधी तपेदिक क्या है?

- जब टीबी बैक्टीरिया एक या अधिक एंटी-टीबी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, तो इसे दवा-प्रतिरोधी तपेदिक कहा जाता है।

दवा-प्रतिरोधी तपेदिक के प्रकार:

- **MDR-TB:** दो प्रमुख दवाओं (आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन) के प्रति प्रतिरोधी।
- **XDR-TB:** फ्लूगोक्विनोलोन और दूसरी-पक्कित की कम से कम तीन इंजेक्शन योग्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी।
- **TDR-TB:** सभी उपलब्ध टीबी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी।

भारत में तपेदिक उन्मूलन के लिए रणनीतिक दृष्टि:

- राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP): 2025 तक

तपेदिक समाप्त करने का लक्ष्य।

- **प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान:** सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 2022 में शुरू किया गया।
- **निःक्षय मित्र कार्यक्रम:** टीबी मरीजों को आवश्यक समर्थन प्रदान करता है।
- **निःक्षय 2.0 पोर्टल:** सामुदायिक भागीदारी और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सहायता प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

BPaLM योजना तपेदिक के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उपचार अवधि को कम करती है, बल्कि इसकी सफलता दर भी अधिक है। सभी पक्षों के निरंतर समर्थन से भारत 2025 तक तपेदिक मुक्त होने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

पार्किंसंस रोग में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एक शोध दल ने पार्किंसंस रोग में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका पर जांच की है, जिसमें संभावित उपचारों के लिए मुख्य प्रोटीन डायनेमिन-संबंधित प्रोटीन 1 (Drp1) को लक्षित किया गया है।

शोध की मुख्य बातें:


- शोध दल ने परिकल्पना की कि माइटोकॉन्ड्रियल गतिशीलता में हेरफेर करके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को पुनर्स्थापित करने से न्यूरोनल डिसफंक्शन और सेल डेथ को रोका जा सकता है।

डायनेमिन-संबंधित प्रोटीन 1 (Drp1):

- Drp1 माइटोकॉन्ड्रियल विभाजन को नियंत्रित करता है। जबकि यह विभाजन सेलुलर मांगों को पूरा करने में मदद करता है, अत्यधिक Drp1 गतिविधि से माइटोकॉन्ड्रिया का विखंडन और खराब हो सकता है।
- न्यूरोनल सेल कल्चर और पशु मॉडल (चूहे) का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि पार्किंसंस से जुड़े पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ और विषाक्त प्रोटीन विखंडित, निष्क्रिय माइटोकॉन्ड्रिया और विषाक्त प्रोटीन बिल्डअप का कारण बनते हैं। इन प्रक्रियाओं ने न्यूरोनल सेल डेथ में योगदान दिया।
- Drp1 की गतिविधि को कम करके, शोधकर्ताओं ने माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को बहाल किया, न्यूरोन्स को नुकसान से बचाया और उनकी कार्यक्षमता को संरक्षित किया। बिंगड़े हुए आंदोलन से जुड़े चूहों में व्यवहार परिवर्तन भी उलट गए।
- मैंगनीज का प्रभाव: हाल ही के एक अध्ययन में, शोध दल ने मैंगनीज के प्रभावों की खोज की, जो न्यूरोडीजेनेशन से

जुड़ी एक भारी धातु है और पार्किंसनिज्म के बढ़ते जोखिम से जुड़ी है।

- **कोशिकाओं पर प्रभाव:** मैंगनीज ने मुख्य रूप से कोशिका के अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रणाली को प्रभावित किया, जिससे माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन शुरू होने से पहले विषाक्त प्रोटीन का संचय हुआ।
- **Drp1 का अवरोध:** Drp1 को रोकने से कोशिका के अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रणाली को बहाल किया गया, जिससे मैंगनीज की उपस्थिति में भी विषाक्त प्रोटीन का निर्माण रोका गया।
- **FDA-स्वीकृत यौगिक:** शोधकर्ताओं ने कई FDA-स्वीकृत यौगिकों की पहचान की है जो Drp1 को लक्षित करते हैं। इन यौगिकों का वर्तमान में पार्किंसंस रोग के लिए नए उपचार के रूप में उनकी क्षमता के लिए परीक्षण किया जा रहा है।



पार्किंसंस रोग में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका:

- माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावरहाउस हैं, जो विभिन्न सेलुलर मांगों को पूरा करने के लिए लगातार आकार, संख्या और स्थान में बदलते रहते हैं। ये गतिशील परिवर्तन, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल गतिशीलता के रूप में जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन और समग्र सेल स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **बिंगड़ा हुआ माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स:** माइटोकॉन्ड्रियल प्यूजन और विभाजन में असंतुलन से कोशिका मृत्यु हो सकती है, जो पार्किंसंस सहित कई न्यूरोडीजेनेटिव बीमारियों में पाई जाने वाली विशेषता है। रोग-संबंधी कारक, जैसे कि विषाक्त प्रोटीन और पर्यावरणीय न्यूरोटोक्सिन, इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं।
- **विषाक्त प्रोटीन समुच्चय:** बिंगड़ा हुआ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन सेल के अपशिष्ट पुनर्चक्रण में बाधा डालता है, जिससे विषाक्त प्रोटीन का निर्माण होता है। ये हानिकारक समुच्चय पार्किंसंस रोग की पहचान हैं।

पार्किंसंस रोग के बारे में:

- ब्रिटिश चिकित्सक जेम्स पार्किंसन ने शेकिंग पाल्सी पर एक निबंध प्रकाशित किया, जो पार्किंसंस रोग (पीडी) का पहला

विवरण था।

- पार्किंसंस रोग अमेरिका में दूसरा सबसे आम न्यूरोडीजेनरेटिव रोग है, जो लगभग 1 मिलियन अमेरिकियों और वैश्विक स्तर पर 10 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है।
- पार्किंसंस रोगियों में होने वाले विशिष्ट कंपन मस्तिष्क की कोशिकाओं की मृत्यु के परिणामस्वरूप होते हैं जो गति को नियन्त्रित करते हैं। आज तक, ऐसा कोई उपचार नहीं है जो इन कोशिकाओं की मृत्यु को रोक सके या धीमा कर सके।

निष्कर्षः

शोध पार्किंसंस रोग में माइटोकॉन्ड्रियल गतिशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है और उपचार विकसित करने के लिए Drp1 को एक आशाजनक लक्ष्य के रूप में उजागर करता है, जो चल रहे अध्ययन Drp1 गतिविधि को बाधित करने के तरीकों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF) को कई सहायक पहलों के साथ अधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। इसमें विश्वसिया-ब्लॉकचेन तकनीकी स्टैक, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लाइट (NBFLite), प्रामाणिक, और राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल शामिल हैं।

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF) के बारे में:

- NBF एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल गवर्नेंस को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। इसका उद्देश्य सरकारी संचालन में विभिन्न ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करना है।

NBF से संबंधित प्रमुख पहलें:

- **विश्वसिया-ब्लॉकचेन तकनीकी स्टैक:** यह स्टैक ब्लॉकचेन-ए-ए-सर्विस (BaaS) के रूप में अवसंरचना प्रदान करेगा, जो विभिन्न ब्लॉकचेन-आधारित अनुप्रयोगों का समर्थन करेगा।
- **राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लाइट:** यह सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है, जोकि स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के लिए ब्लॉकचेन तकनीक में त्वरित प्रोटोटाइपिंग, अनुसंधान और कौशल विकास की अनुमति देता है।
- **प्रामाणिक:** यह अभिनव समाधान मोबाइल एप की उत्पत्ति को सत्यापित करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करता है।
- **राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल:** यह पोर्टल विभिन्न ब्लॉकचेन संसाधनों तक पहुंच और एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है।

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के लाभः

- **सुरक्षा और पारदर्शिता में वृद्धि:** NBF नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुरक्षा, विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाता है, जो भारत सरकार के विश्वसनीय डिजिटल सेवा वितरण के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- **ब्लॉकचेन के साथ शासन में परिवर्तनः** फ्रेमवर्क विभिन्न राज्यों और विभागों में NBF अनुप्रयोगों के विस्तार को बढ़ावा दे रहा है।
- **अनुसंधान और विकास की चुनौतियों का समाधानः** यह फ्रेमवर्क कई प्रमुख चुनौतियों को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों के विकास के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता और सुरक्षा, अंतःक्रियाशीलता, तथा प्रदर्शन से संबंधित अनुसंधान चुनौतियाँ।

BaaS क्या है?

- BaaS का मतलब तीसरे पक्ष की क्लाउड-आधारित अवसंरचना और प्रबंधन सेवा है, जो कंपनियों को बिना आधारभूत ब्लॉकचेन अवसंरचना विकसित किए ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों का निर्माण, तैनाती और प्रबंधन करने की अनुमति देती है।

BaaS के लाभः

- **कार्य को सरल बनाना:** कंपनियाँ बिना जटिल अवसंरचना प्रबंधन के तेजी से ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों का निर्माण और तैनात कर सकती हैं।
- **लागत बचतः** BaaS सुरक्षित और पारदर्शी नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ सेवाओं में सुधार करते हुए, ब्लॉकचेन के कुशल और लागत-कुशल उपयोग की अनुमति देता है।
- **संचालनात्मक लचीलापन और स्केलेबिलिटीः** ठें सुनिश्चित करता है कि ब्लॉकचेन अवसंरचना लचीली और स्केलेबल बनी रहे, ताकि बदलती अनुप्रयोग आवश्यकताओं और उपयोगकर्ता मांगों को पूरा किया जा सके।

BaaS के उपयोगः

- सप्लाई चेन प्रबंधन
- पहचान सत्यापन
- स्मार्ट अनुबंध
- विकेंद्रीकृत वित्त (क्रमथ)
- स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधन
- मतदान प्रणाली

निष्कर्षः

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क और इसके संबंधित घटकों का लॉन्च भारत के डिजिटल शासन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो देश को ब्लॉकचेन नवाचार के अग्रदूत के रूप में स्थापित करता है। जैसे-जैसे इस फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन होगा, यह सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाएगा।

समुद्रयान मिशन: भारत की नई पहल मत्स्य-6000 के परीक्षण की तैयारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने गहरे समुद्र में अनुसंधान की क्षमताओं को और बढ़ाने के उद्देश्य से स्वदेशी रूप से विकसित मानव पनडुब्बी मत्स्य-6000 का वेट टेस्ट परीक्षण करने की योजना बनाई है। यह परीक्षण अक्टूबर 2024 में वास्तविक पानी के नीचे की स्थितियों में किया जाएगा।

वेट टेस्ट के बारे में:

- वेट टेस्ट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य पनडुब्बी के प्रदर्शन और सुरक्षा का परीक्षण वास्तविक पानी के नीचे की स्थितियों में करना होता है। इस टेस्ट के दौरान पनडुब्बी की संरचना, कार्यप्रणाली और विभिन्न तकनीकी सिस्टम की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है।
- वेट टेस्ट में पनडुब्बी के दबाव सहन करने की क्षमता की जांच की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि पनडुब्बी गहरे समुद्र के उच्च दबाव में सुरक्षित रूप से कार्य कर सकेगी या नहीं।
- इसके अलावा, इस टेस्ट में पनडुब्बी की प्रणोदन प्रणाली की दक्षता का परीक्षण किया जाता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि पनडुब्बी विभिन्न गहराइयों पर सही तरीके से संचालित हो सकेगी या नहीं।
- वेट टेस्ट के दौरान पनडुब्बी के जीवन रक्षक प्रणालियों का भी परीक्षण किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड निकासी, और तापमान नियंत्रण।

वेट टेस्ट का महत्व:

- सफल वेट टेस्ट यह सुनिश्चित करेगा कि मत्स्य-6000 सभी आवश्यक मानकों पर खारे उत्तरी है और गहरे समुद्र के मिशनों के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह परीक्षण भारत की गहरे समुद्र में अनुसंधान क्षमताओं को एक नई दिशा देगा और वैश्विक समुद्री अनुसंधान में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। वेट टेस्ट से प्राप्त डेटा भविष्य के समुद्रयान मिशनों और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

मत्स्य-6000 के बारे में:

- मत्स्य-6000 का नाम हिंदू भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के नाम पर रखा गया है। यह पनडुब्बी 6,000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है, जिससे वैज्ञानिक पृथक्की के महासागरों के उन क्षेत्रों का पता लगा सकेंगे जो अभी तक अज्ञात हैं।
- इस पनडुब्बी में अत्याधुनिक तकनीक का समावेश किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
 - » उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम

- » नेविगेशन उपकरण
- » सैम्पल लेने के लिए रोबोटिक आर्म्स
- » हाई-रेजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम

INDIA'S DEEP-SEA DIVE

SAMUDRAYAAN

India's 1st manned ocean mission



A self-propelled manned
submersible **MATSYA 6000**
being developed

Endurance of **12 hours**
under *normal operation*
and **96 hours** in case of
emergency



समुद्रयान मिशन के बारे में:

- समुद्रयान मिशन की शुरुआत 2021 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य तीन वैज्ञानिकों को मत्स्य-6000 पनडुब्बी के माध्यम से हिंद महासागर के समुद्र तल के 6,000 मीटर की गहराई तक भेजना है। यह पनडुब्बी 12 घंटे तक काम करने में सक्षम होगी और आपातकालीन स्थिति में इसकी कार्यशीलता 96 घंटे तक बढ़ाई जा सकेगी।
- यह पनडुब्बी वैज्ञानिकों को निम्नलिखित कार्यों में मदद करेगी:
 - » गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन
 - » पानी के नीचे के खनिज संसाधनों की खोज
 - » समुद्री परिवर्तनों की निगरानी

निष्कर्ष:

मत्स्य-6000 का वेट टेस्ट न केवल इसकी तकनीकी क्षमता को सिद्ध करेगा, बल्कि भारत के समुद्री विज्ञान में एक नया अध्याय भी खोलेगा। यह परीक्षण भारतीय वैज्ञानिकों को समुद्र के अन्वेषण में और अधिक सशक्त बनाएगा, जिससे वे समुद्री पारिस्थितिकी और संसाधनों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

बायो-राइड

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के तहत दो अम्बेला योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिन्हें अब 'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड)' नामक एक योजना में

विलय कर दिया गया है।

बायो-राइड योजना के बारे में:

- बायो-राइड योजना को नवाचार को बढ़ावा देने, जैव-उद्यमिता का समर्थन करने और जैव विनिर्माण तथा जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नई योजना में बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री पर केंद्रित एक अतिरिक्त घटक शामिल है।
- इसका उद्देश्य अनुसंधान में तेजी लाना, उत्पाद विकास में सुधार करना और अकादमिक अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोगों से जोड़ना है। यह योजना स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा जैसी राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जैव-नवाचार की क्षमता का दोहन करने के भारत सरकार के मिशन का हिस्सा है।
- इस योजना के तीन व्यापक घटक हैं:
 - » जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास (आरएंडडी)
 - » औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास (आई एंड ईडी)
 - » बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री

बायो-राइड योजना के कार्य:

- बायो-उद्यमिता को बढ़ावा देना: यह बायो-उद्यमितों के लिए सीड फॉडिंग, इनक्यूबेशन और मेंटरशिप प्रदान करके स्टार्टअप्स का समर्थन करेगी।
- एडवांस इनोवेशन: सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोफार्मास्युटिकल्स, बायोएनर्जी और बायोप्लास्टिक्स में अनुसंधान के लिए अनुदान और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
- उद्योग-अकादमिक सहयोग को सुविधाजनक बनाना: यह योजना जैव-आधारित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को तेजी से बाजार में लाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान निकायों और उद्योग के बीच साझेदारी को बढ़ावा देगी।
- संधारणीय बायोमैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना: यह योजना भारत के हरित लक्ष्यों के अनुरूप पर्यावरण के अनुकूल बायोमैन्युफैक्चरिंग प्रथाओं पर जोर देगी।
- बाह्य निधि के माध्यम से शोधकर्ताओं का समर्थन करना: बायो-राइड कृषि, स्वास्थ्य सेवा, बायोएनर्जी और संधारणीयता जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को निधि देगा।
- मानव संसाधन का पोषण: यह योजना जैव प्रौद्योगिकी में कुशल छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को विकसित करने में मदद करेगी, जिससे नई तकनीकी प्रगति को अपनाने की उनकी क्षमता का निर्माण होगा।

निष्कर्ष:

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) भारत को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्योग में अग्रणी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसका लक्ष्य 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण में योगदान देगा। बायो-राइड योजना भारत को जैव

प्रौद्योगिकी और जैव विनिर्माण में अग्रणी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से हो रही एक तिहाई मौतें

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लैंसेट द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में सेप्सिस से होने वाली मौतों का एक तिहाई हिस्सा एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) से संबंधित है। इस अध्ययन के अनुसार, 2019 में भारत में 29.9 लाख सेप्सिस मौतों में से लगभग 10.4 लाख (33.4%) एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के कारण हुई थीं।

सेप्सिस के बारे में:

- सेप्सिस एक गंभीर स्थिति है, जो तब उत्पन्न होती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम बैक्टीरियल संक्रमण के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है। यदि इसका समय पर उपचार नहीं किया जाए, तो यह अंगों की विफलता का कारण बन सकता है।
- सेप्सिस का कारण आमतौर पर बैक्टीरियल संक्रमण होता है, लेकिन यह वायरस, फंगी या परजीवियों के संक्रमण के परिणामस्वरूप भी हो सकता है। सामान्य संक्रमण जो सेप्सिस का कारण बन सकते हैं:
 - » फेफड़ों का संक्रमण (निमोनिया)
 - » मूत्र मार्ग का संक्रमण
 - » त्वचा का संक्रमण
 - » गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण

भारत में सेप्सिस से होने वाली मौतें:

- भारत में सेप्सिस से होने वाली मौतों में से 27% निम्न श्वसन संक्रमणों के कारण होती हैं। विशेष रूप से, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्ट्रिपोकोकस न्यूमोनी सबसे घातक बैक्टीरियल संक्रमण है।

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) के बारे में:

- एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध तब होता है जब सूक्ष्मजीव (जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और परजीवी) एंटीमाइक्रोबियल दवाओं (जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमलेरियल और एंथेल्मिटिक्स) के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप, दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं और संक्रमण शरीर में बने रहते हैं, जिससे दूसरों में फैलने का जोखिम बढ़ता है।

कारण:

- एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध का मुख्य कारण एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक और गलत उपयोग है। इसके परिणामस्वरूप, बैक्टीरिया और परजीवी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिससे इलाज

के विकल्प सीमित हो जाते हैं।

- अध्ययन में यह भी बताया गया है कि भारत में सबसे सामान्य प्रतिरोधी पैथोजेन में कोलाई, क्लोबिसयेला न्यूमोनियाई और एकिनेटोबैक्टर बौमैनियाई शामिल हैं, जो संक्रमणों के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं।

सेप्सिस से होने वाली मौतें:

- लैसेट के अध्ययन के अनुसार, भारत में सेप्सिस मौतों का लगभग 27% हिस्सा निम्न श्वसन संक्रमणों से संबंधित है। 2019 में, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में सेप्सिस से हुई मौतों में से 3.25 लाख मौतें बैक्टीरियल संक्रमण के कारण हुईं।

आगे की राह

- **नैदानिक परीक्षण:** स्थानीय स्तर पर रोगाणुओं की पहचान के लिए परीक्षण सुविधाओं की कमी को दूर करना आवश्यक है।
- **सामाजिक जागरूकता:** एंटीबायोटिक्स के सही उपयोग के लिए जागरूकता बढ़ाना जरूरी है।
- **निवेश:** नए एंटीबायोटिक्स और त्वरित परीक्षण सुविधाओं में निवेश करना आवश्यक है।

भारतीय विज्ञान संस्थान ने विकसित किया मत्तिष्ठक-प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों?

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के शोधकर्ताओं ने एक नवीनतम मस्तिष्ठक-प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जोकि तेज और ऊर्जा-कुशल गणनाओं के लिए एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यह प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।

तकनीक:

- इस तकनीक का आधार मानव मस्तिष्ठक की कार्यप्रणाली है, जो डेटा को समानांतर रूप से प्रोसेस करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा डिजिटल कंप्यूटिंग की सीमाएँ हैं, और इस नई एनालॉग प्रणाली के माध्यम से अधिक जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

मस्तिष्ठक-प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की विशेषताएँ:

- **ऊर्जा दक्षता:** यह प्लेटफॉर्म पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे यह मोबाइल और अन्य ऊर्जा सीमित उपकरणों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
- **गति:** यह प्रणाली मस्तिष्ठक की तरह डेटा को समानांतर में प्रोसेस करती है, जिससे गणनाएँ त्वरित होती हैं।

- **संसाधनों की आवश्यकता:** यह प्लेटफॉर्म सीमित संसाधनों में भी कार्य करने में सक्षम है, जिससे इसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।

न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग:

- यह कंप्यूटिंग का एक नया क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्ठक की संरचना और कार्यप्रणाली का अनुकरण करना है।
- पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी लॉजिक (0 और 1) का उपयोग करते हैं, जबकि न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम न्यूरॉन्स और सिनेप्स के संचार के तरीकों को दोहराने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- ये प्रणालियाँ एनालॉग संकेतों और विभिन्न चालकता अवस्थाओं पर निर्भर करती हैं, जिससे वे जानकारी को जैविक तंत्रिका नेटवर्क के समान तरीके से संसाधित कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

मस्तिष्ठक-प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के विकास से भारतीय विज्ञान और तकनीकी नवाचार में एक नई दिशा प्राप्त होती है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह अनुसंधान एवं विकास के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नैनोजाइम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डॉ. अमित ए. वर्नेकर के नेतृत्व में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएलआरआई), चेन्नई के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए दो प्रमुख अध्ययन केमिकल साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। इन अध्ययनों में नैनोजाइम (जो एंजाइम की तरह कार्य करने वाले नैनोमटेरियल हैं) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। ये खोजें कृत्रिम एंजाइमों और कोलेजन-आधारित बायोमटेरियल्स के विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

मैंगनीज-आधारित ऑक्सीडेज नैनोजाइम (MnN):

- पहला अध्ययन बायोमेडिकल क्षेत्र में बड़ी क्षमता वाले मैंगनीज-आधारित ऑक्सीडेज नैनोजाइम पर केंद्रित है।
- यह MnN नैनोजाइम कोलेजन (एक प्रमुख संरचनात्मक प्रोटीन) को सक्रिय कर सकता है और थोड़ी सी मात्रा में टैनिक एसिड का उपयोग करके इसके टायरोसिन अवशेषों को जोड़ सकता है।
- पारंपरिक कोलेजन क्रॉसलिंकिंग तकनीकों में आमतौर पर कठोर रसायनों का उपयोग होता है, जिससे विषाक्तता या प्रोटीन का विकृतीकरण हो सकता है। इसके विपरीत, मैंगनीज-आधारित ऑक्सीडेज नैनोजाइम हल्की परिस्थितियों में काम करते हुए कोलेजन की संरचना को बनाए रखता है और एंजाइमेटिक गिरावट के प्रति अधिक प्रतिरोधी रहता है।
- **अनुप्रयोग:** यह तकनीकी प्रगति घाव भरने, ऊतक इंजीनियरिंग और अन्य चिकित्सा उपयोगों के लिए टिकाऊ और मजबूत

परम रुद्र सुपरकंप्यूटर

कोलेजन-आधारित बायोमटेरियल्स विकसित करने में सहायक हो सकती है।

- **कोलेजनेज के प्रति प्रतिरोध:** मैंगनीज-आधारित ऑक्सीडेज नैनोजाइम टैनिक एसिड और टायरोसिन के बीच एक स्थिर लिंकेज बनाता है, जो कोलेजनेज (कोलेजन को विघटित करने वाला एंजाइम) की गतिविधि को बाधित करता है। इससे कोलेजन की संरचना एंजाइमेटिक द्रृट-फूट के प्रति अधिक प्रतिरोधी और लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहती है।

धातु-कार्बनिक ढांचा अध्ययन:

- दूसरे अध्ययन में समूह ने यह पता लगाया कि जैव अणु धातु-कार्बनिक ढांचे (MOF) के भीतर एंजाइम जैसी उत्प्रेरक साइटों के साथ कैसे बातचीत करते हैं।
- **निर्यन्त्रित अंतः क्रियाएँ:** टीम MOF पॉकेट्स में एंजाइम जैसी गतिविधियों को फिर से बनाने में सक्षम रही। बायोमॉलिक्यूल अंतःक्रियाएँ उन तरीकों से निर्यन्त्रित होती हैं, जो पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं हैं।
- **निहितार्थ:** यह शोध कृत्रिम एंजाइमों की प्रभावशीलता के लिए इन अंतःक्रियाओं को नियन्त्रित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो कम साइड रिएक्शन के साथ अधिक सटीक कृत्रिम एंजाइमों के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

नैनोजाइम के बारे में:

- एंजाइम सामान्यतः प्रोटीन होते हैं जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक बनाकर चयापचय को तेज करते हैं, चाहे वह पदार्थों का निर्माण हो या उन्हें तोड़ना।
- नैनोजाइम नैनोमटेरियल-आधारित कृत्रिम एंजाइम होते हैं, जो प्राकृतिक एंजाइमों के उत्प्रेरक कार्यों की नकल कर सकते हैं। इन्हें धातुओं, धातु ऑक्साइड, कार्बन-आधारित सामग्रियों या अन्य प्रकार के नैनोमटेरियल से बनाया जा सकता है।
- नैनोजाइम कई लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि विभिन्न परिस्थितियों में उच्च गतिविधि और स्थिरता, जिसमें विभिन्न तापमान और pH स्तर शामिल हैं।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन नैनोजाइम अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो कृत्रिम एंजाइम विकास की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। नैनोजाइम रसायन विज्ञान की हमारी समझ को बढ़ाते हैं और विशेष रूप से घाव भरने और ऊतक इंजीनियरिंग जैसे जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों में सुरक्षित और अधिक प्रभावी बायोमटेरियल के लिए मार्ग खोलते हैं। कृत्रिम प्रणालियों में प्राकृतिक एंजाइमों के जटिल और विशिष्ट कार्यों की अनुकरण करना लंबे समय से एक चुनौती रही है, क्योंकि प्राकृतिक एंजाइमों की विशिष्टता, दक्षता और जैव-संगतता अच्छी होती है। ये नई नैनोजाइम तकनीकें इन बाधाओं को दूर करने के लिए आशाजनक समाधान प्रदान करती हैं, जो चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए अधिक सटीक और जैव-संगत विकल्पों की पेशकश करती हैं।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत 130 करोड़ रुपये के तीन परम रुद्र सुपरकंप्यूटरों का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

- यह सुपरकंप्यूटर पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं, जो भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देंगे।
- इन सुपरकंप्यूटरों का उपयोग पुणे में विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप (GMRT), दिल्ली में अंतर-विश्वविद्यालय त्वरण केंद्र (IUAC) और कोलकाता में एस. एन. बोस केंद्र द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM):

- राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) को 2015 में राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संस्थानों को 70 से अधिक उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं के ग्रिड से जोड़ने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था।
- यह मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएँ:

- राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) का मुख्य फोकस सुपरकंप्यूटर प्रणाली के लिए स्वदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विकास पर है, जिसमें प्रोसेसर, नेटवर्क और स्टोरेज समाधान शामिल हैं।
- इस मिशन का कार्यान्वयन C-DAC और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बैंगलोर के सहयोग से किया जा रहा है।
- इस मिशन के तहत कई सुपरकंप्यूटर विकसित किए गए हैं, जिनमें परम श्रृंखला शामिल है, जो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में स्थापित किए गए हैं।

सुपरकंप्यूटरों के बारे में:

- सुपरकंप्यूटर विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर हैं जो उच्च गति और बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों को चलाने में सक्षम होते हैं।
- ये उच्चतम परिचालन दर पर कार्य करते हैं, और इनका प्रदर्शन प्लेटफॉर्म-पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड (FLOPS) में मापा जाता है। ये मशीनें मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अन्वेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

निष्कर्ष:

भारत में हाल ही में लॉन्च किए गए परम रुद्र सुपरकंप्यूटरों के साथ,

भारत तकनीकी उन्नति के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। ये सुपरकंप्यूटर देश के युवा वैज्ञानिकों को अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान, एवं ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान में सहायता करेंगे। इस पहल के माध्यम से, भारत अनुसंधान और विकास में नई ऊँचाइयों को छूने की दिशा में बढ़ रहा है।

क्रोमोस्फीयर का अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खगोलविदों ने कोडर्डकनाल सौर वेधशाला में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने सूर्य के 100 वर्षों के दैनिक डेटा का उपयोग करके सूर्य के क्रोमोस्फीयर में भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों तक घूर्णन गति में होने वाले परिवर्तनों का मानचित्रण किया है। यह शोध 'एस्ट्रोफिजिकल जर्नल' में प्रकाशित हुआ है।

शोध के विषय में:


- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के खगोलविदों ने इस शोध के दौरान सूर्य के क्रोमोस्फीयर में प्लेज और नेटवर्क जैसी विशेषताओं का अध्ययन किया। इन विशेषताओं को सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में वर्गीकृत किया गया, और इसके आधार पर घूर्णन अवधि का विश्लेषण किया गया।
- शोधकर्ताओं ने 393.3 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य पर कैप्चर की गई छवियों का उपयोग किया, जो क्रोमोस्फीयर की विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं। इन छवियों से प्राप्त जानकारी ने शोधकर्ताओं को विभेदक घूर्णन की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की, जिससे पता चला कि प्लेज और नेटवर्क दोनों की घूर्णन दर समान है।
- यह अध्ययन पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने क्रोमोस्फेरिक नेटवर्क सेल्स का उपयोग करके सूर्य के घूर्णन को मापा है। इससे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और उसकी गतिविधियों को समझने में मदद मिलेगी।

सूर्य का विभेदक घूर्णन

- सूर्य की संरचना और घूर्णन: सूर्य एक विशाल प्लाज्मा गेंद है, जिसका अर्थ है कि यह गैसों के आयनों और इलेक्ट्रॉनों से बना है। इसकी बाहरी परत, जिसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, विभिन्न तापमानों और घनत्वों के साथ बंदी हुई है। सूर्य का घूर्णन इसे एक ठोस वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक तरल की तरह प्रभावित करता है।
- विभेदक घूर्णन की परिभाषा: विभेदक घूर्णन का अर्थ है कि सूर्य के विभिन्न भाग अपनी-अपनी अक्षांश के आधार पर विभिन्न गति से घूमते हैं। यह विशेषता सूर्य के घूर्णन के समितीय व्यवहार के विपरीत है, जैसा कि ठोस पिंडों में देखा जाता है।

भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच गति में अंतर:

- **भूमध्य रेखा:** सूर्य की भूमध्य रेखा का घूर्णन चक्र 25 दिन का होता है। इसका मतलब है कि सूर्य का मध्य भाग अधिक गतिशीलता रखता है और यहाँ के प्लाज्मा कण तेज गति से घूमते हैं।
- **ध्रुव:** इसके विपरीत, ध्रुवीय क्षेत्र को एक चक्कर पूरा करने में 35 दिन लगते हैं। यहाँ गति धीमी होती है, जिससे ध्रुवीय क्षेत्र के प्लाज्मा कण अधिक स्थिर रहते हैं।



विभेदक घूर्णन के प्रभाव:

- विभेदक घूर्णन का अध्ययन सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और सौर गतिविधियों को समझने में महत्वपूर्ण है। यह प्रभाव कई महत्वपूर्ण सौर घटनाओं को प्रभावित करता है, जैसे:
 - » **सौर तूफान:** सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में उतार-चढ़ाव और विभेदक घूर्णन के परिणामस्वरूप सौर तूफान उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी पर विद्युत प्रणाली और संचार को प्रभावित कर सकते हैं।
 - » **सौर चक्र:** सूर्य का 11-वर्षीय सौर चक्र होता है, जो विभेदक घूर्णन से प्रभावित होता है।

निष्कर्ष:

यह शोध सौर प्रणाली के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण कदम है और वैज्ञानिक समुदाय के लिए नई संभावनाओं के द्वारा खोलता है। यह न केवल सूर्य के आंतरिक कार्यों को समझने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में सौर गतिविधियों के प्रभावों का भी अनुमान लगाने में सहायता प्रदान करेगा।

रात के प्रकाश प्रदूषण से अल्जाइमर का जोखिम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिकागो के रश यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोध से के

अनुसार रात के प्रकाश प्रदूषण और अल्जाइमर रोग के बढ़ते जोखिम के बीच संभावित संबंध है। शोधकर्ताओं ने यू.एस. में प्रकाश प्रदूषण पर उपग्रह डेटा का विश्लेषण किया और अल्जाइमर के प्रसार पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मेंडिकेयर डेटा के साथ इसकी तुलना की।

शोध के विषय में:

- पिछले शोध में अल्जाइमर के लिए विभिन्न जोखिम कारकों की पहचान की गई है, जिनमें आनुवंशिकी, चिकित्सा स्थितियां (जैसे मधुमेह), और पर्यावरणीय तनाव शामिल हैं। यह नया अध्ययन प्रकाश प्रदूषण, विशेष रूप से रात में कृत्रिम प्रकाश के संपर्क को एक संभावित अतिरिक्त जोखिम कारक के रूप में पहचानता है।

मुख्य निष्कर्ष:

- रात के समय प्रकाश के संपर्क में वृद्धि का संबंध अल्जाइमर के उच्च प्रसार से पाया गया है, विशेष रूप से शुरुआती मामलों (65 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों) में।
- प्रकाश प्रदूषण ने शराब, अवसाद, मोटापा, दिल की विफलता और पुरानी रोग जैसे अन्य जोखिम कारकों की तुलना में अल्जाइमर से अधिक संबंध दिखाया।

प्रकाश प्रदूषण के दुष्प्रभाव:

- रात में कृत्रिम प्रकाश के संपर्क से शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ियाँ (Circadian Rhythms) बाधित होती हैं, जिससे नींद के चक्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- नींद की गुणवत्ता में कमी और जैविक घड़ियों का असंतुलन मोटापा, मधुमेह, और अवसाद जैसे स्वास्थ्य समस्याओं के उच्च जोखिम से जुड़े हैं, जो अंततः अल्जाइमर रोग के जोखिम को भी बढ़ाते हैं।

अल्जाइमर रोग के बारे में:

- अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो स्मृति, सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। यह मनोभ्रंश का सबसे सामान्य रूप है, जो मनोभ्रंश के 60-80% मामलों के लिए जिम्मेदार है।
- इसके लक्षणों में जल्दी भूल जाना, भ्रम, रोजमरा के कार्यों में कठिनाई और उन्नत चरणों में गंभीर स्मृति हानि शामिल हैं।
- वर्तमान में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाएं संज्ञानात्मक गिरावट को धीमा कर सकती हैं।

वैश्विक प्रभाव:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में 55 मिलियन से अधिक लोग मनोभ्रंश से पीड़ित हैं, जिनमें से 75% मामले अल्जाइमर के हैं।

भारत में स्थिति:

- भारत में अनुमानित 3 से 9 मिलियन लोग अल्जाइमर से प्रभावित हैं और जनसंख्या की उम्र बढ़ने के साथ इस संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष:

रात के समय प्रकाश प्रदूषण और अल्जाइमर के जोखिम के बीच संबंध रोग की रोकथाम में पर्यावरणीय कारकों के महत्व को स्पष्ट करता है। यदि हम सक्रिय कदम उठाते हैं, तो हम अल्जाइमर रोग के बोझ को कम कर सकते हैं।

गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी का एकीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शोधकर्ताओं ने गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम के तत्वों को एकीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि क्वांटम प्रभाव कैसे लीगो जैसे गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों में शोर पैदा करते हैं।

प्रमुख शोधकर्ता:

- इस शोध में एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के खगोल भौतिकी विभाग के श्री सोहम सेन और प्रोफेसर सुनंदन गंगोपाध्याय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- वे स्थलीय प्रणालियों में क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के संकेतों की पहचान करने के प्रयास में संलग्न हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के पूर्ण क्वांटम सिद्धांत की समझ को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा।

शोध का महत्व:

- क्वांटम ग्रेविटी (क्यूजी) सैद्धांतिक भौतिकी का एक ऐसा क्षेत्र है, जो गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुसार वर्णित करता है।
- यह विशेष रूप से ब्लैक होल और न्यूट्रोन सितारों जैसी कॉम्पैक्ट खगोलीय वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम प्रभावों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

अनुसंधान निष्कर्ष:

- शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्वांटम दृष्टिकोण से विश्लेषित किया जाता है, तो यह गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों, जैसे कि एलआईजीओ के इंटरफेरोमीटर में शोर उत्पन्न करता है। इस शोर की विशेषताएं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की क्वांटम स्थिति पर निर्भर करती हैं।
- प्रोफेसर गंगोपाध्याय ने इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा, 'हमारी व्युत्पत्ति सामान्यीकृत अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्राप्त परिणाम गुरुत्वाकर्षण की क्वांटम प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निकाले गए हैं।'

आर्थिक मुद्दे



कृषि-तकनीक: प्रौद्योगिकी और कृषि का एकीकरण

“

“अगर मैं सिर्फ एक या दो गाँवों को अज्ञानता और कमज़ोरी के बंधनों से मुक्त कर सकूँ, तो एक छोटे पैमाने पर पूरे भारत के लिए एक आदर्श का निर्माण हो जाएगा। हमारा लक्ष्य इन कुछ गाँवों को पूरी आजादी देना होना चाहिए सभी के लिए शिक्षा, गाँव भर में खुशियों की बयार, पुराने दिनों की तरह संगीत और भजन-कीर्तन हमारे लोगों को किसी भी चीज से ज्यादा एक वास्तविक वैज्ञानिक प्रशिक्षण की जरूरत है जो उनमें प्रयोग करने का साहस और दिमाग की पहल को प्रेरित कर सके, जिसकी एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास कमी है।”

रवींद्रनाथ टैगोर

”

जैसे-जैसे वैश्विक व्यवस्था फिर से संगठित हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, ब्लॉक चेन आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों को फिर से जीवंत करने का अवसर है। यह कृषि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ विकास अक्सर कम उत्पादकता, खर्डित भूमि जोत और कम उत्पादन जैसे मुद्दों के कारण बाधित होता है, जिससे बाजार विषमता को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त, अच्छी कृषि पद्धतियों और कृषि विपणन में सुधारों को व्यापक रूप से अपनाने की कमी बनी हुई है। हालाँकि ये समस्याएँ सर्वविदित हैं, लेकिन वे अनसुलझी हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए कृषि में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना कृषि विकास में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह न केवल उत्पादकता बढ़ा सकता है, बल्कि किसानों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में भी ला सकता है, जो किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस एकीकरण के महत्व को समझते हुए, भारत सरकार ने कई उपाय शुरू किए हैं।

अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के कार्यान्वयन की सुविधा का उल्लेख किया। इस संदर्भ में, सरकार ने 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) बनाना है। यह मिशन दीर्घकालिक विकास के लिए भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकारों ने एप्रीटेक

समाधान पेश करने के लिए निजी संस्थाओं और वैश्विक संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी भी की है। उदाहरण के लिए, विश्व आर्थिक मंच की कृषि नवाचार के लिए AI (AI4AI) पहल के माध्यम से, तेलंगाना सरकार ने सागु बागू पायलट परियोजना शुरू की। यह पहल कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाती है।

एग्रीटेक और इसका महत्व:

- आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है और वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 18.2 प्रतिशत है। 2030 तक जनसंख्या के 1.515 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, इसलिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। भारतीय कृषि को बढ़ावे मध्यम वर्ग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से बढ़ती माँगों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दक्षता, स्थिरता और लचीलापन बढ़ाने के लिए स्मार्ट तकनीक की ओर बदलाव हो रहा है।
- एग्रीटेक, उद्यमों और स्टार्टअप का एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो फसल की पैदावार बढ़ाने, संचालन को अनुकूलित करने और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए AI, मशीन लर्निंग और इन्टरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती हुई तकनीकों का लाभ उठाता है। भारत में अब 3,000 से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप हैं, जिनमें से 1,300 कृषि मूल्य श्रृंखला को बदलने के लिए इन उन्नत समाधानों का उपयोग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार विजेता:

- शापोस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रेशमंडी):** यह रेशम उत्पादन किसानों, डीलर और खुदरा विक्रेताओं को जोड़कर रेशम आपूर्ति श्रृंखला में क्रांति ला रहा है। किसानों को सीधे बिक्री की सुविधा देकर, वे इष्टतम मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, जिससे बाजार में पहुँचने का समय कम होता है। कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, वे रेशम उत्पादन दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल समाधानों का उपयोग करते हैं।
- एग्रीरेन एंगे इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड:** एग्रीरेन होसेरील का उपयोग करके एक अभिनव 'सेवा के रूप में सिंचाई' मॉडल प्रदान करता है, जो एक स्वचालित, मोबाइल रेनगन है जो फसल की पैदावार को बढ़ाते हुए पानी का संरक्षण करता है। इस प्रणाली ने पहले ही हजारों किसानों की सेवा की है और लाखों मीट्रिक टन पानी की बचत की है।
- जेनट्रॉन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड:** जेनट्रॉन अपने उत्पाद हॉर्टिसॉर्ट के साथ खाद्य ग्रेडिंग को स्वचालित करता है, जो आकार, रंग और दोषों के लिए फलों का निरीक्षण करने के लिए औद्योगिक कैमरों और कंप्यूटर विजन का उपयोग करता है। यह नवाचार खाद्य प्रसंस्करण में उच्च सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करता है।
- अथेया ग्लोबल सॉल्यूशंस (AGS):** यह पौधों की पैदावार और प्रकाश संश्लेषक दक्षता में सुधार करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करके टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है। किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान प्रदान करने के लिए उनके प्रयासों को कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता दी गई है।

एग्रीटेक के लाभ



कीट प्रबंधन

- पौधों के स्वास्थ्य के बारे में वास्तविक समय का डेटा
- प्रभावी कीट नियंत्रण
- कीटनाशक की प्रभावशीलता को मापना
- कीटनाशक रणनीति को बढ़ाना



पानी का उपयोग

- मिट्टी में नमी को मापना
- आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित सिंचाई
- पानी की खपत में सुधार
- सूखे या अधिक पानी के जोखिम में कमी

पशुपालन

- चरने वाले जानवरों पर नजर रखना
- पशुओं की वास्तविक समय की निगरानी
- स्वास्थ्य
- पशु चिकित्सक को स्वचालित रूप से बुलाना बीमारी के प्रकोप को रोकना


लाभप्रदता:

- फसल में वृद्धि
- बाजार में कम समय में पहुँचना
- मानव श्रम और व्यय में कमी
- अधिक सटीक पूर्णतुमान और योजना



एग्रीटेक में भारत सरकार द्वारा की गई पहल:

- कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत “नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास” कार्यक्रम को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- अब तक, कृषि-स्टार्टअप के प्रशिक्षण और इनकूबेशन और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 5 नॉलेज पार्टनर्स (KP) और 24 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एग्रीबिजनेस इनकूबेटर (R-ABI) स्थापित किए गए हैं।



- कृषि-तकनीक क्रांति खेती के तरीकों में नवाचार ला रही है, जिसमें 6,000 से अधिक कृषि स्टार्टअप और 2,800 एग्री-टेक (जैसे बिगहाट, फसल, मेरा किसान आदि) स्टार्टअप को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
- इस कड़ी में सरकार ने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल भी लॉन्च किया है। इन पहलों का उद्देश्य कृषि में स्टार्ट-अप और निवेशकों का समर्थन करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना है।
- कृषि त्वरक निधि:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने कृषि स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए 2023-24 से शुरू होने वाले 3 वर्षों के लिए 300 करोड़ रुपये का कृषि त्वरक निधि स्थापित करने को मंजूरी दी है। कृषि त्वरक निधि देश के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने की क्षमता रखने वाली नवीन तकनीकों के साथ स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
- एग्री स्टैक:** एक नया कृषि-कोंक्रिट डीपीआई जिसे भारत वर्तमान में लागू करने की प्रक्रिया में है। एग्रीस्टैक में संबंधित डिजिटल

कृषि सेवाओं और अनुप्रयोगों के साथ-साथ एक संघीय किसान रजिस्ट्री शामिल है। सामूहिक रूप से, ये घटक एक ओर किसानों और कृषि श्रमिकों और दूसरी ओर सरकारों और कृषि व्यवसायों का समर्थन करेंगे।

- **कृषि डेटा एक्सचेंज (ADeX):** यह एक ओपन-सोर्स, ओपन-स्टैंडर्ड और इंटर-ऑपरेबल पब्लिक गुड है जो किसानों के लिए अनुकूलित सेवाओं का निर्माण करने के लिए डेटा प्रदाताओं और डेटा उपभोक्ताओं, मुख्य रूप से निजी क्षेत्र, जिसमें स्टार्ट-अप भी शामिल हैं, के बीच डेटा साझा करने की अनुमति देता है।
- **डिजिटल कृषि मिशन (DAM):** क्लाउड कंप्यूटिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग, डेटा और AI/ML मॉडल में प्रगति का लाभ उठाकर कृषि-तकनीक स्टार्ट-अप की मदद करने के लिए 2021 में यह पहल शुरू की गई थी। डिजिटल कृषि मिशन, जिसका उद्देश्य भारत के कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) बनाना है, सरकार की अन्य सफल ईं-गवर्नेंस पहलों जैसे आधार, डिजिलॉकर और UPI के साथ संरचित है।
- **मिशन तीन प्रमुख घटकों पर केंद्रित है:** एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) और मृदा प्रोफाइल मानचित्र। ये किसानों को विभिन्न सेवाओं तक पहुँचने और कृषि कार्यों की समग्र दक्षता में सुधार करने में मदद करेंगे। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) भी शामिल है, जिसे सटीक कृषि उत्पादन अनुमान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन के लिए 2.817 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें 1,940 करोड़ रुपये केंद्र और बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। कोविड-19 महामारी के कारण शुरू में देरी हुई, मिशन को 2025-26 तक पूरे भारत में लागू किया जाना है।
- **कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) योजना:** यह प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनों और किसान मेलों जैसी विभिन्न विस्तार गतिविधियों के माध्यम से किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों तक पहुँच प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की पहलों में सहायता करती है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भारत की कृषि तकनीक की क्षमता धीरे-धीरे दुनिया भर में पहचानी जा रही है। 2023 के मध्य में, भारत के पहले सटीक कृषि स्टार्टअप, फीलो ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में वाइन उत्पादकों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए स्पेन स्थित टेरेब्यू, एक वैश्विक जलवायु सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस फर्म के साथ रणनीतिक साझेदारी की। इस सहयोग ने फीलो को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने वाली पहली भारतीय कृषि तकनीक कंपनी बना दिया है, और यह जल्द ही इटली, फ्रांस और मैक्सिको में भी अग्रूर के बागों में स्मार्ट कृषि प्रक्रियाएँ पेश करेगी।
- **इससे पहले 2023 में, I2U2 बिजनेस समिट के दौरान, भारत**

जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन (AIM4C) में शामिल हुआ था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका (US) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य जलवायु-स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों के नवाचार के लिए निवेश और समर्थन में तेजी लाना था। AIM4C की सदस्यता भारत को 275 से अधिक भागीदारों के वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बनाती है। महत्वपूर्ण रूप से, यह ऐसे समय में भारत-यूर्एश कृषि-सहयोग को मजबूत करने का भी काम करता है, जब यूर्एश ने भारतीय किसानों को उनके माल के लिए उच्च मूल्य पाने में मदद करने और गैर-कृषि कृषि नौकरियों की एक नई पीढ़ी बनाने के लिए भारत में खाद्य पार्क विकसित करने में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का संकल्प लिया है।

एग्रीटेक अपनाने में चुनौतियाँ:

- **पुराने भूमि रिकॉर्ड:** कई किसानों के पास पुराने भूमि रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो किसान आईडी प्रणाली के साथ इन रिकॉर्ड्स को जोड़ने की प्रभावशीलता को बाधित कर सकते हैं। यह विसंगति सटीक और विश्वसनीय कृषि डेटा बनाए रखने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं, जिससे नीतिगत निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है।
- **डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** निजी संस्थाओं के साथ साझा किए जाने पर किसानों के व्यक्तिगत डेटा के संभावित दुरुपयोग के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ हैं। जोखिमों में डेटा कुप्रबंधन, उल्लंघन और प्रोफाइलिंग शामिल हैं। हालाँकि, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (DPDP) अधिनियम 2023 का प्रभावी संचालन मजबूत सुरक्षा प्रदान करके इन जोखिमों को कम कर सकता है।
- **डिजिटल साक्षरता:** कई भारतीय किसानों में आधुनिक मशीनरी और सॉफ्टवेयर को संचालित करने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल और व्यावहारिक अनुभव की कमी है। डिजिटल साक्षरता में यह अंतर उन्नत कृषि तकनीकों का पूरी तरह से उपयोग करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है।
- **अवसंरचनात्मक बाधाएँ:** ग्रामीण क्षेत्र अक्सर अपर्याप्त नेटवर्क कवरेज और धीमी इंटरनेट स्पीड से पीड़ित होते हैं। ये अवसंरचनात्मक सीमाएँ इन क्षेत्रों में कृषि तकनीक समाधानों को अपनाने और प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।
- **संसाधन बाधाएँ:** बड़ी संख्या में किसान छोटे-छोटे खेतों पर खेती करते हैं और उनके पास सीमित वित्तीय संसाधन होते हैं। सॉफ्टवेयर और उपकरण सहित उन्नत कृषि तकनीक समाधानों को अपनाने की लागत बाधा बन सकती है।
- **आधुनिक तकनीकों का प्रतिरोध:** पारंपरिक खेती के तरीके ग्रामीण समुदायों में पीढ़ियों से गहराई से समाए हुए हैं। इस दृढ़ प्रतिरोध के कारण किसानों को नए तकनीकी हस्तक्षेपों को अपनाने के लिए राजी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **बेरोजगारी संबंधी चिंताएँ:** कृषि में स्वचालन से स्थानीय

अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरियाँ खत्म हो सकती हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में खेती रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, और तकनीकी प्रगति इन आजीविकाओं को खतरे में डाल सकती है।

आगे की राह:

- भारत में कृषि-स्टार्टअप विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सटीक कृषि, कृषि मशीनीकरण, कृषि-लॉजिस्टिक्स, अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक खेती, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में नवाचार कर रहे हैं। ये स्टार्टअप खेती की तकनीकों को आधुनिक बनाने और पारंपरिक तरीकों से होने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों, डेटा एनालिटिक्स और संधारणीय प्रथाओं का लाभ उठा रहे हैं।
- इस संदर्भ में, भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने और भूमि स्वामित्व

को सत्यापित करने में तेजी लाना महत्वपूर्ण है। किसानों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम (DPDP) के अनुरूप मजबूत डेटा सुरक्षा तंत्र को लागू करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, फसल मिठियों से लेन-देन के डेटा को एप्रीस्टैक के डिजिटल इकोसिस्टम में एकीकृत करने से खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मूल्यवान जानकारी मिल सकती है।

- कृषि में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) किसानों को शिक्षित करके और संस्थागत खुदरा विक्रेताओं और खाद्य प्रसंसंकरण कंपनियों के साथ साझेदारी को सुविधाजनक बनाकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसी साझेदारियाँ किसानों को उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने और कृषि तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।

साक्षिप्त मुद्दे

भुगतान पासकी सेवा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भुगतान उद्योग में एक अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी, मास्टरकार्ड ने ऑनलाइन खरीदारी को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सरल बनाने के उद्देश्य से अपनी नई भुगतान पासकी सेवा के वैशिक लॉन्च की घोषणा की है।

उद्देश्य और लाभ:

- भुगतान पासकी सेवा का उद्देश्य पारंपरिक पासवर्ड और वन-टाइम पासवर्ड (OTP) जैसी ऑनलाइन भुगतान विधियों को बदलकर सुरक्षा को बढ़ाना है। यह सेवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (जैसे फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान) का उपयोग करती है, जिससे OTP से जुड़ी कमजोरियों को संबोधित किया जाता है जो बढ़ते घोटालों और धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं।
- यह सेवा ऑनलाइन खरीदारी के अनुभव को अधिक सरल बनाती है, जहां उपभोक्ताओं को पासवर्ड और OTP याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय, बायोमेट्रिक विधियों का उपयोग करके तेज और अधिक सुरक्षित चेकआउट प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
- पासवर्ड के गलत इस्तेमाल या गलती से साझा होने के जोखिम को कम करके यह उपभोक्ता को अधिक नियंत्रण प्रदान करती है।

मानकों का एकीकरण:

- भुगतान पासकी सेवा EMVCo (Europay, Mastercard,

Visa), बल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (W3C) और FIDO (Fast Identity Online) एलायंस के उद्योग मानकों को जोड़ती है।

- इस एकीकरण का उद्देश्य ऑनलाइन चेकआउट प्रक्रिया की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाना है।

पहल की आवश्यकता:

- विगत वर्षों से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पिछले दो वर्षों में घटनाओं में लगभग 300% की वृद्धि हुई है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कार्ड और अन्य डिजिटल भुगतान विधियों से जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाओं में 700% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- OTP लोकप्रिय होते हुए भी, फिशिंग, सिम स्वैपिंग और संदेश अवरोधन जैसे साइबर खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं।

भुगतान पासकी सेवा कैसे काम करती है?

- चेकआउट प्रक्रिया:** खरीदार मास्टरकार्ड का चयन कर सकते हैं, चाहे वह पहले से सुरक्षित रूप से संग्रहीत हो या अतिथि के रूप में विवरण दर्ज कर सकते हैं।
- प्रमाणीकरण:** उपयोगकर्ता अपने डिवाइस पर उपलब्ध बायोमेट्रिक सुविधाओं जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैन, चेहरे की पहचान या पिन का उपयोग करके भुगतान को प्रमाणित करते हैं।
- भुगतान का पूरा होना:** सफल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद, भुगतान तुरंत संसाधित हो जाता है, जिससे एक तेज और सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित होता है।

निष्कर्ष:

मास्टरकार्ड की भुगतान पासकी सेवा, भारत में प्रारंभिक पायलट चरण ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा और सुविधा को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अग्रणी भुगतान एग्रीगेटर्स, ऑनलाइन व्यापारियों और बैंकों के साथ इसका सफल एकीकरण पारंपरिक पासवर्ड और OTP से जुड़ी कमजोरियों को दूर करता है। भारत में सफल पायलट के बाद, मास्टरकार्ड इसे वैश्विक स्तर पर और विस्तार करने की योजना बना रहा है।

वधावन बंदरगाह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में महत्वाकांक्षी वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। लगभग 76,000 करोड़ रुपये की लागत वाला यह बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक बनने वाला है।

वधावन बंदरगाह के बारे में:


- वधावन बंदरगाह एक ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजना है। ग्रीनफील्ड परियोजनाएं अनुकूलित बुनियादी ढांचे के विकास की अनुमति देती हैं, क्योंकि वे बिना किसी मौजूदा सीमा के जमीनी स्तर से बनाई जाती हैं।
- यह परियोजना पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य कुशल परिवहन और रसद नेटवर्क के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- **मॉडल:** बंदरगाह का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल, का उपयोग करके किया जाना है। यह एक ऐसा मॉडल है जहां बंदरगाह प्राधिकरण एक नियमक निकाय के रूप में कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह संचालन के लिए जिमेदार होती हैं।
- 20 मीटर के मसौदे के साथ, बंदरगाह बड़े जहाजों को संभालने में सक्षम होगा, जिन्हें डॉकिंग और संचालन के लिए गहरे पानी की आवश्यकता होती है। यह क्षमता वधावन बंदरगाह को बड़े कंटेनर जहाजों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।

मुख्य विशेषताएं:

- पूरा होने के बाद, वधावन बंदरगाह 23.2 मिलियन ट्वेंटी-फुट इक्विवलेंट यूनिट्स (टीईयू) की हैंडलिंग क्षमता के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 बंदरगाहों में शुमार होने की उम्मीद है।
- बंदरगाह का लक्ष्य खुद को एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करना है, जिसे गहरे ड्राफ्ट वाले बड़े कंटेनर जहाजों की जरूरतें पूरी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें अल्ट्रा-बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित किया जा

सकता है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा।

- पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित, बंदरगाह का स्थान अत्यधिक रणनीतिक है। यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे शिपिंग कंपनियों के लिए पारगमन समय और लागत कम होगी।
- इस परियोजना से महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने, स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने की उम्मीद है।
- यह इसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास दोनों के लिए एक आवश्यक परियोजना बनाता है।



वधावन बंदरगाह परियोजना का महत्व:

- वधावन बंदरगाह भारत को प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों जैसे भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) से जोड़ेगा।
- बंदरगाह माल के टर्नआउट समय को काफी कम कर देगा, जिससे माल की तेज आवाजाही और व्यापार दक्षता में वृद्धि होगी।

भारत में बंदरगाह

- **प्रमुख बंदरगाह:** ये केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। भारत में 12 कार्यात्मक प्रमुख बंदरगाह हैं।
- **गैर-प्रमुख बंदरगाह:** ये बंदरगाह संबंधित राज्य समुद्री बोर्डों

या राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। देश में लगभग 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं।

निष्कर्ष:

वधावन बंदरगाह परियोजना एक परिवर्तनकारी पहल है जो भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने, व्यापार मार्गों को बढ़ाने और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करने के लिए तैयार है। वैश्विक शिपिंग मानकों के साथ सरेखित करके और स्थायी प्रथाओं को शामिल करके, बंदरगाह भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। अपने आधुनिक बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण कारों हैंडलिंग क्षमता के साथ, यह बंदरगाह रसद लागत को कम करने, व्यापार दक्षता में सुधार लाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भास्कर पहल

चर्चा में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर शुरू कर रही है।

भास्कर पहल के बारे में:

- भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) पहल, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे स्टार्टअप, निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों सहित उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह प्लेटफॉर्म भारत सरकार के उस दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जिसके तहत देश को नवाचार और उद्यमिता में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया जाना है, जो स्टार्टअप विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

भास्कर की मुख्य विशेषताएं:

- भारत में 1,46,000 से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जो इसे दुनिया के सबसे गतिशील स्टार्टअप हब में से एक बनाता है। भास्कर का प्राथमिक लक्ष्य स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर हितधारकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री बनाना है। इसे प्राप्त करने के लिए, प्लेटफॉर्म कई प्रमुख सुविधाएँ प्रदान करेगा:
- **नेटवर्किंग और सहयोग:** भास्कर स्टार्टअप, निवेशकों, सलाहकारों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय बनायेगा जिससे विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध बातचीत संभव होगी।
- **संसाधनों तक केंद्रीकृत पहुँच:** संसाधनों को समेकित करके, प्लेटफॉर्म स्टार्टअप को महत्वपूर्ण उपकरणों और ज्ञान तक तकाल पहुँच प्रदान करेगा, जिससे तेज निर्णय लेने और अधिक कुशल स्कैलिंग संभव होगी।

➤ **व्यक्तिगत पहचान बनाना:** प्रत्येक हितधारक को एक अद्वितीय BHASKAR ID सौंपी जाएगी, जिससे प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत बातचीत और अनुकूलित अनुभव सुनिश्चित होंगे।

➤ **खोज क्षमता बढ़ाना:** शक्तिशाली खोज सुविधाओं के माध्यम से, उपयोगकर्ता आसानी से प्रासारिक संसाधनों, सहयोगियों और अवसरों का पता लगा सकते हैं, जिससे तेज निर्णय लेने और कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

➤ **भारत के वैश्विक ब्रांड का समर्थन करना:** भास्कर नवाचार के केंद्र के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए एक बाहन के रूप में काम करेगा, जिससे स्टार्टअप और निवेशकों के लिए सीमा पार सहयोग अधिक सुलभ हो जाएगा।

स्टार्ट-अप इकोसिस्टम:

- भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें अकेले 2023 में 950 से अधिक नए स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं, जो पिछले एक दशक में कुल 31,000 से अधिक टेक स्टार्टअप में योगदान देता है।
- 2019 से 2023 तक, समग्र निवेश 70 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गई, जो इस क्षेत्र में मजबूत विकास और निवेश को उजागर करती है।

निष्कर्ष:

भास्कर का शुभारंभ नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक केंद्र के रूप में, यह स्टार्टअप, निवेशकों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों को सहयोग करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और विकास में तेजी लाने के लिए एक साथ लाएगा। यह मंच एक लचीली, समावेशी और नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो एक समृद्ध भविष्य के लिए मंच तैयार करेगा।

SPICED योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मसाला बोर्ड की एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसका शीर्षक है “निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता” (SPICED)। यह योजना 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल (2025-26) के अंत तक लागू रहेगी।

SPICED योजना के बारे में:

- SPICED योजना से मसाला क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह नए उप-घटक और कार्यक्रम पेश करेगा, जिनमें शामिल हैं:
 - » मिशन मूल्य संवर्धन
 - » मिशन स्वच्छ और सुरक्षित मसाले

- » भौगोलिक संकेत (GI) मसालों को बढ़ावा देना
- » मसाला इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से उद्यमिता को समर्थन

प्राथमिक लक्ष्य:

- SPICED योजना का प्राथमिक लक्ष्य इलायची की खेती के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करना, छोटी और बड़ी इलायची की उत्पादकता बढ़ाना, और कटाई के बाद, सुधारों के माध्यम से गुणवत्ता वाले मसालों के निर्यात के लिए अधिशेष उत्पन्न करना है।
- इसके अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य भारत के निर्यात बास्केट में मूल्यवर्धित मसालों की हिस्सेदारी को बढ़ाना, निर्यात खेतों के लिए लागू गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन का मूल्यांकन करना और मसाला क्षेत्र में हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास प्रदान करना है। इस योजना में कई प्रमुख घटक शामिल हैं, जिनमें:

 - » उत्पादकता में सुधार
 - » कटाई के बाद की गुणवत्ता को उन्नत करना
 - » बाजार प्रयासों और व्यापार संवर्धन का विस्तार करना
 - » प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को लागू करना
 - » अनुसंधान और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना

भारत में मसाला व्यापार:

- हाल के निर्यात आंकड़ों के अनुसार, छोटी इलायची के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह निर्यात 2019-20 में 1,850 टन से बढ़कर 2021-22 में 10,571 टन तक पहुँच गया और 2023-24 में (अनंतिम) 6,168 टन पर स्थिर हो गया।
- बड़ी इलायची का निर्यात भी विभिन्न स्तरों पर रहा, जो 2019-20 में 1,310 टन से शुरू होकर 2023-24 में 1,281 टन तक पहुँच गया।
- कुल मिलाकर, 2023-24 की अवधि में भारत से मसालों का निर्यात 1,539,692 टन की मात्रा के लिए \$4,464 मिलियन मूल्य का था।
- खेती के मामले में, छोटी इलायची 2023-24 के दौरान 25,230 टन उत्पादन के साथ 70,410 हेक्टेयर में फैली हुई है, जबकि बड़ी इलायची की खेती 45,596 हेक्टेयर में की जाती है, जिससे 9,288 टन उपज होती है।

स्पाइस बोर्ड इंडिया के बारे में:

- भारतीय मसाला बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, 1987 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष निकाय है। इसका गठन इलायची बोर्ड (1968) और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद (1960) को मिलाकर किया गया था।
- बोर्ड काली मिर्च, छोटी और बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, दालचीनी, जीरा, मेथी, और अन्य सहित मसालों की विविध श्रेणी के निर्यात को बढ़ावा देने और उसकी देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है।

- इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में स्थित है।

निष्कर्ष:

SPICED योजना भारत में मसाला क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य उद्योग में हितधारकों के लिए समर्थन प्रदान करते हुए उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ावा देना है। यह भारत के मसाला उद्योग को मजबूत करने, किसानों की आजीविका में सुधार करने और मसाला उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए बोर्ड की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

एग्रीश्योर फंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया। इन पहलों का उद्देश्य कृषि में स्टार्ट-अप और निवेशकों का समर्थन करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना है।

एग्रीश्योर फंड के बारे में:

- एग्रीश्योर फंड, जिसे 'स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड' के रूप में भी जाना जाता है, कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक प्रमुख पहल है।
- यह कृषि-आधारित नवाचारों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी घोषणा सबसे पहले 2022-23 के बजट में की गई थी।

मुख्य विशेषताएं:

- एग्रीश्योर फंड 750 करोड़ रुपये का श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) है। यह कृषि क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप को इक्विटी और ऋण दोनों तरह की सहायता प्रदान करेगा।
- फंड को नाबार्ड और कृषि मंत्रालय से 250-250 करोड़ मिलेंगे, जबकि निजी निवेशकों सहित अन्य संस्थानों से अतिरिक्त 250 करोड़ मिलेंगे।
- इस फंड का प्रबंधन NABVENTURES लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी है, जो फंड के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करती है।
- यह फंड दो प्रमुख योजनाओं के तहत संचालित होता है:
 - » **एग्रीश्योर-एफओएफ (फंड ऑफ फंड्स) योजना:** यह योजना श्रेणी I और श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
 - » **एग्रीश्योर-डायरेक्ट स्कीम:** यह योजना शुरुआती चरण के स्टार्ट-अप में सीधे इक्विटी निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि उनकी वृद्धि और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

एग्रीश्योर फंड का महत्व:

- नई प्रौद्योगिकियों और समाधानों को प्रोत्साहित करके कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना।
- कृषि उपज की मूल्य शृंखला को बढ़ाना, किसानों के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुधार करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण-शहरी प्रवास को कम करने में मदद करना।
- बेहतर कृषि प्रबंधन, संसाधन उपयोग और उत्पादन दक्षता के लिए आईटी-आधारित समाधानों का समर्थन करना।

कृषि निवेश पोर्टल के बारे में:

- यह सभी कृषि निवेशकों के लिए एक एकीकृत, केंद्रीकृत और बन-स्वॉप प्लेटफॉर्म है। इसे निवेशकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जानकारी और लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश प्रक्रियाएँ आसान हो जाती हैं।

ग्रामीण स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

- **तकनीकी जागरूकता:** आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी, साथ ही व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सहायता सेवाओं की अनुपस्थिति, ग्रामीण स्टार्टअप के विकास में बाधा डालती है। इसके परिणामस्वरूप अभिनव समाधानों को अपनाने में देरी होती है।
- **वित्तीय पहुँच की कमी:** कई वित्तीय संस्थान ग्रामीण उद्यमियों को ऋण देने में अनिच्छुक हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित उपलब्धता है, जिससे स्टार्टअप के लिए आवश्यक धन प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- **रसद और कनेक्टिविटी बाधाएँ:** ग्रामीण क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी और रसद चुनौतियों के कारण उद्यमियों को अक्सर कच्चा माल और अन्य संसाधन खरीदने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष:

एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ कृषि से संबंधित स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के विकास में सहायता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण उद्यमियों के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों का समाधान करके, इन पहलों का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, कृषि मूल्य शृंखला को बढ़ाना और ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। हालाँकि, इन योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता और पहुँच सुनिश्चित करना उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

भारत की आर्थिक वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर वृद्धि का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 के लिए 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

ऋण में कमी:

- सरकार के राजकोषीय समेकन प्रयासों के चलते, केंद्र सरकार का ऋण वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का 58.2% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 56.8% होने का अनुमान है।
- सामान्य सरकारी धारा (जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं) वित्त वर्ष 2024 में GDP के 8% से नीचे आने की संभावना है।

मुद्रास्फीति पूर्वानुमान:

- खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण, वित्त वर्ष 2024 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ़कर 4.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- एडीबी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बढ़ी हुई मुद्रास्फीति ने भारतीय रिजर्व बैंक को नीतिगत ब्याज दरों को कम करने से रोक दिया है।

पूंजीगत व्यय:

- पूंजीगत व्यय में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि और राज्य सरकारों को हस्तांतरण से बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- मध्यम आय वाले परिवारों के लिए शहरी आवास का समर्थन करने के लिए एक नई सरकारी पहल से आवास विकास को गति मिलेगी।

चालू खाता धारा:

- भारत का चालू खाता धारा (CAD) वित्त वर्ष 2024 में GDP का 1.0% और वित्त वर्ष 2025 में 1.2% रहने का अनुमान है। यह बेहतर नियांत, कम आयात, और मजबूत प्रेषण प्रवाह के कारण पहले के 1.7% अनुमान से कम है।

सेवा संकेतक:

- वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में सेवाओं का विस्तार जारी रहा और भविष्योन्मुखी सेवा पीएमआई अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर है।

एडीबी रिपोर्ट में चीन सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए:

- रिपोर्ट में एडीबी ने चीन के लिए 4.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास का पूर्वानुमान थोड़ा बढ़ाकर 5% कर दिया है, जो पहले 4.9% था।

आगे की राह:

संक्षेप में, भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं के निकट अवधि में विकास जोखिमों में भू-राजनीतिक तनाव शामिल हैं, जो वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं। साथ ही मौसम संबंधी

चुनौतियां भी शामिल हैं जो कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं।

भारतीय राज्यों की आर्थिक प्रदर्शन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) द्वारा 'भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन: 1960-61 से 2023-24 तक' पेपर जारी किया गया है।

ईएसी-पीएम रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में राज्यों की भागेदारी व राज्यों की प्रति व्यक्ति आय:

दक्षिणी राज्य:

- वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कर्नाटक की हिस्सेदारी 8.2%, आंध्र प्रदेश की 9.7%, तमिलनाडु की 8.9%, जबकि केरल की घटकर 3.8% रह गई है
- सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय में तेलंगाना 193.6 प्रतिशत है। जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का राष्ट्रीय औसत का क्रमशः 181 प्रतिशत, 171 प्रतिशत, 131.6 प्रतिशत और 152.5 प्रतिशत है।

पश्चिमी राज्य:

- 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में गुजरात की हिस्सेदारी 8.1 प्रतिशत है, जबकि महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 13.3 प्रतिशत और गोवा की 0.3 प्रतिशत है।
- गुजरात की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 160.7% है, जबकि महाराष्ट्र का 150% और गोवा का 290% है, जोकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के सबसे अमीर राज्य है।

उत्तरी राज्य:

- दिल्ली की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 3.6 प्रतिशत है। जबकि हरियाणा, पंजाब व राजस्थान का क्रमशः 3.6, 2.4 और 5.0 प्रतिशत का योगदान है।
- दिल्ली की सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय 250.8 प्रतिशत है। जबकि पंजाब की 106.7 प्रतिशत, राजस्थान का 91.02% हो गया है। हरियाणा का 176.8 प्रतिशत के साथ चौथी सबसे अधिक सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है।

केंद्रीय राज्य:

- उत्तर प्रदेश का वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत हो गई। जबकि मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 4.5% है।
- 2023-24 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का केवल 50.8 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 77.4 प्रतिशत पर स्थिर हो गई है।

पूर्वी राज्य:

- पश्चिम बंगाल का GDP में योगदान 2023-24 में केवल 5.6% रह गया है, जबकि बिहार और ओडिशा का 2.8% बना हुआ है।
- पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय 127.5% से घटकर 2023-24 में 83.7% हो गई है। ओडिशा की सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय 88.5% हो गई है।

आगे की राह:

भारत के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों ने देश के अन्य हिस्सों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर, तटीय राज्यों ने (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) अन्य राज्यों की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है।

पीएम ई-ड्राइव योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति (पीएम ई-ड्राइव) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित की गई है और इसके तहत दो वर्षों में 10,900 करोड़ का व्यय होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।

योजना के विषय में:

- पीएम ई-ड्राइव योजना, अप्रैल 2015 में शुरू की गई FAME (फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना का स्थान ले गी, जो दो चरणों में नौ वर्षों तक चली। दूसरे चरण में, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ, सरकार ने 13,21,800 इलेक्ट्रिक वाहनों को 11,500 करोड़ के सब्सिडी के साथ लाभ प्रदान किया।

पीएम ई-ड्राइव योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- **सब्सिडी और मांग प्रोत्साहन:** इस योजना में कुल 3,679 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया वाहन, एबुलेंस, ट्रक और बसों की खरीद को प्रोत्साहित करेगा।
- **ई-वाउचर प्रणाली:** खरीद के बाद, इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आधार-प्रमाणित ई-वाउचर भेजे जाएंगे, जिससे उन्हें वित्तीय लाभ मिलेगा।
- **ई-एम्बुलेंस तैनाती:** इस योजना में 500 करोड़ का आवंटन ई-एम्बुलेंस के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और आरामदायक इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस पेश करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से नए प्रदर्शन और सुरक्षा मानक स्थापित किए जाएंगे।
- **सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-बसें:** राज्य परिवहन उपकरणों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों के लिए 14,028 ई-बसों की

खरीद के लिए 4,391 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की सहायक कंपनी है, प्रमुख शहरों में इस योजना की निगरानी करेगी।

- **ई-ट्रकों के लिए प्रोत्साहन:** इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। ये ट्रक वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे।
- **चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:** चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे उच्च ईवी प्रवेश वाले शहरों और चयनित राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

पीएम ई-ड्राइव योजना के लाभ:

- इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होगा और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी।
- योजना के तहत सब्सिडी और प्रोत्साहन के माध्यम से उपभोक्ताओं को वित्ती सहायता मिलेगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद आसान होगी।
- ई-एम्बुलेंस की तैनाती से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, जिससे मरीजों के परिवहन में सुविधा और गति बढ़ेगी।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने से देश की तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी।
- ई-बसों की खरीद से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार होगा, जिससे यात्रा की गुणवत्ता और स्थिरता बढ़ेगी।

निष्कर्ष:

पीएम ई-ड्राइव योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में अग्रसर करने में सहायक होगी। यदि इसे सही ढंग से कार्यान्वित किया गया, तो यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी।

वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जारी की है। यह रिपोर्ट वैश्विक श्रम आय प्रवृत्तियों और पिछले दो दशकों में तकनीकी नवाचारों के प्रभाव का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है।

मुख्य निष्कर्ष:

तकनीकी नवाचार और श्रम उत्पादकता:

➤ तकनीकी नवाचारों ने श्रम उत्पादकता और उत्पादन में निरंतर वृद्धि की है।

➤ इन तकनीकी उन्नतियों ने श्रम आय हिस्से में कमी की है।

श्रम आय हिस्से में कमी:

- वैश्विक श्रम आय हिस्सा 2019 से 2022 तक 0.6 प्रतिशत अंक गिर गया।
- श्रम आय हिस्से में कमी ने आय वितरण को श्रमिकों से पूँजी स्वामियों की ओर मोड़ दिया है।

COVID-19 महामारी का प्रभाव:

- COVID-19 महामारी श्रम आय हिस्से में कमी का एक महत्वपूर्ण कारण रही है।
- महामारी वर्षों 2020 से 2022 के दौरान श्रम आय लगभग 40% कमी हुई।
- महामारी ने मौजूदा असमानताओं को बढ़ा दिया, पूँजी आय सबसे धनी व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच अधिक केंद्रित हो गई।
- इस परिवर्तन ने सतत विकास लक्ष्य (SDG) 10 को प्राप्त करने के प्रयासों को कमजोर किया, जोकि देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करने का लक्ष्य है।

तकनीकी व्यवधान और असमानता:

- तकनीकी नवाचारों ने उत्पादकता को बढ़ाया है लेकिन असमानता को भी बढ़ावा दिया है।
- ऑटोमेशन और डिजिटल तकनीकों ने कुछ नैकरियों को समाप्त कर दिया है और विशेष रूप से कम वेतन वाले क्षेत्रों में श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को कम कर दिया है।
- तकनीकी प्रगति के लाभ असमान रूप से वितरित हुए हैं:
 - » पूँजी स्वामियों को अधिक लाभ मिला है।
 - » उच्च-कौशल वाले श्रमिकों को कम-कौशल वाले श्रमिकों की तुलना में अधिक लाभ मिला है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की सिफारिशें:

- बढ़ती असमानता के अंतर को संबोधित करने के लिए सरकारी नीतियों को लागू करना चाहिए।
- तकनीकी प्रगति से प्राप्त लाभों का समान वितरण करना चाहिए।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनःकौशल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए।
- सामाजिक सुरक्षा जाल और आय पुनर्वितरण तंत्र को मजबूत करना चाहिये।
- समावेशी विकास रणनीतियों को बढ़ावा देना चाहिए जोकि:
 - » तकनीकी उन्नति को एकीकृत करें।
 - » श्रम अधिकारों की रक्षा करें।
 - » निष्पक्ष आय वितरण सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष:

रिपोर्ट ने श्रम आय में गिरावट और COVID-19 द्वारा बढ़ाई गई असमानता को संबोधित करने के लिए तकाल नीति कार्रवाई की मांग की है। समावेशी विकास, निष्पक्ष आय वितरण और श्रम अधिकारों

की रक्षा पूरे देश की उन्नति के लिए आवश्यक हैं।

नीति आयोग की खाद्य तेलों पर नई रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट 'खाद्य तेलों में वृद्धि को तेज करने के लिए मार्ग और रणनीतियाँ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर' ने भारत के खाद्य तेल क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य मांग-आपूर्ति अंतर को कम करना और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप प्रदान करना है।

रिपोर्ट की प्रमुख बिंदु:

तेल बीज उत्पादन और क्षेत्र:

- नौ प्रमुख तेल बीज फसलों (मूँगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, केसरिया फूल, नाइगर बीज, बेंजवत और लिनसीड) ने 14.3% कृषि क्षेत्र को कवर किया है, जोकि आहार ऊर्जा में 12-13% और कृषि निर्यात का लगभग 8% योगदान करता है।
- सोयाबीन का कुल तेल बीज उत्पादन में 34% योगदान है, इसके बाद सरसों-राइफ के 31% और मूँगफली के 27% हैं।
- राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, प्रत्येक का गांवीय उत्पादन में लगभग 21.42% योगदान है।

वृद्धि और आयात निर्भरता:

- खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत पिछले दशक में बढ़कर 19.7 किलोग्राम/वर्ष हो गई है।
- घरेलू उत्पादन केवल 40-45% मांग को पूरा करता है, जिससे आयात में वृद्धि हुई है। 1986-87 में 1.47 मिलियन टन से 2022-23 में 16.5 मिलियन टन तक पहुँच गया है, और आयात निर्भरता अनुपात 57% हो गया है।

वृद्धि की प्रवृत्तियाँ:

- 1980-81 से 2022-23 तक, तेल बीज क्षेत्र, उत्पादन, और उपज की वृद्धि दरें क्रमशः 0.90%, 2.84%, और 1.91% रही हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक प्रमुख तेल बीजों का उत्पादन 43 मिलियन टन और 2047 तक 55 मिलियन टन तक पहुँचने की संभावना है जो अभी लगभग 37 मिलियन टन है।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम:

फसल विविधता और क्षेत्रीय विस्तार:

- तेल बीज फसलों को बनाए रखना एवं विविधता लाना उत्पादन में 20% वृद्धि कर सकता है।
- इससे 7.36 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन संभव है और आयात 2.1 मिलियन टन तक कम किया जा सकता है।

क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्तार:

- **क्षैतिज विस्तार:** चावल की अनुपयोगी भूमि और बंजर भूमि पर तेल बीज एवं ताड़ के पौधे उगाए जा सकते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।
- **ऊर्ध्वाधर विस्तार:** बेहतर कृषि प्रथाओं, उच्च गुणवत्ता के बीजों, एवं उन्नत तकनीकों के माध्यम से उपज बढ़ाई जा सकती है।

राज्य-वार चौकड़ी दृष्टिकोण:

- रिपोर्ट में विभिन्न राज्य समूहों की पहचान की गई है एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ सुझाई गई हैं:
 - » **उच्च क्षेत्र-उच्च उपज राज्य:** दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना एवं वैशिक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।
 - » **उच्च क्षेत्र-निम्न उपज राज्य:** ऊर्ध्वाधर विस्तार की रणनीतियाँ अपनाना।
 - » **निम्न क्षेत्र-उच्च उपज राज्य:** क्षैतिज विस्तार को प्राथमिकता देना।
 - » **निम्न क्षेत्र-निम्न उपज राज्य:** दोनों प्रकार के विस्तार (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर) को लागू करना।

खाद्य तेल क्षेत्र की चुनौतियाँ:

- 76% तेल बीज की खेती वर्षा पर निर्भर है, जो असामान्य मौसम पैटर्न के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का 60% आयात पर निर्भर है, जिसमें ताड़ का तेल, सोयाबीन तेल, एवं सूरजमुखी तेल प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
- कम आयात शुल्क घरेलू तेल बीज किसानों की कीमत प्राप्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

नीति आयोग की सिफारिशें:

- **बुंदेलखण्ड और झांडो-गैंगेटिक मैदान में तेल बीज विकास को बढ़ावा देना:** इन क्षेत्रों में तेल बीज फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना एवं वेस्टलैंड्स का उपयोग करना लाभकारी रहेगा।
- **तेल पाम क्षेत्र की दक्षता बढ़ाना:** उपयुक्त बंजर भूमि पर तेल पाम की खेती को बढ़ावा देना और संसाधनों की प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
- **बीज गुणवत्ता और प्रोसेसिंग में सुधार:** बीज उपयोगिता को अनुकूलित करना, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण, एवं सॉलेन्ट एक्सप्रेसर फ्लॉटर्स की क्षमता में सुधार से उत्पादन में वृद्धि संभव है।

निष्कर्ष:

भारत के खाद्य तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, रणनीतिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता है जो फसल विविधता, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्तार एवं आधुनिक प्रोसेसिंग पर केंद्रित हों। इन उपायों को अपनाने से भारत आयात निर्भरता को कम कर सकता है एवं भविष्य की मांग को पूरा कर सकता है।

विविध मुद्दे

वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की वर्तमान स्थिति

26 सिंतंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान परमाणु हथियारों पर निषेध संधि (TPNW) पर महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं। इस समय वैश्विक परमाणु परिदृश्य का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलता है, खासकर जब दुनिया यूक्रेन में युद्ध, इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष और जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल समस्याओं का सामना कर रही है। इन संकटों के बीच परमाणु हथियारों पर बहस जटिल रूप से बनी हुई है, जिससे भारत जैसे देशों की प्रतिक्रियाएँ, जो परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) का हिस्सा नहीं हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) के प्रति समर्थन परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकता है, जबकि इसका विरोध परमाणु शस्त्रागार पर निर्भरता को बढ़ा सकता है और उनके उपयोग के जोखिम को भी गहरा कर सकता है। इस प्रकार, परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। ऐतिहासिक रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम द्वारा 1963 में हस्ताक्षरित परमाणु परीक्षण-प्रतिबंध संधि (Partial Test Ban Treaty) सभी परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है, सिवाय भूमिगत परीक्षणों के। इस बीच, परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty - NPT) केवल उन पांच देशों को अपने शस्त्रागार को बनाए रखने की अनुमति देती है, जिन्होंने 1 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु हथियार का निर्माण और विस्फोट किया था: चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। भारत इस भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण नीति का विरोध करता है और परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध की बकालत करता है। यहीं वजह है कि उसने NPT पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया है।

परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित संधियाँ:

- परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (एनपीटी):** परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि 1968 में हस्ताक्षरित और 1970 में लागू हुई, एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है। यह दुनिया को दो श्रेणियों में विभाजित करता है: परमाणु-हथियार वाले राज्य (एनडब्ल्यूएस), जिन्हें संधि पर हस्ताक्षर करने के समय परमाणु हथियार रखने के रूप में मान्यता दी गई थी और

गैर-परमाणु-हथियार वाले राज्य (एनएनडब्ल्यूएस), जो परमाणु हथियार विकसित नहीं करने के लिए सहमत हैं। संधि के अनुसार NWS को निरस्त्रीकरण वार्ता को सद्भावनापूर्वक आगे बढ़ाना होगा, जिससे यह वैश्विक अप्रसार प्रयासों की आध राशिला बन जाएगी।


- परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW):** यह संधि 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई और 2018 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई। TPNW परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण, तैनाती, हस्तांतरण, उपयोग और उपयोग की धमकी को प्रतिबंधित करना है। यद्यपि इस पर किसी भी परमाणु-सशस्त्र राज्य द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जिससे इसका तत्काल प्रभाव सीमित हो गया है, तथापि यह वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास को रेखांकित करती है।
- व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT):** यह संधि 1996 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई और इसका उद्देश्य नागरिक एवं सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है। वर्तमान में, इस संधि पर 185 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 170 देशों ने इसकी पुष्टि की है। हालाँकि, यह संधि अभी तक लागू नहीं हो पाई है, क्योंकि इसे लागू करने के लिए प्रमुख परमाणु-सशस्त्र राज्यों को इसकी पुष्टि करनी आवश्यक है। CTBT का प्राथमिक लक्ष्य परीक्षण के माध्यम से परमाणु हथियारों के विकास और परिशोधन को रोकना है, ताकि वैश्विक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

बाहरी अंतरिक्ष संधि:

- यह बहुपक्षीय समझौता, जो 1967 में लागू हुआ, बाहरी अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों सहित सामूहिक विनाश के हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है। माना जाता है कि परमाणु हथियार रखने वाले सभी नौ देश इस संधि के पक्षकार हैं। यह संधि यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि अंतरिक्ष परमाणु सैन्यिकरण से मुक्त रहे।

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW):

Estimated Global Nuclear Warhead Inventories, 2024



- परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW), जोकि 2021 में प्रभावी हुई, वैश्विक परमाणु बहस में एक नए चरण का प्रतीक है। यह संधि परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण, हस्तांतरण, उपयोग पर रोक लगाती है। यह इसे एनपीटी से अलग करती है, जो मुख्य रूप से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर केंद्रित है और केवल शिथिल रूप से निरस्त्रीकरण को संदर्भित करती है, जिससे परमाणु निरोध का मुद्दा अनुत्तरित रह जाता है।
- परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि मानवीय पहल से उभरी हैं, जोकि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2017 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन' पर बातचीत करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। इसका परिणाम परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि थी, जोकि परमाणु हथियारों पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने वाली पहली संधि थी।
- इसके बावजूद, TPNW को परमाणु-सशस्त्र देशों और उनके सहयोगी देशों की भागीदारी के बिना लागू किया गया था। इनमें से कई देशों ने इसका विरोध किया और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे वे संधि के उद्देश्यों के लिए 'विरोधी' माने जाते हैं। हालांकि, रूस की परमाणु रणनीति,

चीन का बढ़ता परमाणु भंडार, ईरान का यूरेनियम संवर्धन और उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण जैसे मुद्दों ने परमाणु हथियारों पर वैश्विक चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है।

- नाटो के कुछ पूर्व अधिकारियों ने अपने देशों से टीपीएनडब्ल्यू में शामिल होने और परमाणु हथियारों को रासायनिक और जैविक हथियारों की तरह अवैध बनाने का आग्रह किया है। जुलाई 2024 तक, 70 देशों ने TPNW की पुष्टि की है और 27 देशों ने हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

भारत का परमाणु कार्यक्रम:

भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम सुरक्षा चिंताओं और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की इच्छा के संयोजन से उत्पन्न हुआ। भारत का मानना था कि संभावित विरोधियों को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु क्षमता विकसित करना आवश्यक था। भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के लिए उत्प्रेरक परमाणु खतरों के साथ इसका प्रत्यक्ष अनुभव था, विशेष रूप से:

- चीनी परमाणु परीक्षण (1964):** भारत चीन के परमाणु परीक्षणों से सीधे प्रभावित हुआ, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर चिंताएँ पैदा हुईं।
- पाकिस्तान के द्वारा परमाणु ब्लैकमेलिंग:** भारत को पाकिस्तान से परमाणु धमकी का भी सम्मान करना पड़ा, जिससे एक निवारक की आवश्यकता को और बढ़ावा मिला।
- स्माइलिंग बुद्ध:** भारत की परमाणु यात्रा पहले परमाणु परीक्षण,

स्माइलिंग बुद्ध (1974) से शुरू हुई, जिसने इसकी रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया।

- **ऑपरेशन शक्ति (1998):** पोखरण में परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। इस ऑपरेशन ने वैश्विक परमाणु हथियार क्लब में भारत के औपचारिक प्रवेश का संकेत दिया। तब से, भारत ने एक परमाणु त्रय विकसित किया है, जो भूमि-आधारित, समुद्र-आधारित और वायु-आधारित प्लेटफार्म से परमाणु हथियार वितरित करने की क्षमता सुनिश्चित करता है।

परमाणु हथियारों के प्रति भारत का दृष्टिकोण कई प्रमुख सिद्धांत:

- **विश्वसनीय न्यूनतम निवारण:** भारत एक परमाणु शस्त्रागार रखता है जो निवारण के लिए पर्याप्त है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अन्य देशों को धमकी देने से बचना है।
- **पहले उपयोग नहीं:** भारत ने पहले उपयोग नहीं करने की नीति घोषित की है, जिसका अर्थ है कि वह परमाणु हथियारों का उपयोग शुरू नहीं करेगा। परमाणु हथियारों का उपयोग केवल तभी जवाबी कार्रवाई में किया जाएगा जब भारत पर पहले परमाणु हथियारों से हमला किया जाएगा।
- **गैर-परमाणु हथियार वाले देशों के खिलाफ उपयोग न करना:** भारत ने उन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग न करने की प्रतिबद्धता जताई है जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं।
- **केवल जवाबी कार्रवाई:** भारत का परमाणु सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि उसके परमाणु हथियार केवल निवारण के लिए हैं और कोई भी उपयोग आक्रामक नहीं बल्कि जवाबी प्रकृति का होगा।
- **बहुपक्षीय कानूनी व्यवस्था:** भारत इन प्रतिबद्धताओं को बहुपक्षीय कानूनी ढाँचों में बदलने के लिए तैयार है, जोकि वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों में योगदान देने की उसकी तपतरा को दर्शाता है।

परमाणु निवारण में बदलती गतिशीलता:

- हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं ने परमाणु निवारण के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया है। चीन और रूस के बीच घनिष्ठ संबंधों के बावजूद, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सार्वजनिक रूप से पुतिन की परमाणु धमकियों का विरोध किया। इस बीच, अमेरिका ने यह स्पष्ट किया है कि वह बिना परमाणु प्रतिक्रिया के, परमाणु उक्साके का उचित तरीके से जवाब देगा।
- यह दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि परमाणु हथियारों का सहारा लिए बिना भी परमाणु खतरों का मुकाबला किया जा सकता है। इसने लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती दी है कि निवारण के लिए परमाणु शस्त्रागार आवश्यक हैं।

परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत की स्थिति:

- भारत ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) में शामिल होने से परहेज किया है, जिसका कारण संधि के प्रवर्तन तंत्र और परमाणु-सशस्त्र राज्यों की भागीदारी के संबंध में उठाई गई चिंताएँ हैं। भारत ने न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT) को भेदभावपूर्ण माना है, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि NPT ने परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने कभी भी इस संधि को कमजोर करने का प्रयास नहीं किया।

- अन्य परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र भी TPNW से दूर हैं, लेकिन वे इसका खुला विरोध नहीं करते। TPNW की कुछ सीमाएँ हैं, खासकर इसकी कमजोर प्रवर्तन क्षमता। फिर भी, यह महत्वपूर्ण है कि यह परमाणु हथियारों को अवैध ठहराने में मदद कर सकती है। यह संधि परमाणु हथियारों को रासायनिक और जैविक हथियारों के समान युद्ध के अछूत औजारों के रूप में स्थापित कर सकती है, जो वैश्विक सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हालाँकि, इस बदलाव में समय लगेगा, और निकट भविष्य में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य कदम:

- **समर्थन को प्रोत्साहित करना:** TPNW की वैश्विक मान्यता बढ़ाने के लिए अधिक देशों को इसे अपनाना आवश्यक है। उन देशों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया है लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है।
- **मानक समर्थन का निर्माण:** प्रचार प्रयासों को परमाणु हथियारों के खिलाफ एक वैश्विक मानदंड स्थापित करने पर कोर्डिट्रिट करना चाहिए और परमाणु निरोध रणनीतियों पर सवाल उठाना चाहिए।
- **परमाणु-सशस्त्र राष्ट्रों को शामिल करना:** जो भी राष्ट्र TPNW का हिस्सा नहीं हैं, उनके साथ निरस्त्रीकरण सार्थक बातचीत शुरू करना आवश्यक है।
- **अनुपालन की निगरानी:** संधि की प्रभावशोलता सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन की निगरानी और रिपोर्टिंग के तंत्र को लागू करना जरूरी है।
- **शिक्षा और बकालत को बढ़ावा देना:** परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने से निरस्त्रीकरण के लिए जमीनी स्तर पर समर्थन मिल सकता है।
- **परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।** समर्थन को बढ़ावा देने, परमाणु-सशस्त्र राज्यों को बातचीत में शामिल करने, और जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से, संधि में परमाणु हथियारों के प्रति दृष्टिकोण को नया रूप देने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने की क्षमता है। हालाँकि प्रगति धीमी हो सकती है, TPNW अंततः परमाणु शस्त्रागार के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में ले जा सकता है, जिससे एक सुरक्षित और स्थायी विश्व की स्थापना हो सकेगी।

विविध संक्षिप्त मुद्दे

सड़क सुरक्षा में भारत की स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आईआईटी दिल्ली के ट्रिप सेंटर द्वारा जारी 'सड़क सुरक्षा पर भारत की स्थिति रिपोर्ट 2024' ने भारत के सड़क सुरक्षा परिदृश्य का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारत की धीमी प्रगति और क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करते हुए, सटीक डेटा और सशक्त सुरक्षा उपायों की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट करती है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- 2021 में, सड़क यातायात दुर्घटनाएँ भारत में मृत्यु का 13वाँ और विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALYs) के मामले में 12वाँ प्रमुख कारण थीं।
- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडुख्वाइन छह राज्यों में कुल दुर्घटनाओं का लगभग 50% हिस्सा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पैदल यात्री, साइकिल चालक, और मोटरसाइकिल सवार सबसे अधिक जोखिम में हैं, जबकि घातक दुर्घटनाओं में ट्रक सबसे आगे हैं।

राज्यवार विश्लेषण

श्रेणी	राज्य	प्रमुख बिंदु	गंभीरता (प्रति लाख लोग)
उच्च मृत्यु दर वाले राज्य	तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सबसे अधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु दर ➤ इन राज्यों में दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में तेज गति, ओवरलोडिंग, और उचित यातायात सुरक्षा उपायों की कमी शामिल है। 	<ul style="list-style-type: none"> तमिलनाडु: 21.9 तेलंगाना: 19.2 छत्तीसगढ़: 17.6
निम्न मृत्यु दर वाले राज्य	पश्चिम बंगाल, बिहार	<ul style="list-style-type: none"> ➤ न्यूनतम सड़क दुर्घटना मृत्यु दर ➤ बेहतर यातायात नियमों का अनुपालन और अधिक सतर्कता के कारण यह दर कम रही है। 	<ul style="list-style-type: none"> पश्चिम बंगाल: 5.9 बिहार: 5.9
उच्च दुर्घटना दर वाले राज्य	उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कुल दुर्घटनाओं में से लगभग 50% के लिए उत्तरदायी। ➤ सड़कों का अपर्याप्त रखरखाव और व्यस्त सड़कों प्रमुख कारक हैं। 	

- सात राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में मोटर चालित दोपहिया वाहन सवारों के बीच हेलमेट का उपयोग 50% से कम है, जबकि हेलमेट घातक और गंभीर चोटों को कम करने के लिए एक सरल और प्रभावी सुरक्षा उपाय है।
- केवल आठ राज्यों ने अपने राष्ट्रीय राजमार्गों की आधी से अधिक लंबाई का ऑफिट किया है, जबकि बाकी राज्यों ने इससे भी कम किया है। यातायात को सुचारू करने, चिह्नों और संकेतों सहित बुनियादी यातायात सुरक्षा उपाय अधिकांश राज्यों में अपर्याप्त हैं।

भारत की वैश्विक सड़क सुरक्षा स्थिति:

- वर्ष 1990 में, सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले भारतीयों की संख्या स्वीडन जैसे देशों की तुलना में 40% अधिक थी। 2021 तक यह आंकड़ा बढ़कर 600% हो गया।
- स्कैंडिनेवियाई देशों, जैसे स्वीडन, ने सड़क सुरक्षा प्रशासन में

उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। उनके पास सुसंगत और प्रभावी नीतियां, उच्च सुरक्षा मानक और जागरूकता अभियानों का एक मजबूत ढांचा है।

सड़क सुरक्षा प्रबंधन में चुनौतियाँ:

- **अपर्याप्त सुरक्षा उपाय:** हेलमेट जैसे सुरक्षा उपायों के बावजूद, उनका उपयोग कम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **उच्च जोखिम वाले समूह:** मोटर साइकिल चालक, साइकिल चालक और पैदल यात्री सड़क यातायात दुर्घटनाओं में सबसे अधिक असुरक्षित समूह के रूप में पहचाने जाते हैं।
- **अपर्याप्त आघात देखभाल:** रिपोर्ट में भारत में आघात देखभाल सुविधाओं की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला गया है।
- **डेटा की कमी:** राष्ट्रीय दुर्घटनास्तरीय डेटाबेस की अनुपस्थिति सड़क यातायात की घटनाओं को सटीक रूप से ट्रैक करने और

उनका विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ियत करती है।

Safety first

In 2021, road traffic injuries were the 13th leading cause of death in India and the 12th leading cause of health loss.

	Chhattisgarh	Chandigarh	Delhi	Haryana	Maharashtra	Uttarakhand
Pedestrian	19	23	44	29	24	28
Bicycle	4	13	3	3	1	3
Motorised two-wheeler	58	51	40	47	58	48
Motorised three-wheeler	1	7	4	3	1	3
Car	4	4	5	8	6	7
Bus	1	1	0	1	1	4
Truck	5	1	2	5	5	4
Farm tractor	6	0	0	2	2	0
Others	0	1	1	1	2	1
Unknown	0	1	1	0	0	1
Total (%)	100	100	100	100	100	100

	Chhattisgarh	Chandigarh	Delhi	Haryana	Maharashtra	Uttarakhand
Bicycle	0	0	1	0	1	0
Motorised two-wheeler	13	11	6	10	14	10
Motorised three-wheeler	0	7	2	1	0	1
Car	7	36	14	25	14	21
Bus	3	5	6	4	4	7
Truck	24	12	18	32	27	28
Farm tractor	5	1	1	7	4	6
Others	11	12	5	1	5	2
None	16	9	3	2	16	5
Unknown	18	9	45	17	15	21
Total (%)	100	100	100	100	100	100

Source: India Status Report on Road Safety 2024

आगे की राह:

- **अनुरूप क्षेत्रीय रणनीतियाँ:** राज्यों में सड़क सुरक्षा प्रदर्शन में महत्वपूर्ण असमानताओं को देखते हुए रिपोर्ट अनुरूप रणनीतियों की वकालत करती है जो विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को संबोधित करती हैं।
- **घातक दुर्घटनाओं के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस की स्थापना:** एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस सड़क यातायात दुर्घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण करने में सक्षम होगा और विशिष्ट जोखिम कारकों और विभिन्न हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता की पहचान करने में मदद करेगा।
- **जन जागरूकता और शिक्षा:** सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना, सड़क सुरक्षा रणनीतियों का एक अधिनियम हिस्सा है। शिक्षाप्रद अभियानों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, लोग सड़क नियमों के महत्व को समझेंगे।

निष्कर्ष:

सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 भारत में सड़क सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों को उजागर करती है। सुधारों के बावजूद, कमज़ोर सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय दुर्घटना निगरानी प्रणाली, सुरक्षा उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन, और क्षेत्रीय रणनीतियाँ अपनाकर भारत सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकता है। यह रिपोर्ट सभी के लिए सुरक्षित सड़कों सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल भी देती है।

औषधि अधिनियम का नियम 170

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता ने आयुष मंत्रालय की 1 जुलाई को अधिसूचना जारी करने के लिए आलोचना की, जिसमें राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियम 170 को लागू करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया था। 2018 में पेश किया गया यह नियम आयुष उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए बनाया गया था।

नियम 170 क्या है?

- 2018 में पेश किया गया नियम 170 आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी (आयुष) उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था।
- इसे संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था, जिसने आयुष क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की समस्या को उजागर किया था।

मुख्य प्रावधान:

- यह नियम आयुष औषधि निर्माताओं को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति और विशिष्ट पहचान संख्या के आवंटन के बिना उत्पादों का विज्ञापन करने से रोकता है।
- इसके लिए निर्माताओं को सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता के साक्ष्य के साथ-साथ आधिकारिक ग्रंथों से संदर्भ और तर्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

विज्ञापनों को अस्वीकार करने के कारणों की रूपरेखा:

- संपर्क विवरण की कमी।
- अश्लील सामग्री।
- यौन अंगों के संबंधन से संबंधित दावे।
- मशहूर हस्तियों या सरकारी अधिकारियों की तस्वीरों/प्रशंसापत्रों का उपयोग।
- सरकारी संगठनों का संदर्भ।
- भ्रामक दावे।

आयुष औषधियों को विनियमित करने में चुनौतियाँ:

- **लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ:** आयुष औषधि निर्माताओं को, उनके एलोपैथिक समकक्षों की तरह, औषधि नियंत्रक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। हालाँकि, एलोपैथिक दवाओं के विपरीत, आयुष दवाओं को स्वीकृति से पहले नैदानिक परीक्षणों (चरण I, II और III) या जेनेरिक संस्करणों के लिए समतुल्यत अध्ययन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश आयुष दवाओं को पारंपरिक चिकित्सा धारा के लिए विशिष्ट आधिकारिक ग्रंथों के संदर्भों के आधार पर अनुमोदित किया जा सकता है।
- **सुरक्षा परीक्षण:** सुरक्षा परीक्षण केवल उन आयुष योगों के लिए

आवश्यक हैं जिनमें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में सूचीबद्ध विशिष्ट तत्व (जैसे, साँप का जहर, आर्सेनिक और पारा जैसी भारी धातुएँ) शामिल हैं।

- **प्रभावकारिता प्रमाण:** विशिष्ट तत्वों वाली दवाओं या नए संकेतों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक दवाओं के लिए, अधिनियम के तहत प्रभावशीलता का प्रमाण आवश्यक है।

नियम 170 को हटाने की सिफारिशः

- आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (ASUDTAB), एक विशेषज्ञ नियामक निकाय जो आयुष दवाओं के विनियमन से संबंधित कार्यों की सिफारिश करता है, ने मई 2023 की बैठक के दौरान नियम 170 को हटाने की सिफारिश की।
- इसने तर्क दिया कि नियम 170 को हटाया जा सकता है क्योंकि औषधि और जार्दुई उपचार अधिनियम में भ्रामक विज्ञापनों से निपटने वाला एक और कानून - स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालयों द्वारा संभाला जा रहा था।

निष्कर्षः

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियम 170 की स्थापना आयुष क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले और नियामक निकायों की सिफारिशों के कारण इसका भविष्य अनिश्चित है। आयुष मंत्रालय द्वारा प्रवर्तन में ढांग देने का निर्णय पारंपरिक दवाओं को विनियमित करने और उद्योग की जरूरतों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को संतुलित करने में शामिल जटिलताओं को उजागर करता है।

वैश्विक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में द लैंसेट में प्रकाशित 'आहार सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपर्याप्तता का वैश्विक आकलन: एक विश्लेषण' नामक लेख के अनुसार, भारतीय आबादी द्वारा 15 आहार सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन अपर्याप्त है। दुनिया की अधिकांश आबादी, एक छोटे हिस्से को छोड़कर, पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं ले रही है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुः

- यह विश्लेषण सूक्ष्म पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन का पहला वैश्विक अनुमान प्रस्तुत करता है, जिससे पोषण में महत्वपूर्ण असमानता का पता चलता है। अध्ययन के अनुसार:
- 5 बिलियन से अधिक लोग (वैश्विक आबादी का 68%) पर्याप्त आयोडीन का सेवन नहीं करते हैं।
- 67% लोगों में विटामिन ई का सेवन अपर्याप्त है, और 66% को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता है।
- 4 बिलियन से अधिक लोग (जनसंख्या का 65%) आयरन की कमी से पीड़ित हैं, जबकि 55% लोगों में पर्याप्त राइबोफ्लेविन,

54% में फोलेट और 53% में विटामिन सी की कमी है।

लिंग आधारित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमीः

- महिलाओं में आयोडीन, विटामिन बी12, आयरन और सेलेनियम का सेवन पुरुषों की तुलना में कम पाया गया।
- अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं में कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ई और फोलेट की कमी अधिक थी।
- इसके विपरीत, पुरुषों में मैनीशियम, विटामिन बी6, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ए, थायमिन और नियासिन की कमी की दर अधिक थी।

निष्कर्षः

यह अध्ययन संतुलित आहार के महत्व को उजागर करता है, विशेषकर शाकाहारी आबादी के लिए। यह इंगित करता है कि मांसाहारी आहार में लाल मांस की तुलना में चिकन और मछली अधिक समृद्ध सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साथ ही, अध्ययन यह भी इंगित करता है कि बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, हालांकि कुछ बच्चे अभी भी चयापचय संबंधी विकारों से ग्रस्त हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व समग्र स्वास्थ्य और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान समय-समय पर आहार संबंधी दिशानिर्देश जारी करता है, जो व्यक्तिगत पोषण संबंधी आवश्यकताओं, कमज़ोर वर्गों की स्थिति और भोजन के पोषण मूल्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं।

सैन्य क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग पर दूसरा शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सियोल में सैन्य क्षेत्र में जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आरईएआईएम) शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें अमेरिका सहित 100 से अधिक देश मौजूद थे।

आरईएआईएम शिखर सम्मेलन के बारे मेंः

- सितंबर 2024 में दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर शिखर सम्मेलन (आरईएआईएम), सैन्य एआई अनुप्रयोगों पर मानदंडों को आकार देने के लिए वैश्विक कूटनीति का हिस्सा है।
- इस शिखर सम्मेलन की केन्या, नीदरलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम द्वारा सह-मेजबानी की गई, शिखर सम्मेलन में सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तकनीकी कंपनियां, शिक्षाविद और नागरिक समाज शामिल हैं।
- यह दूसरा शिखर सम्मेलन है, पहला फरवरी 2023 में नीदरलैंड के हेग में हुआ था। हालांकि पहले शिखर सम्मेलन में अपेक्षित परिणाम नहीं आए, लेकिन इसने हितधारकों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल करके सैन्य एआई पर बहस को व्यापक बना दिया।
- यूक्रेन पर चल रहे आक्रमण के कारण रूस को शिखर सम्मेलन

से बाहर रखा गया था।

शिखर सम्मेलन का फोकस:

- सम्मेलन सैन्य अनुप्रयोगों में एआई के 'जिम्मेदार उपयोग' पर जोर देता है। आईएआईएम प्रक्रिया जिम्मेदार AI उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कई प्रयासों में से एक है। यह 'हत्यारे रोबोट' से परे मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल करने के लिए बहस का विस्तार करता है।
- एआई सिस्टम अब युद्ध में खुफिया, निगरानी और टोही में उपयोग किए जाते हैं। अग्रणी सेनाओं ने AI को निम्नलिखित के लिए उपयोगी पाया है:
 - » युद्धक्षेत्र डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना
 - » परिस्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करना
 - » लक्ष्यीकरण में सटीकता बढ़ाना
 - » नागरिक हताहतों की संख्या को सीमित करना
 - » निर्णय लेने की गति और युद्ध की गति को बढ़ाना
- हालाँकि, AI निर्णय लेने वाली सहायता प्रणालियों (AI-DSS) का प्रसार अब त्वाप्त प्रक्रिया के तहत बहस का एक प्रमुख मुद्दा है।

अमेरिका, चीन और भारत का रुखः

- **अमेरिकी पहलः**: अमेरिका ने अपने NATO सहयोगियों को युद्ध में एआई के जिम्मेदार उपयोग के लिए मानदंड अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- यह एआई के सैन्य अनुप्रयोगों, विशेष रूप से परमाणु नियोग के लिए इसके संभावित निहितार्थों पर चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर रहा है।
- 2024 की शुरुआत में, अमेरिका ने UNGA में जिम्मेदार AI उपयोग पर एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे 123 देशों ने सह-प्रयोजित किया और सर्वसम्मति से अपनाया गया।
- **चीन की स्थिति**: चीन सैन्य एआई पर रणनीतिक और विनियामक चर्चा में सबसे आगे है, जो 'बुद्धिमान युद्ध' की अवधारणा को बढ़ावा देता है।
- 2021 में, चीन ने सैन्य एआई को विनियमित करने पर एक श्वेत पत्र जारी किया और REAIM प्रक्रिया और हेग शिखर सम्मेलन में जारी जिम्मेदार एआई उपयोग पर 'कार्रवाई के लिए आहवान' का समर्थन किया।
- **भारत की भूमिका**: हालाँकि भारत ने हेग शिखर सम्मेलन के 'कार्रवाई के आहवान' का समर्थन नहीं किया, लेकिन वैश्विक AI मानदंडों को आकार देने में इसकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। परमाणु हथियार नियंत्रण के साथ भारत के पिछले अनुभव, जहाँ इसे नियम बनाने के दौरान दरकिनार कर दिया गया था, सैन्य AI के लिए वैश्विक मानदंड-निर्धारण में जल्दी शामिल होने के महत्व को उजागर करता है।

निष्कर्षः

जैसे-जैसे सैन्य अभियानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग बढ़

रहा है, युद्ध में इसके उपयोग को विनियमित करने के राजनीतिक प्रयास गति पकड़ रहे हैं। यूक्रेन और गजा जैसे चल रहे संघर्ष सैन्य अनुप्रयोगों के लिए 'एआई प्रयोगशालाएँ' बन रहे हैं, जिससे युद्ध में AI के जोखिमों को सीमित करने के लिए वैश्विक मानदंडों के लिए कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं। जबकि भारत नागरिक क्षेत्रों में एआई के विकास और सुरक्षित उपयोग में लगा हुआ है, यह अभी तक एआई के सैन्य उपयोग को सीमित करने पर वैश्विक चर्चाओं से दूर रहा है। हालाँकि, जैसे-जैसे 'एआई हथियार नियंत्रण' के लिए नए वैश्विक ढाँचे उभर रहे हैं, भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण (RESET)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 'सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण' (रीसेट) कार्यक्रम शुरू किया है।

रीसेट कार्यक्रम के बारे में:

- रीसेट कार्यक्रम सेवानिवृत्त भारतीय खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक पहल है, जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है और महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं।
- यह कार्यक्रम इन एथलीटों को उनके रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करके उनके करियर विकास की यात्रा में सहायता करने पर केंद्रित है।
- लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलाएनआईपीई) अपने पायलट चरण के दौरान रीसेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा।

उद्देश्यः

- **करियर विकासः**: यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त एथलीटों को प्रासारिक ज्ञान और कौशल से लैस करके उन्हें नए करियर में बदलने में मदद करेगा।
- **पीढ़ियों के बीच का सेतुः**: सेवानिवृत्त एथलीटों के समृद्ध अनुभव का लाभ उठाकर, कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में खेलों के विकास को बढ़ावा देते हुए महत्वाकांक्षी एथलीटों की नई पीढ़ी को लाभान्वित करना है।
- **राष्ट्र निर्माणः**: यह पहल भविष्य के चैंपियनों को तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त एथलीटों की विशेषज्ञता को पहचानकर और उनका उपयोग करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है।

पात्रता:

- 20 से 50 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त एथलीट।
- अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले।

➢ राष्ट्रीय और राज्य पदक विजेता या राष्ट्रीय खेल महासंघों, भारतीय ओलंपिक संघ या युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले।

कार्यक्रम संरचना:

- कार्यक्रम शुरू में दो शैक्षिक स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रदान करेगा:
 - » एक कक्षा 12वीं और उससे ऊपर की योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए।
 - » दूसरा कक्षा 11वीं और उससे कम योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए।
- RESET एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा जिसमें एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और व्यावहारिक, ऑन-ग्राउंड प्रशिक्षण के माध्यम से स्व-गति से सीखना दोनों शामिल है। ऑन-ग्राउंड प्रशिक्षण में खेल संगठनों, खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों और लीगों में इंटर्नशिप और व्यावहारिक अनुभव शामिल होगा।
- प्रतिभागियों को विभिन्न खेल-संबंधी क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, उन्हें उद्यमशील उपक्रमों का समर्थन करने के लिए प्लेसमेंट सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

भारत में खेल प्रशासन का इतिहास:

- 1950 का दशक: कमज़ोर खेल मानकों को संबोधित करने के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद (AICS) की स्थापना।
- 1982: 1982 में एशियाई खेलों के बाद खेल विभाग को युवा मामले और खेल विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- 1984: राष्ट्रीय खेल नीति की शुरूआत।
- 2000: विभाग का युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) में रूपांतरण।
- 2011: भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता की अधिसूचना।
- 2022: एरोबेटिक्स, ड्रोन उड़ान और पैराशूटिंग जैसी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का शुभारंभ।

खेल प्रशासन का वर्तमान मॉडल:

- शासन मॉडल में युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS), भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), राज्य ओलंपिक संघ (SOAs), राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) जैसे हितधारक शामिल हैं। इन संस्थाओं की खेलों के प्रबंधन और प्रचार में एक-दूसरे से जुड़ी भूमिकाएँ हैं।

निष्कर्ष:

भारत में खेल प्रशासन में सुधार के लिए मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और पेशेवर ढाँचा बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, RESET कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम है जो सेवानिवृत्त एथलीटों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनके कौशल भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को लाभान्वित करते रहें।

शहरी नियोजन और निहितार्थ

चर्चा में क्यों?

नेचर सिटीज में प्रकाशित एक नवीन अध्ययन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, विशेषकर एशियाई देशों के शहरों में, क्षैतिज विस्तार की तुलना में ऊर्ध्वाधर विस्तार की प्रवृत्ति अधिक तीव्रता से उभर रही है।

अध्ययन से मुख्य निष्कर्ष:

- अध्ययन में शहरों के ऊर्ध्वाधर और द्वि-आयामी (2D) विकास का विश्लेषण रिमोट सेसिंग उपग्रह डेटा के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही, स्कैटरोमीटर तकनीक का उपयोग करके माइक्रोवेव पल्स उत्सर्जित कर और परावर्तित डेटा का विश्लेषण किया गया, जिससे शहरी संरचनाओं के आयतन में परिवर्तन का मापन संभव हुआ।
- अध्ययन के अनुसार, 1990 से 2020 तक शहरी आबादी में लगभग 2 बिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। 1990 के दशक से 2010 के दशक तक दुनिया भर के 1,500 से अधिक शहरों को कवर करने वाले एक अध्ययन में पाया गया कि इस अवधि के दौरान ऊर्ध्वाधर विकास में तेजी आई है, विशेष रूप से पूर्वी एशियाई शहरों में, जिनमें चीन के शहर भी शामिल हैं।
- विशेषकर एशियाई शहरों में, क्षैतिज विस्तार की तुलना में ऊर्ध्वाधर विस्तार तेजी से हो रहा है। ऊंची इमारतें सीमित स्थान में अधिक जनसंख्या को समायोजित करने में सक्षम होती हैं, लेकिन इससे मौजूदा बुनियादी ढाँचे, स्थानीय पर्यावरण और जलवायु पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो सकता है।

भारत के लिए निष्कर्ष:

- भारतीय शहरों में मिश्रित विकास पैटर्न देखा जाता है, जिसमें बड़े शहरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार का विस्तार हो रहा है।
- भवन निर्माण संबंधी नियम, विशेषकर ऊंचाई पर लगे प्रतिबंध, पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशियाई शहरों की तुलना में भारत में ऊर्ध्वाधर विकास को सीमित करते हैं।
- दिल्ली के लुटियंस बंगला क्षेत्र जैसे केंद्रीय इलाकों में ऊर्ध्वाधर विकास पर कठोर प्रतिबंध लागू हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऊंची इमारतों का विकास नोएडा और गुरुग्राम जैसे बाहरी क्षेत्रों की ओर केंद्रित हो गया है।

चुनौतियाँ:

- **पुरानी शहरी योजना:** भारतीय शहरों के नियोजन कानून पुराने हो चुके हैं, जो परिवहन, ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य आधुनिक शहरी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। कई शहर, जैसे बैंगलुरु, अभी भी पुराने मास्टर प्लान के तहत कार्य कर रहे हैं, जिससे जलवायु लचीलापन और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए समग्र योजना की कमी स्पष्ट होती है। इससे शहरी विकास की चुनौतियाँ और जटिल हो जाती हैं।

शहरी हीट आइलैंड प्रभाव:

➤ ऊर्ध्वाधर विस्तार और हरित क्षेत्रों की कमी के कारण शहरी तापमान में वृद्धि होती है, जिससे स्थानीय मौसम पैटर्न प्रभावित होते हैं। साथ ही, निर्मित क्षेत्रों में विस्तार हवा की गति को धीमा कर सकता है, जो स्थानीय जलवायु को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

सिफारिशें:

- **मास्टर प्लानिंग अधिनियमों का अद्यतन:** परिवहन, ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जैसी आधुनिक शहरी चुनौतियों का समाधान करने हेतु मास्टर प्लानिंग अधिनियमों का पुनर्विचार और अद्यतन आवश्यक है, ताकि शहरी विकास की समकालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- **स्थानीय नीतियों का विकास:** स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियाँ विकसित की जानी चाहिए जो नागरिकों की आकांक्षाओं को स्थिरता और रहने योग्य लक्ष्यों के साथ संतुलित कर सकें।
- **ऊर्ध्वाधर विकास की नीतियाँ:** भारत में भविष्य के ऊर्ध्वाधर विकास के लिए सूचित नीतियों का निर्माण वर्तमान प्रक्षेपवक्र के आधार पर करना आवश्यक है, जिससे शहरी विस्तार को नियंत्रित और संरचित किया जा सके।
- **त्रि-आयामी शहरी विकास:** शहरी नियोजन में त्रि-आयामी (3D) संरचनाओं की समझ को शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकताओं का बेहतर अनुमान लगाया जा सके, जिससे अधिक कुशल और टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष:

कोई भी एकल समाधान सभी शहरों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि विभिन्न शहरी संदर्भों में विशिष्ट चुनौतियाँ और आवश्यकताएँ होती हैं। इसलिए, अनुकूलित नियोजन और विनियमन की आवश्यकता है, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हो।

एस.सी. समुदाय के विरुद्ध अपराध में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में अनुसूचित जातियों (SCs) के खिलाफ अत्याचार के मामलों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहे। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 51,656 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 23.78% (12,287 मामले) केवल उत्तर प्रदेश से थे। इसके बाद राजस्थान में 8,651 (16.75%) और मध्य प्रदेश में 7,732 (14.97%) मामले दर्ज हुए।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ

अत्याचार के मामलों में लगभग 97.7% घटनाएँ 13 राज्यों से आईं, जिनमें यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे आगे थे। अन्य राज्यों में बिहार (6,799 मामले), ओडिशा (3,576 मामले) और महाराष्ट्र (2,706 मामले) शामिल हैं। ये छह राज्य कुल मामलों का लगभग 81% हिस्सा बनाते हैं।

- रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों में 60.38% में चार्जशीट दाखिल की गई, वहाँ अनुसूचित जनजातियों (STs) से संबंधित मामलों में 63.32% मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई।
- अनुसूचित जातियों के मामलों में 17,166 मामले अभी भी जांचाधीन हैं। 2022 में, सजा की दर गिरकर 32.4% पर पहुँच गई, जो 2020 में 39.2% थी। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है, जो न्याय प्रणाली की चुनौतियों को दर्शाती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 194 जिलों में विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं, जबकि 498 जिलों में से केवल 14 राज्यों में यह व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश ने 'अत्याचार प्रवण क्षेत्रों' की पहचान नहीं की है, हालाँकि यह राज्य सबसे अधिक मामलों की रिपोर्ट करता है।

अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा के लिए

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद-15 (1):** धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
- **अनुच्छेद-17:** अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- **अनुच्छेद-23:** जबरन श्रम या बेगार प्रथा पर रोक लगाता है।
- **अनुच्छेद-46:** राज्य को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद-16 (4) एवं 16 (5):** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं तथा पदों में आरक्षण प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद-21:** जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार भी शामिल है।
- **अनुच्छेद-335:** राज्य को SCs और STs का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:

- **उद्देश्य:** SCs और STs के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए मजबूत कानूनी आधार प्रदान करना।
- **विशेष न्यायालय:** अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाता है।
- **सुरक्षा और न्याय:** जाति आधारित हिंसा का सामना करने वाले कमज़ोर समुदायों को सुरक्षा तथा न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

निष्कर्ष:

इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि जातीय आधारित हिंसा और दलितों के प्रति अत्याचार के मामलों को रोकने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यों को चाहिए कि वे उन जिलों में लक्षित हस्तक्षेप करें, जो अत्याचार के लिए अधिक संवेदनशील हैं, ताकि कमज़ोर समुदायों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने ग्लोबल साइबर सुरक्षा इंडेक्स (जीसीआई) 2024 में शीर्ष टियर अर्थात् टियर 1 का दर्जा प्राप्त किया है। यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा प्रकाशित की गई है। भारत ने 100 में से 98.49 का उत्कृष्ट स्कोर प्राप्त कर 'रोल-मॉडलिंग' देशों की श्रेणी में अपनी जगह बनाई है, जो वैश्विक साइबर सुरक्षा प्रयासों के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सीआई 2024 का मूल्यांकन की विधि:

- जीसीआई 2024 ने पांच मुख्य स्तंभों पर आधारित राष्ट्रीय प्रयासों का मूल्यांकन किया है:
 - » कानूनी
 - » तकनीकी
 - » संगठनात्मक
 - » क्षमता विकास
 - » सहयोग
- इसमें 83 प्रश्न शामिल हैं, जो 20 संकेतकों, 64 उप-संकेतकों और 28 माइक्रो-संकेतकों को कवर करते हैं, जिससे प्रत्येक देश के साइबर सुरक्षा परिदृश्य का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है।

भारत की उपलब्धियों का कारण:

- भारत का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन सरकार द्वारा साइबर रेजिलिएंस को बढ़ावा देने और साइबर अपराध के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में की गई पहलों का परिणाम है।
- इसके अलावा, विभिन्न सेक्युरिट कंप्यूटर इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम्स (सीएसआईआरटी) तकनीकी सहायता और घटना की रिपोर्टिंग प्रदान कर रही हैं, जोकि भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करती हैं।

शिक्षा और जागरूकता:

- भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा और जागरूकता है। लक्षित अभियानों और शैक्षिक पहलों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को बढ़ावा दिया है।
- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा को शामिल करने से डिजिटल नागरिकों को जागरूक और तैयार किया जा रहा है।

वैश्विक सहयोग:

- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने भारत के क्षमता-निर्माण और सूचना-साझाकरण प्रयासों को मजबूत किया है। इससे भारत की साइबर सुरक्षा में वैश्विक नेता के रूप में भूमिका भी मजबूत हुई है।

भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम:

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): साइबर अपराध से लड़ने और साइबर सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया है।
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In): साइबर सुरक्षा घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए जिम्मेदार है।
- साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम: नागरिकों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (NCCC): विभिन्न सरकारी एजेंसियों और हितधारकों के बीच साइबर सुरक्षा प्रयासों का समन्वय करता है।
- साइबर स्वच्छता केंद्र: साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी और संसाधन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013: भारत की साइबर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने की रणनीति को रेखांकित करता है।

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के बारे में

- ❖ **स्थापना:** इसकी स्थापना 1865 में अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के रूप में हुई थी।
- ❖ **संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा:** 1947 में (ICT) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई।
- ❖ **संरचना:** यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो सरकारों और निजी क्षेत्र के निकायों के बीच वैश्विक दूरसंचार और सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सेवाओं के संबंध में समन्वय करता है।
- ❖ **सदस्य देश:** इसके पास 193 देशों और 1000 से अधिक कंपनियों, विश्वविद्यालयों तथा अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों की सदस्यता है।
- ❖ **मुख्य कार्य:** वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन करना, दूरसंचार/(ICT) से संबंधित तकनीकी मानकों का समन्वय और निर्धारण करना और विश्व भर में कम सेवा प्राप्त समुदायों में ICT तक पहुंच सुधारने का कार्य करना।
- ❖ **भारत और ITU:** भारत 1869 से ITU का सक्रिय सदस्य है और 1952 से ITU परिषद का नियमित सदस्य रहा है।
- ❖ **मुख्यालय:** इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

निष्कर्ष:

जोसीआई 2024 में टियर 1 पर पहुंचना, भारत की इस सफलता से साफ होता है कि देश ने उन्नत साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को अपनाया है। यह न केवल भारत सरकार के डिजिटल डोमेन को सुरक्षित करने के प्रति समर्पण को दर्शाता है, बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक मानक स्थापित करता है।

लोथल में जहाज-बाड़े की पुष्टि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-गांधीनगर के अध्ययन में हड्पा सभ्यता के दैशन गुजरात के लोथल में एक महत्वपूर्ण डॉकयार्ड के उपस्थिति का खुलासा किया है। इस अध्ययन से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं, जो लोथल के समुद्री और व्यापारिक महत्व को स्पष्ट करते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष:

- अध्ययन से पता चला है कि हड्पा सभ्यता के समय साबरमती नदी लोथल के पास बहती थी। वर्तमान में यह नदी लोथल से 20 किमी दूर बह रही है, लेकिन प्राचीन काल में यह नगर के समीप थी।
- अहमदाबाद को लोथल, नल सरोवर आर्द्धभूमि और छोटे रण के माध्यम से धोलावीरा (एक अन्य हड्पा स्थल) से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण यात्रा मार्ग भी था। शोधकर्ताओं ने परिकल्पना की है कि लोथल से कच्छ के रण तक एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था, जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण था।
- लोथल के पूर्वी क्षेत्र में एक बड़ा समलम्बाकार बेसिन पाया गया है, जो लगभग 222 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है।
- इसमें एक इनलेट और आउटलेट चैनल हैं, जो कार्गो हैंडलिंग में मदद करते हैं। इसके पश्चिमी किनारे पर 240 मीटर चौड़ा मिट्टी की ईंटों का प्लेटफॉर्म है और इसके पास एक 'गोदाम' भी है। ये सभी विशेषताएँ यह दर्शाती हैं कि यह स्थल एक डॉकयार्ड हो सकता है।
- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि व्यापारी खंभात की खाड़ी के माध्यम से गुजरात पहुंचे और संभवतः सामग्री प्राप्त करने के लिए रत्नपुरा गए। इन बस्तुओं को मेसोपोटामिया (आधुनिक इराक) भेजा गया। यह दर्शाता है कि लोथल एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था और इसके माध्यम से समुद्री और नदी मार्गों के माध्यम से व्यापार किया जाता था।

लोथल के विषय में

स्थिति एवं अर्थ:

- लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला गांव में

स्थित एक प्राचीन टीला है। 'लोथल' नाम गुजराती शब्द 'लोथ' (मृतकों का स्थान) और 'थल' (स्थल) से आया है, जिसका अर्थ है 'मृतकों का स्थल'। यह स्थल खंभात की खाड़ी के निकट स्थित है, जिससे इसे अरब सागर तक सीधी पहुंच प्राप्त थी।

आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियाँ:

- लोथल एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। यहाँ कांस्य औजार, मोती और आभूषण निर्मित किए जाते थे। शहर ने तांबा और बहुमूल्य पत्थर आयात किए और मनका उद्योग में विशेष पहचान बनाई।
- लोथल के कारीगरों ने सुंदर आभूषण बनाए और एक अच्छा व्यापार नेटवर्क विकसित किया, जो हड्पा सभ्यता के विभिन्न भागों में माल का निर्यात करता था।

शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा

- लोथल का शहरी नियोजन अत्यंत प्रभावी था, जिसमें सीढ़ीनुमा चबूतरों पर निर्मित मकानों को तीन और से परिधीय दीवारों से घेरा गया था।
- शहर को एकोपोलिस और निचले शहर में विभाजित किया गया, जिसमें पक्की सड़कें, भूमिगत नालियाँ और कुएं जैसी सुविधाएँ शामिल थीं। निचला शहर वाणिज्यिक केंद्र, आवासीय क्षेत्र और जहाजों के लिए घाट से लैस था, जबकि उन्नत जल निकासी प्रणाली ने बाढ़ और अपशिष्ट समस्याओं को नियन्त्रित किया।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन हड्पा सभ्यता के व्यापारिक नेटवर्क और लोथल के महत्व को नई रोशनी में प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट करता है कि लोथल केवल एक पुरातात्त्विक स्थल नहीं था, बल्कि हड्पा काल के समुद्री और वाणिज्यिक नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन निष्कर्षों से प्राचीन भारतीय व्यापारिक मार्गों की समुद्धि और विस्तृतता की जानकारी मिलती है, जोकि भारतीय इतिहास के समुद्री व्यापार के परिदृश्य को और अधिक स्पष्ट बनाती है।

स्वच्छ भारत मिशन ने प्रति वर्ष 70,000 शिशुओं की जान बचायी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित तथा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा लिखित नए शोध पत्र से पता चला है कि भारत में खुले में शौच के उन्मूलन से प्रतिवर्ष लगभग 60,000-70,000 शिशु मृत्यु को रोकने में मदद मिली है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

- 2003 में, अधिकांश जिलों में शिशु मृत्यु दर 60 प्रति 1,000 जीवित जन्मों से अधिक थी। 2020 तक, यह दर घटकर 30 प्रति 1,000 हो गई। SBM के कार्यान्वयन के बाद शौचालय कवरेज में वृद्धि ने शिशु मृत्यु दर में भी व्यापक कमी की।
- अध्ययन से पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय पहुंच वाले जिलों में प्रति हजार जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर में 5.3 प्रतिशत तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 6.8 प्रतिशत की कमी देखी गई।
- स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम पांच वर्षों में शौचालयों की उपलब्धता दोगुनी हो गई तथा खुले में शौच की दर 60% से घटकर 19% हो गई।
- 2014 से 2020 तक सरकार ने 109 मिलियन घरेलू शौचालयों का निर्माण किया।
- अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में से एक यह है कि ऐतिहासिक रूप से, भारत में शौचालय तक पहुंच और बाल मृत्यु दर के बीच एक मजबूत विपरीत संबंध रहा है।
- इस शोध पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिलों में शौचालयों की अधिक उपलब्धता के परिणामस्वरूप संस्थागत प्रसव, मातृ स्वास्थ्य, और प्रसवपूर्व देखभाल में सुधार हुआ है, जिससे स्वास्थ्य परिणाम बेहतर हुए हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन ने शौचालय निर्माण को सूचना, शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता के साथ जोड़ा, जिससे स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
- अध्ययन में यह भी बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों तक विस्तारित पहुंच से फेकल-ओरल बीमारी संचरण के संपर्क में कमी आई है, जिससे दस्त और कुपोषण की घटनाओं में कमी आई है।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM):

- स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य घरेलू और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, उनका उपयोग और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) करना है।
- **कार्यान्वयन:** मिशन के शहरी घटक का कार्यान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा तथा ग्रामीण घटक का कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया।
- **तकनीक का प्रयोग:** इस अभियान में आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग किया गया। प्रत्येक शौचालय को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर मैप किया गया और जियोटेग किया गया, जिससे प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी संभव हुई।
- **जनजागरूकता हेतु प्रयास:** सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) प्रभाग ने सरकारी संवाद को नई ऊर्जा प्रदान की, और शदरवाजा बंदश, शसाफनाही तो माफनाही जैसे अभियानों ने ग्रामीण नागरिकों को संगठित किया।

कार्यक्रम की सफलता:

- भारतीय राज्यों के सभी गांवों द्वारा वर्ष 2019 तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने की उल्लेखनीय उपलब्धि इस मिशन की बड़ी सफलता को रेखांकित करती है।
- इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के दूसरे चरण के तहत 5.12 लाख से अधिक गांवों, जो कुल का गांवों का 87 प्रतिशत है, को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस घोषित किए जाने के साथ भारत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंच गया है।
- शुरू की गई पहल के परिणामस्वरूप 16 राज्यों/केंद्रस्थित प्रदेशों को 100 प्रतिशत खुले में शौच मुक्त प्लस (ओडीएफ प्लस) घोषित किया गया है और 4 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 100 प्रतिशत खुले में शौच मुक्त प्लस (ओडीएफ प्लस) मॉडल श्रेणी का अंतिम उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यह व्यापक चरण केवल खुले में शौच के उन्मूलन से आगे तक फैला हुआ है, जिसमें ग्रेवाटर प्रबंधन, मल कीचड़ प्रबंधन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण पहलू सम्मिलित हैं।

निष्कर्ष:

रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ने केवल शौचालय निर्माण तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि स्वच्छता को एक संरचनात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में स्थापित किया है। हर साल 70,000 शिशुओं की जान बचाने वाला यह अभियान जियो-टैगिंग, GIS-मैपिंग और रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसे उन्नत तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर स्वास्थ्य सुधार में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। शौचालय कवरेज में वृद्धि यह दर्शाती है कि SBM ने स्वच्छता को एक डेटा-संचालित, प्रभावशाली और सतत विकास की दिशा में परिवर्तित किया है, जो भारत को स्वस्थ और सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर करता है।

WHO ने दक्षिण-पूर्व एशिया में सड़क सुरक्षा पर कार्रवाई का आग्रह किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दक्षिण-पूर्व एशिया में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खासतौर पर 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं में उच्च मृत्यु दर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सड़क उपयोगकर्ता, जैसे पैदल यात्री, साइकिल चालक, और दो/तीन पहिया वाहन चालक, इस क्षेत्र में रिपोर्ट की गई सभी सड़क यातायात मौतों का 66% हिस्सा हैं।

मुख्य आँकड़े:

- 2021 में, दक्षिण-पूर्व एशिया में 1.19 मिलियन वैश्विक सड़क यातायात मौतों में से 330,223 की सूचना दी गई, जो कुल संख्या का 28% है।
- भारत में सड़क दुर्घटनाओं से सालाना लगभग 300,000 मौतें

होती हैं, यानी हर घंटे 34 से अधिक मौतें।

- सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद का 5% से 7% नुकसान होता है।

जा सकें।

दक्षिण-पूर्व एशिया की चुनौतियाँ:

- **तेजी से बढ़ता शहरीकरण:** जनसंख्या घनत्व और वाहनों का बढ़ता उपयोग।
- **मोटर चालित वाहनों की बढ़ती संख्या:** सड़कों पर दो और तीन पहिया वाहनों की अधिकता।
- **अपर्याप्त डेटा:** यातायात दुर्घटनाओं से संबंधित व्यापक डेटा की कमी।
- **खराब बुनियादी ढाँचा:** पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए अपर्याप्त सुविधाएँ।
- **सीमित आपातकालीन सेवाएँ:** दुर्घटनाओं के बाद लंबित प्रक्रिया।

सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु उपाय:

- **हेलमेट का उपयोग:** हेलमेट के उपयोग से घातक चोटों में 42% की कमी हो सकती है।
- **गति नियंत्रण:** तेज गति से वाहन चलाने से 70% दुर्घटनाएँ होती हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त प्रवर्तन जरूरी है।
- **बुनियादी ढाँचे में सुधार:** सरकारी प्रयासों के बावजूद कई सड़कों अभी भी असुरक्षित हैं।
- **व्यवहार परिवर्तन:** जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से सुरक्षित सड़क व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- **मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू किया गया,** जिसमें यातायात उल्लंघनों पर सख्त दंड और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शामिल है।
- **किशोरों द्वारा वाहन चलाने के लिए दंड में वृद्धि की गई है।**

वैश्विक पहल:

- सड़क सुरक्षा को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ जोड़ा गया है।
- सितंबर 2020 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'सड़क सुरक्षा 2021-2030 के लिए कार्रवाई का दशक' शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2030 तक सड़क यातायात मौतों और चोटों को 50% तक कम करना है।

आगे की राह:

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कमज़ोर सड़क उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, जिसमें पैदल यात्री, साइकिल चालक और दो/तीन पहिया वाहन चालक शामिल हैं। इसके साथ ही, आघात और आपातकालीन देखभाल प्रणालियों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं के बाद शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके। बेहतर नीति-निर्माण के लिए सड़क सुरक्षा डेटा को सटीक और व्यापक बनाने की आवश्यकता है, जिससे प्रभावी उपाय लागू किए जा सकें।

भारत में स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन कानून की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को भविष्य के स्वास्थ्य संकटों के लिए सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, नीति आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने "जन स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (PHEMA)" के प्रस्ताव की सिफारिश की है। यह पहल स्वास्थ्य प्रबंधन के समग्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जिसमें रोकथाम, नियंत्रण और आपदा प्रतिक्रिया शामिल हैं।

जन स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

- **विभिन्न पहलुओं को संबोधित करना:** PHEMA केवल महाराष्ट्र से ही नहीं, बल्कि गैर-संक्रामक बीमारियों, आपदाओं और जैव-आतंकवाद से भी निपटेगा।
- **कुशल सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारी:** अधिनियम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कुशल सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों के निर्माण को बढ़ावा देगा।
- **सशक्त शासन तंत्र:** एक सशक्त सचिवों का समूह, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे, प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाएगा।

विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें:

- **डेटा प्रबंधन और निगरानी:** संक्रामक बीमारियों के लिए डेटा संग्रहण, पहुंच, साझा करने और विश्लेषण के लिए समन्वित प्रणाली, साथ ही एक एकीकृत डेटा पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
- **अनुसंधान और नवाचार:** प्राथमिक रोगाणुओं पर टीकों और दवाओं के लिए उन्नत अनुसंधान के लिए धन आवंटित किया जाएगा।
- **जोखिम संचार:** एक समर्पित जोखिम संचार इकाई की स्थापना की जाएगी, जिसमें पूर्व-स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रियाएँ होंगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचा:

- **डब्ल्यूएचओ** ने स्वास्थ्य मंत्रालयों और अन्य हितधारकों को निम्नलिखित का अवलोकन प्रदान करने के लिए 'स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचा' (स्वास्थ्य ईडीआरएम) विकसित किया:
 - » नीतियाँ, रणनीतियाँ और कानून
 - » योजना और समन्वय
 - » मानव और वित्तीय संसाधन
 - » सूचना और ज्ञान प्रबंधन

- » जोखिम संचार
 - » स्वास्थ्य अवसंरचना और रसद
 - » स्वास्थ्य ई.डी.आर.एम. के लिए सामुदायिक क्षमताएँ
 - » निगरानी और मूल्यांकन।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के विकास और कार्यान्वयन को सुरक्षित रखने के लिए ठोस जोखिम प्रबंधन आवश्यक है, जिसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) का मार्ग, आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडाइ फ्रेमवर्क, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005), जलवायु परिवर्तन पर परिस समझौता और अन्य संबंधित वैशिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ढांचे शामिल हैं।

निष्कर्ष:

विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक 'भविष्य की महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया- कार्य के लिए एक ढांचा' है, प्रकोप के प्रबंधन में पहले 100 दिनों की महत्वपूर्णता पर जोर देती है। PHEMA और इन सिफारिशों को लागू करके, भारत भविष्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों के लिए अपनी तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत कर सकता है।



An enterprise of Dhyeya IAS



TICKET TO NLU'S

PILOT YOUR WAY TO THE LAW SCHOOL OF YOUR DREAMS

FREE FOR ALL

CLAT UG 2025
ALL INDIA MAJESTIC MOCKS

MODE: OFFLINE TIME: 2:00PM TO 4:00 PM

FREE MOCK DATES

**20TH
OCT**
**27TH
OCT**
**10TH
NOV**
**17TH
NOV**
**24TH
NOV**

9319991061

A-12, Sector J, Aliganj, Lucknow
CP-1, Jeewan Plaza Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha
Gomti Nagar Lucknow

ब्रेन बूटर

मौन रहने का अधिकार अधिकार

मौन रहने के अधिकार की उत्पत्ति और विकास

मध्यकालीन इंग्लैण्डः

- मौन रहने के अधिकार की उत्पत्ति मध्यकालीन इंग्लैण्ड में हुई, जहाँ कानूनी प्रथाएँ किशोर रूप से कठोर थी।
- नेमो डेबेट ग्रोडेरे इस्पमः सिद्धांत 'नेमो डेबेट प्रोडेरे इस्पम', जिसका अर्थ है 'किसी को भी खुद पर आरोप लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए'।
- सिद्धांत 'नेमो डेबेट प्रोडेरे इस्पम', जिसका कोई खुद को दर्शाता है कि व्यक्तियों को दर्शाता है।

सुप्रीम

कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उच्चाल भूड़यां ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देते हुए किंवित को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति भूड़या ने कहा कि जांच एजेंसी किसी आरोपी के खिलाफ दोष नहीं मान सकती या उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाल सकती, जिसने मौन रहने का विकल्प चुना हो।

कानूनी सुरक्षा का विकास:

- इसने ऐसे सुधारों को जन्म दिया, जिन्होंने बलपूर्वक पूछताछ तकनीकों के उपयोग को प्रतिवर्धित किया और यह सुनिश्चित किया कि व्यक्तियों को खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

- इसने ऐसे सुधारों को उपयोग को उत्पादन इंग्लैण्ड में पूछताछ तकनीकों के उपयोग को प्रतिवर्धित किया और यह सुनिश्चित किया कि व्यक्तियों को खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
- आधुनिक कानूनी सुरक्षा:
- आत्म-दोष के विरुद्ध मौलिक सुरक्षा के रूप में त्रुप रहने के अधिकार को कई कानूनी प्रणालियों में एकाकृत किया गया है, जो इसको गहरी ऐतिहासिक जड़ों और मध्ययुगीन प्रथाओं से विकास को दर्शाता है।

मौन रहने के अधिकार के मुख्य पहलु

- सबूत का भार:
- आपराधिक मुकदमों में, प्रतिवादी के अपराध को साबित करना राज्य या अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है।
- अभियोजन पक्ष को प्रतिवादी के अपराध को उचित संदेह से पेरे साबित करना होगा।

निर्दोषता की धारणा:

- किसी आरोपी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे दोषी साबित न कर दिया जाए।
- यह धारणा आरोपी को अनुचित पक्षपात से बचाने में मदद करती है और मुकदमे की प्रक्रिया को निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।
- आत्म-दोष के विरुद्ध सुरक्षा:
- व्याधि मौन रहने का अधिकार एक मौलिक सुरक्षा है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं।
- विशिष्ट परिस्थितियों में, कानून के अंतर्गत अभियुक्त को जांच में सहयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे डीएनए विश्लेषण के लिए फोटोग्राफ, वॉयस रिकॉर्डिंग, एक के नमूने या अन्य शारीरिक सामग्री उपलब्ध कराना।

मौन रहने का अधिकार: संवैधानिक और कानूनी ढांचा

संवैधानिक संरक्षण:

- भारत में, आत्म-दोषी ठहराए जाने के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित है।
- यह प्रावधान गरिबी देता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- इसमें अभियुक्तों के अधिकारों की सुरक्षा

निर्दोषता की धारणा:

- किसी आरोपी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे दोषी साबित न कर दिया जाए।
- यह धारणा आरोपी को अनुचित पक्षपात से बचाने में मदद करती है और मुकदमे की प्रक्रिया को निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।
- आत्म-दोष के विरुद्ध सुरक्षा:
- व्याधि मौन रहने का अधिकार एक मौलिक सुरक्षा है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं।
- विशिष्ट परिस्थितियों में, कानून के अंतर्गत अभियुक्त को जांच में सहयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे डीएनए विश्लेषण के लिए फोटोग्राफ, वॉयस रिकॉर्डिंग, एक के नमूने या अन्य शारीरिक सामग्री उपलब्ध कराना।

ब्रेन बूटर

लोकपाल और लोकायुक्त

ऐतिहासिक संदर्भ और विकास

- प्रारंभिक पहल:**
 - 1985: भारत सरकार द्वारा पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ।
 - जन लोकपाल आंदोलन:**
 - 2011: अन्न हजारों के नेतृत्व में और नागरिक समाज समूहों द्वारा समर्थित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र की आवश्यकता पर जोर लिया, जिसके परिणामस्वरूप जन लोकपाल विधेयक का मस्तैदा तैयार किया गया।

वाला कानून पारित होने के एक दशक से अधिक समय बाद, भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की प्रारंभिक जांच करने के लिए एक जांच बिंग का गठन किया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, 01/01/2014 को लागू हुआ। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद 27/03/2019 को इसने काम करना शुरू कर दिया।

संचयन और संयोजन

- लोकपाल:**
 - अध्यक्ष: भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जाता है।
 - सदस्य: अधिकतम आठ सदस्य, जिनमें से कम 50% सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या भूमिका लोकपाल के समान होती है, लेकिन उनका ध्यान राज्य स्तर के सार्वजनिक अधिकारियों और भ्रष्टाचार पर होता है।

- चयन समिति:**
 - संरचना: समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष,

शक्तियाँ और कार्य

- जाँच:**
 - कार्यक्षेत्र: लोकपाल प्रधानमंत्री, मंत्रियाँ, सांसदों और वरिष्ठ नौकरशाहों सहित सार्वजनिक अधिकारियों और विद्यार्थ सिकायतों की जांच कर सकता है।
 - शिकायत: कोई भी नागरिक कर सकता है और लोकपाल भ्रष्टाचार के सबूतों के आधार पर स्वतः संज्ञान
- सिफारिशें:**
 - कार्याई: लोकपाल अनुशासनात्मक कार्रवाई, अधियोजन या अवैध रूप से अर्जित धन की वसूली की सिफारिश कर सकता है।
 - निवारक उपाय: पारदर्शिता में सुधार और भ्रष्टाचार को हुए संसद को वापिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

कम करने के लिए सुधार और उपाय बता सकता है।

प्रशासनिक निपीक्षण:

- सार्वजनिक अधिकारी:** सार्वजनिक अधिकारियों और संस्थानों के आवश्यकीय समीक्षा करता है।
- रिपोर्ट:** अपनी गतिविधियों और निकर्षों का विवरण देते हुए संसद को वापिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

ब्रेन बूटर

पीएम ई-ड्राइव

योजना के बारे में

- पीएम ई-ड्राइव योजना भारत सरकार की एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देना और हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव हीकल एन्हार्समेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना' के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

उद्देश्य

- बुनियादी ढांचे का विकास: रेज की चिंता को दूर करने के लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थपना।
- ईथन सुरक्षा: जीवरम ईथन पर निर्भरता कम करना।
- आत्मनिर्भर भारत: चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों (पीएमपी) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, ईवी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना।
- रोजगार: विनिर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पेंदा करना।

प्रमुख घटक और आवंटन

समिझी और मांग ग्रेट्स्ट्राहन

- कुल आवंटन: 3,679 करोड़ रुपये।
- वाहन श्रेणियाँ:
 - ई-2डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन): 24.79 लाख इकाइयों के लिए सहायता।
 - ई-3डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन): 3.16 लाख इकाइयों के लिए सहायता।
 - ई-बसें: 14,028 इकाइयों के लिए सहायता।

ई-एम्बुलेंस पहल

- आवंटन: 500 करोड़ रुपये।
- उद्देश्य: आरम और सुरक्षा पर ध्यान कोंदित करते हुए रोगी परिवहन के लिए ई-एम्बुलेंस के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- पानक: MOHFW, MORTH और संबंधित हितधारकों के साथ सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों को विकसित किया जाना है।

ई-बस रखरीद और तैनाती

- कुल आवंटन: 4,391 करोड़ रुपये।
- लक्ष्य: 14,028 ई-बसें।
- मांग एक्स्ट्रीकरण: 40 लाख से अधिक आवादी वाले प्रमुख शहरों में और अंतर-शहरी और अंतरराज्यीय

- यह योजना पर्यावरण प्रदूषण को कम करते, ईथन सुरक्षा को बढ़ाने और सतत परिवहन समाधानों का समर्थन करने पर केंद्रित है।

- मार्गों के लिए सीईएसएल द्वारा प्रबंधित।
- वरीयता: पुरानी एसटीयू बसों को स्कैप करने के बाद वसं खरीदने वाले शहरों/राज्यों को प्राथमिकता।

ई-टकों को बढ़ावा देना

- आवंटन: 500 करोड़ रुपये।
- उद्देश्य: टकों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना।
- ग्रेट्स्ट्राहन: अनुमोदित केंद्रों से स्कैपिंग प्रमाणपत्र वाले ई-टकों के लिए प्रदान किया गया।

ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

- कुल परिव्यय: 2,000 करोड़ रुपये।
- स्थापना लक्ष्य:
 - ई-4डब्ल्यू के लिए फास्ट चार्जर: 22,100 यूनिट।
 - ई-बसों के लिए फास्ट चार्जर: 1,800 यूनिट।
 - ई-2डब्ल्यू/3डब्ल्यू के लिए फास्ट चार्जर: 48,400 यूनिट।

- आवंटन: 780 करोड़ रुपये।
- उद्देश्य: नई ईवी प्रैदौर्योगिकियों को समर्थन करने और हरित गतिशीलता पहलों का समर्थन करने के लिए परोक्ष सुविधाओं को उन्नत करना।

ब्रेन बूटर

भारत में वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण के बारे में

- ❖ वायु प्रदूषण किसी भी गसायनिक, भौतिक या जैविक पदार्थ द्वारा इनडोर या आउटडोर वातावरण का संदर्भ है जो वायुमंडल की प्रकृतिक विशेषताओं को संशोधित करता है।
- ❖ घरेलू दहन उपकरण, मोटर वाहन, औद्योगिक सुविधाएं और जंगल की आग वायु प्रदूषण के समान्य स्रोत हैं।

मुख्यम

कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से खेतों में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और पिछले आदेशों के बावजूद ऐसी घटनाओं को होने देने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। यह टिप्पणी पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने की घबरों पर की गई है।

वायु प्रदूषण

- ❖ पारिकृतेट मैटर एक ऐसा शब्द है जो हवा में निर्वित अल्यंत छोटे ठोस कणों और तरल बूँदों का वर्णन करता है।
- ❖ PM10 (10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण)
- ❖ PM2.5 (2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण)

ओजोन (O_3)

- ❖ ओजोन O_3 , तीन ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना है।
- ❖ ग्राउंड लेवल ओजोन स्मृग का मुख्य घटक है और यह सूर्य के प्रकाश और मोटर वाहनों और ड्यूग जैसे स्रोतों से उत्सर्जन के बीच की प्रस्तर क्रिया का उत्पाद है।

नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड (NO_2)

- ❖ सल्फर ट्राइऑक्साइड एक अत्यधिक प्रतिक्रियशील रैस्प

सल्फर ट्राइऑक्साइड एक अत्यधिक प्रतिक्रियशील रैस्प है जिसकी तीव्री गंध प्रेशान करने वाली होती है। यह बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं में जीवाशम

ईधन के दहन से बनती है।

वायु प्रदूषण के मुख्य कारण

- ❖ जीवाशम ईधन का जलना
- ❖ औद्योगिक उत्सर्जन
- ❖ इनडोर वायु प्रदूषण
- ❖ जंगल की आग
- ❖ माइक्रोबियल क्षय प्रक्रिया
- ❖ परिवहन
- ❖ कचरे को खुले में जलाना
- ❖ निर्माण और विवर्स कृषि गतिविधियाँ
- ❖ रसायनिक सिंथेटिक उत्पादों का उपयोग
- ❖ पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय
- ❖ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)
- ❖ लायू गुणवत्ता नियंत्रण नियंत्रणी और नेटवर्क
- ❖ वाहनों से होने वाले ईधन भरने से होने वाले ग्राउंड लेवल व्यक्तिगत वायु कार्यक्रम
- ❖ वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय
- ❖ पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय
- ❖ एमएसडब्ल्यू और सीएंडडी अपशिष्ट

ब्रेन बूस्टर

खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क

खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क के बारे में

- खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क (MSFN) एक नई पहल है जो खनिज सुरक्षा भागीदारी (MSP) से उपजी है, जो कि 2022 में अमेरिका द्वारा स्थापित एक व्यवस्था है।
- भारत को जून 2023 में MSP में शामिल किया गया था।

उद्देश्य

- वैश्विक खनिज आपूर्ति शृंखलाओं को लचीलापन और सततता को बढ़ाना।
- प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की सिरंग आपूर्ति सुनिश्चित करना।

महत्वपूर्ण खनिज

इसमें लिथियम, कोबाल्ट, इर्डम पृथ्वी तत्त्व और बैटरी, इलेक्ट्रोनिक्स और स्क्रॉल कर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण अन्य खनिज तत्त्व शामिल हैं।

सहयोगात्मक ढांचा

- इसमें निम्नलिखित के बीच भागीदारी शामिल है:
 - सरकार (यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे, स्वीडन, यूके)

- » निजी क्षेत्र की कंपनियाँ
- » नागरिक समाज संगठन
- » इसका उद्देश्य स्थायी सोसायंग के लिए हितधारकों के हितों को संरेखित करना है।

फोकस क्षेत्र

- जिम्मेदार सोसायंग: नैतिक खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।
- निवेश सुविधा: अन्वेषण और सतत खनन परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यावस्था करना।
- आपूर्ति शृंखला पारदर्शिता: अवैध खनन और खनिजों के लिए संचार को कम करने के लिए खनिज आपूर्ति शृंखला में पता लगाने की क्षमता को प्रोत्साहित करना।

भारत अब औपचारिक रूप से खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क का हिस्सा बन गया है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए सदस्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी विवेश विभाग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 14 देशों और यूरोपीय संघ समझौते में शामिल हैं।

नीति समर्थन

- खनिज सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के विकास का समर्थन करता है।
- इसका उद्देश्य एकल-स्रोत देशों, विशेष रूप से अधिक राजनीतिक महौल बाले देशों पर निभाता को कम करना है।

पर्यावरण और सामाजिक शासन

- सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए खनिज सोसायंग में पर्यावरण और सामाजिक शासन मानदंडों को एकीकृत करता है।
- जिम्मेदार खनन प्रथाओं में तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाता है।

क्षमता निर्माण

- देशों और समुदायों को स्थायी खनिज प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करता है।
- जिम्मेदार खनन प्रथाओं में तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाता है।

ब्रेन बूटर

मेक इन इंडिया के 10 वर्ष

25
सितंबर, 2014

शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहले ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र विकसित करने पर इस पहल का ध्यान भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने और इसके विशाल बुवा कार्यबल के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का बादा करता है।

मुख्य बिंदु

- ❖ 'मेक इन इंडिया' अभियान का उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास को बढ़ाना, बौद्धिक संपदा की रक्षा करना और सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।
- ❖ इसे भारत को डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए विजाइन किया गया था।
- ❖ इसे एक महत्वपूर्ण 'वोकल फॉर लोकल' पहल के रूप में

- ❖ देखा जाता है, इसका उद्देश्य दोहरा है।
 - » भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना
 - » वैश्विक मंच पर अपनी औद्योगिक क्षमता का प्रदर्शन करना।
- ❖ "मेक इन इंडिया 2.0" चरण में विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों से 27 क्षेत्र शामिल हैं।

'मेक इन इंडिया' पहल के 4 संभावनाएँ

- ❖ **प्रक्रियाएँ:** कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने, उद्यमशीलता और स्टर्टअप को बढ़ावा देने के लिए 'कारोबार में आसानी' एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है।
- ❖ **नया बुनियादी ढांचा:** औद्योगिक गतिशयरों, स्मार्ट शहरों का विकास, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अत्यधिक तकनीक और हाई-स्पीड संचार को एकीकृत करना, बौद्धिक संपदा करना अधिकार (आईपीआर) बुनियादी ढांचे में सुधार आदि।
- ❖ **नए क्षेत्र:** रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण और रेलवे बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में एफडीआई खोलना।
- ❖ **नई सोच:** औद्योगिक विकास और नवाचार का समर्थन करने के लिए - सरकार ने नियमक के बजाय एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाई है। सरकार देश के आर्थिक विकास में उद्योग के साथ भागीदारी करती है।

1. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पोएलआई) योजनाएं

- ❖ पोएलआई योजना के अंतर्गत शामिल 14 क्षेत्र हैं:
 - ❖ मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक
 - ❖ महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/दवा मध्यस्थ और सक्रिय दवा सामग्री
 - ❖ चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण
 - ❖ ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक
 - ❖ फार्मस्यूटिकल्स इम्प
 - ❖ विशेष स्टील
- ❖ दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक/प्रैद्योगिकी उत्पाद
- ❖ ब्लाइट ग्रुइस (एयर कंडीशनर और एलईडी) खाद्य उत्पाद
- ❖ कपड़ा उत्पाद: एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्र उच्च दक्षता वाले सौर पावर मॉड्यूल
- ❖ उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी ड्यून और डोन घटक

मेक इन इंडिया को सक्षम बनाने के लिए प्रमुख पहल

PTO.

ब्रेन बूटर

मेक इन इंडिया को सक्षम बनाने के लिए प्रमुख पहलें

2. पीएम गतिशक्ति

- ❖ पीएम गतिशक्ति » रेलवे
- ❖ आर्थिक वृद्धि और सत्र विकास के लिए » सड़कें
- » बदरगाह
- » जलमार्ग
- » हवाई अड्डे
- » जन परिवहन
- » यह दृष्टिकोण 7 इंजनों » एसद अवसंरचना
- » द्वारा संचालित है, अर्थातः

4. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति

इसके लक्ष्यों में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक्स प्रशंसन सूचकांक ऐक्या को शीर्ष 25 देशों में सुधारना और डेटा-संचालित नियंत्रण प्रणाली विकसित करना शामिल है।

5. राष्ट्रीय औद्योगिक गणित्यारा विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम मजबूत मर्टली-मॉडल कर्नेक्टिविटी के साथ एकीकृत औद्योगिक गणित्यारों के विकास, विनियोग और व्यावस्थित शहरीकरण में वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

6. स्टार्टअप इंडिया

- ❖ स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी, 2016 को हुई थी।
- ❖ 25 सितंबर, 2024 तक, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकार्सिस्टम है, जिसमें 148,931 DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिन्होंने 15.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं।

7. वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन

- ❖ 1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन भारत के कर सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- ❖ जीएसटी ने देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही अम बाजार में एकीकृत कर दिया, जिससे कर संरचना सरल हो गई और कई करों के प्रभाव को कम किया गया।
- ❖ इससे उत्पादन लागत कम हुई है, जिससे स्थानीय विनियोग अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है।

निष्कर्ष

- ❖ ‘मेक इन इंडिया’ पहल अपनी 10वीं चरणांत मना रही है, यह भारत के विनियोग परिदृश्य को नया आकार देने और अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।
- ❖ भारत के विनियोग और औद्योगिक क्षेत्रों का भविष्य आशाजनक दिखता है, जो नवाचार, बुनियादी ढांचे और आर्थिक उल्लंघनों के लिए नई प्रतिबद्धता से प्रेरित है।

3. सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास

- ❖ भारत ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के हर सेपारेट को सपोर्ट करने वाली नीतियां बनाई हैं, जो सिर्फ फैब्रिकेशन प्लाट (फैब्स) से आगे बढ़कर, पैकेजिंग, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, आउटपोर्ट सेमीकंडक्टर असंबली और रीस्ट्रिंग (OSAT), सेसर और अन्य भी शामिल करती हैं।
- ❖ सेमिकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम में चार प्रमुख योजनाएं शामिल हैं:
 - » भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स स्थापित करने की संशोधित योजना
 - » भारत में डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने की संशोधित योजना
 - » भारत में सेमीकंडक्टर असंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) / OSAT मुख्यधारों के साथ-साथ कंपाउंट सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेसर फैब्स और डिस्ट्रीट सेमीकंडक्टर स्थापित करने की संशोधित योजना
 - » डिजाइन लिंक्ड इंसेटिव (DLI) योजना

ब्रेन बैटर

ऐतिहासिक संदर्भ

भारत का संविधान: एक जीवंत दस्तावेज

भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ.

वार्ड. चंद्रचूड़ ने एम.के. नंदियार मेमोरियल लेक्चर देते हुए कहा कि भारतीय संविधान पिछले कई वर्षों से एक ‘जीवंत दस्तावेज’ के रूप में फल-फूल रहा है। संविधान को एक जीवंत साधन के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह एक ऐसा दस्तावेज है जो भारतीय समाज के लिए शाश्वत मूल्यों को प्रतिपादित करता है, इसमें अपनी निरंतर प्रसंगिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लचीलापन भी है।

संविधान का निर्माण:

- भारतीय संविधान का मसौदा स्वतंत्रता के बाद के विविध और जटिल समाज में तैयार किया गया था।
- इसके निर्माताओं का उद्देश्य एक ऐसा ढाँचा तैयार करना था जो लोकतात्त्विक मूल्यों, सामाजिक न्याय और व्यावसायिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की बहुमुखी चुनौतियों का समाधान कर सके।

वैशिक आदर्शों का प्रभाव:

- सांविधान विभिन्न वैशिक शास्त्रों से लिया गया है, जिसमें विभिन्न कानूनों परंपराओं के सिद्धांतों को एकीकृत किया गया है।
- विचारों के प्रति यह खुलासन वैशिक मानवाधिकार मानकों और लोकतात्त्विक प्रथाओं के अनुरूप इसके विकास को सुगम बनाता है।

जीवंत प्रकृति का समर्थन करने वाली प्रमुख व्यापक भाषा:

- संविधान व्यापक और लचीली भाषा का उपयोग करता है, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों और निरंतरण सिद्धांतों के लिए।
 - यह विभिन्न व्याख्याओं को अनुमति देता है जो सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल हो सकती हैं।
- न्यायिक सक्रियता:**
- भारतीय न्यायपालिका समकालीन मुद्दों के आलोक में संवेधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने में सक्रिय होती है।

नागरिक समाज की भूमिका

जन भागीदारी:

नागरिक समाज संगठन और नागरिक आदेलन संवेधानिक अधिकारों की वकालत करने, न्यायिक व्याख्याओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामाजिक-जगतीनीतिक गतिशीलता

सांस्कृतिक विधिता:

- भारत के बहुलादी समाज को एक ऐसे संविधान की अवश्यकता है जो विभिन्न सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संदर्भों के अनुकूल हो सके।
- उभरते मुद्दे:**
- विजिटल अधिकार, पर्यावरणीय स्थिरता और लोगिक समानता जैसी नई चुनौतियों के लिए संवेधानिक संशोधनों की आवश्यकता है, जो उभरते सामाजिक मुद्दों के प्रति संविधान की संवेदनशीलता को प्रबंधित करते हैं।

संशोधन प्रक्रिया

- कठोरता और लचीलापन:**
- जबकि “संविधान कुछ पहलुओं (मूल संरचना सिद्धांत) में कठोर है, यह लचीला भी है, जो विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन की अनुमति देता है।
- हालिया संशोधन:**
- 73वें और 74वें संशोधन जैसे संशोधन, जिन्हें स्थानीय स्वशासन की शक्तियों को बढ़ाया, यह दर्शाते हैं कि संविधान जनमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए कैसे विकसित हुआ।

ब्रेन बूटर

समिट ऑफ द प्यूचर

अंगीकरण

- ❖ भविष्य के लिए एक संधि
- ❖ दो अनुलग्नकः
 - » वैश्विक डिजिटल

समिट ऑफ द प्यूचर के बारे में

स्थूक में संयुक्त राष्ट्र के ‘समिट ऑफ द प्यूचर’ को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि “मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं”। शीर्ष: ‘बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान’

- ❖ उत्सर्जित: संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा ‘हमारा साझा एजेंडा’ रिपोर्ट (सितंबर 2021) में प्रस्तावित।
- ❖ उद्देश्य: बहुपक्षीय समाधानों के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना।
- ❖ संदर्भ: प्रभावी वैश्विक सहयोग की बढ़ती आवश्यकता।
- ❖ गांद्धी के बीच अविश्वास से उत्पन्न चुनौतियाँ।
- ❖ पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं में सुधार को आवश्यकता।

भविष्य के लिए सधि के बारे में

- ‘भविष्य के लिए सधि’ को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 सितंबर, 2024 को अपनाया गया था।
- ऐतिहासिक घोषणा: सधि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की सतत विकास, शांति और मजबूत वैश्विक शासन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।
- WMO के साथ समरेखण: यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अधिक लाचीले निश्च के दृष्टिकोण के साथ समरेखित है।
- तत्काल जलवायु कार्रवाई: सधि जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देती है।
- विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी: यह पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग का आह्वान करता है।
- सार्वभौमिक प्रारंभिक चेतावनी: इसमें 2027 तक बहु-खतरे वाली प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने की प्रतिबद्धता शामिल है।

गलोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के बारे में

- भविष्य के लिए समझौते का हिस्सा: गलोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट भविष्य के लिए व्यापक समझौते का एक घटक है।
- दबाव वाले मुद्दों को संबोधित करना: वह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटता है जैसे:
- सतत विकास
- अंतर्राष्ट्रीय शांति
- भावी पीड़ियाँ
- प्रौद्योगिकी और नवाचार

ब्रेन बूटर

श्वेत क्रांति 2.0 का अवलोकन

- ❖ उद्देश्य: अगले पाँच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना।
- ❖ वर्तमान स्थिति:
 - » दूध की खरीद: 2023-24 में प्रतिदिन 660 लाख किलोग्राम।
 - » लक्ष्य: 2028-29 तक प्रतिदिन 1,007 लाख किलोग्राम।
- ❖ मुख्य रणनीतियाँ:
 - » कवरेज का विस्तार: अधिक डेयरी किसानों तक पहुँचना, विशेष रूप से अछूते क्षेत्रों में।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता
मंत्री अमित शाह ने 'श्वेत क्रांति 2.0' के लिए मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की, जिसमें कहा गया कि दूध डेयरियाँ महिलाओं के रिखलाफ अधिकार और कुपोषण के सशक्तिकरण में सहायता करेंगी।

श्वेत क्रांति 2.0 का अवलोकन

- ❖ उद्देश्य: डेयरी सहकारी समितियों की भूमिका को मजबूत करना।
- ❖ संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना: डेयरी क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की भूमिका को मजबूत करना।
- ❖ ऐतिहासिक संदर्भ:
 - » 1970 में शुरू किए गए आंपरेशन फ्लड से प्रेरित, जिसने भारत के डेयरी उद्योग को बहुत दिला।

- ❖ एतिहासिक संदर्भ:
 - » संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना: डेयरी क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की भूमिका को मजबूत करना।
- ❖ दूध की खरीद: 2023-24 में प्रतिदिन 660 लाख किलोग्राम।
- ❖ लक्ष्य: 2028-29 तक प्रतिदिन 1,007 लाख किलोग्राम।
- ❖ मुख्य रणनीतियाँ:
 - » कवरेज का विस्तार: अधिक डेयरी किसानों तक पहुँचना, विशेष रूप से अछूते क्षेत्रों में।

डेयरी सहकारी समितियों के विस्तार की संभावनाएँ

- ❖ वर्तमान कवरेज:
 - » डेयरी सहकारी समितियाँ भारत के लगभग 70% जिलों में काम करती हैं।
 - » लगभग 1.7 लाख डेयरी सहकारी समितियाँ (DCS) मैजूद हैं। ये DCS लगभग 2 लाख गाँवों (कुल गाँवों का 30%) को कवर करती हैं।
 - » सहकारी समितियाँ 22% दुध उत्पादन के प्रतिशत के आधार पर):
 - » उत्तर प्रदेश: 15.72%
 - » राजस्थान: 14.44%
 - » मध्य प्रदेश: 8.73%
 - » शीर्ष दूध उत्पादक राज्य (कुल उत्पादन के प्रतिशत के आधार पर):
 - » उत्तर प्रदेश: 15.72%
 - » राजस्थान: 14.44%
 - » मध्य प्रदेश: 8.73%
- ❖ दूध - रखरीद:
 - » डेयरी सहकारी समितियाँ भारत के कुल दूध उत्पादन का लगभग 10% खरीदती हैं।
 - » वेस्टर्न योग्य दूध अधिकार का विपणन योग्य दूध अधिकार का 16% हिस्सा है।
- ❖ क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि:
 - » ओडिशा
 - » झारखंड
 - » छत्तीसगढ़
 - » हिमाचल प्रदेश
 - » पूर्वोत्तर के छोटे राज्य

दूध उत्पादन में भारत की स्थिति

- ❖ शीर्ष उत्पादक: भारत दुनिया का अग्रणी दूध उत्पादक है, जिसका उत्पादन 2022-23 में 230.58 मिलियन टन तक पहुँच जाएगा।
- ❖ औसत उपज:
 - » विदेशी संकरित घु; प्रति घु प्रति दिन 8.55 किलोग्राम।
 - » देशी/अज्ञात पघु; प्रति घु प्रति दिन 3.44 किलोग्राम।
- ❖ प्रति व्यक्ति उपलब्धता:
 - » राष्ट्रीय औसत: प्रति दिन 459 ग्राम (323 ग्राम के वैशिक औसत से अधिक)।
 - » कुल उत्पादन 2018-19 में 187.75 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 230.58 मिलियन टन हो गया।
 - » इस अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 6.47% से घटकर 3.83% हो गई।

ब्रेन बूटर

विश्व पर्यटन दिवस 2024

1. थीम

विश्व पर्यटन दिवस 2024: 'पर्यटन और शांति'

- ❖ यह पर्यटन और शांति निर्माण के बीच महत्वपूर्ण संबंध को रेखांकित करता है।
- ❖ यह यात्रा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और स्थायी पर्यटन प्रशाओं के माध्यम से संघर्ष समाधान, पुनर्निर्माण और वैशिक शांति को बढ़ावा देने पर जो देता है।

2. इतिहास और महत्व

पर्यटन मंत्रालय ने 27 सिंतंबर को विश्व पर्यटन दिवस 2024 का आयोजन किया, जो विकास और वैशिक सद्भाव में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) ने प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाने का नियम लिया है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को स्थायी विकास और विशेष रूप से गरिबी उम्मलत के प्रमुख साधन के रूप में उपयोग करना है।

4. भारत में पर्यटन का प्रचार

- ❖ 2005: "अतिथि देवो भव"
- ❖ 2017: Incredible India 2.0
- ❖ 2022: India@75
- ❖ 2024: विशेष पर्यटन उत्तरां की पहचान की गई ताकि पर्यटक भारत को 365-दिन के पर्यटन गतिव्य के रूप में देखें।

3. भारत में उत्सव का आयोजन

पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस मनाया। इस अवसर पर, भारत के उप राज्यों ने निम्नलिखित पहलों का शुभारम्भ किया:

- ❖ इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थलों में पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाना है, ताकि वे 'पर्यटक-हितेशी' लोगों से मिल सकें जो अपने स्थल के गर्भित एवं सड़क और कावनीकार बनें।
- ❖ विशेष ध्यान महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देने पर है, ताकि वे नवीन पर्यटन उत्पाद और अनुभव जैसे विरासत यात्रा, खाद्य और शिल्प पर्यटन, होमस्टे, और अन्य स्थल-विशिष्ट पेशकशों विकसित कर सकें।

- ❖ सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विजेता:
 - ❖ सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2023 में शुरू की गई थी।
 - ❖ इसका ध्यान उन गांवों की पहचान और मान्यता पर है जो सामुदायिक मूल्यों और सततता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों का संरक्षण और प्रचार करते हैं।
 - ❖ इस वर्ष, 36 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में विजेता के रूप में मान्यता दी गई।
 - ❖ इंक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब और डिजिटल पोर्टल:
 - ❖ अनुल्य भारत डिजिटल पोर्टल 'अनुल्य भारत कटेट हब' का नवीनीकरण किया गया।

ब्रेन बूटर

5. भारतीय पर्यटन: वैश्विक पहचान

- 46वां चुनौत्को विश्व धरोहर** को दर्शाते हैं।
- ❖ पहली बार, भारत ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की।
 - ❖ 43वां विश्व धरोहर स्थल:
 - » असम का मोइडम भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया।
 - » असम के चाराहेव जिले में स्थित मोइस्म अहोम गजांवा के पवित्र दफन ठींले हैं, जो छह शताब्दियों के सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास
- पिछले पांच वर्षों में, पांच संपत्तियों में नामित किया गया है, जिनमें शामिल हैं:**
- » ढोलावीरा (हड्डा शहर)
 - » काकातिया लद्देश्वर (रामपाल मंदिर)
 - » सतीनिकेतन, भारत होमस्तलाओं का पवित्र समुच्चय
 - » असम के मोइडम की गई।

- 6. भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहले**
- देखो अपना देश पहल:
 - ❖ 2020 में शुरू की गई।
 - ❖ भारत को समृद्ध विरासत और कम ज्ञात स्थलों को बढ़ावा देने के लिए धरोहर यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से।
- वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम:
 - ❖ 15 फरवरी, 2023 को शुरू किया गया।
 - ❖ वित्तीय आवंटन 4800 करोड़, FY 2022-23 से 2025-26 तक।
 - ❖ यह 19 सीमावर्ती राज्यों के 2,963 चरणित गांवों को कवर करता है।
- सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना (CBSPI):
 - ❖ 2018 में शुरू की गई।
 - ❖ असंगठित समंगठित क्षेत्रों में मेहमानवाली और पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न शॉट-टर्म कौशल पाठ्यक्रम प्रवान करने के लिए।
 - ❖ CBSPI योजना के अंतर्गत कार्यक्रम:
 - » हुनर से गेजार तक (HSRA)
 - » उद्यमिता कार्यक्रम
 - » कौशल परीक्षण और प्रमाणन
 - » पर्यटन एडवेंचर पाठ्यक्रम
 - » भाषाई पर्यटक फैमिलिटेट
 - » पर्यटन जागरूकता / संवेदनशीलता कार्यक्रम
 - » गंतव्य आधारित कौशल विकास
- उड़ान (एटीवी):
 - ❖ 2014 में शुरू किया गया।
 - ❖ विदेशों के पर्यटकों के लिए यात्रा को घेशानी मुक्त और अविस्मरणीय बनाने के
- आरसीएस - उड़ान (क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ेश का आम नागरिक):
 - ❖ 2016 में शुरू की गई।
 - ❖ RCS के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने नागरिक उड़ान मंत्रालय के साथ सहयोग किया।
 - ❖ लागभग 519 मार्गों का संचालन इस योजना के तहत किया गया।
- स्वदेश दर्शन योजना:
 - ❖ 2014-15 में शुरू की गई।
 - ❖ PRASHAD योजना:
 - ❖ तीर्थयात्रा युनिजन और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विभासत संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मिशन (PRASHAD)।
 - ❖ 2014-2015 में शुरू की गई।
- HRIDAY योजना:
 - ❖ राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना (HRIDAY)
 - ❖ इस योजना के तहत, 12 शहरों के लिए पूरे मिशन अवधि के लिए धन आवाटित किया गया है और सीधे शहरों को जारी किया गया है।
- सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति:
 - ❖ 4 जून 2022 को शुरू की गई।
 - ❖ इसने सतत पर्यटन के विकास के लिए रणनीतिक संर्थकों की पहचान की है।

निष्कर्ष


भारत का पर्यटन उद्योग एक आशाजनक पथ पर अग्रसर है, जो 2047 तक पर्यटन अर्थव्यवस्था को 3 द्विलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से प्रेरित है, जो कि "विकासित भारत @2047" का हिस्सा है। कुछ चुनौतियों का समना करने के बावजूद, यह क्षेत्र लगातार फल-फूल रहा है, जिसे बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सतत प्रशांतों को बढ़ावा देने और समग्र आगांतुक अनुभव को समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न रणनीतिक पहलों द्वारा बढ़ावा मिल रहा है।

- 4. 24x7 बहुभाषी पर्यटक सूचना हेल्पलाइन**
- 5. ई-पर्यटक योजा (eTV):**
- ❖ 2014 में शुरू किया गया।
 - ❖ विदेशों के पर्यटकों के लिए यात्रा को

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल


अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैलाथिया खाड़ी

- भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गैलाथिया खाड़ी को 'प्रमुख बंदरगाह' के रूप में अधिसूचित किया है, जोकि 44,000 करोड़ रुपये की लागत से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह परियोजना के विकास का संकेत है।
- गैलाथिया खाड़ी निकोबार द्वीपसमूह के सबसे दक्षिणी द्वीप पर स्थित है।
- यह बंदरगाह ईस्ट-वेस्ट वर्ल्ड शिपिंग कॉरिडोर के निकट स्थित है, जिससे यह गेटवे और ट्रांसशिप कार्गो दोनों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। परियोजना का पहला चरण 2028 तक चालू होने की उम्मीद है।
- गैलाथिया खाड़ी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें बड़ा कैंपबेल बे नेशनल पार्क भी शामिल है, जो गैलाथिया खाड़ी से 12 किलोमीटर के बन बफर जोन द्वारा अलग है।
- यह क्षेत्र निकोबार मेगापोड के लिए प्रमुख घोसला बनाने का निवास स्थान है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसके अलावा, यह अन्य स्थानिक वन्यजीवों के लिए भी अभयारण्य प्रदान करता है।



जॉर्डन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को पूरी तरह समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है।
- जॉर्डन पश्चिमी एशिया का एक देश है, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मिलन बिंदु पर स्थित है।
- इसकी सीमा दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब, उत्तर-पूर्व में इराक, उत्तर में सीरिया और पश्चिम में फिलिस्तीनी पश्चिमी तट, इजराइल तथा मृत सागर से लगती है।
- दक्षिण-पश्चिम में, जॉर्डन की तटरेखा लाल सागर में अकाबा की खाड़ी के साथ स्थित है, जो इसे मिस्र से अलग करती है।
- अम्मान जॉर्डन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। देश में मुख्यतः शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु पाई जाती है, और इसकी लगभग 95% आबादी सुन्नी मुस्लिम है।
- जॉर्डन में दुनिया के पाँचवें सबसे बड़े तेल शेल भंडार सहित अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद हैं।



गोपालपुर बंदरगाह

- ओडिशा सरकार ने गोपालपुर बंदरगाह के 95 प्रतिशत इक्विटी शेयरों को शापूरजी पल्लोनजी पोर्ट मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड और उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड से अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- गोपालपुर बंदरगाह दक्षिणी ओडिशा में बरहामपुर शहर के पास स्थित है, जोकि भुवनेश्वर से लगभग 175 किमी दूर है।
- यह बंदरगाह उत्तर में पारादीप और दक्षिण में विशाखापत्तनम बंदरगाह के बीच स्थित है, और यह दोनों से लगभग समान दूरी पर है।
- बंदरगाह के भीतरी इलाकों में ओडिशा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ शामिल हैं, जोकि खनिज, इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट और बिजली संयंत्रों जैसे संसाधनों तक पहुँच प्रदान करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, आईबी और तालचेर के कोयला क्षेत्र, जोकि भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 25% हिस्सा हैं, भी इस बंदरगाह के भीतरी इलाकों का हिस्सा हैं।



लाओ पी.डी.आर.

- वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने लाओ पी.डी.आर. में आयोजित 21वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
- यह दक्षिण-पूर्व एशिया का एक देश है, जो अपने पहाड़ों, फ्रांसीसी औपनिवेशिक इमारतों, पहाड़ी जनजातीय समुदायों और बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है।
- मेकांग नदी इस देश से होकर गुजरती है, और यह उत्तर में चीन, उत्तर-पूर्व और पूर्व में वियतनाम, दक्षिण में कंबोडिया, पश्चिम में थाईलैंड और उत्तर-पश्चिम में म्यांमार (बर्मा) से घिरा हुआ है।
- लाओस में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसमें गीला और सूखा मौसम शामिल है। उत्तर में चौड़े पत्तों वाले सदाबहार पेड़ों वाले उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं, जबकि दक्षिण में मिश्रित सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों वाले मानसून वन हैं।
- देश में एनामाइट रेंज और लुआंग प्रबांग रेंज जैसी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित हैं।
- लाओस की राजधानी शहर वियनतियाने है।



राज्य आधारित कैरेंट अफेयर्स

उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स

उत्तर प्रदेश की नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी, 2024

हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी, 2024' को मंजूरी दी है।

नीति की विशेषताएँ:

- नीति के तहत सरकार प्रभावशाली व्यक्तियों और डिजिटल मीडिया फर्मों के साथ मिलकर विज्ञापन करेगी। भुगतान फॉलोअर्स की संख्या पर आधारित होगा। सरकार ने विज्ञापनों को संभालने के लिए एक डिजिटल एजेंसी 'वी-फॉर्म' को सूचीबद्ध किया है।
- सोशल मीडिया एजेंसियों को चार श्रेणियों में बांटा जाएगा। X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अधिकतम भुगतान क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये प्रति माह होगा। यूट्यूब पर वीडियो और शॉर्ट्स के लिए अधिकतम भुगतान क्रमशः 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है।
- अपमानजनक, अशिष्ट और राष्ट्र-विरोधी सामग्री प्रसारित करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। दोषियों को तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अश्लील सामग्री के लिए आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
- यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया नीति का प्राथमिक लक्ष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लोगों को राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सटीक और लाभकारी जानकारी व्यापक दर्शकों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में योगदान का अवसर प्रदान करना है।

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के युवाओं को पर्यटन रणनीति, प्रबंधन, कार्यान्वयन और निगरानी पर सरकार के साथ सहयोग करने का एक अवसर प्रदान करना है।

- कार्यक्रम के तहत, चयनित शोधकर्ताओं को राज्य के पर्यटन, संस्कृति और पारिस्थितिकी के समग्र विकास, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन योजनाओं के समवर्ती मूल्यांकन और राज्य के मेलों और त्योहारों की रूपरेखा तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित शोधकर्ता को 30,000 रुपये पारिश्रमिक तथा 10,000 रुपये केवल फील्ड विजिट के लिए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधकर्ता की संबद्धता अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगी। कार्यक्रम अवधि के दौरान, शोधकर्ता जिला मजिस्ट्रेट, संभागीय आयुक्त और संबंधित पर्यटन अधिकारियों की देखरेख में काम करेंगे।

नया मुरादाबाद में बनेगा भव्य वार मेमोरियल म्यूजियम

हाल ही में मुरादाबाद के नया मुरादाबाद क्षेत्र के सेक्टर-10 में एक भव्य वार मेमोरियल म्यूजियम की स्थापना की योजना की घोषणा की गई है।

मुख्य तथ्य:

- यह म्यूजियम दिल्ली के वार मेमोरियल की तर्ज पर डिजाइन किया जाएगा और इसमें भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदानियों की समर्पण की भावना को दर्शाया जाएगा।
- म्यूजियम 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर 20 करोड़ रुपये में बनेगा, जिसमें ओपन थियेटर, लाइट एंड साउंड शो और मूवी थियेटर शामिल होंगे, और रखरखाव टिकटों के माध्यम से किया जाएगा।

उ. प्र. बना सबसे ज्यादा वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) केंद्रों वाला राज्य

उत्तर प्रदेश ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे राज्य देश में सबसे अधिक आरवीएसएफ (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा) केंद्रों के साथ अग्रणी बन गया है। इस उपलब्धि के लिए उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से 221 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।

मुख्य तथ्य:

- उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक आरवीएसएफ (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा) केंद्रों का पंजीकरण किया है, जिनमें से 62 पंजीकृत हैं और 15 चालू हैं। 31 जुलाई 2024 तक, राज्य ने 18,843 वाहनों

ध्वजारोहण, प्रदर्शित किए जाएंगे।

यूपी पंख पोर्टल

हाल ही में यूपी पंख पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक करियर गाइडेंस पोर्टल है। इसे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, ताकि वे करियर काउंसिलिंग, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, और इंटर्नशिप जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

मुख्य तथ्य:

- ❖ मुख्यमंत्री ने हरित उत्तर प्रदेश की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण बताया है। उनके निर्देश पर, 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का काम शुरू हो चुका है और निजी वाहनों को भी स्कैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- ❖ 2021 में लागू की गई वाहन स्कैपिंग नीति का उद्देश्य पुराने वाहनों को हटाना और नए, अधिक पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है।

प्रयागराज और आगरा बनेगा औद्योगिक स्मार्ट शहर

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत आगरा और प्रयागराज में दो नए औद्योगिक नोड्स को मंजूरी दी है।

मुख्य तथ्य:

- ❖ एनआईसीडीपी के तहत आगरा और प्रयागराज में स्थापित औद्योगिक नोड्स को बड़े उद्योगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- ❖ इन औद्योगिक नोड्स को वैश्विक मानकों के अनुसार स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, जो 'प्लग-एन-प्ले' और 'वॉक-टू-वर्क' अवधारणाओं पर आधारित होंगे।
- ❖ यूपी के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के अनुसार इन शहरों के निर्माण से यूपी में करीब 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

मुरादाबाद में बनेगा यूपी का पहला संविधान पार्क

मुरादाबाद में यूपी का पहला संविधान पार्क बनाया जायेगा। यह पार्क संविधान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता को संजोने और आम जनता के बीच संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखता है।

मुख्य तथ्य:

- ❖ पार्क का निर्माण 9.50 करोड़ रुपये की लागत से होगा और यह नया मुरादाबाद के सेक्टर-10 में स्थित होगा।
- ❖ संविधान के प्रमुख चित्र, जैसे दाढ़ी यात्रा और स्वतंत्रता के बाद

सोनभद्र पुलिस लाइन को मिला अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ टैग

हाल ही में सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) से ISO-9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- ❖ यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस लाइन है जिसे यह प्रतिष्ठित प्रमाणन मिला है।
- ❖ इस सर्टिफिकेशन से सोनभद्र पुलिस लाइन को बेहतर प्रबंधन, प्रशिक्षण, सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने का मान्यता मिली है। यह "स्मार्ट पुलिसिंग" की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे पुलिस की कार्यकुशलता, समयबद्धता और मानक संचालन प्रक्रियाएं बेहतर होंगी।
- ❖ इससे पहले गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) कमिशनरेट को ISO-9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हो चुका है।

उत्तर प्रदेश व्यापार और नागरिक केंद्रित सुधार क्षेत्र में टॉप अचीवर राज्य

हाल ही में उत्तर प्रदेश को दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम में व्यापार और नागरिक केंद्रित सुधार क्षेत्र में टॉप अचीवर घोषित किया गया। राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

वाराणसी में बनेगा वैदिक-3डी संग्रहालय

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक अत्याधुनिक वैदिक-3डी संग्रहालय बनाने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

- ❖ यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित होगा और इसमें 16 संस्कारों, 64 कलाओं, और 18 विद्याओं को दर्शाया जाएगा। विशेष रूप से, यह संग्रहालय ऋषि तुल्य आचार्यों के शोध और भारतीय नक्षत्र विद्या का भी प्रदर्शन करेगा।
- ❖ संग्रहालय में ऐतिहासिक 'रास पंचाध्यारी', श्रीमद्भगवत् गीता, और दुर्गासप्तशती जैसी दुर्लभ पांडुलिपियाँ प्रदर्शित की जाएंगी। इसका उद्देश्य 'शास्त्रार्थ' (आध्यात्मिक प्रवचन) की परंपरा को पुनर्जीवित करना और वैदिक साहित्य में ज्ञान को गहरा करना है।

बिहार करेंट अफेयर्स

बेगूसराय में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन

हल ही में बेगूसराय में निफ्ट (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी) एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया।

- ❖ यह एक्सटेंशन सेंटर एचपीसीएल के सामने, जेमरा क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है।
- ❖ इस संस्थान की शुरुआत में जीविका दीदी और फैशन डिजाइनिंग में रुचि रखने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों का नामांकन होगा।
- ❖ इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही, फैशन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले स्थानीय छात्रों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें इस उद्योग में बेहतर अवसर मिल सकें।

जीविका दीदी हाट

हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है की बिहार में जीविका दीदी हाट दिल्ली हाट की तर्ज पर खोला जाएगा, जिसमें

स्थानीय उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्य बिंदु:

- ❖ जीविका दीदी हाट में मिथिला पैटिंग, शिल्प, आचार, जिंदा मछली, सुधा दूध, हरी सब्जियाँ और जन औषधि उपलब्ध होंगी। हाट में बिजली, स्वच्छता और दीदी की रसोई जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
- ❖ समस्तीपुर, भोजपुर, और नालंदा के पुराने सरकारी भवनों में इसे खोला जाएगा। इसका उद्देश्य जीविका समूह की महिलाओं को व्यापारिक कौशल और बाजार उपलब्ध कराना है।

बोधगया के पास सिलौंजा में बनेगी दुनिया के सात आश्चर्यों की रेलिका

हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग ने सिलौंजा में 'सात आश्चर्यों' की प्रतिकृतियों का निर्माण करने का निर्णय लिया है, यह कदम राज्य में अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- ❖ इस रेलिका में गीजा का पिरामिड, रोम का कोलोसियम, ताज महल, चीन की महान दीवार, पेट्रा, चिली का मोल, और क्राइस्ट ऑफ रिडीमर की प्रतिकृतियाँ बनाई जाएंगी।
- ❖ इस योजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सिलौंजा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। इसके लिए 14.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के दो शिक्षकों, डॉ. मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर कुमार सुमन का चयन किया गया है। इनकी उल्लेखनीय शैक्षणिक योगदानों को मान्यता देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की है। 5 सितंबर को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में इन्हें सम्मानित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- ❖ डॉ. मीनाक्षी कुमारी शिवगंगा गर्ल्स प्लस टू हाइस्कूल, मधुबनी की सहायक शिक्षिका हैं। बच्चों के लिए 'खुद भी पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ' अभियान चला रही है। सैकड़ों छात्रों को इस मुहिम से जोड़ा और दूसरों को सिखाने की प्रेरणा दी।
- ❖ सिकंदर कुमार सुमन न्यू प्राइमरी स्कूल, तरहनी, कैमूर के प्रथानाध्यापक हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान। सभी छात्रों को स्मार्ट क्लास और ईमेल आईडी की सुविधा उपलब्ध कराई।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडेक्स 2023-24 में बिहार का प्रदर्शन

नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडेक्स 2023-24 में बिहार सबसे निचले पायदान पर रहा है। 57 अंकों के साथ बिहार का प्रदर्शन राज्य की विकास संबंधी चुनौतियों को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु:

- ❖ सतत विकास लक्ष्यों के तहत गरीबी उन्मूलन लक्ष्य में बिहार को 100 में से 39 अंक मिले हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार बिहार में गरीबी अनुपात 33.76% है। बिहार में स्वास्थ्य योजनाओं या बीमा से कवर किए गए परिवारों का प्रतिशत केवल 17.4% है।
- ❖ भूख और कुपोषण खत्म करने संबंधी लक्ष्य में बिहार को सिर्फ 24 अंक मिले हैं, जो कि सभी राज्यों में सबसे कम है। बिहार में पाँच वर्ष से कम उम्र के 41% बच्चे कम वजन के हैं और 42.9% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।
- ❖ राज्य में 15-49 वर्ष की आयु की 63.1 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एनीमिक (शरीर में खून की कमी) हैं। बिहार की मातृत्व मृत्यु दर प्रति एक लाख जन्मों पर 118 है। पाँच वर्ष से कम उम्र की बच्चों की मृत्यु दर प्रति हजार जन्मों पर 30 है।
- ❖ राज्य में कक्षा 1-8 में नामांकन दर 97% है, कक्षा 9-10 में ड्रॉपआउट दर 20.5% और उच्च माध्यमिक शिक्षा में नामांकन अनुपात सिर्फ 35.9% है, जो छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच में बाधा दर्शाता है।

राजस्थान करेंट अफेयर्स

राजस्थान को मिला सिलिकोसिस निदान में तकनीक आधारित अभिनव प्रयोग हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार

केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिक्षायत विभाग ने राजस्थान सरकार को सिलिकोसिस निदान और राहत में उभरती तकनीकों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस (गोल्ड) पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मंगलवार को मुंबई में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया गया।

मुख्य बिंदु:

- ❖ यह पुरस्कार प्रदेश द्वारा सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए

टेली-रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के अभिनव उपयोग और प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के स्वतः स्वीकृति पोर्टल निर्माण के लिए प्रदान किया गया है।

- ❖ इस नवाचारी कार्य में सर्वाधिक भूमिका डॉ. समित शर्मा की है, जिनके नेतृत्व में राजस्थान ने जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में राष्ट्रीय मानक स्थापित किया है।
- ❖ भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिक्षायत विभाग द्वारा हर साल ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो ई-गवर्नेंस में नवाचारों को मान्यता देते हैं।

भीलवाड़ा और पाली बने नगर निगम

हाल ही में राज्य सरकार ने नगर परिषद् भीलवाड़ा और पाली को नगर निगम का दर्जा दिया है। इसके अतिरिक्त कई नगर पालिकाओं की श्रेणी में भी सुधार किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- ❖ अब वर्तमान में राजस्थान में कुल 13 नगर निगम (जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरीटेज, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, पाली) हो गए हैं।
- ❖ राज्य सरकार ने नगर पालिका पुष्टर, नगर पालिका लालसोट और नगर पालिका शाहपुरा (जयपुर) को नगर परिषद् घोषित किया है।
- ❖ अधिसूचना के अनुसार अब जोधपुर की ग्राम पंचायत कुड़ी भगतासनी और तिंवरी, जयपुर की ग्राम पंचायत जमवारामगढ़, झुंझुनूं की ग्राम पंचायत इंडलोद, सुलताना और जाखल के अलावा जालोर की ग्राम पंचायत सायला को चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका घोषित किया गया है। दौसा की महवा, चूरू की तारानगर, सीकर की लोसल और दौसा की बांदीकुई नगर पालिका को क्रमोन्तत किया गया।

राजस्थान पुलिस में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण

- ❖ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई में राजस्थान मर्टिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
- ❖ यह निर्णय भाजपा के 2023 विधानसभा चुनाव घोषणापत्र के तहत लिया गया, जिसमें कानून प्रवर्तन में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने का वादा किया गया था। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन की अधिसूचना जल्द ही कार्मिक विभाग द्वारा जारी की जाएगी।

राजस्थान बनेगा चिकित्सा पर्चटन का केंद्र

राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्चटकों को आकर्षित करने के लिए शीघ्र ही 'हील इन राजस्थान' नीति शुरू करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- ❖ 'हील इन राजस्थान' नीति तैयार करने के लिए एक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिति नियुक्त की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- ❖ इस नीति का मुख्य ध्यान स्वास्थ्य, और पारंपरिक चिकित्सा आधारित उपचारों पर है।
- ❖ नीति का उद्देश्य जयपुर और अन्य शहरों को चिकित्सा पर्चटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करना है।
- ❖ राज्य सरकार ने 2024 के बजट में 8.26% स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किया है।
- ❖ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, BIP और CII के सहयोग से उच्च स्तरीय सुविधाएं स्थापित करेगा, जो विदेशी और देशी मरीजों को आकर्षित करेगा।

राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल

- ❖ राजस्थान सरकार ने राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल को लॉन्च किया है। इस नई पहल का उद्देश्य गोपालक किसानों को एक लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
- ❖ सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक्ष ने इस पोर्टल की शुरुआत की और बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ऋण वितरण को पारदर्शी बनाना है। सरकार ने पांच लाख किसानों को इस योजना के तहत ऋण देने का लक्ष्य रखा है और इस पर व्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

आईआईटीयन विप्र गोयल को मिला 'सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल' अवॉर्ड

- ❖ हाल ही में दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत को देश की पहली जल-ऊर्जा-रोजगार आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने के लिए आईआईटीयन विप्र गोयल को 'सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल' अवॉर्ड से नवाजा गया।
- ❖ छारेड़ा ग्राम पंचायत में विप्र गोयल निवासी किसानों की भूमि के 5-5 प्रतिशत हिस्से पर 10-फीट गहरे कुंडे खुदवाकर क्षेत्रीय किसानों की बारामासी पानी की व्यवस्था कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स

मध्यप्रदेश: शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य

हाल ही में मध्यप्रदेश ने आयुष सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए सभी 328 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य गया है।

मुख्य बिंदु:

- ❖ जनजातीय क्षेत्रों में आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता के मामले में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों के 695 केंद्रों में भी आयुष सुविधाएं दी जा रही हैं।
- ❖ राज्य में 1440 ग्रामीण और 328 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 332 है। उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 10258 हो गई है, जो गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।

सेनेटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश सरकार ने किशोरियों की स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्कूली लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान की जा रही है, जिससे मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- ❖ 'सेनिटेशन एंड हाईजीन योजना' के अंतर्गत कक्षा सातवीं से बारहवीं कक्षा तक की छात्राओं को इस योजना के तहत एक वर्ष के लिए 300 रुपये नकद दिए जा रहे हैं। अब तक 19 लाख से अधिक छात्राओं को 57 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है।
- ❖ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) के आंकड़ों के अनुसार, देश में 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 62% युवतियां अभी भी मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ साधनों के बजाय कपड़े का उपयोग करती हैं।

विजय चादव बने राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त

- ❖ मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे समय बाद राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की है। सेवानिवृत्त विशेष पुलिस महानिदेशक विजय यादव को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है।
- ❖ इसके अतिरिक्त, तीन सूचना आयुक्तों का भी चयन किया गया: शिक्षाविद् उमाशंकर पचौरी, समाजसेवी वंदना गांधी, और सेवानिवृत्त जज ओमकार नाथ।
- ❖ इन नियुक्तियों से राज्य सूचना आयोग में प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है और ये चयन उनकी विशेष योग्यता और अनुभव के आधार पर किए गए हैं।

‘वृद्धावन ग्राम’ योजना

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ‘वृद्धावन ग्राम’ योजना को मंजूरी दे दी है, जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी ‘गौशालाएं’ और अन्य सुविधाओं की स्थापना करेगी।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- ❖ योजना के तहत मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉकों में से हर एक ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत को चयनित किया जाएगा, जिन्हें ‘वृद्धावन ग्राम’ का नाम दिया जाएगा।
- ❖ चयनित ग्राम पंचायतों में रूफ-टॉप सोलर पॉलिसी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।
- ❖ ‘वृद्धावन ग्राम’ योजना का उद्देश्य गांवों में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना होगा।

झारखण्ड करेंट अफेयर्स

मुख्यमंत्री मङ्यां सम्मान योजना

- ❖ हाल ही में झारखण्ड राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री मङ्यां सम्मान योजना का आरंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर महीने 1000 की अर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- ❖ यह योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके।

झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा वकीलों के

कल्याण हेतु नई योजनाओं की घोषणा

हाल ही में झारखण्ड सरकार ने 6 सितंबर, 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वकीलों हेतु महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु:

- ❖ राज्य भर के 30,000 से अधिक वकीलों के लिए 5 लाख रुपये का मेडिकल बीमा कवर प्रदान किया गया है।
- ❖ 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं को अब 14,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
- ❖ नए नामांकित वकीलों को उनके प्रैक्टिस के पहले पांच वर्षों के लिए 5,000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा।

उपस्थिति पोर्टल

- ❖ हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत काम कर रहे सभी चिकित्सकों, पारा मेडिकल कर्मियों, संविदा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ‘उपस्थिति पोर्टल’ का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से बायोमेट्रिक उपस्थिति का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे कर्मियों की उपस्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी।

उत्तराखण्ड करेंट अफेयर्स

हाल ही में उत्तराखण्ड सरकार ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति की क्षति वसूली के लिए एक ऐतिहासिक कानून लागू किया है, जो दंगों और अशांति के दौरान हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करेगा।

मुख्य बिंदु:

- ❖ यदि किसी आंदोलन या बंद के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्तियों को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसकी भरपाई संबंधित आंदोलन या बंद का आव्वान करने वाले व्यक्ति या नेता से की जाएगी।
- ❖ इसके साथ ही, न केवल संपत्ति क्षति की भरपाई की जाएगी, बल्कि अधिकतम 8 लाख रुपये तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण में हुए सरकारी खर्च का भुगतान भी उस व्यक्ति या नेता को करना होगा।
- ❖ मुआवजे की राशि निर्धारित करने और वसूली नोटिस जारी करने के लिए एक पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी।

- ऐसे मामलों में जहाँ बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, कानून में संभावित जेल अवधि और नकद दंड का प्रावधान है।

सिनला पास ट्रेक: 'ट्रेक ऑफ द ईयर' 2024

हाल ही में उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित सिनला पास को 'ट्रेक ऑफ द ईयर' 2024 का दर्जा दिया गया है।

मुख्य बिंदु:

- सिनला पास की ऊंचाई 5600 मीटर है, जो दारमा घाटी को व्यास घाटी से जोड़ता है। यह 37 किलोमीटर लंबा ट्रेक दारमा घाटी के बिंदांग गाव से शुरू होता है।
- ट्रेकिंग के दौरान पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत नजारे का अनुभव कर सकते हैं। इस ट्रेक का अंतिम बिंदु प्रसिद्ध आदि कैलाश पर्वत है, जो व्यास वैली में स्थित है।

उत्तराखण्ड में राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण

- हाल ही में उत्तराखण्ड में राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक राज्यपाल लेफिटेंट जनरल गुरुमीत सिंह द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह विधेयक राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का समाधान प्रदान करता है और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करता है।

हरियाणा करेंट अफेयर्स

गुरुग्राम पुलिस कमिशनर विकास अरोड़ा को मिला राष्ट्रपति पदक

- गुरुग्राम के पुलिस कमिशनर विकास कुमार अरोड़ा को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है। अरोड़ा, 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अगस्त 2023 से गुरुग्राम के पुलिस कमिशनर के रूप में कार्यरत हैं।
- फरीदाबाद पुलिस कमिशनर के रूप में, उन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए सैकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार कराया। अरोड़ा के साथ, हरियाणा के 11 अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मी भी इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने गए हैं।

हर घर-हर गृहिणी पोर्टल

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणी तीज के अवसर पर 'हर घर-हर गृहिणी पोर्टल' का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य के 50 लाख बीपीएल परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में उपलब्ध कराना है। यह डिजिटल पहल गरीब और अंत्योदय परिवारों को रसोई गैस के लिए आसान और सुलभ पहुंच प्रदान करेगी।
- यदि सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वापस की जाएगी। यह पहल राज्य के 50 लाख बीपीएल परिवारों के लिए आर्थिक राहत प्रदान करेगी।

हरियाणा हरित घोषणापत्र 2024

हरियाणा के पर्यावरणिकारों और नागरिक समाज ने राज्य के पर्यावरणीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'हरित घोषणापत्र 2024' जारी किया गया है। इस घोषणापत्र का उद्देश्य वायु प्रदूषण, जल संकट और प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र की रक्षा को इसमें प्रमुख रूप से शामिल किया गया है।

घोषणापत्र की प्रमुख मांगें:

- क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन की पहचान:** अरावली और शिवालिक पहाड़ियों जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय क्षेत्रों को 'क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन' के रूप में नामित करने की मांग की गई है, ताकि इन क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- ट्री एक्ट:** हरियाणा में पेड़ और वन संरक्षण के लिए दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की तर्ज पर एक सख्त 'ट्री एक्ट' की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना:** ग्रामीण और शहरी हरियाणा में सभी प्रदूषित तालाबों और अन्य जल निकायों की सफाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की मांग की गई है।
- सामुदायिक रिजर्व की स्थापना:** स्थानीय समुदायों की भागीदारी से प्रत्येक गाव में स्थानीय जंगल को पुनर्जीवित करने और उन्हें कानूनी रूप से 'सामुदायिक रिजर्व' के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- वृक्ष पेंशन योजना:** किसानों को देशी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'वृक्ष पेंशन' के रूप में मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करने की मांग की गई है।
- पारंपरिक वृक्षों का संरक्षण:** हरियाणा के पारंपरिक वृक्षों, जैसे- लेसोडा, खेजड़ी, इंद्रोक और जाल जैसे विलुप्त हो रहे

वृक्षों को फिर से उगाने और संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

एनडीआरआई को एनआईआरएफ-2024 में 'कृषि एवं संबद्ध श्रेणी' में दूसरा स्थान प्राप्त

- ❖ हाल ही में आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) ने केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)-2024 में 'कृषि एवं संबद्ध श्रेणी' में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
- ❖ यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित इंडिया रैंकिंग 2024 के पुरस्कार समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा एनडीआरआई के निदेशक और कुलपति धीर सिंह को प्रदान किया गया।
- ❖ रैंकिंग शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, शोध एवं व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटटीच एवं समावेशिता और सहकर्मी धारणा के आधार पर की गई।

हरियाणा को मिला जल शक्ति अभियान में दूसरा स्थान

हरियाणा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल शक्ति अभियान में 'कैच द रेन' के तहत दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

मुख्य बिंदु:

- ❖ मुख्य सचिव टीबीएसएन प्रसाद ने जल शक्ति अभियान की सफलता पर बताया कि अभियान के तहत 65,000 से अधिक वर्षा जल संरक्षण संरचनाएँ और 18,104 जलाशयों की जियो टैगिंग की गई है।
- ❖ राज्य में 3.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं और लगभग 70,000 प्रशिक्षण कार्यक्रम और किसान मेले आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं और जिला-विशिष्ट जल संरक्षण योजनाएँ बनाई गई हैं।
- ❖ 'कैच द रेन' अभियान के प्रभावी परिणाम देखने को मिले हैं, जिसके तहत 2023 में 12 जिलों में जल स्तर 1.3 मीटर बढ़ा, 2022 में 19 जिलों में 0.58 मीटर, और 2021 में 7 जिलों में 0.57 मीटर की वृद्धि हुई है।

छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स

रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन

हाल ही में रायपुर, छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया।

मुख्य विवरण:

- ❖ इस मेले का उद्देश्य दिव्यांग कलाकारों के कौशल को विकसित करना और उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
- ❖ मेले में लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा रायपुर में दिव्यांगजन समर्पित पार्क की प्रस्तावना की गई है, जिसे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने परियोजना के लिए 5 एकड़ भूमि आर्वाट बदलने पर सहमति व्यक्त की है।
- ❖ राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। इन पाठ्यक्रमों की सुविधाजनक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव में एक नया राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसी) भवन का निर्माण किया जाएगा।
- ❖ प्रतिभागियों ने घरेलू सजावट, जीवन शैली की वस्तुएं, कपड़े, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद और पैकेजेड खाद्य पदार्थों सहित विविध प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन किया।
- ❖ दिव्यकला मेला विकलांग (दिव्यांग) कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू किया गया था।

छत्तीसगढ़ को मिला सेरीकल्वर के क्षेत्र में बेस्ट एचिवर पुरस्कार

हाल ही में छत्तीसगढ़ ने रेशम पालन के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता को प्रमाणित करते हुए 'बेस्ट एचिवर पुरस्कार' प्राप्त किया है। यह पुरस्कार केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रदान किया गया।

मुख्य बिंदु:

- ❖ संतोष कुमार देवांगन और गणेश राम सिद्धार को उनकी उत्कृष्टता के लिए टसर कृमिपालक और धागाकारक के रूप में सम्मानित किया गया।
- ❖ छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रेशम कोसा रेशम है। इसके उत्पादन के लिए कोरबा, जांगीर-चांपा, जगदलपुर, रायगढ़ जिले प्रसिद्ध हैं।


पावर पैकड न्यूज

अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज VII

- ❖ मिग-29, जगुआर और सी-17 विमानों से युक्त भारतीय वायु सेना की टुकड़ी ने ओमान के मसीराह वायु सेना बेस पर अभ्यास पूर्वी पुल के सातवें संस्करण में भाग लिया।
- ❖ रॉयल ओमान एयर फोर्स के साथ इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य अंतर-संचालन को बढ़ाना और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। इसमें जटिल हवाई युद्धाभ्यास, हवा से हवा और हवा से जमीन पर संचालन और रसद समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने वाले संयुक्त प्रशिक्षण मिशन शामिल हैं।
- ❖ भारतीय वायु सेना और रॉयल ओमान वायु सेना के बीच अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का पहला संस्करण 2009 में ओमान के थुमरैत में हुआ था।
- ❖ इसके साथ ही भारत ओमान के साथ अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यासों में भी शामिल है, जिनमें ओमान की रॉयल नेवी के साथ नसीम अल-बहर और ओमान की रॉयल आर्मी के साथ अल नजाह शामिल हैं।
- ❖ होमुज जलडमरुमध्य के प्रवेश द्वार के निकट और अरब सागर के ऊपर स्थित ओमान की रणनीतिक स्थिति इसे पश्चिम एशिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाती है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएस-1)

- ❖ भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएस-1) की पहली इकाई के विकास को मंजूरी दे दी है।
- ❖ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष परिवहन और बुनियादी ढांचे की क्षमताओं के विकास के साथ-साथ गगनयान और चंद्रयान के अनुवर्ती मिशनों की एक श्रृंखला की योजना बना रहा है।
- ❖ यह प्रगति भारत द्वारा 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन चालू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पथर है और 2040 तक चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन के लिए आधार तैयार करती है।
- ❖ वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) और चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन (टीएसएस) पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले दो सक्रिय अंतरिक्ष स्टेशन हैं।



अक्षय ऊर्जा कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए

- ❖ भारत की अग्रणी अवसंरचना वित्तपोषण कंपनियों में से एक आरईसी लिमिटेड ने लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स के साथ गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ❖ यह समझौता गुजरात में आयोजित चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक शिखर सम्मेलन और एक्सपो (रो-इन्वेस्ट 2024) के दौरान किया गया।
- ❖ आरईसी लिमिटेड की योजना 2030 तक गैर-जीवाश्म आधारित उत्पादन क्षमता को 200 गीगावाट से बढ़ाकर 500 गीगावाट करने के देश के लक्ष्य को समर्थन देने की है।

स्वावाङ्म लीडर मोहना सिंह

- ❖ स्वावाङ्म लीडर मोहना सिंह 'मेड इन इंडिया' निर्मित तेजस लड़ाकू विमान के 'फ्लाइंग बुलेट्स' स्वावाङ्म में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं।
- ❖ वह भारतीय वायु सेना में लड़ाकू पायलट बनने वाली तीन महिलाओं के पहले समूह का हिस्सा थीं।
- ❖ 2016 में सरकार द्वारा लड़ाकू विमानन क्षेत्र को महिलाओं के लिए खोले जाने के बाद से भारतीय वायुसेना में लगभग 20 सक्रिय महिला

लड़ाकू पायलट हैं।

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी

- ❖ चीन के हुलुनबुझर स्थित मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराकर भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता।
- ❖ भारत ने अपना पांचवां खिताब जीता और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम बन गई।
- ❖ भारतीय टीम ने अब तक आयोजित आठ एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंटों में छठी बार फाइनल खेला।

अनमोल खरब

- ❖ बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतकर सीनियर स्तर पर पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता।
- ❖ अनमोल ने फाइनल में डेनमार्क की अमाली शुल्ज को 24-22, 12-21, 21-10 से हराया।
- ❖ अनमोल ने बुल्गारिया के कालोयान के खिलाफ भी दमदार प्रदर्शन किया सेमीफाइनल में नलबांटोवा से भिड़ंत हुई। उन्होंने मैच 21-13, 24-26, 21-19 के स्कोर से जीतकर फाइनल में जगह बनाई।

ग्लोबल बायो-इंडिया 2024

- ❖ ग्लोबल बायो-इंडिया 2024 का चौथा संस्करण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित किया गया।
- ❖ इस वर्ष का आयोजन ‘जैव अर्थव्यवस्था पर प्रभाव’ विषय के अंतर्गत किया गया था।
- ❖ यह कार्यक्रम 12 से 14 सितंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद का सहयोग प्राप्त हुआ।

अमृत मोहन प्रसाद

- ❖ भारत सरकार ने अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का नया महानिदेशक नियुक्त किया है।
- ❖ अमृत मोहन प्रसाद 1989 बैच के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं और ओडिशा कैडर से हैं।
- ❖ वर्तमान में, वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। एसएसबी के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति का कार्यकाल 31 अगस्त, 2025 तक रहेगा, जोकि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है।
- ❖ सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है।
- ❖ इसका गठन 1963 में किया गया था और इसे नेपाल-भूटान सीमा का कार्य सौंपा गया है।

सुभद्रा योजना

- ❖ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा सरकार की एक प्रमुख पहल, सुभद्रा मिशन का शुभारंभ किया, जिसका उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया। यह योजना राज्य की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित पहल है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान करना है।
- ❖ सुभद्रा के अधीन इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों को पांच वर्षों में 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
- ❖ आधार से जुड़े, डीबीटी-सक्षम बैंक खातों के माध्यम से दो समान किस्तों (5000) में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ

- ❖ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) में अल्जीरिया की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। एनडीबी प्रमुख डिल्मा

रूसेफ ने इसकी घोषणा की। वे दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित एक बैठक में उपस्थित थीं।

ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी):

- ❖ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में उभरते बाजारों और विकासशील देशों में परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं।
- ❖ एनडीबी का मुख्य उद्देश्य विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के लिए एक विकल्प प्रदान करना है।
- ❖ यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और निवेश के अवसर प्रदान करता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलती है।

दिल्ली घोषणा

- ❖ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बाद नागरिक विमानन पर दिल्ली घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाए जाने की घोषणा की।
- ❖ घोषणापत्र में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नागरिक विमानन क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा निर्धारित की गई है।
- ❖ नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 11-12 सितंबर 2024 को भारत के नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया।
- ❖ इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) के सहयोग से किया गया था।

प्रशांति राम ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता

- ❖ भारतीय मूल की लेक्चरर प्रशांति राम को उनकी किताब 'नाइन यार्ड सारी' के लिए सिंगापुर लिटरेचर प्राइज मिला है। वह नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं।
- ❖ सिंगापुर साहित्य पुरस्कार एक द्विवार्षिक पुरस्कार है जो देश की चार आधिकारिक भाषाओं: चीनी, अंग्रेजी, मलय और तमिल में सिंगापुर के लेखकों द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट कृतियों को मान्यता देता है।
- ❖ यह प्रतियोगिता सिंगापुर पुस्तक परिषद (एसबीसी) द्वारा राष्ट्रीय कला परिषद के सहयोग से आयोजित की जाती है।



राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार

- ❖ राष्ट्रपति द्वापदी डॉ. मुर्मू ने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने और सराहनीय सेवाओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है।
- ❖ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समाज के लिए नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान के रूप में की गई थी।
- ❖ पंजीकृत सहायक नर्स एवं दाई, पंजीकृत नर्स एवं दाई तथा पंजीकृत महिला आगंतुक की श्रेणी में कुल 15 पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाणपत्र, 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक शामिल होता है।
- ❖ यह पुरस्कार नर्सिंग की महान प्रतीक फ्लोरेंस जे नाइटिंगेल की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने नर्सिंग को एक पेशेवर पहचान दी।

चमरान-1 उपग्रह

- ❖ ईरान ने पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा विकसित QAIM-100 रॉकेट का उपयोग करके चमरान-1 अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्ष में स्थापित किया। यह प्रक्षेपण ईरान के एयरोस्पेस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- ❖ चमरान-1 एक ईरानी अनुसंधान उपग्रह है, जिसे ईरान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज (SAIRAN) में ईरानी इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।

- ❖ 60 किलोग्राम वजनी चमरान-1 को 550 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है और इसे 'कक्षीय संचालन प्रौद्योगिकी' के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रणालियों का परीक्षण करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।
- ❖ इसके कुछ प्रमुख कार्यों में अंतरिक्ष प्रणालियों में शीत गैस प्रणोदन उप-प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन करना, नेविगेशन और नियंत्रण उप-प्रणालियों का मूल्यांकन करना शामिल है।
- ❖ QAIM-100 रॉकेट, ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) की एयरोस्पेस फोर्स द्वारा विकसित पहला तीन-चरणीय ठोस ईंधन उपग्रह लांच है। यह पूरी तरह से ठोस ईंधन पर आधारित है।

श्री विजयपुरम

- ❖ भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है।
- ❖ श्री विजयपुरम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश की राजधानी होगी।
- ❖ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर रखने की घोषणा की। यह घोषणा पराक्रम दिवस के अवसर पर की गई, जो भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को सम्मानित करता है।
- ❖ नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप (जिसे पहले रॉस द्वीप के नाम से जाना जाता था) में राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है।

76वां एमी पुरस्कार समारोह

- ❖ 76वां एमी पुरस्कार समारोह हाल ही में लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में आयोजित किया गया।
- प्रमुख विजेताओं की सूची:**
- ❖ उत्कृष्ट नाटक शृंखला का पुरस्कार शोगुन को दिया गया।
- ❖ उत्कृष्ट हास्य शृंखला का पुरस्कार हैक्स को दिया गया।
- ❖ टीवी फिल्म श्रेणी में चार पुरस्कार बेबी रेनडियर को मिले।
- ❖ द बियर के एपिसोड 'फिश' के निर्देशन के लिए स्टोरर को पुरस्कार मिला।
- ❖ सीरीज शृंखला में मुख्य अभिनेत्री के लिए जोडी फोस्टर ने एमी पुरस्कार जीता।
- ❖ बेबी रेनडियर के लेखन के लिए रिचर्ड गैड ने अपना पहला एमी पुरस्कार जीता।
- ❖ ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता का पुरस्कार शोगुन के लिए हिरोयुकी सानदा को मिला।



एमएससीआई उभरते बाजार निवेश योग्य बाजार सूचकांक

- ❖ भारत ने एमएससीआई उभरते बाजार निवेश योग्य बाजार सूचकांक (MSCI Emerging Markets Investable Market Index - MSCI EM IMI) में चीन को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिससे भारतीय शेयरों में संभावित रूप से 4-4.5 अरब डॉलर का पूँजी प्रवाह हो सकता है।
- ❖ सूचकांक में भारत का भार 22.27% है, जो चीन के 21.58% से ज्यादा है। यह बदलाव 2024 की शुरुआत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 47% की वृद्धि, ब्रेंट क्रूड की कम कीमतों और भारतीय ऋण बाजारों में मजबूत विदेशी निवेश के कारण हुआ है।
- ❖ एमएससीआई उभरते बाजार निवेश योग्य बाजार सूचकांक (EM IMI) एक व्यापक सूचकांक है, जिसमें रिलायंस, इंफोसिस और आईसीआईसीआई बैंक जैसी शीर्ष भारतीय कंपनियों के साथ 24 उभरते बाजार देशों के बड़े, मध्यम और छोटे-कैप स्टॉक्स शामिल हैं।
- ❖ भारत का मजबूत बाजार प्रदर्शन अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाता है, जबकि चीन का बाजार संघर्ष की स्थिति में रहा है।

अभ्यास वरुण

- ❖ हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज तबर और एलआरएमआर पी४ आई विमान ने भूमध्य सागर में भारत-फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लिया।
- ❖ फ्रांस का प्रतिनिधित्व एफएस प्रोवेंस, पनडुब्बी सुफ्रेन, विमान एफ20, अटलांटिक 2 और विभिन्न हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों द्वारा किया गया।
- ❖ इस अभ्यास में उन्नत नौसैनिक ऑपरेशन जैसे पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा अभ्यास, लाइव हथियार फायरिंग और सामरिक युद्धाभ्यास शामिल थे।
- ❖ 2001 में शुरू किया गया वरुण अभ्यास भारतीय-फ्रांसीसी नौसैनिक संबंधों की आधारशिला बन गया है, जोकि अंतर-संचालन और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।



स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, 2024

- ❖ स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर 2024 को मनाया गया। इस अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत, 2017-18 से 131 गैर-प्राप्ति शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार पर कार्य किया गया, जिनमें से 95 शहरों में वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
- ❖ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत किया गया, जिसमें जनसंख्या के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को तीन श्रेणियों में सम्मानित किया गया।

विजेता शहर:

- ❖ श्रेणी-1 (10 लाख से अधिक जनसंख्या): सूरत, जबलपुर, आगरा
- ❖ श्रेणी-2 (3-10 लाख के बीच जनसंख्या): फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी
- ❖ श्रेणी-3 (3 लाख से कम जनसंख्या): रायबरेली, नलगोंडा, नालागढ़
- ❖ यह पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक पहल है, जो वायु गुणवत्ता और एनसीएपी के तहत किए गए कार्यों के आधार पर शहरों की रैंकिंग करती है।
- ❖ यह 131 ऐसे शहरों पर केंद्रित है, जो पिछले पांच सालों में PM10 या NO2 के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा नहीं कर पाए हैं।

बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव का पहला स्पष्ट दृश्य

- ❖ हाल ही में रोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और जापान के संयुक्त मिशन बेपीकोलंबो ने बुध के दक्षिणी ध्रुव का पहला स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत किया। अंतरिक्ष यान ने बुध के नजदीक पहुंचकर कई क्रेटरों और असामान्य संरचनाओं वाले पीक रिंग बेसिन की तस्वीरें लीं।
- ❖ 2018 में लॉन्च किया गया बेपीकोलंबो अपने थ्रस्टर्स के साथ समस्याओं के कारण होने वाली देरी को दूर करने के बाद 2026 में बुध की कक्षा में प्रवेश करेगा।
- ❖ बेपीकोलंबो मिशन में दो ऑर्बिटर शामिल हैं: एक बुध के सतही परिदृश्य का गहन अध्ययन करने के लिए और दूसरा उसके अंतरिक्ष वातावरण का विश्लेषण करने के लिए। इन ऑर्बिटर्स के माध्यम से वैज्ञानिकों को ग्रह की उत्पत्ति, विकास, भूगर्भीय संरचना और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में व्यापक



जानकारी मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से, मिशन का उद्देश्य शिखर बलय बेसिन जैसी संरचनाओं का अध्ययन करना है, जो संभवतः प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियों से संबंधित हो सकती हैं।

- ❖ सौर मंडल का सबसे कम अध्ययन किया गया चट्टानी ग्रह बुध, सूर्य की ओर अंतरिक्ष यान के तेजी से बढ़ने (त्वरण) के कारण एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्रस्तुत करता है। इस कारण बीपीकोलंबो को धीमा करने के लिए पृथ्वी, शुक्र और बुध के चारों ओर कई फ्लाईबाई (उड़ान पथ) का सहारा लेना पड़ रहा है।
- ❖ हाल ही में की गई फ्लाईबाई, बुध के चारों ओर नियोजित छह फ्लाईबाई में से चौथी थी, जिसके दौरान अंतरिक्ष यान ग्रह की सतह से मात्र 103 मील (लगभग 166 किमी) की दूरी पर पहुंच गया।
- ❖ मिशन 2026 के अंत तक बुध की कक्षा में प्रवेश करने से पहले, दिसंबर और जनवरी में दो और फ्लाईबाई करेगा।

VisionXt और INDIAsize पहल

- ❖ भारत सरकार INDIAsize पहल शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य भारतीय शरीर के प्रकारों के अनुरूप मानकीकृत मापदंड स्थापित करना है।
- ❖ वर्तमान में, भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रांड्स यूएस या यूके साइजिंग का उपयोग करते हैं, जिसके कारण भारतीय और पश्चिमी आबादी के बीच ऊर्जावाहक, वजन और शरीर के माप में अंतर के कारण फिटिंग से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- ❖ इन समस्याओं को दूर करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय परिधान क्षेत्र के लिए मानक शरीर के आकार निर्धारित करने हेतु INDIAsize परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे परिधान के फिट में मौजूदा असमानताओं को कम किया जा सकेगा।

VisionXt पहल:

- ❖ VisionXt एक प्रमुख पहल है, जिसे 2018 में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया। वर्तमान में इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है।
- ❖ VisionXt का उद्देश्य भारतीय बाजार के अनुरूप फैशन प्रवृत्तियों की अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को इमेशनल इंटेलिजेंस (EI) के साथ जोड़कर भू-विशिष्ट रुझानों का विश्लेषण करता है, जिससे भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक बारीकियों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। यह पहल वैश्विक पूर्वानुमान एजेंसियों पर निर्भरता को कम करने का भी प्रयास करती है।
- ❖ VisionXt की एक महत्वपूर्ण विशेषता 'डीपिविजन' मॉडल है, जो 60 से अधिक भारतीय परिधान और 40 से अधिक पश्चिमी परिधान श्रेणियों की विशेषताओं की पहचान करने के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (CNN) का उपयोग करता है।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन

- ❖ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के शासी बोर्ड की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिदृश्य तथा अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के नए स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- ❖ बैठक में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिदृश्य और अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के नए स्वरूप पर चर्चा की गयी।
- ❖ अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता, उन्नत सामग्री और सतत कृषि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समाधान-केंद्रित अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करना है, जो आत्मनिर्भर भारत में योगदान देगा।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के बारे में:

- ❖ अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) की स्थापना भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है।
- ❖ ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
- ❖ ANRF उद्योग, शिक्षा, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब ऐसे परिवार, जिनके पास

दोपहिया वाहन, मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नावें, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन हैं और जो 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाते हैं, वे ग्रामीण आवास योजना में भाग ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण:

- ❖ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे गरीब तबके को आवास उपलब्ध कराना था।
- ❖ लाभार्थियों का चयन तीन चरणों वाली कठोर सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा की मंजूरी और जियो-टैगिंग शामिल है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे।
- ❖ इस योजना में कुशल निधि संवितरण, क्षेत्र-विशिष्ट आवास डिजाइनों के कार्यान्वयन और विभिन्न निर्माण चरणों में जियो-टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से साक्ष्य-आधारित निगरानी के लिए आईटी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के उपयोग को शामिल किया गया है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई)

- ❖ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बिना आय की सीमाओं के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है।
- ❖ इस पहल का उद्देश्य लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना है, जो छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के बराबर है, जिसमें प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर शामिल है।
- ❖ पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एबी पीएम-जेएवाई के तहत एक अलग कार्ड मिलेगा और पहले से कवर किए गए परिवारों के सदस्यों को परिवार के कवरेज से अलग, अपने लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप मिलेगा।
- ❖ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जो पहले से ही अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में नामांकित हैं, वे अपनी वर्तमान योजना के साथ बने रहने या एबी पीएम-जेएवाई में स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के बारे में:

- ❖ एबी पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो 55 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।
- ❖ अपनी शुरुआत के बाद से, इस योजना ने 7.37 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान की है, जिससे जनता को 1 लाख करोड़ से अधिक का लाभ हुआ है।
- ❖ यह विस्तार कमज़ोर आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बढ़ाने के सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है।

नागालैंड के तीन जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू

- ❖ मुख्यमंत्री नेप्यू रियो की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद, नागालैंड राज्य सरकार ने चुमौकेदिमा, निउलैंड और दीमापुर जिलों में इनर लाइन परमिट (ILP) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
- ❖ पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री, टेम्जेन इम्ना अलोंग ने घोषणा की कि दीमापुर के निवासियों को ILP आवश्यकताओं के संबंध में तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।
- ❖ इसके अतिरिक्त, छात्रों, शिक्षकों, तकनीकी कर्मियों और व्यावसायिक भागीदारों सहित कुछ समूहों को उनके प्रवास के उद्देश्य के आधार पर दो से पांच साल के लिए वैध ILP मिल सकता है।
- ❖ सरकार का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए पृच्छा जारी करने के लिए डिजिटल प्रणाली को बढ़ाना है।

इनर लाइन परमिट (ILP) के बारे में:

- ❖ इनर लाइन परमिट (ILP) भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ है, जो किसी भारतीय नागरिक को सीमित अवधि



के लिए संरक्षित क्षेत्र में आने-जाने की अनुमति देता है।

- ❖ इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रॉटियर रेग्युलेशन में निहित है, जिसका उद्देश्य चाय, तेल और हाथी व्यापार में क्राउन के हितों की रक्षा करना था।
- ❖ इस विनियमन ने 'ब्रिटिश नागरिकों' को निर्दिष्ट 'संरक्षित क्षेत्रों' में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया, ताकि उन्हें वाणिज्यिक उद्यम स्थापित करने से रोका जा सके जो क्राउन के एजेंटों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे।
- ❖ वर्तमान में, ILP प्रणाली चार पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और अब मणिपुर।

सैन्य अभ्यास अल नजाह V

- ❖ भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान के सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में भारत-ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुई है।
- ❖ यह अभ्यास 2015 से हर दो साल में आयोजित किया जाता रहा है, जो दोनों देशों के बीच बारी-बारी से होता है, जबकि अंतिम संस्करण राजस्थान में आयोजित किया गया था।
- ❖ अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII में उल्लिखित है, जिसमें रेगिस्तानी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ❖ नियोजित प्रमुख सामरिक अभ्यासों में संयुक्त योजना, घेरा और तलाशी अभियान, शहरी युद्ध, मोबाइल वाहन चौकियाँ, ड्रोन-गोधी रणनीति और कमरे में हस्तक्षेप शामिल हैं।
- ❖ अभ्यास अल नजाह V का उद्देश्य भारत और ओमान के बीच रणनीति और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना, अंतर-संचालन, सद्भावना को बढ़ावा देना और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।

फ्रीनाराचने डेसिपिएन्स

असम ने मकड़ी की सूची में एक नई मकड़ी प्रजाति फ्रीनाराचने डेसिपिएन्स को शामिल किया है, जिसे आम तौर पर पक्षी मल केकड़ा मकड़ी के रूप में जाना जाता है। इस खोज की रिपोर्ट अकादमिक पत्रिका एक्टा एराचनोलॉजिका में प्रकाशित हुई थी।

- ❖ मकड़ी का सफेद रंग और पत्तियों पर सफेद जमाव (उसका जाल) पक्षी के मलमूत्र जैसा दिखता है।
- ❖ इसे पहले मलेशिया और इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा में पाया जाता था, लेकिन अब इसे पहली बार भारत में कामरूप (मेट्रोपॉलिटन) जिले के सोनापुर और कोकाराझार जिले के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट में दर्ज किया गया है।
- ❖ फ्रीनाराचने जीनस में 35 स्वीकृत प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनमें पक्षी मल केकड़ा मकड़ी उल्लेखनीय परिवर्धन में से एक है। इस प्रजाति का अंतिम विस्तृत विवरण 1921 में दिया गया था।
- ❖ 13.14 मिमी लंबाई वाली यह मकड़ी आमतौर पर चौड़ी पत्तियों पर स्थिर पाई जाती है, जो इसके चाक जैसे सफेद रंग और पक्षी के मलमूत्र जैसा दिखने वाले जाल के साथ घुलमिल जाती है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है।

इरुला जनजाति

चेन्नई के पास स्थित इरुला स्नेक कैर्चर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्तमान में अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है।

इरुला जनजाति के बारे में:

- ❖ इरुला भारत के सबसे पुराने स्वदेशी समुदायों में से एक हैं और इन्हें विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे मुख्य रूप से उत्तरी तमिलनाडु में रहते हैं, जबकि केरल और कर्नाटक में उनकी आबादी कम है।
- ❖ इरुला अपनी भाषा इरुला बोलते हैं, जो तमिल और कन्नड़ से बहुत मिलती-जुलती है। वे एक सर्वेश्वरवादी विश्वास प्रणाली का पालन करते हैं, जिसमें उनकी मुख्य देवी कन्नियाम्मा हैं, जो एक कुंवारी देवी हैं और कोबरा से बहुत जुड़ी हुई हैं।
- ❖ शिकार, संग्रहण और हर्बल चिकित्सा में पारंपरिक रूप से कुशल, साँपों को संभालने में उनकी प्रसिद्ध विशेषज्ञता उन्हें भारत के एंटी-स्नेक वेनम (ASV) उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि वे ASV निर्माण में उपयोग किए जाने वाले 80% विष की आपूर्ति करते हैं।
- ❖ सहकारी समिति साँपों को पकड़ने, विष निकालने और उन्हें बिना किसी नुकसान के छोड़ने के लिए अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करती है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1.	मास्टरकार्ड ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान नई पेमेंट सेवा पासकी शुरू की है। यह सेवा जसपे, रेजरपे और पेयू जैसी प्रमुख भारतीय भुगतान कंपनियों के साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च की गई है।
2.	हिमांशी टोकस ने दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में आयोजित एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चौंपियनशिप में महिलाओं की 63 किंव्रा स्पर्धा में रजत पदक जीता।
3.	प्रीति पाल ने पेरिस पैरालिंपिक 2024 में महिलाओं की टी35 स्पर्धा में 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ, निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद टी47 स्पर्धा में रजत पदक जीता।
4.	भारतीय नौसेना के आईएनएस तबर ने स्पेन के मलागा में स्पेनिश नौसेना जहाज अटलया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5.	हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 11 से 20 नवंबर तक बिहार के राजगीर में आयोजित की जाएगी।
6.	एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायु सेना के उप वायु सेना प्रमुख का पदभार संभाला। वे श्रेणी 'ए' योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं और उनके पास 4,500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है।
7.	गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण अभियान शामिल है।
8.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने चीन से आयातित एल्युमीनियम फॉयल पर डिपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। यह कदम घरेलू उद्योग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
9.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब के जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
10.	भारत सरकार ने एसजेवीएन, एनएचपीसी, रेलटेल और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 'नवरत्न' का दर्जा दिया है।
11.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए 50 शिक्षकों का चयन किया है।
12.	भारतीय नौसेना के पी-8आई विमान को फ्रांसीसी नौसेना के साथ अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए फ्रांस में तैनात किया गया है।
13.	पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन (जेसीसी) 04-05 सितंबर 2024 को लखनऊ में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय 'मजबूत और सुरक्षित भारत: सशस्त्र बलों में परिवर्तन' है।
14.	भारतीय वायु सेना के सुखोई-30 एमकेआई विमान के लिए 240 एयरो-इंजन की खरीद को मंजूरी दी गई है। यह खरीद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से की जाएगी और इसकी कुल लागत 26,000 करोड़ रुपये होगी।
15.	राष्ट्रपति द्वापदी मुरू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक काम करेगा। आयोग की जिम्मेदारी कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सिफारिशों करना होगी।
16.	नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान सुपर जायंट को 4-3 से हराकर दूरंड कप 2024 का खिताब जीता।
17.	2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 2024 का थीम है 'एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए नारियल, अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण'।
18.	वी सतीश कुमार को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे निदेशक (मार्केटिंग) के रूप में भी कार्यरत रहेंगे।
19.	दीप्ति जीवनजी ने पेरिस पैरालिंपिक 2024 में महिलाओं की 400 मीटर टी20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने दौड़ 55.82 सेकंड में पूरी की।
20.	रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें भविष्य के लड़ाकू वाहन और वायु रक्षा रडार शामिल हैं।
21.	पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 'अपराजिता' विभेदक पारित किया, जिसमें बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान है।

22.	भारत और केन्या ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
23.	विश्व बैंक ने भारत के विकास के अनुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत संभावनाओं को दर्शाता है।
24.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने विश्वस्य-ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है। यह स्टैक विभिन्न अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन-आधारित अनुप्रयोगों के लिए भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा।
25.	हरविंदर सिंह ने पेरिस पैरालिंपिक 2024 में पुरुष तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व ओपन फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह पैरालिंपिक या ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं।
26.	केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय योंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को मंजूरी दी है। 1 जनवरी 2025 से EPS योंशनभोगी भारत में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से योंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे 78 लाख से अधिक योंशनभोगियों को लाभ मिलने की उमीद है।
27.	राष्ट्रपति द्वापदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के उदायीर में विश्वशांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यह विहार 15 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें ध्यान मंदिर सहित अन्य सुविधाएं हैं।
28.	तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान ने वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीएसडीपी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। तेलंगाना की अर्थव्यवस्था में 9.2% की वृद्धि हुई, जबकि तमिलनाडु और राजस्थान में क्रमशः 8.2% और 8% की वृद्धि दर्ज की गई।
29.	भारत और सिंगापुर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया है। दोनों देशों ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, अर्थचालक और स्वास्थ्य सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं।
30.	लॉडर्स 11 से 15 जून 2025 तक ICC विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा।
31.	राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत एक मॉक ड्रिल, "वायरस युद्ध अभ्यास" राजस्थान में आयोजित किया गया।
32.	उत्तर प्रदेश सरकार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक वैदिक-उडी संग्रहालय बनाएगी, जो भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा।
33.	सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे बुर्जुआ भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है।
34.	असम सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले बुनकरों को सम्मानित करने के लिए 20 अगस्त को सुता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
35.	एचडीएफसी बैंक ने गिग वर्कर्स के लिए 'गीगा' नामक उत्पादों और सेवाओं का एक नया वित्तीय सेट लॉन्च किया है, जिसमें बचत खाता, व्यवसाय डेबिट कार्ड और फ्रीलांसरों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
36.	वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के प्रबंध निदेशक के रूप में राम मोहन राव अमारा की नियुक्ति की सिफारिश की है।
37.	गुजरात के सूरत में 'जल संचय जन भागीदारी' पहल शुरू की गई है। यह पहल वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सहयोग पर आधारित है, जिसमें लगभग 24,800 जल संचयन संरचनाएँ बनाई जाएँगी।
38.	कपिल परमार ने पेरिस पैरालिंपिक 2024 में जूडो में भारत का पहला पैरा जूडो पदक जीता है। उन्होंने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता।
39.	रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने 'ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट' नामक एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें एशिया भर के विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों के साहस और निस्वार्थ सेवा को उजागर किया गया है।
40.	भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी बचाव सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
41.	जापानी फिल्म निर्माता हयाओ मियाजाकी को 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बच्चों के लिए बनाई गई उनकी एनिमेटेड फिल्मों के लिए दिया गया है।
42.	भारत और यूरोपीय संघ ने सतत जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत-यूरोपीय संघ जल भागीदारी (IEWP) की स्थापना 2016 में की गई थी और वर्तमान में यह तापी और रामगंगा नदी घाटियों के प्रबंधन में सहयोग के तीसरे चरण में है।

- 43.** भारतीय तटरक्षक बल (ICG), हैंबिटेल्स ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन ने समुद्री संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और सुधार करना है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।
- 44.** केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 'श्वेत क्रांति 2.0' का शुभारंभ किया है। इसमें 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का गठन और सुदृढ़ीकरण शामिल है।
- 45.** पंजाब ने 14वीं हाँकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चौथीप्रयत्नशिप 2024 का खिताब जीता। फाइनल मैच ओलंपियन सुरजीत सिंह हाँकी स्टेडियम में हुआ, जहाँ पंजाब ने कड़ी टक्कर देते हुए उत्तर प्रदेश को 4-3 से हराया।
- 46.** अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पुरुष और महिला विश्व कप में समान पुरस्कार राशि की ऐतिहासिक घोषणा की है। यह पहल अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले महिला टी20 विश्व कप से शुरू होगी।
- 47.** भारत सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन के लिए 2,104.06 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है, जो चंद्रमा पर भारत का चौथा मिशन होगा। चंद्रयान-4 एक दूरस्थ मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्र चट्टानों के नमूने एकत्र करना है। इसे 2027 में लॉन्च किया जाना है, और इसमें चंद्रयान-3 मिशन के दौरान विकसित तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
- 48.** भारत की निशानेबाज मनु भाकर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एंबेस्डर नियुक्त किया गया है। उन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में दो पदक जीतकर इतिहास रचा, जिससे देश भर के युवा एथलीटों को प्रेरणा मिली है।
- 49.** जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने जाफर हसन को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही हसन ने सरकार बनाने की जिम्मेदारी संभाल ली है, जो हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के नतीजों के बाद आई है।
- 50.** तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की छह प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए नई डैडम नीति-2024 लॉन्च की है। इस नीति के तहत अगले पाँच वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- 51.** अमेजन इंडिया ने समीर कुमार को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। समीर कुमार, मनीष तिवारी की जगह ले गए, जिन्होंने अगस्त में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
- 52.** एशियर्या राय बच्चन ने दुबई में आयोजित साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स (SIIMA) 2024 में 'पोन्नियिन सेलवन: पार्ट 2' में अपने शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (आलोचक) का पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार उन्हें प्रसिद्ध निर्देशक कवीर खान ने प्रदान किया।
- 53.** भारतीय भाला फेंक स्टर नीरज चोपड़ा 14 सितंबर को ब्ल्सेल्स में डायमंड लीग फाइनल में खिताब से चूक गए। उन्होंने 87.86 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका, जो ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम था। एंडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर का थ्रो किया।
- 54.** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने भारत में एक नई पहल, भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है।
- 55.** ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉर्मस (ONDC) ने आर.एस. शर्मा को अपना गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पूर्व अधिकारी रहे हैं और अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।
- 56.** स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने भारत में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की हैं, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बीमा जानकारी तक स्वतंत्र रूप से पहुँच सकते हैं और उचित विकल्प चुन सकते हैं।
- 57.** तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल को पेरिस पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया।
- 58.** भारत और मालदीव ने नई दिल्ली में पांचवीं रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की। यह बैठक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
- 59.** मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (MSCI) इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट्स इंडेक्स में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है।
- 60.** भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 4,000 किलोमीटर है और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 1. हाल ही में भारत ने ग्लोबल साइबरसिक्योरिटी इंडेक्स (GCI) 2024 में टीयर 1 दर्जा प्राप्त किया।
 2. यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा जारी किया गया था।
 3. भारत को वैश्विक साइबरसिक्योरिटी प्रथाओं के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
 - A. केवल एक
 - B. केवल दो
 - C. सभी तीन
 - D. कोई नहीं
2. PHEMA के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 1. हाल ही में नीति आयोग के विशेषज्ञ समूह ने रोगों के प्रकोप और महामारी से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात प्रबंधन अधिनियम (PHEMA) का एक अलग कानून प्रस्तावित किया है।
 2. यह सिफारिश स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से है, जिसमें रोकथाम, नियंत्रण, और आपदा प्रतिक्रिया शामिल हैं।
 3. यह अधिनियम राज्य और जिला स्तर पर कुशल सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर के निर्माण को भी सक्षम बनाएगा।उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
 - A. केवल एक
 - B. केवल दो
 - C. सभी तीन
 - D. कोई नहीं
3. राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) 2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 1. यह भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है।
 2. तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है।उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
 - A. केवल 1
 - B. केवल 2
 - C. दोनों 1 और 2
 - D. न तो 1 और न ही 2
4. खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) वित्त नेटवर्क के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 1. यह एक अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए सदस्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।
 2. भारत ने MSP वित्त नेटवर्क से अपनी सदस्यता वापस ले ली है।
 3. अफ्रीकी संघ (AU) केवल एक संघ है जो MSP नेटवर्क का हिस्सा है।उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
 - A. केवल एक
 - B. केवल दो
 - C. सभी तीन
 - D. कोई नहीं
5. राज्य की सड़क सुरक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 1. तमिलनाडु में 2021 में प्रति 1,00,000 लोगों में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु दर थी।
 2. पश्चिम बंगाल और बिहार ने 5.9 प्रति 1,00,000 के साथ सबसे कम सड़क दुर्घटना मृत्यु दरें दर्ज कीं।
 3. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लगभग 70% सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के लिए जिम्मेदार हैं।उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
 - A. केवल एक
 - B. केवल दो
 - C. सभी तीन
 - D. कोई नहीं
6. स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के बारे में हाल ही में प्रकाशित अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 1. अध्ययन में पाया गया है कि SBM ने भारत में लगभग 60,000 से 70,000 शिशु मृत्यु को रोका है।
 2. SBM को 2014 में देश को खुले में शौच से मुक्त करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था।
 3. अध्ययन ने 2011 से 2020 के बीच 35 राज्यों और 640 जिलों के डेटा का विश्लेषण किया।उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं
- 7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
- भारत खाद्य तेल क्षेत्र में अमेरिका, चीन और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पर है।
 - रिपोर्ट के अनुसार, भारत के घरेलू खाद्य तेल उत्पादन देश की आवश्यकताओं का 60-65% पूरा करता है।
 - राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तेल पाम (NMEO-OP) का लक्ष्य 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन 11.20 लाख टन बढ़ाना है।
- उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं
- 8. महाराष्ट्र में बड़वान पोर्ट परियोजना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
- बड़वान पोर्ट का अनुमानित बजट 76,000 करोड़ है और इसे दुनिया के शीर्ष 10 पोर्ट में से एक बनाने का लक्ष्य है।
 - यह पलघर जिले के दहानू कस्बे के पास स्थित है और इसका मुख्य ध्यान छोटे कारों जहाजों को समायोजित करना है।
 - यह परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सतत विकास प्रथाओं को शामिल करती है।
- उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं
- 9. विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) को बड़वान पोर्ट का निर्माण करने के लिए किस दो संस्थाओं ने बनाया?**
- A. महाराष्ट्र मरीन बोर्ड और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
B. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण और महाराष्ट्र मरीन बोर्ड
C. भारतीय रेलवे और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण
D. महाराष्ट्र मरीन बोर्ड और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
- 10. कैबिनेट द्वारा PM E-DRIVE योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
- इस योजना का कुल व्यय 10,900 करोड़ है, जो दो वर्षों में है।
- यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए (FAME India Phase II) को प्रतिस्थापित करती है।
3. PM E-DRIVE केवल इलेक्ट्रिक कारों को प्रोत्साहित करेगी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
- A. केवल 1
B. केवल 2
C. केवल 1 और 2
D. सभी तीन
- 11. DPIIT द्वारा शुरू किए गए BHASKAR पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
- BHASKAR का मतलब है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री।
 - इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्टार्टअप्स, निवेशकों, मेंटर्स, और सरकारी निकायों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत करना है।
 - BHASKAR मुख्य रूप से स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रदान करने पर केंद्रित है।
- निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
- A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. सभी तीन
- 12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
- कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, और तमिलनाडु ने 2023-24 में भारत की GDP में 30% से अधिक योगदान दिया।
 - सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय 1990-91 में राष्ट्रीय औसत के 93% से बढ़कर 2023-24 में 319% हो गई।
 - पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 1960 के दशक से लगातार राष्ट्रीय औसत से ऊपर रही है।
- उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं
- 13. हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण पर किए गए अध्ययन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
- भारत प्रतिवर्ष लगभग 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जो वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का योगदान सर्वाधिक है।
 - भारत में आधिकारिक कचरा उत्पन्न करने की दर 0.12

- किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के रूप में रिपोर्ट की गई है।
3. नाइजीरिया और इंडोनेशिया क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में रैंक करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
- केवल 1
 - केवल 1 और 3
 - केवल 2 और 3
 - सभी तीन
14. विस्तारित कछुए के वितरण और संरक्षण स्थिति के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा विस्तारित कछुए को संकटग्रस्त माना गया है।
 - यह प्रजाति मुख्य रूप से 1,000 मीटर की ऊँचाई तक के निम्न भूमि और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
 - कछुए का वितरण उत्तरी भारत, नेपाल, भूटान, और विभिन्न दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को शामिल करता है।
- उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- केवल एक
 - केवल दो
 - सभी तीन
 - कोई नहीं
15. सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिह्न के अनावरण के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- नए ध्वज में अशोक चक्र और सुप्रीम कोर्ट की इमारत शामिल है।
 - ध्वज का रंग मुख्य रूप से हरा है।
 - सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, जब भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना।
- उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- केवल एक
 - केवल दो
 - सभी तीन
 - कोई नहीं
16. बिप्लब शर्मा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था?
- भारतीय संविधान में परिवर्तन की सिफारिश करना।
 - असम समझौते की धारा 6 को लागू करने पर सिफारिशों प्रदान करना।
 - असम में भूमि विवादों की जांच करना।
- उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
17. त्रिपुरा में हस्ताक्षरित शांति समझौते के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- शांति समझौता केंद्र सरकार, त्रिपुरा और उग्रवादी समूह NLFT और ATTF के बीच हस्ताक्षरित हुआ।
 - यह समझौता राज्य में 35 वर्षों की शांति के बाद एक नए संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक है।
 - उग्रवादी समूहों के 300 से अधिक सशस्त्र कार्यकर्ताओं ने हथियार डालने के बाद त्रिपुरा के विकास में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई है।
- उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- केवल एक
 - केवल दो
 - सभी तीन
 - कोई नहीं
18. ओडिशा में शुरू की गई सुभद्रा योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह योजना योग्य महिला लाभार्थियों को, जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच है, वार्षिक 10,000 रुपये प्रदान करेगी।
 - निधि दो किस्तों में स्थानांतरित की जाएगी, एक किस्त रक्षाबंधन पर और दूसरी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर।
 - आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों की महिलाएं और सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- उपरोक्त में से कितने कथनों सही हैं?
- केवल एक
 - केवल दो
 - सभी तीन
 - कोई नहीं
19. सुप्रीम कोर्ट की वैवाहिक बलात्कार पर सुनवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- वैवाहिक बलात्कार एक गंभीर अपराध है जो पति-पत्नी के बीच बलपूर्वक यौन संबंध बनाने को शामिल करता है।
 - भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में वैवाहिक बलात्कार से पतियों को अभियोजन से छुट प्रदान की गयी है।
 - हाल में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
- उपरोक्त में से कितने कथनों सही हैं?
- केवल एक
 - केवल दो
 - सभी तीन

D. कोई नहीं

20. पार्किंसन रोग के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पार्किंसन रोग दूसरा सबसे सामान्य न्यूरोडिजेनरेटिव रोग है, जो अल्जाइमर रोग के बाद आता है।
2. यह लगभग 10 लाख अमेरिकियों और विश्वभर में 10 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है।
3. जेम्स पार्किंसन ने 1817 में इस रोग का पहला वर्णन किया था, जिसके बाद इसे पार्किंसन रोग का नाम दिया गया है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

21. अल्जाइमर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सबसे सामान्य प्रकार का डिमेंशिया है।
2. हाल की रिसर्च में रात के समय प्रकाश प्रदूषण और अल्जाइमर रोग की घटनाओं के बीच संबंध पाया गया है।
3. अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में प्लाक (बीटा-एमिलॉइड) और टेंगल्स (टाऊ प्रोटीन) के निर्माण को शामिल करता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं।
4. इस रोग का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त में से कितने कथनों सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. केवल तीन
- D. सभी चार

22. Drp1 (Dynamin-Related Protein 1) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. Drp1 एक प्रोटीन है जो माइटोकॉड्रियल डायनैमिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. Drp1 माइटोकॉड्रिया के विभाजन को मध्यस्थिता करता है।
3. Drp1 चयनात्मक विघटन (माइटोफैजी) के माध्यम से क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण माइटोकॉड्रिया को समाप्त करने में मदद करता है।
4. Drp1 माइटोकॉड्रियल आकृति को नियंत्रित करता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. केवल तीन

D. सभी चार

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में विश्वास्य-ब्लॉकचेन तकनीक स्टैक लॉन्च किया है।
2. यह तकनीक एक अनुमत ब्लॉकचेन-ए-सर्विस (BaaS) सेटअप प्रदान करती है, जिसे भुवनेश्वर, पुणे, और हैदराबाद में तीन महत्वपूर्ण डेटा सेंटरों में होस्ट किया गया है।
3. यह पहल डिजिटल बुनियादी ढांचे और पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि बच्चों के यौन शोषण सामग्री को देखना, संग्रहीत करना या वितरित करना भारत के POCSO अधिनियम और IT अधिनियम के तहत अपराध है।
2. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि बिना वितरण के बच्चों की पोर्नोग्राफी का निजी रूप से देखना अपराध नहीं है।
3. अदालत ने अपराध की गंभीरता को दर्शाने के लिए 'बच्चों की पोर्नोग्राफी' को 'बच्चों के यौन शोषणकारी और शोषणात्मक सामग्री' से बदलने का सुझाव दिया।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संघ बजट में घोषित NPS वत्सल्य योजना लांच की, जो नाबालिगों के लिए एक नई पेंशन योजना है।
2. वत्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक योगदान 1,000 है।
3. इस योजना के तहत, खाते को बनाए रखने के लिए हर साल 1,000 का वार्षिक योगदान करना आवश्यक है।
4. 18 वर्ष की आयु में पहुंचने पर, खाता स्वचालित रूप से एक मानक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) खाते में परिवर्तित हो जाएगा।

5. पेंशन केवल 60 वर्ष की आयु के बाद ही खाते से प्राप्त होगी।

6. इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियंत्रित और प्रशासित किया जाएगा।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. केवल चार
- D. सभी

26. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA) को मंजूरी दी है, जो आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका कुल बजट 79,156 करोड़ रुपये है।

2. PMJUGA 549 जिलों, 2,740 ब्लॉकों, और 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 63,000 गांवों को कवर करेगा, जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा।

3. यह योजना स्वास्थ्य, शिक्षा, और आजीविका सहित सामाजिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को पूरा करने पर कोरित है।

4. PMJUGA में अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्य योजना (DAPST) के तहत 17 मंत्रालयों द्वारा लागू किए जाने के लिए 25 हस्तक्षेप शामिल हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. केवल तीन
- D. सभी चार

27. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस योजना ने सरकार के वित्तीय समावेशन के अभियान को बढ़ावा दिया।

2. इसे 2016 में लॉन्च किया गया था।

3. PMJDY का उद्देश्य बिना बैंक वाले व्यक्तियों के लिए एक बुनियादी बचत बैंक खाता खोलना था।

4. इन खातों को PMJDY खातों में कोई न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. केवल तीन

- D. सभी चार

28. एकीकृत भुगतान इंटरफेस के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली है जो भारत में 2018 में लॉन्च की गई थी।

2. इसे राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया था।

3. यह एक प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में एकीकृत करती है।

4. यह 'पीयर टू पीयर' संग्रह अनुरोधों का समर्थन नहीं करती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल 1 और 4
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1, 2 और 3
- D. केवल 3 और 4

29. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायो-RIDE योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बायो-राइड (बायो-रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप) योजना उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है।

2. इस योजना के क्रमशः जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास, औद्योगिक और उद्यमिता विकास और बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोफार्मिंग मुख्य घटक हैं।

3. बायो-RIDE योजना के लिए प्रस्तावित बजट 15वें वित्त आयोग की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये है।

4. योजना का उद्देश्य बायो-उद्यमिता को बढ़ावा देना और शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ाना है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

30. मत्स्य 6000 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मत्स्य 6000 भारत की पहली मानवयुक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी है, जिसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है।

2. यह पनडुब्बी 6,000 मीटर की गहराई तक जा सकती है और इसमें तीन लोगों का दल सवार हो सकता है।

3. इस परियोजना के 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

31. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।
2. सिद्ध दोष या अक्षम न्यायाधीश को हटाने के लिए केवल दो आधार हैं।
3. भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के विवरण न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में दिए गए हैं।
4. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही केवल पांच बार हुई है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. केवल तीन
- D. सभी चार

32. पेजर्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये पहले पीढ़ी के हाथ में लेने वाले मोबाइल संचार उपकरण हैं।
2. ये रिसीव-केवल उपकरण हैं जिन पर छोटे संदेश भेजे जा सकते हैं, जो एक वाक्य से लंबे नहीं होते।
3. पेजर्स को संदेश इन्फ्रारेड तरंगों के माध्यम से भेजे जाते हैं।
4. पेजर उपकरणों को ट्रेस या ट्रैक किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. केवल तीन
- D. सभी चार

33. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2. यह पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त कवरेज प्रदान करती है।
3. यह योजना 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को कवर करती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

34. हाल ही में “कॉमन” शब्द चर्चा में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक ऐसा शब्द है जो संसाधनों का संदर्भ देता है जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं।
2. भारत ने पहली बार सामान्य संसाधनों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रशासन पर एक संवाद की मेजबानी की।
3. स्थानीय तालाब कॉमन का हिस्सा नहीं है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2
- C. केवल 2 और 3
- D. केवल 1

35. बिप्लब शर्मा समिति का गठन कब हुआ था?

- A. जनवरी 2019
- B. जुलाई 2019
- C. फरवरी 2020
- D. अगस्त 2020

उत्तर

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. (C) | 11. (B) | 21. (D) | 31. (D) |
| 2. (B) | 12. (C) | 22. (D) | 32. (B) |
| 3. (A) | 13. (D) | 23. (C) | 33. (B) |
| 4. (A) | 14. (C) | 24. (C) | 34. (A) |
| 5. (B) | 15. (B) | 25. (D) | 35. (B) |
| 6. (C) | 16. (A) | 26. (D) | |
| 7. (B) | 17. (B) | 27. (C) | |
| 8. (B) | 18. (B) | 28. (B) | |
| 9. (B) | 19. (B) | 29. (B) | |
| 10. (C) | 20. (C) | 30. (B) | |

प्रीलिम्स आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. क्वांटम प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट में गणना करते हैं।
 - इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास की गति को तीव्र करने की क्षमता है।
 - क्वांटम अनुप्रयोगों के साथ भूकंप, सुनामी, सूखा और बाढ़ का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
 - केवल दो
 - सभी तीन
 - कोई भी नहीं
2. हाल ही में NASA ने अपना SWOT उपग्रह लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है:
- अज्ञात हवाइ घटनाओं का अध्ययन करना।
 - सौर मंडल में ग्रहों की शानदार तस्वीरें खींचना।
 - यह पता लगाना कि किस प्रकार महासागर प्राकृतिक रूप से वायुमंडलीय ऊषा और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं जो वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है।
 - यह पता लगाना कि पृथ्वी ग्रह किस प्रकार जीवन का समर्थन करती है, जबकि मंगल और शुक्र जैसे अन्य ग्रह ऐसा नहीं करते।
3. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
- पौधों की विभिन्न प्रजातियों।
 - सूक्ष्मजीवों और उच्चतर जीवों।
 - पौधों एवं पशुओं
- उपर्युक्त में से किसमें रीकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक (जेनेटिक इंजीनियरिंग) जीन को स्थानान्तरित करने की अनुमति प्राप्त है?
- केवल 1
 - 2 और 3
 - 1 और 3
 - 1, 2 और 3
4. जीन-एडिटिंग तकनीक के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इसका उपयोग लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने या विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा
- सकता है।
- यह मनुष्यों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकता है और जीवन काल बढ़ा सकता है।
 - यह रोगों के संचरण के साधनों को समाप्त करके उनके प्रसार को धीमा कर सकता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
 - केवल दो
 - सभी तीन
 - कोई भी नहीं
5. गामा-किरण विस्फोट (GRB) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो चमकीले विस्फोट हैं और गामा-किरण प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
- GRB तब हो सकता है जब दो न्यूट्रॉन तारों का विलय हो जाता है।
 - वे प्रकाश से सर्वाधिक ऊर्जावान व सूर्य से कई गुना अधिक चमकदार होते हैं।
 - ब्लैक होल निर्माण की पहचान करने के लिए गामा-किरण विस्फोट (GRB) का अध्ययन किया जा सकता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही हैं?
- 1 और 2
 - 1 और 3
 - 2 और 3
 - 1, 2 और 3
6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (Cert-In) गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
 - एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) उपयोगकर्ता के डेटा के लिए कई प्रॉक्सी पहचान बनाता है और डेटा की सामग्री को बिना किसी व्यवधान के सुरक्षित रूप से स्थानान्तरित करता है।
 - इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस (आईपी एड्रेस) कानून प्रवर्तन एजेसियों को व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं और उनके सटीक स्थान को ट्रैक करने में मदद करता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
 - केवल दो
 - सभी तीन

(d) कोई भी नहीं

7. अंतरिक्ष मलबे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंतरिक्ष मलबे में निष्क्रिय अंतरिक्षयानों और उपग्रहों का मलबा, उपग्रह विस्फोट और टकराव शामिल हैं।
2. अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन के तहत, देश अंतरिक्ष मलबे से होने वाले नुकसान के लिए अन्य देशों से मुआवजे का दावा नहीं कर सकते हैं।
3. उल्कापिंडों को प्राकृतिक अंतरिक्ष मलबे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) 2 और 3
- (b) 1 और 2
- (c) 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर एक विशिष्ट लक्षित प्रोटीन को आबद्ध करने का काम करते हैं, फिर उसे अंदर से नष्ट करने के लिए प्रवेश करते हैं।
2. एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं से बचने के लिए विकसित होते हैं।
3. एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग एंटीबायोटिक प्रतिरोध के सबसे बड़े चालक हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई भी नहीं

9. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. क्लाउड कंप्यूटिंग
2. संवर्धित वास्तविकता
3. स्वायत्त रोबोट
4. योगात्मक विनिर्माण
5. इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)

चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR) उपर्युक्त में से किस तकनीक का संग्रह है?

- (a) 1, 2, 3 और 4
- (b) 1, 2, 4 और 5
- (c) 1, 2, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

10. Gait Analysis के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. Gait analysis चिकित्सा देखभाल में एक तकनीक है जिसका उपयोग उन स्थितियों का मूल्यांकन और निदान करने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति के चलने और मुद्रा को प्रभावित करते हैं।
2. Gait analysis तकनीकों का उपयोग फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा आपराधिक मामलों में संदर्भों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वेब 1.0 वैश्विक डिजिटल संचार नेटवर्क की पहली पीढ़ी थी।
2. वेब 1.0 को अक्सर “पढ़ें और लिखें” इंटरनेट के रूप में जाना जाता है, जहां उपयोगकर्ता सर्वर और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद करने में सक्षम थे जिससे सोशल वेब का निर्माण हुआ।
3. वेब 3.0 का उपयोग इंटरनेट की अगली पीढ़ी को विकेंट्रीकरण के साथ एक “पढ़ें-लिखें-निष्पादित करें” वेब के रूप में संदर्भित करने के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई भी नहीं

12. पृथ्वी पर उपलब्ध दुर्लभ खनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रेयर अर्थ मिनरल्स से बने चुम्बक पारंपरिक चुम्बकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं।
2. इन्हें ‘रेयर अर्थ’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले इन्हें तकनीकी रूप से इनके ऑक्साइड रूपों से निकालना कठिन था।
3. सभी रेयर अर्थ तत्व (आरईई) भारतीय भंडार में निकालने योग्य मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो

- (c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

13. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (एनटीडी) रोगजनकों के कारण होते हैं जिनमें शामिल हैं:

1. वायरस
2. बैक्टीरिया
3. परजीवी
4. कवक

उपर्युक्त में से कौन से सही हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 1, 2 और 3
- (c) 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

14. म्यूआॅन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. म्यूआॅन अंतरिक्ष से बरसने वाले उपपरमाणिक कण होते हैं।
2. इनका निर्माण तब होता है जब पृथकी के वायुमंडल में कण ब्रह्मांडीय किरणों से टकराते हैं।
3. वे इलेक्ट्रॉनों में विघटित होने से पहले सैकड़ों मीटर चूटान या अन्य पदार्थ के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं।
4. वे अत्यधिक अस्थिर होते हैं और केवल कुछ माइक्रोसेकंड तक ही उपस्थित रहते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

15. प्रयोगशाला में विकसित हीरे (LGD) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. LGD में प्राकृतिक हीरे के समान बुनियादी गुण होते हैं, जिसमें उनका ऑप्टिकल प्रसार भी सम्मिलित है।
2. LGD का उपयोग अक्सर उनकी कठोरता और अतिरिक्त शक्ति के कारण औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
3. प्राकृतिक हीरों की तरह, LGD हीरों को उनकी विशिष्ट चमक प्रदान करने के लिए किसी पॉलिशिंग और कटिंग की आवश्यकता नहीं होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने गलत हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन

- (d) कोई भी नहीं

16. आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) द्वारा तैयार किया जाता है।
2. पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था और 1964 तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था।
3. एक बार तैयार होने के बाद, सर्वेक्षण को वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाता है और सर्वेक्षण में शामिल टिप्पणियाँ या नीति समाधान सरकार पर बाध्यकारी नहीं होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

17. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक वैधानिक निकाय है और राष्ट्राजन आयोग की सिफारिस का परिणाम था।
2. मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) NSC के सचिव हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

18. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पंचायती राज के लिए लेखांकन अनुप्रयोग पर आधारित एक सरलीकृत कार्य है।
2. यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) के हिस्से के रूप में विकसित अनुप्रयोगों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

19. एक योग्य संस्थागत निवेशक (QII) क्या है?

- (a) उच्च निवल मूल्य वाला एक व्यक्तिगत निवेशक
 (b) एक वित्तीय संस्थान जो बड़े निवेशकों के लिए धन का प्रबंधन करता है।
 (c) एक निजी इकिवटी फर्म जो स्टार्टअप्स में निवेश करती है।
 (d) एक हेज फंड जो रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उच्च जोखिम वाली रणनीतियों का उपयोग करता है।
- 20.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- कथन I: ओटोलिथ हड्डी वाली मछली के सिर में स्थित कैल्शियम कार्बोनेट संरचनाएं हैं।
- कथन II: भारत में पहली बार आभूषण बनाने के लिए ओटोलिथ का उपयोग किया गया है।
- उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
- (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही है तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
 - (b) कथन-I और कथन-II दोनों सही है तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
 - (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है।
 - (d) कथन-I गलत है किन्तु कथन-II सही है।
- 21.** किसी भी देश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे उसकी सामाजिक पूँजी का हिस्सा माना जाएगा?
- (a) जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात
 - (b) इसकी इमारतों, अन्य बुनियादी ढांचों और मशीनों का स्टॉक
 - (c) कामकाजी आयु वर्ग में जनसंख्या का आकार
 - (d) समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का स्तर
- 22.** निम्नलिखित में से कौन भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में सम्मिलित नहीं है?
- (a) अग्रिम
 - (b) जमा
 - (c) निवेश
 - (d) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
- 23.** राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
 2. राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त होता है।
 3. राज्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है।
- 24.** एंजेल टैक्स क्या है और यह भारतीय स्टार्टअप्स को कैसे प्रभावित करता है?
- (a) एंजेल टैक्स उन एंजेल निवेशकों पर लगाया जाने वाला कर है जो भारत में स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रदान करते हैं। इसका स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह क्षेत्र में निवेश को हतोत्साहित करता है।
 - (b) एंजेल टैक्स उन स्टार्टअप्स पर लगाया जाने वाला कर है जो भारत में एंजेल निवेशकों से धन प्राप्त करते हैं। इसका स्टार्टअप इकोसिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक स्टार्टअप को ही फंडिंग मिले।
 - (c) एंजेल टैक्स उन स्टार्टअप्स पर लगाया जाने वाला कर है जो भारत में उद्यम पूँजी फर्मों से धन प्राप्त करते हैं। इसका स्टार्टअप इकोसिस्टम पर तटस्थ प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह फंडिंग के स्रोत के आधार पर स्टार्टअप के खिलाफ भेदभाव नहीं करता है।
 - (d) एंजेल टैक्स भारत में शेयर बाजार में निवेश करने वाले व्यक्तियों पर लगाया जाने वाला कर है। इसका स्टार्टअप इकोसिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।'
- 25.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में सभी न्यायाधीशों के पास समान न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
 2. उच्च न्यायालय का उप न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश से इतर अन्य न्यायाधीश होता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) न तो 1 और न ही 2
- 26.** अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह 167 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ का एक अंतरसरकारी निकाय है।

2. यह गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन (UNCLOS) के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1 और न ही 2
27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सर्वोच्च न्यायालय संविधान के तहत बनाया गया था, और यह भारत के कुछ उच्च न्यायालयों की तुलना में अपेक्षाकृत नया न्यायालय है।
 - सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से श्रेष्ठ होता है और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन होता है।
 - उच्च न्यायालय संवैधानिक कानून, नागरिक कानून और आपराधिक कानून के तहत उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में उपचार प्रदान कर सकते हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?
- केवल एक
 - केवल दो
 - सभी तीन
 - कोई भी नहीं
28. साम्यवाद और समाजवाद के मध्य मुख्य अंतर क्या है?
- साम्यवाद का लक्ष्य एक वर्गहीन समाज है जबकि समाजवाद का लक्ष्य धन का उचित वितरण है।
 - समाजवाद उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण की वकालत करता है जबकि साम्यवाद श्रमिक नियंत्रण की वकालत करता है।
 - साम्यवाद एक नियोजित अर्थव्यवस्था के विचार पर आधारित है जबकि समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था की अनुमति देता है।
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं
29. मैक्रोसोमिया से आप क्या समझते हैं?
- इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक बच्चा अत्यधिक शारीरिक वजन के साथ पैदा होता है।
 - इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक बच्चा कम वजन के साथ पैदा होता है।
 - इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक बच्चा जन्म दोष के साथ पैदा होता है।
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
30. यदि सरकार द्वारा जनता को कोई वस्तु निःशुल्क प्रदान की जाती है, तब:
- अवसर लागत शून्य हो जाती है।
 - अवसर लागत को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
 - अवसर लागत उत्पाद के उपभोक्ताओं से कर-भुगतान करने वाली जनता को हस्तांतरित की जाती है।
 - अवसर लागत उत्पाद के उपभोक्ताओं से सरकार को हस्तांतरित की जाती है।
31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- पेरिस क्लब ऋणदाता देशों का एक अनौपचारिक समूह है जिसका उद्देश्य ऋणी देशों के सामने आने वाली भुगतान समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजना है।
 - चीन और भारत, दोनों गैर-पेरिस क्लब सदस्य हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1 और न ही 2
32. आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत में, आर्द्रभूमियों को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत विनियमित किया जाता है।
 - वेटलैंड्स इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की एक उप-शाखा है जो लोगों और जैव विविधता के लिए आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों को बनाए रखने और पुनर्स्थापित करने के लिए काम करती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1 और न ही 2
33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) केंद्र सरकार को WPA की अनुसूची I और II में शामिल किसी भी जंगली जानवर को निर्दिष्ट क्षेत्र और अवधि के लिए वर्मिन घोषित करने का अधिकार देता है।
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मुख्य वन्यजीव वार्डन को कुछ जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति केवल तभी देने का अधिकार देता है, जब उन्हें पकड़ा या स्थानांतरित

नहीं किया जा सकता हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

34. समीक्षा याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है।
2. किसी मामले के केवल पक्ष ही दिये गये फैसले की समीक्षा की मांग कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

35. MISHTI योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह ग्लोबल मैग्रोव एलायंस का एक नया कार्यक्रम है जो भारत के समुद्र तट और लवणीय भूमि पर मैग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगा।
2. कार्यक्रम “मनरेगा, कैम्पा फँड और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण” के माध्यम से संचालित होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

36. भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PVTG 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं।
2. स्थिर या घटती जनसंख्या PVTG की स्थिति निर्धारित करने वाले मानदंडों में से एक है।
3. देश में अब तक 95 PVTG अधिकारिक तौर पर अधिसूचित हैं।
4. इरुलर और कोंडा रेडी जनजातियाँ PVTG की सूची में शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) 1, 2 और 3

- (b) 2, 3 और 4

- (c) 1, 2 और 4

- (d) 1, 3 और 4

37. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक सिरस क्लाउड थिनिंग तकनीक के उपयोग और समताप मंडल में सल्फेट एयरोसोल के इंजेक्शन का सुझाव देते हैं?

- (a) कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करना
- (b) उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करना
- (c) पृथ्वी पर सौर पवन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना
- (d) ग्लोबल वार्मिंग को कम करना

38. भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में उत्पन्न होते हैं।
2. पदार्थ जितना सघन होगा, भूकंप तरंगों का वेग उतना ही कम होगा।
3. सतही तरंगें अधिक विनाशकारी होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

39. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक गैर-संवैधानिक निकाय है।
2. अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी भी मामले की जांच करते समय आयोग के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

40. समावेशी चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है?

- (a) उत्पादन और उपभोग का एक मॉडल जिसमें संसाधनों को यथासंभव लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है तथा अपशिष्ट और प्रदूषण को कम किया जाता है।
- (b) एक ऐसी प्रणाली जिसमें अपशिष्ट और संसाधनों का पुनर्उपयोग किया जाता है, जिससे नए उत्पादन की

आवश्यकता कम हो जाती है, लेकिन सामाजिक समानता पर विचार नहीं किया जाता है।

- (c) उत्पादन और उपभोग का एक मॉडल जिसमें अपशिष्ट और संसाधनों का पुनर्उपयोग किया जाता है, जिससे सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता पर विचार करते हुए नए उत्पादन की आवश्यकता कम हो जाती है।
- (d) एक ऐसी प्रणाली जिसमें अपशिष्ट और संसाधनों का यथासंभव लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है, जिससे अपशिष्ट और प्रदूषण को अधिकतम किया जा सके।

41. मिशन सहभागिता किसकी पहल है?

- (a) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- (b) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (c) शिक्षा मंत्रालय
- (d) पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

42. ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलिएशन फंड (GCRF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वित्तीय तंत्र की एक सचालन इकाई के रूप में स्थापित किया गया है।
2. यह इंचियोन, दक्षिण कोरिया में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

43. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को 'आमिल' के नाम से जाना जाता था।
2. दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन स्वदेशी संस्था थी।
3. 'मीर बख्शी' का कार्यालय दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

44. अलीनगर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (रॉबर्ट क्लाइव) और बंगाल के नवाब (सिराज उद-दौला) के बीच हस्ताक्षरित हुई थी।

2. संधि ने कलकत्ता को उसके विशेषाधिकारों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को बहाल कर दिया और शहर की किलेबंदी और टकसाल बनाने की अनुमति दे दी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

45. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की।
2. उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जिसके दौरान असहयोग आंदोलन की प्रारंभ किया गया।
3. उन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो-वैदिक स्कूल की स्थापना की।

उपर्युक्त कथनों का संदर्भ है:

- (a) दयानंद सरस्वती
- (b) गोपाल कृष्ण गोखले
- (c) बाल गंगाधर तिलक
- (d) लाला लाजपत राय

46. भाषिनी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. भाषिनी भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट है, जो OpenAI's के ChatGPT के समान है।
2. भाषिनी मिशन के तहत, DRDO की एक टीम वर्तमान में एक व्हाट्सएप-आधारित चैटबॉट बना रही है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

47. निम्नलिखित पर विचार कीजिएः

1. वर्गहीन एवं जातिविहीन समाज
2. चातुर्वर्ण प्रणाली का वैदिक राष्ट्र
3. वेद और पुराणों की अचूकता

उपर्युक्त में से कौन से विचार दयानंद सरस्वती द्वारा समर्थित थे?

- (a) केवल 1 और 2

- (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3
 (d) 1, 2 और 3
48. भारत में बदली हुई ब्रॉडबैंड परिभाषा के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा 'हाइट स्पॉट' शब्द का सही वर्णन करता है?
 (a) वे स्थान जो केवल "जुड़े हुए" दिखते हैं लेकिन उनकी कनेक्टिविटी बहुत मध्यम होती है।
 (b) ऐसे स्थान जहां बिल्कुल भी सेलुलर कनेक्टिविटी नहीं है।
 (c) वे स्थान जहां हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा है।
 (d) कोई भी नहीं
49. विंडफाल टैक्स है:
 (a) अस्थिरता और सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए अल्पकालिक मुद्रा लेनदेन पर लगाया जाने वाला कर।
 (b) किसी विशेष कंपनी या उद्योग पर लगाए गए अचानक बड़े मुनाफे पर उच्च कर दर।
50. 'ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल' क्या है?
 (a) यह सरकार और उद्योगपतियों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को समझने, मात्रा निर्धारित करने और प्रबंधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन उपकरण है।
 (b) यह विकासशील देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है।
 (c) यह वर्ष 2022 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को निर्दिष्ट स्तर तक कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित एक अंतर-सरकारी समझौता है।
 (d) यह विश्व बैंक द्वारा आयोजित बहुपक्षीय REDD+ पहलों में से एक है।

उत्तर

1	c
2	c
3	d
4	c
5	d
6	b
7	c
8	c
9	d
10	c
11	b
12	c
13	d

14	d
15	a
16	b
17	a
18	a
19	b
20	b
21	d
22	b
23	c
24	a
25	c
26	c

27	b
28	a
29	a
30	c
31	a
32	d
33	b
34	a
35	c
36	c
37	d
38	c
39	a

40	c
41	d
42	b
43	a
44	c
45	d
46	d
47	a
48	b
49	b
50	a

NEW BATCH UPSC (IAS)

GENERAL STUDIES



ENGLISH MEDIUM

TIME: 8:30 AM | 6:00 PM

MODE : OFFLINE & ONLINE

Admission Open

BOOK YOUR SLOT



 **A 12 Sector J Aliganj, Lucknow ☎ 9506256789**

OTHER CENTER : CP1, Jeevan Plaza, Gomti Nagar, Lucknow ☎ 7234000501



DHYEYA
IAS
OLYMPIAD

UDAAN ENTRANCE TEST

Get Upto **100%** SCHOLARSHIP



17TH NOVEMBER 2024



12:00 PM TO 3:00 PM

Udaan: 3 year Course Program

12TH के बाद
ग्रेजुएशन के साथ
IAS/IPS
की तैयारी !

7570009014

- ♀ A-12, Sector J, Aliganj, Lucknow
- ♀ CP-1 Jeewan Plaza, Vikram Khand, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow